योदश माला, खंड 3, अंक 16

सोमवार, 20 दिसम्बर, 1999
29 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 60
Date 2/11/2K

(खंड 3 में अंक 11 से 19 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 16, सोमवार, 20 दिसम्बर, 1999/29 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय	**कालम**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 304	1–34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 305 से 320	34–39
अतारांकित प्रश्न संख्या 2944 से 3053 और 3055 से 3172	59–498
सभा पटल पर रखे गए पत्र	498–518
राज्य सभा से संदेश	518–519
महिला आरक्षण विधेयक	519–533
केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक	567
नियम 377 के अधीन मामले...	569–5[illegible]
(एक) "कांगड़ा क्वीन" में द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बे जोड़ने और उसे जोगेन्द्र नगर, हिमाचल प्रदेश तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री महेश्वर सिंह	569
(दो) आन्ध्र प्रदेश की मछुआरा जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री के. येरननायडू	570
(तीन) उत्तर प्रदेश में वाराणसी से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल	571
(चार) गुरूदासपुर मुकेरियां रोड और गुरूदासपुर कठुआ रोड पर क्रमशः रावी और ब्यास नदियों पर ऊँचे पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री विनोद खन्ना	572
(पांच) राजस्थान के अकालग्रस्त लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री भेरूलाल मीणा	572
(छह) बिहार के किसानों को केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से रियायती दरों पर अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती श्यामा सिंह	573
(सात) मध्य रेलवे के कार्यालय को मुम्बई से नागपुर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	574
(आठ) पश्चिम बंगाल में बर्नपुर स्थित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने और उसका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री विकास चौधरी	575
(नौ) प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों के राहत और पुनर्वास कार्य को संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता.	
श्री होलखोमांग हौकिप	575

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(दस) बिहार के रोहतास जिले में पाइरेट फॉसफैट केमिकल्स लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम प्रसाद सिंह	576
(ग्यारह) मलेरकोटला और पंजाब के अन्य भागों में अपने संबंधियों से मिलने के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को सीधे वीसा जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री सिमरनजीत सिंह मान	577
उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	578
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	579
खंड 2 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	580
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	580–606
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	580, 602
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	582
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी	589
श्री रूपचन्द पाल	591
श्री खारबेल स्वाईं	594
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	597
श्री सुनील खां	598
श्री अनादि साहू	599
खंड 2 और 1	605
पारित करने के लिए प्रस्ताव	606
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	606–630
विचार करने के लिए प्रस्ताव	628
श्री प्रभुनाथ सिंह	606
श्री टी.एम. सेल्वागनपति	609
श्री चन्द्र भूषण सिंह	616
प्रो. रासा सिंह रावत	619
श्री सुरेश रामराव जाधव	621
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	622
श्री राम जेठमलानी	625
खण्ड 2 से 34 और 1	630
पारित करने के लिए प्रस्ताव	630
विवाह विधि (संशोधन) विधेयक	631–636
विचार करने के लिए प्रस्ताव	631
श्री राम जेठमलानी	631, 635
श्री सिमरन जीत सिंह मान	632
श्रीमती मीनाती सेन	632
खण्ड 2, 3 और 1	636
पारित करने के लिए प्रस्ताव	636
आधे घंटे की चर्चा	637–651
दुग्ध पाउडर का शुल्क मुक्त आयात	637
श्री आर.एल. जालप्पा	637
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल	641
श्री के.एच. मुनियप्पा	644
श्री नीतीश कुमार	646

लोक सभा

सोमवार, 20 दिसम्बर, 1999/29 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की कमी

***301. श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की कमी और उनके भली प्रकार सुसज्जित न होने के कारण न्यायालयों में मामलों का ढेर लग गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विधि-विज्ञान जांच, किसी आपराधिक मामले की जांच-पड़ताल का एक हिस्सा है। न्यायालयों में आपराधिक मामले में विचारण की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अंतर्गत, जांच रिपोर्ट, पुलिस अधिकारी द्वारा, अपराध को संज्ञान में लेने के लिए शक्ति प्राप्त मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है। अत: विधि विज्ञान की जांच में विलम्ब, न्यायालयों में मामलों के जमा होने का कारण नहीं है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण राज्य के क्षेत्र में दर्ज आपराधिक मामले की जांच-पड़ताल करने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। अपराध की वैज्ञानिक जांच-पड़ताल के लिए अनेक राज्य सरकारों ने अपनी विधि-विज्ञान प्रयोगशालायें स्थापित की हैं। केन्द्र सरकार ने, विधि विज्ञान कार्यों के बारे में अनुसंधान और विकास कार्य करने और राज्यों से प्राप्त अपराध मामलों और, समय-समय पर, न्यायालयों द्वारा भेजे गए मामलों की विधि-विज्ञान जांच करने के लिए नई दिल्ली, कलकत्ता, चंडीगढ़ और हैदराबाद में केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशालायें स्थापित की हैं।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि: माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बातने की कृपा करेंगे कि क्या फोरेन्सिक प्रयोगशालाओं की कमी और उनके भली प्रकार सुसज्जित न होने के कारण न्यायालयों में मालमों का ढेर लग गया है और यदि हां तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जैसे मैंने मूल सवाल के उत्तर में कहा है कि फोरेन्सिक लैबोरेटरीज के काम का प्रभाव कोर्ट्स पर नहीं पड़ता, इनवेस्टिगेशन पर पड़ सकता है क्योंकि इनवेस्टिगेशन पूरा होकर ही कोर्ट के पास केस जाता है और कोर्टों में जो डिले है, उसका संबंध फोरेन्सिक लेबोरेटरीज के काम से नहीं है। यह बात सही है कि देश में चार लेबोरेटरीज हैं जो केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं और ये प्राय: तब बनी जब प्रदेशों की अपनी फोरेन्सिक लैबोरेटरीज नहीं थी। उसके बाद धीरे-धीरे स्टेट्स की अपनी फोरेन्सिक लैबोरेटरीज बनीं और देश भर में ऐसी 20 लैबोरेटरीज अलग-अलग स्टेट्स की हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार के अधीन फोरेन्सिक लैबोरेटरीज का सवाल है, उनमें काम ठीक प्रकार से चल रहा है और उसमें पेन्डिंग केसेज लगातार कम होते गए हैं। मेरे पास पिछले चार सालों के आंकड़े हैं। उनसे स्पष्ट होता है कि जो पेन्डिंग केसेज हैं फोरेन्सिक सेन्ट्रल लेबोरेटरीज में, उनमें कमी आती गई है और सुधार होता गया है। हमारा प्रयत्न है कि प्रदेशों में भी इस प्रकार की स्थिति आए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि: मैं उत्तर से संतुष्ट हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस: महोदय, मैं उपकरण की स्थिति पर प्रश्न पूछना चाहती हूं। हमें बताया गया कि इन दिनों प्रत्येक राज्य में फोरेन्सिक प्रयोगशालाएं हैं और केन्द्र सरकार की एक-एक नई दिल्ली, कलकत्ता, चडीगढ़ और हैदराबाद में स्थित है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इनमें से कितने में डी.एन.ए. परीक्षण के लिए उपकरण हैं क्योंकि आजकल यह फोरेन्सिक विज्ञान कार्यपद्धति का महत्वपूर्ण पहलू है। इनमें से कितनों में डी.एन.ए. प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है?

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मुझे पुनः इसकी जांच-पड़ताल करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मुख्यतः हैदराबाद प्रयोगशाला में डीएनए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है।

श्रीमती कृष्णा बोस: क्या वह अकेला ही है, महोदय?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: क्षमा कीजिए, इसकी सुविधा सिर्फ कलकत्ता में ही उपलब्ध है।

श्रीमती कृष्णा बोस: हैदराबाद में भी नहीं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह सिर्फ कलकत्ता में ही किया जाता है। मुझे लगता है, कुछ डीएनए प्रशिक्षण हैदराबाद में भी होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कलकत्ता इसके लिए सुसज्जित है।

श्रीमती कृष्णा बोस: क्या आप अन्य केन्द्र पर और भी डीएनए प्रशिक्षण करते हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय सदस्य ने कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव दिया है। मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूँ कि 22 और 23 दिसम्बर, को हम भोपाल में सभी फोरेन्सिक प्रयोगशाला के अखिल भारतीय निदेशकों का सम्मेलन कर रहे हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो जो गृह मंत्रालय के अधीन है इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है जिसका उद्देश्य है देश की फोरेन्सिक प्रयोगशालाओं में चाहे वह राज्य की हों या केन्द्र की हों, अपराधों की जांच पड़ताल इत्यादि से संबंधित समस्याओं को उठाना है इत्यादि। उस दौरान हम इस मामले को भी उठाने का प्रयत्न करेंगे।

श्रीमती कृष्णा बोस: धन्यवाद, महोदय।

श्री के. मलयसामी: महोदय, जैसाकि हमें पता है, न्यायालय के समक्ष लाए गए आपराधिक मामलों के निर्णय में फोरेन्सिक प्राधिकारी के साक्ष्य-बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। मैं देख सकता हूँ कि, कई राज्यों में, यह फोरेन्सिक प्रयोगशाला प्राधिकरण या विभाग पुलिस के साथ सहयोजित है। इस प्रकार पुलिस और कुछ नहीं बल्कि मुकदमा चलाने वाली एजेन्सी मानी जाती है। फोरेन्सिक विभाग का साक्ष्य या इसकी रिपोर्ट स्वतंत्र और पक्षपात रहित नहीं हो सकती है जब तक कि इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने न दिया जाए या इसे पुलिस के अलावा किसी अन्य विभाग के साथ सहयोजित न किया जाए। हम यह कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि एक एजेन्सी जो पुलिस जैसे विभाग के अंतर्गत कार्य कर रही है स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्ट और साक्ष्य प्रश्न दे सकती है? इसीलिए मेरा भारत सरकार को यह सुझाव है कि....

अध्यक्ष महोदय: यह केवल सुझाव है।

श्री के. मलयसामी: मेरा प्रश्न है कि क्या भारत सरकार के पास इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश या अनुदेश है जिन्हें जारी किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कोई उत्तर देना चाहेंगे? मंत्री महोदय?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, फोरेन्सिक प्रयोगशाला में पुलिस अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए, पुलिस को इसकी अत्यंत आवश्यकता है, हालाँकि पिछले ही हफ्ते हुई डी.जी.पी. और आई.जी.पी. के सम्मेलन में, कई राज्यों के डी.जी.पी. और आई.जी.पी. ने कहा कि पहले वे सीधे तौर पर पुलिस विभाग से संलग्न थे, अब यह राज्य सरकारों के पास है, इसलिए अब यह समस्या उठ खड़ी हुई है, अब ये समस्याएं ऐसी हैं कि जिनके व्यावहारिक पहलू पर विचार करना ही होगा।

जहाँ तक दिशा-निर्देशों का संबंध हैं, मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए दिशा-निर्देश और विशेष मानदण्ड इस प्रकार निर्धारित किए हैं कि इनको स्वीकृति आवश्यक हो। आरंभ में यह प्रभावी आधार पर होगी। लेकिन सरकार इसे सांविधिक भी बनाने संबंधी विचार कर रही है जिससे इन फोरेन्सिक प्रयोगशालाओं को मान्यता मिले ताकि उचित जांच की जा सके कि इनमें आवश्यक उपकरण ठीक प्रकार से हैं या नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं समझता हूँ कि, संपूर्ण भारत में केवल 4 अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। अभी कई मामले फैसले

के लिए आ रहे हैं। माननीय मंत्री को याद होगा कि हर मामले में पितृत्व संबंधी विवाद होते हैं, और डीएनए परीक्षण करना पड़ता है। जहाँ कहीं भी डीएनए संबंधी विवाद उपस्थित होते हैं इसे फोरेन्सिक प्रयोगशाला को भेजा जाता है। हमारे पास केवल एक *प्रयोगशाला होने के कारण, बहुत समय लग जाता है।*

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि लंबित मामले प्रयोगशालाओं की कमी के कारण नहीं हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मेरा प्रश्न है, क्या सरकार का विचार दक्षिण भारत में दो या तीन और प्रयोगशाला खोलने का है।

महोदय, इसका कारण यह है कि हैदराबाद में केवल एक ही प्रयोगशाला है। दक्षिण भारत में और कोई प्रयोगशाला नहीं है।

इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या मामलों को निपटाने के लिए मामलों को आसानी से इन प्रयोगशालाओं को भेजा जा सके इसके लिए सरकार दक्षिण भारत में नई फोरेन्सिक प्रयोगशाला खोलने का विचार कर रही है। यही मेरा प्रश्न है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, आरंभ में भी मैंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार के अधीन चार फोरेन्सिक प्रयोगशालाएं हैं और कुछ दशकों पहले यह सच था कि राज्य सरकारों के पास स्वयं की अपनी फोरेन्सिक प्रयोगशालाएं नहीं थीं। आज, 20 राज्य फोरेन्सिक प्रयोगशाला हैं। 31 क्षेत्रीय फोरेन्सिक प्रयोगशालाएं हैं और 131 जिला स्तर पर चल-प्रयोगशालाएं हैं, हालांकि यह सच है कि इन प्रयोगशालाओं में उपकरणों और विशेषज्ञता को उन्नत करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार उनके संपर्क में है। केन्द्रीय सरकार स्वयं अपनी प्रक्रिया विकसित कर रही है और हम इस मामले पर कार्यवाही कर रहे हैं। यह धारणा गलत है कि संपूर्ण भारत में केवल चार फोरेन्सिक प्रयोगशालाएं हैं। इस प्रकार की प्रयोगशालाएं काफी संख्या में हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में भी एक फोरेन्सिक प्रयोगशाला है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में बताया है कि न्यायालयों द्वारा भेजे गये मामलों की विधि-विज्ञान जांच करने के लिए नई दिल्ली, कलकत्ता, चंडीगढ़ और हैदराबाद में विधि-विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मुम्बई जैसे बड़े शहर में इस तरह की प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता होने के बावजूद वहां ऐसी प्रयोगशाला क्यों नहीं स्थापित की गई और उसे *आप कब तक शुरू करेंगे?*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह तो आपका सुझाव है लेकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास हो। वह भी बहुत अच्छी इक्विप्ड हो। पूणे में हो, पता नहीं।

[अनुवाद]

मेरे सहयोगी मुझे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के अधीन पुणे में है।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, फोरेन्सिक विज्ञान में प्रशिक्षित व्यक्ति कानूनी न्यायालय के समक्ष अस्त्रविज्ञान विशेषज्ञ और दस्तावेज विशेषज्ञ माने जाते हैं। जज थी इनके साक्ष्यों का सहारा लेते हैं। क्या सरकार इन विशेषज्ञों को, जो फोरेन्सिक प्रयोगशालाओं में कार्य कर रहे हैं, को सीधे स्वायत्त निकाय के अधीन मानेगी?

महोदय, अब यह डी.जी.पी. के आधीन है। उनके विशेषज्ञ साक्ष्य को हत्या के मामले में इस बात को निर्धारित करने के लिए लिया जाता है कि जिस गोली से हत्या हुई क्या वह गोली उसी बंदूक की है ञा नहीं और क्या अमुक दस्तावेज विरूपित कर दिया गया है। इस तरह से न्यायाधीश अपना निर्णय सुनाते वक्त इन पर पूर्णत: निर्भर रहते हैं। क्या सरकार फोरेन्सिक प्रयोगशालाओं को डी.जी.पी के नियंत्रण से अलग रखने पर विचार कर रही है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, हम इन राज्य फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करने वालों को प्रशिक्षण देने पर ध्यान दे रहे हैं और अब तक इन राज्य फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से करीब 150 वैज्ञानिकों को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था, मुझे लगता है ये फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाएं पुलिस अन्वेषण के लिए अत्यंत मूल्यवान आधार है और पुलिस को अपने कार्य के लिए इसकी आवश्यकता है। उनके लिए किसी भी स्वतंत्र स्थिति इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। यही मेरा निवेदन है।

लाइसेंसिंग क्षेत्र में राजस्व भागीदारी प्रणाली

***302. श्री सी. श्रीनिवासन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाइसेंसिंग के क्षेत्र में राजस्व भागीदारी प्रणाली को लागू करने संबंधी सरकार के दृष्टिकोण को चुनौती दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में क़ानूनी स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता अनुकूल प्रणाली स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) नई दूरसंचार नीति 1999 के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये ज ९० हैं?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) से (च) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

नई दूरसंचार नीति 1999 (एन टी पी-99) जिसे 1.4.1989 से लागू किया गया है, उसमें नए लाइसेंसधारकों के लिए राजस्व साझेदारी आधार पर एक बार प्रवेश शुल्क की परिकल्पना की गई है। एन टी पी-99 का अनुमोदन करते समय केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी नोट किया कि एन टी पी को समान रूप से पूरे देश में लागू करना जनहित में होगा। एन टी पी-99 में मौजूदा प्रचालकों के समक्ष आ रही समस्याओं का संतोषजनक रूप से संविदा संबंधी बाध्यताओं के अनुसार तथा कानूनी रूप में सम्मत ढंग से निपटान करने के सरकार के इरादे का भी उल्लेख किया गया है। इसी को देखते हुए माइग्रेशन पैकेज के अधीन सरकार ने मौजूदा लाइसेंसधारकों के ''एन टी पी-99 की राजस्व भागीदारी व्यवस्था में माइग्रेशन की स्वीकृति प्रदान की। सेल्यूलर तथा बुनियादी सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसधारकों को दिए गए सरकार द्वारा स्वीकृत उक्त माइग्रेशन पैकेज के ब्यौरे का नोट (अनुबंध) संलग्न है।

2. मौजूदा लाइसेंसधारकों को आफर किये गये माइग्रेशन पैकेज को चुनौती देने वाली दिल्ली साइंस फोरम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिका फिलहाल न्यायालय में निर्णयाधीन है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.8.1999 के अपने अंतरिम आदेश में, माइग्रेशन पैकेज के संबंध में सरकार को माइग्रेशन (मौजूदा बुनियादी तथा सेल्यूलर सेवा लाइसेंसधारकों) की अनुमति देने की इजाजत दी गई बशर्ते कि नए मंत्रिपरिषद का अनुमोदन हो लेकिन नई लोक सभा इसे नामंजूर कर सकती है। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के संदर्भ में नए मंत्रिमंडल ने दिनांक 21.10.99 को इस मामले पर पुनः विचार किया गया तथा माइग्रेशन पैकेज के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा पहले लिए गए निर्णय का समर्थन किया गया। बुनियादी तथा सेल्यूलर सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसधारकों का नई दूरसंचार नीति 1999 व्यवस्था में माइग्रेशन, कोर्ट केस के परिणाम पर निर्भर करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई की अगली तारीख 24.1.2000 है।

3. सरकार ने दिनांक 1.4.1999 से प्रभावी नई दूरसंचार नीति 1999 (एनटीपी-1999) को स्वीकार कर लिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता सेवाओं तथा वहनीय समयबद्ध कवरेज/उपलब्धता की शर्तों में उपभोक्ता उपयोगी प्रणाली की संस्थापना से संबंधित अनेक शर्तें हैं। सरकार ने नई दूरसंचार नीति-1999 को कार्यान्वित करने के उपाय किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ नई दूरसंचार नीति-1999 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

* नागरिकों के लिए वहनीय तथा प्रभावी संचारण प्रणाली की उपलब्धता।

* ग्रामीण क्षेत्रों सहित उन सभी क्षेत्रों, जिनमें संचार व्यवस्था नहीं है, को विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करना तथा देश की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम उच्च स्तरीय सेवा के प्रावधान के बीच संतुलन प्रदान करना।

* देश के दूरस्थ, पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देना।

* शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण प्रदान करने हेतु दूरसंचार क्षेत्र का समयबद्ध ढंग से रूपान्तरण।

* वर्ष 2002 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना तथा इसके बाद भी प्रक्रिया बनाए रखना।

* उपर्युक्त टैरिफ ढांचा प्रदान कर सेवा को अधिक वहनीय करना तथा सभी स्थिर सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण संचारण अनिवार्य बना कर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार विकास को बढ़ावा देना।

अनुबन्ध

बुनियादी और सेल्यूलर सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसधारकों को 22.7.99 को पेश किए गए माइग्रेशन पैकेज के ब्यौरे के संबंध में टिप्पणी

सेल्यूलर (मेट्रो तथा दूरसंचार सर्किल) तथा बुनियादी दूरसंचार सेवा के मौजूदा प्रचालकों को एनटीपी-99 व्यवस्था में अंतरित होने के लिए 22.7.99 को पेश किए गए माइग्रेशन पैकेज की मुख्य विशेषताएं:

(1) एनटीपी व्यवस्था-99 में अंतरित होने की कट-ऑफ तारीख 1.8.99 होगी।

(2) लाइसेंसधारकों को लाइसेंस के अंतर्गत एक बार के प्रवेश शुल्क तथा सकल राजस्व के प्रतिशत हिस्से के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रभारणीय प्रवेश शुल्क मौजूदा लाइसेंसधारकों द्वारा 31.7.1999 तक देय लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि होगी, जो मौजूदा लाइसेंस की शर्तों के अनुसार नीचे पैरा (9) में दर्शाए अनुसार प्रभावी तारीख को वैचारिक रूप से आगे बढ़ाने के परिणामस्वरूप विधिवत रूप से समायोजित करके 31.7.99 तक परिकलित होगी।

(3) लाइसेंस के अंतर्गत सकल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में लाइसेंस शुल्क दिनांक 1.8.99 से देय होगा। सरकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद लाइसेंस शुल्क के रूप में लिए जाने वाले राजस्व हिस्से की मात्रा के बारे में अंतिम निर्णय लेगी। इस बीच, सरकार ने अनंतिम लाइसेंस शुल्क के रूप में, लाइसेंसधारक के सकल राजस्व की 15 प्रतिशत राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए सकल राजस्व, लाइसेंसधारक कंपनी का कुल राजस्व होगा, इसमें पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) के संबंध में दूरसंचार विभाग (डीओटी)/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को दिए गए काल प्रभार तथा लाइसेंसधारकों द्वारा अपने उपभोक्ताओं से सरकार की ओर से एकत्रित सेवा कर शामिल नहीं होगा। टीआरएआई की सिफारिशें प्राप्त होने तथा सरकार के अंतिम निर्णय के बाद, राजस्व हिस्से की प्रतिशतता तथा इस प्रयोजन के लिए अंतिम रूप से यथा-निर्धारित राजस्व की परिभाषा के आधार पर अनंतिम बकाया का अंतिम समायोजन किया जाएगा।

(4) 31.7.1999 की स्थिति के अनुसार देय ब्याज सहित बकाया राशि का कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा तथा परिसमाप्त नुकसानी (एलडी) प्रभारों का पूर्व भुगतान 15.8.99 तक करना होगा। बकाया राशि का 20 प्रतिशत अथवा अधिक हिस्सा भुगतान करने के लिए 25.1.99 के पत्र के तहत भेजी गई पूर्व मांग पर अगर किसी राशि का भुगतान किया गया है, तो इसे लाइसेंसधारक की इच्छा के अनुसार समायोजित किया जाएगा। भुगतान की वास्तविक तारीख तक परिकलित ब्याज सहित शेष बकाया राशि का भुगतान 31.1.2000 तक करना होगा।

(5) जिन मामलों में मौजूदा बैंक गारंटियां (वित्तीय बैंक गारंटी) का पूर्ववर्ती अवधि में नकदीकरण करा लिया गया है, इन्हें पैकेज की स्वीकृति के साथ-साथ बनाए रखने/वापिस जमा कराने की जरूरत होगी। वित्तीय बैंक गारंटी (गारंटियों) की राशि में चार महा की अवधि के भीतर अर्थात् 30.11.1999 तक और वृद्धि करनी होगी ताकि देय होने वाली और धनराशि सहित बकाया देय राशियां जमा रहें।

(6) यदि सेवा क्षेत्र विशेष में सेल्यूलर प्रचालकों में से कोई प्रचालक पैकेज स्वीकार नहीं करता है तो दोनों मौजूदा प्रचालक, विद्यमान लाइसेंसों की वैधता अवधि तक मौजूदा लाइसेंस व्यवस्था के अनुसार प्रचालन करते रहेंगे।

(7) नई दूरसंचार नीति-99 को अपनाने के परिणामस्वरूप लाइसेंसधारकों का मौजूदा लाइसेंस करार के अनुसार सीमित संख्या की प्रचालन प्रणाली में प्रचालन का अधिकार समाप्त हो जाएगा और वे बहु-प्रचालक लाइसेंसिंग प्रणाली में प्रचालन करते रहेंगे। अर्थात् उन्हें सेवा क्षेत्र विशेष में बिना किसी सीमा निर्धारण के अतिरिक्त लाइसेंस जारी किये जा सकेंगे।

(8) लाइसेंस करार (प्रभावी तिथि) की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए मौजूदा शेयरधारिता को अनिवार्यतः बनाए (लाक-इन) रखना होगा। इस अवधि के दौरान अनुषंगी अथवा नियंत्रक कम्पनियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता के हस्तान्तरण की अनुमति नहीं होगी। तथापि, लाइसेंसधारक कम्पनियों/उनकी नियंत्रक कम्पनियों द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट/पब्लिक ईशू के माध्यम से अतिरिक्त इक्विटी शेयर पूंजी की इश्यू की अनुमति होगी। इसके अलावा लॉक-इन के उपबंध उस अवस्था में लागू नहीं होंगे यदि उधार लेने वालों ने ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं/बैंकों की शेयरों को बंधक केवल किसी विशेष लाइसेंस शुदा परियोजना में निवेश के लिए ही किया जाए नामक शर्त का उल्लंघन किया हो तथा ऋणदाता संस्थाओं/बैंकों ने इस उल्लंघन के फलस्वरूप शेयरों का हस्तांतरण "प्लेस" के "इनफोर्समेंट" के लिए किया हो। इसके अतिरिक्त उन मामलों में जिनमें यदि उधार लेने वालों द्वारा, इस शर्त के साथ कि इन शेयरों को केवल विशेष लाइसेंस प्राप्त परियोजना में निवेश के लिए प्रतिभूति के रूप में रखा जाए, के संबंध में चूक हो जाने के कारण उधार देने वाले वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा प्रतिभूति के प्रवर्तन के अनुपालन में शेयरों को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो शेयरधारिता को रोक कर रखने (लाक-इन) का प्रावधान लागू नहीं होगा।

(9) 31.7.99 तक के बकाया लाइसेंस शुल्क की गणना के प्रयोजनार्थ सेल्यूलर दूरसंचार सर्किलों तथा बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के लाइसेंसों की प्रभावी तिथि नोशनल रूप में 6 माह तक बढ़ा दी जाएगी। यह व्यवस्था महानगरीय सेल्यूलर लाइसेंसों के लिए लागू नहीं होगी। इसके साथ यह शर्त भी है कि जहां किन्हीं परिस्थितियों के कारण प्रभावी तिथि पहले निर्धारित की गई है तो बढ़ाई गई अवधि के दिन घटाने के बाद ही आगे अवधि बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि बढ़ाई गई कुल अवधि अधिकतम 6 माह हो। यदि किसी मामले में पहले ही अवधि को 6 माह से अधिक बढ़ा दिया गया है तो इसमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(10) मौजूदा लाइसेंस करार के अनुसार परिसमापन क्षतिपूर्ति की अदायगी 15.8.99 तक करनी होगी।

(11) लाइसेंस की अवधि मौजूदा लाइसेंस करार की प्रभावी तिथि से 20 वर्ष के लिए होगी।

2. उपर्युक्त शर्तों पर एन टी पी-99 में माइग्रेशन की अनुमति इस तर्काधार पर होगी कि उक्त शर्तें समग्र पैकेज के रूप में स्वीकृत की गई हो और इसके साथ ही लाइसेंसधारियों तथा उनके संघों द्वारा दूरसंचार विभाग अथवा युओआई के खिलाफ न्यायालयों, अधिकरणों अथवा निर्वाचन मंडलों में चलाई जा रही सभी कानूनी कार्रवाई वापिस ले ली जाएगी। इसके अतिरिक्त 31.7.1999 तक की अवधि के लाइसेंस करार के संबंध में किसी भी भावी तारीख में कोई भी विवाद नहीं उठाया जाएगा। पैकेज की स्वीकृति को सभी मौजूदा विवादों, जो भी हो, चाहे वे मौजूदा पैकेज से संबंधित हों, या न हों का पूर्ण रूप से तथा अंतिम रूप से निपटारा मान लिया जाएगा।

3. पैकेज की शर्तों को स्वीकार करने के पश्चात् मौजूदा लाइसेंस करार में संशोधन, लाइसेंसदाता तथा लाइसेंसधारक के बीच की सहमति से होगा।

4. लाइसेंसधारक द्वारा पैकेज की स्वीकृति के एक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से निर्धारित प्रपत्र में एक वचनबद्धता दूरसंचार विभाग को एक सप्ताह के भीतर अर्थात् 29.7.1999 (पूर्वाह्न) तक अवश्य भेज दी जाए। यदि उक्त निर्धारित-अवधि के भीतर प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि लाइसेंसधारक नई व्यवस्था नहीं अपनाना चाहता और लाइसेंसधारक मौजूदा लाइसेंस की शर्तों के अंतर्गत ही प्रचालन जारी रखेगा।

[अनुवाद]

श्री सी. श्रीनिवासन: महोदय, माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-संचार के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी प्रकार का वादा 1994 की दूर-संचार संबंधी नीति में भी किया गया था। लेकिन सरकार निर्धारित लक्ष्य की तुलना में केवल 50 प्रतिशत गांवों में ही यह सुविधा पहुंचा पाई। दूरसंचार की सुविधा का विस्तार अधिक तभी हो सकता है जब सरकार दूर-संचार सेवा के लिए जितना शुल्क शहरी क्षेत्रों में वसूल करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में उसका एक तिहाई शुल्क ही वसूल करे और यह केवल तभी हो सकता है जब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-संचार सेवा संचालन पर राजसहायता दे।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-संचार की सुविधाओं के तीव्र प्रसार के लिए इन दो बातों पर अमल करेगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री श्रीनिवासन, आपका मुख्य प्रश्न लाइसेंस शुल्क में राजस्व की भागीदारी से संबंधित है और आप प्रश्न अन्य विषय पर पूछ रहे हैं।

श्री सी. श्रीनिवासन: महोदय, ये मुद्दे परस्पर संबंधित हैं मैं केवल राजस्व भागीदारी तंत्र के बारे में पूछ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो लक्ष्य पहले रखा गया था उसके मुताबिक एचीवमेंट नहीं हो सका और आज भी लक्ष्य के अनुसार जो गांव रह गए हैं उनकी संख्या 2 लाख 60 हजार है जहां टेलीफोन लगने हैं। कुल मिलाकर 6 लाख 7 हजार गांव हैं जहां टेलीफोन लगने हैं इनमें टेलीफोन लगाने के लिए धन की जरूरत है। इस बार हमारा लक्ष्य 45 हजार गांवों में टेलीफोन लगाने का है, लेकिन इस लक्ष्य के मुताबिक हम अभी तक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जब मैंने संचार मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया उस समय केवल 2750 गांवों में टेलीफोन लगे थे, लेकिन अब उस स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। हमारा लक्ष्य सन् 2002 तक पूरे देश के गांवों में टेलीफोन कनैक्शन देने की व्यवस्था करने का है। इसके लिए कई उपाय किये हैं। इसके लिए हमने तीन कमेटियां बनाई हैं। एक डी.डी.जी. की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जो रूरल एरिया की मानिटरिंग करने का काम करेगी और दूसरी कमेटी मैंने अपने साथी संचार राज्य मंत्री श्री तपन सिकदर की अध्यक्षता में बनाई है। जो नई टैक्नोलोजी आ रही है और विविधताओं से भरा हुआ जो हमारा देश है जिसमें कहीं हिली एरिया है, कही डेजर्ट है, कहीं नदियां और समुद्र हैं, जहां केबल नहीं लगा सकते हैं, वहां हम माइक्रोवेव और सैटेलाइट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इस सबका अध्ययन यह दूसरी समिति करेगी। हमारे देश में एमएआरआर सिस्टम इंट्रोड्यूज किया गया था और बहुत सारे टेलीफोन लगाए गए थे, लेकिन वह सिस्टम ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वह टैक्नोलोजी शायद उस समय के मुताबिक एडवांस रही हो। हमारे देश में किस-किस तकनीक का क्या-क्या इस्तेमाल हो सकता है, उसके लिए भी हमने एक कमेटी बनाई है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: आप श्री सुखरामजी से बात करें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: मैं तो आपका साथी रहा हूं। मैं तो आपको ही कंसल्ट करूंगा और कर रहा हूं।

सर, इस काम में हमें 2 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। इस दृष्टि से हमने सरकार की जो पालिसी बनाई है उसमें प्राइवेट सैक्टर का भी सहयोग लिया है क्योंकि सरकार अपने बलबूते इस विशाल कार्य को नहीं कर सकती है। अत: जो हमारी नई दूरसंचार की नीति 1999 बनाई है, उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। मैं माननीय सदस्य को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं जो हमारा टारगेट है कि सन् 2002 तक हम देश के सभी गांवों में टेलीफोन कनैक्शन दे देंगे, उसको हम पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न "बी" के उत्तर का सवाल है, मैं बताना चाहूंगा कि टैरिफ के संबंध में जो "ट्राई" है, उसको पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है और पिछली बार भी जो उसकी अनुशंसा आई थी उस पर विचार करने के बाद हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया को मैक्सीमम रिलीफ देने का काम किया है, लेकिन यह अधिकार क्षेत्र ट्राई का है और जैसी उसकी रिकमेंडेशन होंगी, सरकार उसके अनुसार विचार करेगी।

[अनुवाद]

श्री सी. श्रीनिवासन : महोदय, मैं मंत्री महोदय का उनके इस आश्वासन के लिए धन्यवाद देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक एक्सचेंज खोले जाएंगे।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न ग्राहक सुगम सेवा से संबंधित है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिंडीगुल में दूर-संचार सेवाओं के मामले में कोई ग्राहक सुगम सेवा जैसी स्थिति नहीं है। यद्यपि डिंडीगुल एक अलग जिला है। वहां के लिए कोई अलग टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है। टेलीफोन संबंधी हर समस्या के लिए और प्रत्येक सुविधा के लिए डिंडीगुल के ग्राहकों को मदुरै-टेलीफोन एक्सचेंज जाना पड़ता है। मैंने इस संबंध में मंत्री महोदय को 19 मई, 1998 में लिखा था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरे पास इसकी एक प्रति भी है। अगर मंत्री महोदय चाहते हैं, तो मैं उन्हें भेज सकता हूं।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा रहे हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को मेरे निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीनिवासन, आपका अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से सर्वथा भिन्न है। कृपया इस बात को समझिए।

श्री सी. श्रीनिवासन. : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (घ) में ग्राहक सुगम सेवा का उल्लेख है। इसलिए यह मेरे मुख्य प्रश्न से संबंधित है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या डिंडीगुल में एक पृथक द्वितीय स्वीचिंग सुविधा को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी पूरे देश में 25,523 इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं और अभी तक केवल 15 गैर-इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं। हमारा टेलीफोन एक्सचैंज की संख्या बढ़ाने का इरादा है और हम उसे बढ़ाने जा रहे हैं। मैंने जब कहा कि हम पूरे देश में हर गांव को सन् 2002 तक जोड़ना चाहते हैं, तो बिना टेलीफोन एक्सचैंज के नहीं जोड़ा जा सकता। जहां तक आपके एरिया का सवाल है, पहले क्या हुआ, मैं नहीं ज़ानता, लेकिन जिस माननीय सदस्य को अपने एरिया की शिकायत हो, वे हमें बता दें। मैं इमीजिएट कार्रवाई करूंगा, सूचित करूंगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो उसी समय संबंधित अधिकारी को बुलाकर उसका समाधान करने की भी कोशिष करूंगा। यही मेरा काम करने का स्टाइल भी है।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के सत्ता में आने के पश्चात् 1998 से चार दूर-संचार मंत्री हुए हैं। पहले, बूटा सिंह थे, उसके बाद श्रीमती सुषमा स्वराज आई, उसके पश्चात् श्री जगमोहन थे और अभी श्री रामविलास पासवान हैं। श्री मुलायम सिंह यादव ने ठीक कहा कि उनके एक सहयोगी, श्री राम विलास पासवान सत्ता पक्ष में चले गए और दूसरे, श्री एस. जयपाल रेड्डी मुख्य विपक्षी दल में आ गए हैं, अब यही स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, प्रवसन पैकेज पर माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ आदेश जारी किए हैं। इस प्रश्न के उत्तर में, माननीय मंत्री ने कहा है कि:

> "माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.8.1999 को जारी किए अंतरिम आदेश, जिसके प्रभाव से नई मंत्रिपरिषद के स्वीकृति के अध्यधीन सरकार को प्रवसन पैकेज के रूप में प्रवसन की अनुमति दे सकेगी और यदि कोई अस्वीकृति हो, तो यह नई लोक सभा द्वारा हो।"

इसलिए मेरा माननीय मंत्री से सीधा यह प्रश्न है कि माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश जारी करने के पश्चात् क्या यह सच है कि उन्होंने भी इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है? यदि ऐसा है तो, क्या वे संसद में आकर सभा को इस स्थिति से अवगत कराएंगे। इस विशेष मुद्दे पर सी.पी.आई.(एम.), कांग्रेस और अन्य दलों के कई माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं और इस पर सभा में चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। क्या मंत्री जी इस बात का उत्तर देंगे कि संसद को विश्वास में लिए बिना उन्होंने यह काम किस प्रकार कर लिया? क्या सरकार ऐसा करने में भी पारदर्शिता दिखाती है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, 21.10.99 को मेरी पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें पुराने निर्णयों पर दुबारा मोहर लगाने का काम किया गया। जहां तक कैबिनेट का सवाल है, हमारी जो पालिसी बनी थी, आपको मालूम है कि जब कमेटी का निर्णय लिया गया था, उस समय लोक सभा सैशन में नहीं थी। 22.2.99 से 18.3.99 तक लोक सभा का सैशन था और दुबारा 22.4.99 से शुरू हुआ था। न्यू टेलीकॉम पालिसी की घोषणा 26.3.99 को हुई थी। उस समय लोक सभा का सत्र नहीं था। इसलिए तत्कालीन सरकार ने 1.4.99 को पांच कापी लाइब्रेरी में, लोक सभा सचिवालय में 500 कापी और राज्य सभा में 250 कापी हिन्दी और अंग्रेजी में 20.4.99 को जमा कर दी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है। अंतरिम आदेश 10.9.99 को दिया गया था और 24 जनवरी को उसकी अगली डेट है।

आपका दूसरा प्रश्न क्या था?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): आप इसे लोक सभा में विचार-विमर्श के लिए कब ला रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जहां तक कोर्ट का सवाल है, कोर्ट ने दो सवाल कहे थे—एक तो यह कहा था कि यदि लोक सभा चाहे तो उसे डिसऐप्रूव कर सकती है। यह नहीं कहा था कि हमको लोक सभा में दुबारा रखना है। वैसे आज राज्य सभा में पांच बजे से उस पर डिसकशन है। यदि आप न्यू टेलीकॉम पालिसी पर यहां डिसकशन करना चाहते हैं, या उस सदन में कोई प्रस्ताव लाया जाता है जिस पर इस सदन में उसे डिसऐप्रूव करना प्रस्तावित हो तो, उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, इस पर सभा में विचार-विमर्श किया जाए। यही आपसे निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जहां तक कोर्ट का सवाल है, सिर्फ इतना ही कहा है कि पार्लियामेंट उसे डिसऐप्रूव कर सकती है। उन्होंने ऐप्रूवल के लिए नहीं मांगा है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : जी हां महोदय, इस मामले पर विस्तार से सदन में ही विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रेणुका चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर लाना चाहती हूं कि संपूर्ण देश में नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है, और पी.डब्ल्यू.जी. आंध्र प्रदेश में बहुत सक्रिय है। इस वजह से जहां नक्सल ऐक्टिविटीज होती हैं, वहां टेलीफोन एक्सचेंज के ब्लास्ट काफी होते हैं। क्या आप किसी ऐसे माध्यम से कुछ कर सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों के लिए आपके पास विस्फोट-रोधी स्टेशन या आपात संचार प्रणालियाँ हों? इसका कारण यह है कि जहां विस्फोट हो रहे हैं वहां लोग अलग-अलग पड़ जाते हैं उन लोगों को तत्काल आधार पर संचार की आवश्यकता होती है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, रीसेण्टली उड़ीसा में जो नेचुरल केलेमिटी आई, तूफान आया, उस तूफान के कारण जो क्षतिग्रस्त हुआ, उसके लिए तो हम सैटेलाइट की व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिया है, अभी इस सम्बन्ध में मुझे कोई तात्कालिक जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई ब्लास्टप्रूफ एक्सचेंज हमारे पास में है ही नहीं, उसके लिए ब्लास्टप्रूफ कोई टैक्नोलॉजी है ही नहीं, हम इसमें जानकारी हासिल करेंगे। आपका सुझाव बहुत उत्तम है, हम उस पर विचार भी करेंगे।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक गंभीर आरोप है कि टी.आर.ए.आई. के द्वारा दूर-संचार विभाग और सरकारी कंपनियों को नुकसान पहुंचा कर "टैरिफ" ढांचे को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि (क) प्रत्येक बार जब भी लेखा परीक्षा "ट्राई" से शुल्क निर्धारण संबंधी जानकारी और कागजात मांगते हैं तो वे लेखा परीक्षा के अनुरोध का पालन करने के बजाय, वे न्यायालय जाकर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं कि उन्होंने लेखा परीक्षा को अपेक्षित जानकारी क्यों नहीं प्रस्तुत की। (ख) टी.आर.ए.आई. के कार्य-निष्पादन की जवाबदेही की क्या प्रणाली है (ग) क्या यह सच है कि टी.आर.ए.आई. के सदस्यों की और चेयरमैन के दैनिक भत्ते की दरें विश्व में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा जोकि विश्व में अधिकारियों को सबसे अधिक सेवा राशि का भुगतान करती है, के अधिकारियों को दी जाने वाली दरों से अधिक है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जहां तक ट्राई का सम्बन्ध है, आपको मालूम है कि 1994 की जो पालिसी थी, उसके तहत ट्राई का गठन किया गया। सरकार की मंशा है कि ट्राई को, जो टेलीकॉम रैगुलेटरी एथॉरिटी है, उसको हम अधिक से अधिक ताकत देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसको बिल्कुल इंडीपेंडेंट रखें और हम उसको स्ट्रांग भी बनाना चाहते हैं। उसके लिए यदि कहीं कोई उसमें कमी रह गई होगी तो हम उसमें एमेंडमेंट करने की भी सोच रहे हैं। इसके सम्बन्ध में हमने चार बार ट्राई के चेयरमैन और सदस्यगण से भी बात की है, डिपार्टमेंट से भी बात की है, हमने अभी कुछ दिन पहले जितने टेलीकॉम से सम्बन्धित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बिजनेस में लगे हुए जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी कई

राउंड बातचीत करने का काम किया है। जहां तक ट्राई का मामला है, उस मामले में तो हमारी दृष्टि बिल्कुल साफ है कि उसको किया जाये। जहां तक सी.ए.जी. का सवाल है, सी.ए.जी. भी एक कांस्टीट्यूशनल बॉडी है और ट्राई भी स्टैट्यूचुरी बॉडी है और दोनों के रूल्स एंड रैगुलेशंस हैं, सी.ए.जी. के भी रूल्स एंड रैगुलेशन हैं। लेकिन जहां तक आपका सवाल है उनके वेतन का, पे का, उसमें निश्चित रूप से किसी तरह का सुझाव मेरे पास आयेगा ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : अधिकार की बात हो रही है कि ट्राई को ऐसा अधिकार दे दिया कि वह पार्लियामेंट से बाहर चली गई। उसके ऊपर पार्लियामेंट का कण्ट्रोल भी नहीं है, यही मुझे पूछना है? ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : पाल साहब, आप दोनों कण्ट्राडिक्ट्री सवाल कर रहे हैं। एक तरफ तो आप ट्राई को स्ट्रांग और इंडीपेंडेंट बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि ट्राई को आप इतने अधिकार क्यों दे रहे हो कि वह पार्लियामेंट से बाहर चली जाये। आपने जो सवाल किया है, मैं उसी की छानबीन कर रहा हूं कि कम्पट्रॉलर जनरल ऑफ इंडिया भी एक कांस्टीट्यूशनल बॉडी है, ट्राई भी स्टेट्यूचुरी बाडी है। सी.ए.जी. को यह अधिकार है कि नहीं, कि जाकर उसके लेखे-जोखे की जांच कर सके, यह आपका मूल प्रश्न है, इसलिए उस प्रश्न का जवाब मैं अभी नहीं दें सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : यह काफी गंभीर प्रश्न है। संसद को अपना नियंत्रण सी.ए.जी. को दे देना चाहिए। विनियामक निकाय की क्या परिभाषा है? आप इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सवाल पूछने की अपोर्चुनिटी दी। सरकार की जो टेलीकॉम पॉलिसी है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : नहीं, तो 184 में चर्चा दे दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : माननीय सदस्य का सुझाव क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं कि ट्राई को पार्लियामेंट से ऊपर रखा जाए या पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र के अन्दर रखा जाए?

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : संसद सर्वोच्च है।

श्री रामविलास पासवान : यह आपका सुझाव है।

श्री रूपचन्द पाल : कोई भी नीति संसद की स्वीकृति बिना नहीं अपनाई जानी चाहिए क्योंकि ट्राई का गठन भी संसद के अधिनियम के माध्यम से ही हुआ है।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल : इस पर आधे घंटे की पूरी चर्चा हो। हमारे पास बहुत कम्पलेण्ट्स हैं। आप इस पर 184 की चर्चा दे दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें अभी आधे घंटे की कई चर्चाएं करनी हैं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष महोदय, नई टेलीकॉम पालिसी के रूप में मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी टेलीकॉम पालिसी को बदलकर सरकार रेवेन्यू शेयरिंग पालिसी लाई है। उसमें सरकार और यूजर्स का इंटरेस्ट देखकर मेरे दिल में कुछ सवाल हैं। पहले की जो पालिसी थी, उसमें एश्योर्ड और फिक्स रेवेन्यू सरकार को आता था। कोई अस्थिरता नहीं थी। लेकिन अभी जो रेवेन्यू शेयरिंग पालिसी है, उसमें पहले की पालिसी से ज्यादा रेवेन्यू आने की क्या गारंटी है? मेरा दूसरा सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहिते, आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, प्रश्न वही है। प्रश्न के भाग (ख) में कुछ कमियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक ही सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं दो नहीं पूछ सकते।

श्री सुबोध मोहिते : प्रश्न वही है। इसमें जो कमियां हैं राजस्व की अनुचित घोषणा के पश्चात्, प्री-पेड कार्ड के कारण हानि हो रही है। प्री-पेड कार्ड का कोई हिसाब-किताब नहीं है।

[हिन्दी]

तीसरी डिसक्रिपेंसी यह है कि जो कम्पनीज घाटे में जाएंगी, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है? पहले की जो स्कीम थी, उसमें कई कम्पनीज करोड़ों रुपए लॉस में थीं, जैसे टी.टी. मोबाइल कम्पनी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहिते, मैं आपके अनुपूरक प्रश्न को अनुमति नहीं दूंगा। आपको मालूम होना चाहिए, यह डिबेट नहीं है।

श्री सुबोध मोहिते : ओवरआल कंट्रोल करने के लिए सरकार का क्या प्लान है?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, पहले लाइसेंस फी के आधार पर दिया गया था। उसके बाद जितनी भी कम्पनीज थी, वे बंद होने के कगार पर पहुंच गईं। अब सरकार की मंशा है कि पूरे देश में टेलीफोन लाइनों का जाल बिछाया जाए, लेकिन यह केवल सरकार के बलबूते की चीज नहीं है। अभी हम अमेरिका गए थे, वहां देखा कि 100 आदमियों के घनत्व पर कहीं 55, कहीं 67 और कहीं 80 टेलीफोन हैं। हमारे यहां ग्रामीण एरिया में 0.6 है। पूरे संसार का एवरेज 100 आदमियों पर 15 टेलीफोन है। आज टेलीफोन एक आवश्यकता हो गई है। उस दृष्टिकोण से हम चाहते हैं कि जो 2002 का लक्ष्य है, वह पूरा हो। इसको पूरा करने के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए लोगों का सहयोग आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से यह नई पालिसी अपनाई गई है। यह बात सही है कि जो लाइसेंस फी थी, जो उन्होंने भरी थी, उससे काफी पैसा आने की सम्भावना थी, लेकिन जब शरीर में मांस ही नहीं रहेगा, तो आपरेशन कैसे करेंगे। जब प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम पे नहीं कर सकते, तब उसके बदले सरकार नया रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम की प्रणाली और माइग्रेशन पैकेज लेकर आई है। उसमें प्लस पाइंट हैं, जब इस पर डिबेट होगी, तब हम विस्तार से उन पर चर्चा करेंगे। सरकार की दो प्रकार की पालिसी है, वह यह कि हम ग्रामीण इलाकों में अधिक से अधिक और पूरे देश में बढ़िया से बढ़िया टेलीफोन की व्यवस्था करें। इस दृष्टिकोण से नई रेवेन्यू शेयरिंग पालिसी में घाटा होगा या मुनाफा होगा, इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए बार-बार यह कहना कि पुराने रेवेन्यू रेजीम में इतना फायदा हो रहा था, अब इतना घाटा होगा, यह ठीक नहीं है। वह भी कल्पनातीत था, यह भी भविष्य के गर्भ में है।

श्री सुबोध मोहिते : मेरा सवाल था कि कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के संबंध में माननीय मंत्री जी ने एम.ए.आर.आर. टेलीफोन का उल्लेख किया है परंतु एम.ए.आर.आर. के टेलीफोन गांवों में पूर्णतः विफल रहे। छः महीने के भीतर, वे निष्क्रिय हो गए।

इस मामले में, दूरसंचार विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो उसे ठीक करे। इसलिए, मेरा प्रश्न है कि, क्या सरकार गांवों में एम.ए.आर.आर. को या टावर टेलीफोन प्रणाली को जारी रखेगी या वे कोई अन्य प्रणाली अपनाएगी।

टेलीफोन किसी घर में लगाने के संबंध में, पहले किसी संसद सदस्य के सिफारिश पर लगता था और अब इसे सरपंच के घर में लगाया जाएगा। यदि इसे किसी अन्य व्यक्ति के घर में लगाया जाता है तो लोग वहां नहीं जाते। इसलिए, क्या सरकार ऐसा कोई निर्णय करेगी कि इसे किसी अन्य व्यक्ति के घर में लगाने के बजाय स्कूल या क्लब जैसी किसी संस्था में लगाया जाए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उस समय एम.ए.आर.आर. सिस्टम एक्सपैरिमेंट के तौर पर सबसे बढ़िया सिस्टम होगा, इसीलिए इसको लाने का काम किया गया, लेकिन अब नई-नई टैक्नोलाजी आ गई हैं। मैंने एम.ए.आर.आर. सिस्टम को बन्द कर दिया है, लेकिन जहां-जहां भी एम.ए.आर.आर. सिस्टम लगा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि वह ठीक से काम करे और इसको रिप्लेस करेंगे। अब डब्लू.एल.एल. वायरलैस और सैटलाइट जैसे सिस्टम आ रहे हैं और इन पर टैस्ट चल रहा है। मैंने शुरू में ही कहा, कम्युनिकेशन के मामले में वर्ल्ड-क्लास सिस्टम जल्द से जल्द लाना चाहते हैं। मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं कि इस मामले में कहीं कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा।

जहां तक सवाल घर में किसी के इन्स्ट्रुमेंट लगाने का है, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि किसी के घर में लगे, लेकिन गांव में समस्या सुरक्षा की भी है। हर गांव में हम सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। शायद इसी दृष्टि से किसी के घर में किया गया होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अभी सिर्फ दूसरे प्रश्न तक ही पहुंचे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यदि कोई सार्वजनिक जगह है और सुरक्षित तरीके से लगाया जा सकता है, तो सरकार उस पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : ग्राहक-अनुकूल सेवा के एक भाग के रूप में, दूर-संचार विभाग ने नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए नए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये हैं और आरंभिक जमा राशि में भी कमी कर दी है। सिर्फ विशाखापट्टनम में, 50,000 के करीब आवेदन-पत्र आ गए हैं। ग्राहक-अनुकूल सेवा के भाग के रूप में, क्या दूरसंचार विभाग ने इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है? वे पहले इस बात पर सहमत हुये थे कि नए कनेक्शन के लिए आए आवेदन-पत्रों को अगले वर्ष के मार्च के अंत तक निपटा लिया जाएगा और सभी को टेलीफोन उपलब्ध हो जाएंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार करीब 50,000 लंबित पड़े आवेदन-पत्रों को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक निपटाने का है? अन्यथा, यह एक ग्राहक-अनुकूल सेवा नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : महोदय, जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सवाल है, अभी मेरे पास फीगर्स नहीं हैं, लेकिन आन्ध्र प्रदेश का मामला ठीक चल रहा था और मार्च तक हमारा टार्गेट आन-डिमान्ड है। लेकिन कभी-कभी हम कस्टमर को एट्रैक्ट करने के लिए, जैसे दुर्गा पूजा के समय में पश्चिम बंगाल या आन्ध्र प्रदेश में, हम लोग राशि घटा भी देते हैं। 50 प्रतिशत कर दिया गया था, इस कारण एकाएक 6 लाख, सब्जैक्ट-टू-करैक्शन, रजिस्ट्रेशन वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं। यह एक अच्छा साइन है। जैसा कि आपने कहा, विशाखापटनम में 50 हजार की संख्या है, तो हो सकता है कि वहां 50 लाख की संख्या हो। इन 6 लाख लोगों के लिए तेजी से काम कर रहे हैं और मार्च तक जो हमने टार्गेट बनाया था, कम से कम स्टेट हैडक्वार्टर्स, उसको पूरा करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, उसके बारे में मैं इन्फार्मेशन दे दूंगा। हमारा टार्गेट हैदराबाद के लिए भी लागू है, मार्च तक बैकलाग पूरा करके, आन-डिमान्ड शुरू करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही 25 मिनट इस प्रश्न के अनुपूरक पूछने में लगा दिए हैं। अब, श्री मणि शंयर अय्यर।

श्री मणि शंकर अय्यर : धन्यवाद महोदय, शायद मंत्री महोदय को याद हो कि 1996 के शीतकालीन अधिवेशन की कार्यवाही 13 दिन तक रुकी रही क्योंकि उस समय विपक्ष, यह दावा कर रहा था कि तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ने हिमाचल-फ्यूचरिस्टिक कंपनी लिमिटेड के साथ लायसेंस शुल्क की जो व्यवस्था की थी उक्त शुल्क की मांग को वह कंपनी पूरा नहीं कर पाई? उक्त घटना को याद करते हुए क्या वे मुझे बता सकेंगे कि जब सभा का सैशन नहीं चल रहा था उस समय लायसेंस शुल्क प्रणाली से राजस्व भागीदारी प्रणाली में बदलने के लिए सरकार ने कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाया।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ऐसा विचार है जब संसद सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में नई प्रणाली अपना ली जाए और इस पर सभा की स्वीकृति बाद में ली जाए जिसके कारण देश को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, माननीय सदस्य उस समय नहीं थे, इसके पहले मैं इसका जवाब दे चुका हूं।

भारतीय तेल निगम द्वारा ईरानी तेल क्षेत्रों में इक्विटी अर्जित करना

***303. श्री +सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय तेल निगम को एक ईरानी तेल क्षेत्र में इक्विटी अर्जित करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ईरान से इस समझौते के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कुल कितना कच्चा तेल भारत आने की संभावना है;

(घ) इस परियोजना में भारतीय तेल निगम की कुल इक्विटी कितनी है;

(ङ) क्या अन्य देशों के साथ संयुक्त उद्यमों हेतु इस प्रकार की वार्ता की जा रही है और इनके प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति क्या है और भारतीय तेल निगम द्वारा भविष्य में ऐसे संयुक्त उद्यमों के माध्यम से और अधिक तेल प्राप्त करने के लिए क्या नीति अपनाए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) अपनी विविधीकरण योजनाओं के एक भाग के रूप में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) ईरान में बलाल तेल क्षेत्र परियोजना में 35 प्रतिशत भागीदारी हित प्राप्त करने की कोशिश करती रही है जिसके लिए इसे 59.15 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करना होगा। रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आर.बी.आई.) ने परियोजना लागत के लिए उपर्युक्त धनराशि की अदायगी हेतु आई.ओ.सी. को अपनी स्वीकृति दे दी है। आर.बी.आई. की यह स्वीकृति आई.ओ.सी. से यह अपेक्षा करती है कि वह 95.03 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का कच्चा तेल भारत में आयात करे।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी : महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, यह बताया जाए कि हमने जो वहां इनवेस्टमेंट किया है उसमें इंडिया को कितना ऑयल मिलेगा, क्योंकि इसमें इसका ठीक से जवाब नहीं दिया।

شری سلطان صلاح الدین اویسی : جناب، میں [illegible] پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتایا جائے کہ ہم نے وہاں انویسٹمنٹ کیا ہے اس میں انڈیا کو کتنا آئل [illegible]، کیونکہ اس میں اسکا ٹھیک سے جواب نہیں دیا۔

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जा, इस प्रकार का एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसमें कोई इस समय पर पैसे दिए गए हैं, ऐसी बात नहीं है।

श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी : अध्यक्ष जी, 18 महीने गुजरने के बाद भी अगर एग्रीमेंट नहीं हो रहा है और हमारा इतना नुकसान हो रहा है तो इसके क्या वज़ुआत हैं?

شری سلطان صلاح الدین اویسی : اسپیکر صاحب، ۱۸ مہینے گذرنے کے بعد بھی اگر اگریمنٹ نہیں ہو رہا ہے اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, इसमें समझने में कोई गड़बड़ हुई है। हम बलाल ऑयल फील्ड में जो एक नई व्यवस्था है, जिसे इक्विटी ऑयल कंसेप्ट कहते हैं, हम पहले उनके पास, उनका वहां का सारा प्रोसेसिंग का, खोज का काम पूरा होने के बाद, जब एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो उसके बाद तीन-चार साल के लिए वह हमें क्रूड ऑयल सप्लाई करें, इस प्रकार की एक व्यवस्था है। लेकिन यह व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट नहीं हो पाया। और जब एग्रीमेंट नहीं हो पाया तो उसमें कोई पैसे हमने लगाए हैं, ऐसी बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि वे 59.15 अमरीकी डालर लागत मूल्य के रूप में निवेश करेंगे। अगर इसी राशि को, देश के भीतर ही कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने और नई प्रौद्योगिकी लागू करने हेतु उपयोग में लाया जाए, क्या ऐसा करना आयातित कच्चे तेल से सस्ता नहीं पड़ेगा?

श्री राम नाईक : महोदय, इस प्रश्न में किसी अलग ही बात पर जोर दिया है। एक तरफ, हमें यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि हो और दूसरी ओर, चूंकि हमारे देश में तेल के कुएं बहुत सीमित हैं, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि हम अन्य देशों के साथ करार करके अंतर्राष्ट्रीय तेल क्षेत्रों में निवेश करें, ताकि इन अंतर्राष्ट्रीय तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल के उत्पादन में हमारी भी भागीदारी हो।

जहां तक भारत में उत्पादन बढ़ाने का सवाल है, हम अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है हम स्वयं को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे पुराने तेल क्षेत्र डिगबोई रिफाइनरी में कुछ सुधार करने पर विचार कर रही है। क्या सरकार के पास इस रिफाइनरी में उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसे आधुनिक बनाने और इसकी उत्पादन प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए कोई नीति है? क्या सरकार के पास इस विश्व के सबसे पुराने तेलशोधन कारखाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई योजना है?

श्री राम नाईक : महोदय, यह प्रश्न पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है। यह हमारा प्रयास है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल उत्पादन को बढ़ाए, लेकिन हम इस क्षेत्र में अलग प्रकार की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

एक है, सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति। जहां कहीं भी हम तेल की खुदाई का प्रयास करते हैं, वहां के उग्रवादियों द्वारा समस्याएं पैदा कर दी जाती हैं। दूसरा, मैं सभा की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि नागालैण्ड की सरकार यह कहती है कि केन्द्रीय सरकार यहां कच्चे तेल की खुदाई नहीं कर सकती। हम नागालैंड सरकार से इस बारे में चर्चा और वार्ता कर रहे हैं। वे संविधान के अंतर्गत इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते, तेल की खुदाई केन्द्र का विषय है। ये समस्याएं हैं जिनका हम वहां सामना कर रहे हैं। इस सत्र के पश्चात्, मैं स्वयं पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा करूंगा, वहां के मुख्यमंत्री से मिलूंगा ताकि वर्तमान स्थिति में कुछ प्रगति हो सके।

डा. नीतीश सेनगुप्ता : महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान तेल क्षेत्र में जापान और इंडोनेशिया के मध्य पारस्परिक सहयोग की पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके अंतर्गत जापान की कंपनियां इंडोनेशिया में संभाव्य, तेल की खोज और उसकी शोधन के अधिकार प्राप्त कर लेती है। यह आपसी लाभदायक सहयोग है जिसमें जापानी कंपनियों को लगातार कच्चे तेल और शोधित उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित रहती है और इंडोनेशिया को उसके उत्पादन का निर्यात सुनिश्चित रहता है।

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा प्रश्न ईरान में तेल खुदाई और उसे खरीदने से संबंधित है। यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है। मुझे इसके लिए नोटिस चाहिए लेकिन मैं माननीय सदस्य को निश्चित रूप से अपेक्षित जानकारी दूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री को, इंडियन आयल कंपनी द्वारा इस संबंध में की गई पहल के लिए धन्यवाद देता हूं। नीति के अनुसार, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि विश्व के अन्य भागों की ओर बढ़ने से पहले समूचे मध्य-पूर्व में इसी तरह की भागीदारी करने के लिए क्या बी.पी.सी.एल., एच.पी. जैसी अन्य तेल कम्पनियों को भी अनुबंधित करने पर विचार कर रहे हैं?

श्री राम नाईक : कोई भी तेल कंपनी यह कर सकती है लेकिन इंडियन आयल कंपनी के पास बहुत संसाधन हैं। सभी जानते हैं, विश्व की चुनिन्दा 500 कंपनियों में से इंडियन ऑयल कंपनी का विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्द्धा में आने और अपने उत्पादों का विपणन करने की बेहतर क्षमता है। मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि इंडियन ऑयल कंपनी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें चेयरमैन के साथ उच्च अधिकारी भी शामिल थे, यह पता लगाने ईरान गया था कि क्या हम ईरान से इसी तरह के कुछ और करार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास अन्य देशों में भी ऑयल फील्ड में इक्विटी लेने का कोई प्रस्ताव है? अगर है तो कौन-कौन से देशों में है? अगर नहीं है तो वियतनाम और सी.आई.एस. जैसे देशों में तेल फील्ड में इक्विटी लेने के लिए क्या सरकार के पास किसी स्टडी का कोई प्रस्ताव है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले कहा कि यह एक नया कंसेप्ट है कि दूसरे देशों में जाकर हम अपने रिसोर्सेज लगाकर एडवांस में परचेज एग्रीमेंट करें। इस प्रकार के इनीशियेटिव लेकर और भी देशों में जाकर काम करने का हमने फैसला किया है। इसी भूमिका में मैंने कहा कि ईरान में दुबारा हमारा डेलीगेशन गया है। इन्होंने वियतनाम या सी.आई.एस. नाम लिये, वहां पर भी हम जायेंगे। अपने देश का विदेशों में काम अच्छा हो, इस भूमिका में ओ.एन.जी.सी. की सब्सिडियरी कंपनी ओ.एन.जी.सी. (विदेश) विदेशों में जाकर एक्सपोर्ट का काम करेगी, ऐसा काम हम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

दूर-दराज के क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल तथा डीजल बिक्री केन्द्रों का खोला जाना

***304. डा. +रमेशचन्द तोमर :**
श्री दिलीप संघाणी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न तेल कंपनियों का देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल बिक्री केन्द्र खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बजाय तेल कंपनियों ने किसी कल्पनात्मक विपणन कार्य नीति का आश्रय नहीं लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में प्रचलित वर्तमान प्रणाली की समीक्षा हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए मौजूदा व्यवस्था में पहले से ही प्रावधान है।

पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अलावा वर्तमान विपणन योजना में 927 स्थान शामिल कर लिए गए हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले स्थान भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

डा. रमेश चंद तोमर : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप और डीजल आउटलैट्स खोलने का क्या क्राइटीरिया है? पिछले तीन वर्षों में सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में कितने पैट्रोल पंप्स और आउटलैट्स खोले हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में पैट्रोल पंप खोलने का क्या अनुपात है?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, गए दो साल में 1998-99 में रिटेल आउटलैट्स सब मिला कर 127 सैंक्शन हुए। 1999-2000 में हमने 132 किए। कुल मिलाकर पिछले दो सालों में 259, दिए हैं। हमारा प्रयास है कि हम ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में जाएं। इस प्रकार की योजना बनाने की दृष्टि से कुल मिलाकर जो फीगर्स हैं, मैं उन्हें अंग्रेजी में देना चाहूंगा क्योंकि मेरी हिन्दी इतनी अच्छी नहीं है। हमने 2414 आउटलैट्स बनाने का मार्किट प्लान बनाया है।

[अनुवाद]

हम इस बारे में पहले ही विज्ञापन दे चुके हैं और 1,693 बिक्री केन्द्र के लिए आवेदन-पत्र भी आ गए हैं। उनकी जांच की जा रही है।

श्री राजेश पायलट : उनका प्रश्न दूसरा है। वे जानना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने बिक्री केन्द्र हैं।

श्री राम नाईक : ग्रामीण क्षेत्रों के भी बिक्री केन्द्रों को इसमें शामिल किया गया है।

श्री राजेश पायलट : उनका अनुपात क्या है?

हिन्दी]

श्री राम नाईक : इसमें से जो दिए जाएंगे, वे 50 परसेंट से भी अधिक रूरल क्षेत्रों में दिए जाएंगे।

डा. रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष जी, सरकार ने कारगिल युद्ध की समाप्ति के बाद यह घोषणा की थी कि कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिवार वालों को पैट्रोल पंप्स और गैस एजेंसियां दी जाएंगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस दिशा में क्या प्रगति हुई है और कितने शहीद हुई सैनिकों के परिवार वालों को पैट्रोल पंप और गैस एजेंसियां दी गईं और कब तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, कारगिल युद्ध के बाद सरकार ने यह योजना बनाई थी कि पैट्रोल और डीजल पंप्स तथा गैस एजेंसियां शहीद हुए सैनिकों के परिवार वालों को दी जाएंगी। इसकी नोडल एजेंस डिफेंस मिनिस्ट्री है। वहां से हमारे पास जो जानकारी आएगी, उसके आधार पर हम उन्हें मंजूर करेंगे। सिफारिशों के तहत 116 आउटलैट्स और गैस एजेंसियां मंजूर की हैं। इसमें से रिटेल आउटलैट्स 51 और गैस एजेंसियां 65 हैं। दोनों मिलाकर 116 दी हैं। जैसे ही दूसरी लिस्ट आएगी, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह प्रश्न पूछा हमने एलाटमैंट कर दिया और हमारा काम पूरा हो गया, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमने

तय किया है कि उन्हें सब कुछ कंस्ट्रक्ट करके भी दिया जाए जैसे कि वहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या पंप वगैरह बनाना है। इस पर 30 लाख रुपया खर्चा करेंगे। बाद में जो वर्किंग कैपिटल लगता है उस पर 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे। जमीन लेने की आवश्यकता होगी तो उसे भी लेने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार सिफारिशों के आधार पर रिटेल आउटलैट्स का केवल एलाटमेंट न करते हुए उस पर 40 लाख रुपया खर्च करके उसे तैयार करके देंगे। इसी प्रकार गैस एजेंसियों पर लगभग 18 लाख रुपया खर्च करके और जमीन लेकर काम करने का फैसला किया है।

डा. रमेश चंद तोमर : मंत्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम नाईक : मैं इतना ही कहूंगा कि जहां ये दिए गए हैं, वहां जो सैनिक परिवार हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : इंटरस्ट कितना लेंगे?

श्री राम नाईक : इसमें इंटरस्ट कुछ नहीं है।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही आह्वान करना चाहता हूं और आप भी मानेंगे कि बड़े पैमाने पर यह इन्वैस्टमेंट होता है। ऐसा जब दिया जाता है तो आसपास के रिश्तेदार वगैरह गैर-लाभ लेने की कोशिश करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जहां-जहां अपने क्षेत्रों में इस प्रकार से एजेंसीज़ दी जायेंगी, उसमें इस प्रकार का सहयोग देंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा है और उनसे प्रार्थना की है। चूंकि जमीन देने का काम एक महत्वपूर्ण काम है और यदि राज्य सरकार जमीन देने में हमें सहयोग करेगी तो ये पैट्रोल पम्प जल्दी से जल्दी अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सदन भी इसमें हमें सहयोग करे।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: अध्यक्ष महोदय, मंत्रालय जब डीजल या पैट्रोल पम्प खोलता है तो उसका आई.ओ.सी. या बी.पी. द्वारा पहले सर्वे किया जाता है जिसके कुछ मानक हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं जहां मानक नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनकी वायब्लिटी के लिये इतने ज्यादा कंज्यूमर्स नहीं हो सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां हमें कभी-कभी 100-150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है क्योंकि नज़दीक में कोई पैट्रोल पम्प नहीं है, मानक नहीं मिलते, क्या आपने नार्म्स में, मानकों में पर्वतीय क्षेत्रों के लिये छूट देकर इसकी कोई विशेष व्यवस्था करेंगे?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, देश में लोगों को और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल मिलना चाहिये। इसी भूमिका में 12-15 किलोमीटर के तहत इस प्रकार की व्यवस्था करने का या जो लो कॉस्ट आउटलैट्स होते हैं, वहां हम देने की कोशिश करते हैं। हिन्दुस्तान में किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां कठिनाइयां आती होंगी और अगर हमें इस मानदंड के कारण आउटलैट्स देने हैं तो मैं इस सदन से कहूंगा कि माननीय सदस्य इस बारे में मुझे लिखें ताकि जहां आवश्यकता हो, उसकी खोज करके हम दे सकें। यदि गांवों में डीजल नहीं जायेगा तो उद्योग और किसान को हम कैसे काम दे सकते हैं। इसी भूमिका में कहीं भी कोई कठिनाई होगी तो उसे दूर करने के लिये हम तैयार हैं लेकिन यदि आप लिखेंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : यह सर्वविदित है कि कुछ पैट्रॉल पंप और गैस एजेंसियों को बेनामी व्यक्ति चलाते हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन बेनामी बिक्री केन्द्रों और गैस एजेंसियों की कोई जांच करवाएगी और क्या सरकार इन एजेंसियों को समुचित रूप से देश के शिक्षित युवकों को आवंटित करने की कृपा करेगी।

श्री राम नाईक : किसी भी प्रकार की बेनामी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी चलाना अपराध है। यदि सदस्य के पास इससे संबंधित कोई जानकारी है तो, मुझे उसकी जांच करवाने पर खुशी होगी।

श्री संतोष मोहन देव : आपके निरीक्षक क्या कर रहे हैं?

श्री राम नाईक : मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं सदस्य से अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे सूचना दें, ताकि मैं प्रभावी ढंग से कार्यवाही कर सकूं। यह एक सतत् प्रक्रिया है। पैट्रोलियम मंत्रालय में पहले ही सतर्कता विभाग कार्य कर रहा है। हम इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील हैं। मैं इसके प्रति और सतर्क रहूंगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस प्रकार के बेनामी बिक्री केन्द्र न चलें। यदि हमें इनका कोई पता चलेगा तो हम उन्हें उचित व्यक्ति को आवंटित करेंगे जिनमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल होंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को याद होगा कि कारगिल युद्ध के बाद सरकार ने कहा था कि विकलांगों को भी इसमें जोड़ेंगे। मैं महसूस करता हूं कि आर्मी हैडक्वार्टर में डायरेक्ट्रेट ऑफ रिसैटलमेंट एक सैपरेट डिपार्टमेंट है। ये सारे केस सीधे उनको दे दिया जाये कि 400 भाई शहीद हुये हैं या 500 विकलांग हुये हैं, वे 900 एजेंसीज़ डील करें तो उन परिवारों को सीधे-सीधे लाभ आसानी से पहुंच जायेगा। इससे आपको बतौर व्यक्तिगत भी आर्मी हैडक्वार्टर से डील करने में आसानी होगी। दूसरा, मंत्री जी से प्रार्थना है कि गांवों के बारे में जो 50 प्रतिशत आउटलैट्स के आंकड़े दिये हैं, वे सही नहीं हैं। आज भी गांवों में कहीं-कहीं 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी पालिसी कर सकती है कि हर ब्लाक हैडक्वार्टर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक आउटलैट एजेंसी को-आपरेटिव बेसिस पर दी जाये या पंचायती राज जिस तरीके से कर सके और किसानों को दी जाये न कि जनरल तौर पर। इससे किसानों को मदद मिलेगी, क्या सरकार इसको कंसीडर करेगी?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, जो 'बी' पार्ट है कि किसको देना है, इसके संबंध में जो सुझाव दिया है, वह सुझाव मैं जरूर एक्ज़ामिन करूंगा। जहां तक डिफेन्स के लोगों का सवाल है जो कारगिल की लड़ाई में अपंग हुए हैं या इन लोगों को देने का सवाल है। हम उसे अलग से नहीं निपटा रहे हैं। जो भी एस्टैबलिशमेंट से रेकमंड होकर हमारे पास आ रहा है, उन सबको हम दे रहे हैं। इसलिए, वह मुख्य एजेन्सी है। वह सभी दृष्टि से देखते हैं कि इनको देना उचित है, योग्य है, जहां चाहिए वहां है, और सब लोग अपने रीसेटलमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि पैट्रोल पम्प या गैस एजेन्सी चाहते हैं। उनको और भी अलग-अलग प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, उसमें वह गए होंगे। अभी स्थिति यह है कि जो डिफेन्स मिनिस्ट्री के ऐस्टैबलिशमेंट से हमारे पास रेकमंडेशन आती हैं, उनको ही हम देते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : क्या यह सरकार की नीति है कि इसे उन सभी व्यक्तियों को दिया जाए जो या तो मर चुके हैं या विकलांग हैं?

श्री राम नाईक : मैं यह कह रहा हूं कि जो भी सिफारिश सुझाव उनसे मिलेंगे, हम उसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री राजेश पायलट : सेना मुख्यालय से?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जेल सुधार

***305. श्री आर.एल. भाटिया:**
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार व्यापक जेल सुधार लागू करने और भारतीय कारागार अधिनियम, 1894 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की सूची-II की प्रविष्ठि 4 के अनुसार "जेल" राज्य का विषय है। कारागार अधिनियम में ऐसे संशोधन करना, जिन्हें वे आवश्यक समझें, अनिवार्यत: राज्य सरकारों का काम है। तथापि, दण्डविज्ञान के बारे में समसामयिक चिन्तन के अनुसार केन्द्र सरकार ने आदर्श जेल (प्रबंधन) विधेयक का एक मसौदा तैयार किया है जिसे उनके विचार जानने के लिए राज्य सरकारों में परिचालित किया गया है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार उनके जेल ढांचे में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का उत्पादन

***306. श्री सुरेश चन्देल:**
श्रीमती गीता मुखर्जी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार प्रत्येक तेल उत्पादक राज्य के लिए कच्चे तेल के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उन्होंने वास्तव में उसका कितना उत्पादन किया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने कच्चे तेल का आयात किया गया और उसकी कीमत कितनी है;

(ङ) जिन देशों से आयात किया गया था उनका ब्यौरा क्या है;

(च) कच्चे तेल के तट पर और तट से दूर उत्पादन से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(छ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश में वर्ष-वार कच्चे तेल के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (छ) 1. वर्ष 1996-97 से 1999-2000 (अप्रैल-नवम्बर, 1999) के दौरान लक्ष्य और कच्चे तेल का उत्पादन तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के पिछले दो वर्षों के लिए योजना लक्ष्य निम्नानुसार है:

कच्चे तेल का उत्पादन

(आंकड़े एम एम टी में)

		उपलब्धि		
वर्ष	योजना लक्ष्य	तटीय उत्पादन	अपतटीय उत्पादन	कुल उत्पादन
1996-97	38.09	11.41	21.49	32.90
1997-98	34.42	11.52	22.33	33.85
1998-99	35.69	11.47	21.25	32.72
1999-2000	36.55	7.51*	14.11*	21.62*
2000-01	37.18	-	-	-
2001-02	36.98	-	-	-

*अप्रैल से नवंबर, 1999

2. उत्पादन में कमी निम्नलिखित कारणों से है:-

(1) तेल क्षेत्र कुदरती ह्रासमान चरण में प्रवेश कर रहे हैं।

(2) भारी संख्या में कूपों में उच्च गैस तेल अनुपात के प्रवाह और अधिकाधिक जल कटाव होने के कारण मुंबई हाई, नीलम और गांधार तेल क्षेत्रों से अनुमानित उत्पादन में कमी।

(3) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में प्रचालन हालातों की कठिनाइयां।

(4) देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में बिजली की कमी जिसका कृत्रिम उठान प्रणाली के प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3. उत्पादन में वृद्धि करने के किए गए उपाय निम्न हैं:

(1) बेहतर रिजवार्यर प्रबंधन, त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षणों, इनफिल ड्रिलिंग, दबाव अनुरक्षण, कृत्रिम उठान प्रणाली की स्थापना/इष्टतमीकरण और उन्नत एवं लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के माध्यम से मौजूदा क्षेत्रों से इष्टतम उत्पादन।

(2) नए खोजे गए तेल क्षेत्रों का और तेजी से विकास।

(3) निम्नीवट जैसे गहन अन्वेषण क्रियाकलापों के माध्यम से नए हाइड्रोकार्बन भंडारों का पता लगाना:

(क) मौजूदा क्षेत्रों में अधिकाधिक गहराई में अन्वेषण।

(ख) अन्वेषण क्रियाकलापों का गहरे जल-क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक विस्तार।

(ग) अन्वेषण और उत्पादन क्रियाकलापों में अधिकाधिक निजी भागीदारी।

4. वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान आयात किये गये कच्चे तेल की मात्रा और मूल्य निम्नवत हैं:

वर्ष	मात्रा (एमएमटी)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1996-97	33.906	18538
1997-98	34.494	15897
1998-99	39.808*	14876*

*अनंतिम

5. उपर्युक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल का आयात नाइजीरिया, मिस्र, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान, अंगोला, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से किया गया।

[अनुवाद]

दाऊद इब्राहीम का प्रत्यर्पण

***307. श्री किरीट सोमैया:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि माफिया डॉन दाऊद इब्राहीम भारतीय पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रत्यर्पण सन्धि पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् उसे गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दाऊद इब्राहिम ने सरकार को आत्मसमर्पण करने की अपनी इच्छा सूचित की थी यदि सरकार उसकी कुछ शर्तों को स्वीकार कर ले। सरकार ने इस सशर्त आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को रद्द कर दिया।

(ख) और (ग) भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रत्यर्पण सन्धि 25.10.1999 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित की गई थी। दोनों अनुबंधित देशों द्वारा अनुसमर्थित दस्तावेजों के आदान-प्रदान के पश्चात् सन्धि लागू होगी। भारत ने इस सन्धि का पहले ही अनुसमर्थन कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा अनुसमर्थन की प्रक्रिया पूरी कर लेने के पश्चात् अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

मार्च 1993 में मुम्बई में हुए बम विस्फोट की घटना से लेकर दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी के लिए संगठित प्रयास किये गये हैं। इनमें शामिल हैं:

(1) उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के साथ पठित टाडा (पी) अधिनियम, 1987 की धारा 8(3) के अंतर्गत पदनामित न्यायालय, मुम्बई द्वारा घोषित अपराधी घोषित कराया गया है।

(2) इन्टरपोल सेक्रेटरिएट जनरल (आई पी एस जी), लायन्स से उसके विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी करवाया गया है।

(3) पदनामित न्यायालय, मुम्बई द्वारा उसकी ज्ञात सम्पत्ति को कुर्क करवाया गया है।

जनसंख्या की तुलना में टेलीफोनों की संख्या का अनुपात

*308. **श्री राजीव प्रताप रूडी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनसंख्या की तुलना में टेलीफोनों की संख्या का अनुपात भारत में दुनिया में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) भारत का टेलीफोन घनत्व विश्व में सबसे कम नहीं है। विश्व का औसत टेलीफोन घनत्व 14.26 है तथा कम आय वाले देशों का औसत टेलीफोन घनत्व 1.64 है तथा भारत का टेलीफोन घनत्व 2.4 है। फिर भी, सरकार 31.3.2002 तक उत्तरोत्तर रूप से तथा बाद में सतत् रूप से मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराके देश में टेलीफोन घनत्व में लगातार सुधार कर रही है। नई दूरसंचार नीति, 1999 के अनुसार देश का टेलीफोन घनत्व बढ़कर वर्ष 2005 तक प्रति 100 व्यक्ति 7 तथा वर्ष 2010 तक प्रति 100 व्यक्ति 15 होने की आशा है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व प्रति 100 व्यक्ति 0.55 के वर्तमान स्तर से बढ़कर 2010 तक प्रति 100 व्यक्ति 4 तक पहुँचाने की आशा है। इस संबंध में उठाए गए कदमों में नये एक्सचेंज खोलना, नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना तथा नयी दूरसंचार नीति को तेजी से क्रियान्वित करना शामिल है।

प्रमुख पत्तनों द्वारा संचालित यातायात

*309. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रमुख पत्तनों द्वारा वर्तमान में संचालित किये जाने वाले यातायात का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2011 तक यातायात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक पत्तन उपलब्ध करवा कर संपूर्ण यातायात के संचालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) चालू वित्त वर्ष के प्रथम आठ महीनों के दौरान महापत्तनों ने कुल 177.68 मिलियन टन यातायात हैंडल किया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 162.12 मिलियन टन यातायात हैंडल किया गया था और इस प्रकार इसमें 9.6% की वृद्धि हुई।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यदल ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात् 2001-02 तक 424 मिलियन टन पत्तन यातायात का अनुमान लगाया है। मै. रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकॉनामिक सर्विसिज (प्रा.) लि. (राइट्स) से सन् 2000 तक दीर्घकालीन पत्तन यातायात अनुमान के लिए अभी हाल में एक अध्ययन पूरा किया है। इस अध्ययन के अनुसार सन् 2011-12 तक देश में पत्तन यातायात 866 मिलियन टन होने की संभावना है। इस रिपोर्ट पर पत्तनों में सहभागी विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ग) पत्तन यातायात में पूर्वानुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्षमता के विस्तार के लिए पत्तन-वार योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन योजनाओं में नए बर्थों का निर्माण, अत्याधुनिक उपस्करों द्वारा अप्रचलित उपस्करों को बदल कर और नए उपस्करों की खरीद करके पत्तनों का आधुनिकीकरण, कार्य संस्कृति और प्रबंधन में बदलाव लाकर उत्पादकता बढ़ाना शामिल है। अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी। चूंकि केवल सार्वजनिक क्षेत्र के जरिए इन निवेशों के लिए धन जुटाना संभव नहीं है, महापत्तनों को पत्तनों में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित दिशा-निर्देशों में उल्लिखित अभिनिर्धारित क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है तथा चरणबद्ध रूप में महापत्तनों के निगमीकरण के प्रयास जारी हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन

***310. श्री सी. कुप्पुसामी:**
श्री चिन्मयानंद स्वामी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) के अध्यक्ष ने दूरसंचार क्षेत्र में वर्तमान कमियों को दूर करने और उसकी कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए अधिक शक्तियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारतीय दूरसंचार नियामक-प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने भी इस संबंध में कई उपाय सुझाए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संशोधन के लिए, आवश्यक विधेयक कब तक लाए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (छ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने टी.आर.ए.आई. अधिनियम, 1997 में कतिपय संशोधन करने का सुझाव दिया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश, सेवा प्रदाताओं की लाइसेंस शर्तों तथा लाइसेंसों को रद्द करने के मामलों में अपने प्राधिकार का इस्तेमाल किये जाने से पूर्व उसके लिए अनिवार्य रूप से टी आर ए आई की सिफारिशें (जो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी) प्राप्त करना, सरकार (लाइसेंसदाता की हैसियत में) तथा किसी लाइसेंसधारक के बीच विवाद का निपटान, भारतीय दूरसंचार विनियामक, प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में लाना शामिल है।

उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा भी टी आर ए आई को सशक्त बनाने के सुझाव दिए गए हैं। सरकार, उपयुक्त विधायी संशोधनों के माध्यम से टी आर ए आई को सशक्त बनाने पर विचार कर रही है जो हाल ही में सरकार द्वारा गठित दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी समाभिरूपता दल के विचारार्थ विषयों में शामिल है।

[हिन्दी]

अपराधियों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के बीच सांठ-गांठ

***311. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने अपराधियों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के बीच बढ़ती सांठ-गाठ के बारे में कोई अध्ययन कराया है अथवा कराए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सांठगांठ को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) आपराधिक सिंडिकेटों/माफिया संगठनों, जिन्होंने सरकारी अधिकारियों और राजनैतिक व्यक्तियों के साथ सम्पर्क बना लिए थे तथा जिन्हें उनका संरक्षण मिल रहा था, की गतिविधियों के बारे में उपलब्ध सूचना का जायजा लेने के लिए 9.7.1993 को पूर्व गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। यह समिति जिसे बाद में वोहरा समिति के रूप में जाना गया, ने 5.10.1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति के निष्कर्षों में शामिल हैं:

(1) हमारी आसूचना, अन्वेषण और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा हासिल व्यापक अनुभव के आधार पर, यह स्पष्ट है कि आपराधिक सिंडिकेटों और माफिया संगठनों ने देश के विभिन्न भागों में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं;

(2) विभिन्न आपराधिक सिंडिकेटों/माफिया संगठनों ने काफी अधिक धन तथा बाहुबल अर्जित कर लिया है और सरकारी पदाधिकारियों, राजनैतिक नेताओं और अन्य लोगों के साथ संबंध कायम कर लिए हैं जिससे वे बिना दंडित हुए अपनी गतिविधियां चला सकते हैं;

(3) आसूचना, जांच और प्रवर्तन एजेंसियों को अपने सामान्य कामकाज के दौरान आपराधिक सिंडिकेटों/माफिया संगठनों के संबंधों के बारे में सूचना मिलती रहती है, लेकिन इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर्गत वे ऐसी सूचना किसी पहचानशुदा नोडल एजेंसी को दे सकें। इस प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान इस समय कभी-कभार ही होता है और ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि इस प्रकार की सूचना का किसी आपरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया हो;

(4) यदि किसी एजेंसी को आपराधिक सिंडिकेटों के संबंधों के बारे में कुछ सूचना मिलती भी है तो उसके पास ऐसा कोई शासनादेश नहीं होता कि वह तत्काल उसे अन्य एजेंसियों तक पहुंचा सके। ऐसे संबंधों के बारे में जिस एजेंसी को सूचना प्राप्त होती है, वह इस बात से भी आशंकित रहती है कि इस प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान करने से, वक्त से पूर्व इसके लीक हो सकने की वजह से इसके अपने कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। संक्षेप में, इस फील्ड में वर्तमान में कार्यरत विभिन्न एजेंसियां यह सावधानी बरतती हैं कि अपने कार्यक्षेत्र की ड्यूटियों, जिनके अंतर्गत उनके संगठन से संबंधित कानूनों के उल्लंघन से निपटना होता है, पर ही ध्यान केन्द्रित करें और ऐसे संबंधों के बारे में जो सूचना उन्हें मिलती है, उसे जानबूझकर एक तरफ कर दें;

2. उपरिलिखित निष्कर्षों के मद्देनजर वोहरा समिति ने विभिन्न आसूचना एजेन्सियों से सूचना/आसूचना एकत्र करने और मिलाने के लिए तथा पहचानशुदा संगठनों के माध्यम से कार्य करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक नोडल एजेन्सी स्थापित करने की सिफारिश की ताकि राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और व्यापारियों के साथ अपराधियों का गठजोड़ तोड़ा जा सके। तदनुसार 2.8.95 को गृह सचिव की अध्यक्षता में सचिव (राजस्व), सचिव (रा.), निदेशक (आ. ब्यूरो) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर एक नोडल ग्रुप की स्थापना की गयी। मंत्रिमंडल सचिव द्वारा इसके अध्यक्ष का पद सम्भालने के साथ गृह सचिव, सचिव (राजस्व), सचिव (रा.), निदेशक (आ. ब्यूरो), निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर 5.1.96 को इस नोडल ग्रुप का पुनर्गठन किया गया।

3. बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन में गृह सचिव को अध्यक्ष तथा सदस्य (जांच-पड़ताल)-सी.बी.डी.टी. महानिदेशक (राजस्व आसूचना), निदेशक (प्रवर्तन) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर इस नोडल ग्रुप का जनवरी, 1998 में पुनर्गठन किया गया था। इस नोडल ग्रुप में सचिव (कार्मिक और प्रशिक्षण), सचिव (राजस्व), सचिव (रा.) और निदेशक (आ. ब्यूरो) को विशेष आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में सहयोजित किया गया। उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार इस नोडल ग्रुप की बैठक नियमित रूप से होती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

***312. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
श्री राजो सिंह:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष बाढ़, वर्षा और चक्रवात के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की पूरी तरह से मरम्मत नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की कब तक मरम्मत कर दिए जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षति संबंधी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनकी मरम्मत के लिए धन की आवश्यकता के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए गए आकलन संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1999-2000 में अनुरक्षण के लिए निर्धारित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) तात्कालिक मरम्मत पूरी कर ली गई है। इस समय किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात में कोई व्यवधान नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षति और मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 के लिए राज्य लो.नि.वि. की सूचनानुसार रा.रा. को बाढ़ से हुई क्षति का आकलन (लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	220.00
2.	असम	3500.00
3.	बिहार	2500.00
4.	चंडीगढ़	0.00
5.	दिल्ली	25.00
6.	गोवा	317.00
7.	गुजरात	150.00
8.	हरियाणा	350.00
9.	हिमाचल प्रदेश	5000.00
10.	जम्मू और कश्मीर	50.00
11.	कर्नाटक	900.00
12.	केरल	865.00
13.	मध्य प्रदेश	3160.00
14.	महाराष्ट्र	1000.00
15.	मणिपुर	150.00
16.	मेघालय	210.00
17.	मिजोरम	300.00
18.	नागालैंड	350.00
19.	उड़ीसा	2000.00
20.	पांडिचेरी	15.00
21.	पंजाब	100.00
22.	राजस्थान	100.00
23.	तमिलनाडु	900.00
24.	त्रिपुरा	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	2000.00
26.	पश्चिम बंगाल	3150.00
	योग	27312.00

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 के लिए अनुसंधान एवं मरम्मत के अंतर्गत धनराशि निर्धारण की वर्तमान स्थिति (लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल लम्बाई कि.मी. में	सामान्य मरम्मत	आवधिक नवीकरण	बाढ़ क्षति मरम्मत	विशेष मरम्मत	जोड़ (सामान्य अनुरक्षण)	विशेष अनुरक्षण कार्यक्रम	कुल जोड़ (सामान्य एवं विशेष)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4203	830.00	2100.00	498.26	0.000	3428.26	3457.8	6886.06
2.	असम	4136	805.00	2030.00	564.44	0.000	3399.44	3170.22	6569.66
3.	बिहार	4206	840.00	2410.00	1805.42	537.220	5592.64	6192.03	11784.67
4.	चंडीगढ़	64	11.00	30.00	0.00	0.00	41.00	51.33	92.33
5.	दिल्ली	116	32.00	90.00	2.84	0.000	124.84	160.2	285.04
6.	गोवा	431	85.00	230.00	117.23	43.410	475.64	617.24	1092.88
7.	गुजरात	2846	550.00	1460.00	61.86	26.310	2098.17	1792.23	3890.40
8.	हरियाणा	2139	410.00	1090.00	56.84	54.860	1611.70	597.02	2206.72
9.	हिमाचल प्रदेश	1096	300.00	630.00	642.70	184.550	1757.25	1094.22	2851.47
10.	जम्मू और कश्मीर	251	75.00	155.00	60.00	0.000	290.00	0	290.00
11.	कर्नाटक	3864	785.00	2080.00	685.90	0.000	3550.90	4524.6	8075.50
12.	केरल	1531	310.00	820.00	1045.01	58.990	2234.00	1610	3844.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मध्य प्रदेश	7803	1560.00	3830.00	619.78	129.713	6139.49	6677.99	12817.48
14.	महाराष्ट्र	5207	1015.00	2590.00	54.63	0.000	3659.63	3434.23	7093.86
15.	मणिपुर	847	230.00	490.00	131.08	0.00	851.08	0	851.08
16.	मेघालय	888	230.00	480.00	95.89	0.000	805.89	464.24	1270.13
17.	मिजोरम	306	90.00	190.00	100.00	0.000	380.00	543.64	923.64
18.	नागालैंड	276	80.00	175.00	176.63	0.000	431.63	422.66	854.29
19.	उड़ीसा	3114	630.00	1670.00	1000.00	277.240	3577.24	2396.62	5973.86
20.	पांडिचेरी	106	20.00	52.00	5.00	0.000	77.00	167.1	244.10
21.	पंजाब	2637	490.00	1308.00	6.00	0.000	1804.00	448.76	2252.76
22.	राजस्थान	5631	1290.00	2965.00	100.00	0.000	4355.00	4911.35	9266.35
23.	तमिलनाडु	4953	965.00	2565.00	349.00	43.250	3923.15	5801.07	9724.22
24.	त्रिपुरा	202	60.00	125.00	0.00	0.000	185.00	0	185.00
25.	उत्तर प्रदेश	6370	1210.00	3210.00	1310.21	175.280	5905.49	4794.62	10700.11
26.	पश्चिम बंगाल	2802	530.00	1395.00	1600.00	0.000	3525.00	1410.92	4935.92
27.	भा.रा.रा.प्रा.	14194	2567.00	6515.00	0.00	0.000	9082.00	0	9082.00
	योग	80214	16000.00	40685.00	11089.62	1530.82	69305.44	54740.09	124045.53

[हिन्दी]

पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास

***313. श्री अमीर आलम :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही भारी और लगातार गोलाबारी के कारण जम्मू और कश्मीर की सीमा तथा नियंत्रण रेखा के साथ लगे उरी तथा अन्य क्षेत्रों के कुछ गांवों को खाली करा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गोलाबारी में कितने नागरिक और सैनिक मारे गए हैं; और

(ग) नागरिकों के पुनर्वास के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई और वास्तव में कितनी सहायता दी गई

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। पिछले छह माह के दौरान पाकिस्तान द्वारा की गई भारी और निरन्तर गोला-गारी के कारण नियंत्रण रेखा के साथ लगे किसी गांव को खाली नहीं कराया गया है। तथापि, कुछ परिवार स्वत: ही कुछ प्रभावित गांवों से पलायन कर गए हैं। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, हाल के कारगिल संघर्ष के दौरान सीमा पार से की गई गोला-बारी के कारण कारगिल से लगभग 3574 परिवार, लेह से 540 परिवार तथा जम्मू से 20000 परिवार विस्थापित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार गश्त छह माह के दौरान सीमा पार से हुई गोला-बारी के कारण सेना/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों सहित 45 व्यक्ति मारे गए।

(ग) सीमा पार से की गई गोला-बारी के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार ने मई. तक के लिए 35 करोड़ रुपये की मांग की है। भारत सरकार ने, राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए राहत पैकेज के कार्यान्वयन के लिए अब तक 24.8 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

***314. श्री रामदास आठवले :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने संसद् और विधान सभाओं के चुनाव लड़ने की पात्रता के संबंध में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन, जनमत संग्रह करवाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में अन्य कौन से उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्गों को मान्यता

***315. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
श्री कृष्णमराजू :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ राष्ट्रीय जलमार्गों को मान्यता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इनके नामों और स्थानों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन राष्ट्रीय जलमार्गों को मान्यता देने और आंध्र प्रदेश में नहरों के सुधार हेतु क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) चेन्नई और विजयवाड़ा के बीच बकिंघम नहर जलमार्ग के पुनर्निर्माण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) और (ख) अभी तक तीन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा चुका है। ये हैं (1) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली का इलाहाबाद-हल्दिया खंड (1620 कि.मी.) (राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1), जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरता है; (2) ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया-धुबरी (891 कि.मी.) खंड (राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2) जो असम राज्य से गुजरता है; और

(3) चम्पाकारा तथा उद्योगमंडल नहर के साथ-साथ पश्चिम तटीय नहर का कोल्लाम-कोटापुरम (205 कि.मी.) खंड (राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3) जो केरल राज्य से गुजरता है।

(ग) और (घ) इन घोषित तीनों राष्ट्रीय जलमार्गों को नौवहन चैनल, चैनल चिन्हांकन, जलराशि सर्वेक्षण, नदी नोटिस जारी करने, पायलटेज, टर्मिनल रात्रि नौवहन सुविधाएं इत्यादि जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर पोत परिवहन तथा नौवहन हेतु विकसित किया जा रहा है। चेन्नै और विजयवाड़ा के बीच बकिंघम नहर जलमार्ग को पुन: विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बालिकाओं का यौन शोषण

***316. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बालिकाओं के यौन शोषण की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह के जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को दण्डित करने हेतु कोई व्यापक विधान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संसद के चालू शीतकालीन अधिवेशन के दौरान इस संबंध में कोई व्यापक विधान लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) वर्ष 1996-1998 के दौरान, बालिकाओं के यौन शोषण से संबंधित दर्ज मामलों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना में इसमें बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति का संकेत नहीं मिलता है। इन वर्षों के लिए अस्थायी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

	नाबालिगों के साथ बलात्कार (16 वर्ष से कम आयु की)	लड़कियों की खरीद (18 वर्ष से कम आयु की)	लड़कियों को बेचना (18 वर्ष से कम आयु की)
1996	4083	22	6
1997	4414	13	9
1998	4059	13	11

(ख) से (घ) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376 और 376ग में, अन्य बातों के साथ-साथ, नाबालिग लड़कियों/महिलाओं के यौन शोषण के लिए सख्त सजा की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, धारा 366क, 336ख, 372 और 373 में क्रमश: नाबालिग लड़कियों की दलाली, विदेशों से लड़कियों का आयात, वैश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ नाबालिग लड़कियों की खरीद-फ़रोख्त के लिए दण्ड की व्यवस्था है। संसद के चालू सत्र के दौरान इस विषय पर कोई व्यापक विधान लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि, केन्द्र सरकार, बलात्कार के अपराध के लिए दी जाने वाली सजाओं में एक सजा, मृत्यु दण्ड देने के प्रस्ताव पर इस समय विचार कर रही है।

आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के आश्रितों को पेंशन

***317. योगी आदित्यनाथ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब की तरह जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के हमलों में मारे गए लोगों के आश्रितों/विधवाओं को मासिक पेंशन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) जम्मू और कश्मीर की सरकार ने उग्रवाद से प्रतिकूल रूप से प्रभावित विधवाओं, अनाथों, अपंगों और वृद्धावस्था के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 1995 में एक पुनर्वास परिषद का गठन किया था। इस परिषद का 20 करोड़ रुपए का निधि संग्रह होगा, जिसकी आय का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए किया जाएगा जिनमें विधवाओं को विवाह के लिए सहायता, अनाथ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन और अपंग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कैम्प आयोजित करना शामिल है। इस समय इस निधि संग्रह में 8.28 करोड़ रुपए हैं जिसमें 6 करोड़ रुपए भारत सरकार से, 1 करोड़ रुपए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से शामिल हैं। अब तक 2519 अनाथ बच्चों को छात्रवृत्ति, 50 विधवाओं को विवाह सहायता और 596 वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा चुकी है और 24 पुनर्वास कैम्प आयोजित किए गए जिनमें 2726 कृत्रिम अंग/उपकरण बांटे गए।

कच्चे तेल के मूल्य

***318. श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छह माह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिमाह कच्चे तेल के मूल्य क्या रहे;

(ख) कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण तेल पूल घाटे और पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में, राजसहायता प्राप्त मूल्यों के बजाय बाजार मूल्यों की नीति का अनुसरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) प्लाट्स के अनुसार पिछले छह महीनों में मुख्य मार्कर कच्चे तेलों अर्थात् ब्रेन्ट तथा दुबई क्रूडों के औसत मासिक प्रकाशित मूल्य निम्नानुसार हैं:

**अमरीकी डालर/बैरल

**रुपए प्रति मीट्रिक टन

	जून, 1999	जुलाई, 1999	अगस्त, 1999	सितम्बर, 1999	अक्तूबर, 1999	नवंबर, 1999
ब्रेन्ट*	15.82	19.02	20.31	22.48	22.01	24.69
**	5132.52	6203.89	6640.89	7366.86	7205.98	8066.48
दुबई*	15.50	17.88	19.48	21.90	21.47	23.11
**	4835.00	5604.46	6124.10	6900.36	6758.43	7259.46

(ख) अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य परस्पर संबद्ध होते हैं। इनसे हमारे आयात बिल, उत्पाद मूल्य निर्धारण तथा तेल पूल खाते पर असर पड़ता है। वर्तमान में मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), घरेलू एल.पी.जी. तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल के मूल्य प्रशासित हैं। डीजल का मूल्य आयात समता पर निर्धारित किया जाता है। इसे पिछली बार 6.10.1999 को संशोधित किया गया था। अन्य पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् नाफ्था, ईंधन तेल,

पैराफिन मोम, लो सल्फर हैवी स्टाक (एल.एस.एच.एस.) तथा बिटुमेन के मूल्य नियंत्रणमुक्त हैं तथा तेल कंपनियां बाजार दशाओं पर अपने मूल्य नियत करती हैं। अनुमान है कि 31.3.2000 तक तेल पूल घाटा 5000 करोड़ रुपए के लगभग होगा।

(ग) और (घ) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) को चरणों में समाप्त करने के सरकारी निर्णय के अनुसरण में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) को चरणों में समाप्त करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल, 1998 से शुरू की गई थी। हाई स्पीड डीजल के मूल्य भंडारण स्थल स्तर तक आयात समता पर निर्धारित किए जा रहे हैं। चरणबद्ध कार्यक्रम में यह परिकल्पित है कि घरेलू एल.पी.जी. व मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) पर राजसहायता चरणों में कम की जाएगी ताकि 2000-01 तथा 2001-02 तक यह आयात समता के क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 33.33 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाए। पूर्ण नियंत्रणमुक्ति पर 1.4.2002 से राजसहायता को राजकोषीय बजट में अंतरित कर दिया जाना है।

कच्चे तेल पर रायल्टी

***319. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके नियमित अंतरालों पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी की दरें बढ़ाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने रायल्टी की दरों को बढ़ाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) कच्चे तेल पर रायल्टी, तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम (ओ.आर.डी.ए., 1948) तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के प्रावधानों के अनुसरण में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा नियत की गई विनिर्दिष्ट दरों पर देय होती है। ओ.आर.डी.ए., 1948 के प्रावधानों के अनुसार कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस पर रायल्टी कूप शीर्ष पर बिक्री मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श से प्रतिपादित पहले की योजना के अनुसार रायल्टी बिक्री मूल्य के 20 प्रतिशत पर आकलित की गई थी। बिक्री मूल्य को कच्चा तेल उत्पादन की भारित औसत लागत जमा नियोजित पूंजी पर 15 प्रतिशत लाभ जमा 900 रुपए प्रति एम.टी. (मीट्रिक टन) उपकर के रूप में माना गया था। रायल्टी की अंतिम औपचारिक रूप से अधिसूचित दर 1 अप्रैल, 1990 से 481 रुपए प्रति मीट्रिक टन थी। इस दर को 1 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1996 तक की अवधि के लिए 528 रुपए प्रति एम.टी. के लिए अनंतिम रूप से संशोधित किया गया था और तब से यह अनंतिम रूप से 539.80 रुपए प्रति एम.टी. के लिए संशोधित कर दी गई है। सरकार ने 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 1998 तक की अवधि के लिए रायल्टी की "लेखागत" दर आगे अनंतिम रूप से 578 रुपए प्रति एम.टी. नियत कर दी थी। इन अवधियों अर्थात् 1993-96 तथा 1996-98 के लिए अंतिम दरें कच्चे तेल के अंतिम मूल्यों का आकलन करने के लिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (सी. एण्ड ए.जी.) से लेखापरीक्षित लागत आंकड़ों के प्राप्त होने पर अधिसूचित की जाएंगी।

उपर्युक्त योजना 31 मार्च, 1998 तक लागू थी। इस बीच कुछ एक तेल उत्पादन कर रहे राज्य रायल्टी की धनराशि को कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से संबद्ध करके विद्यमान रायल्टी दर में संशोधन की मांग करते रहे थे। ये राज्य सरकारें रायल्टी धनराशि में अपेक्षाकृत जल्दी-जल्दी संशोधन के लिए भी अनुरोध करती रही थीं। राज्य सरकारों के इन प्रस्तावों तथा साथ ही प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली के समापन, स्वदेशी कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण के लिए कच्चा तेल के लागतगत मूल्य निर्धारण के समापन तथा अंतर्राष्ट्रीय दरों के आधार के रूप में धीरे-धीरे शुरुआत, की अनुक्रिया में रायल्टी की एक नई योजना प्रतिपादित करना आवश्यक हो गया था। सरकार ने इस नई योजना, जोकि राज्य सरकारों समेत सभी संबंधितों के साथ परामर्श से यथासंभव शीघ्र तैयार की जाएगी, को प्रतिपादित करने के लिए अपेक्षित कदम उठाना आरंभ कर दिया है। इस नई योजना की शुरुआत के लंबित रहते, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार दोनों को ही 1.4.1998 से अनंतिम रूप से 578 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से रायल्टी का भुगतान किया जा रहा था। यह अनंतिम दर 1 दिसंबर, 1999 को जून, 1999 के आगे से 750 रुपए प्रति मीट्रिक टन अथवा कच्चे तेल के कूप-शीर्ष मूल्य के 20 प्रतिशत, इनमें जो भी कम हो, के लिए बढ़ा दी गई है।

राष्ट्रीय मावाधिकार आयोग में अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायतें

***320. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय में होने वाली अनियमितताओं के बारे में सरकार को कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) इस पर क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) आयोग के प्रशासन और कार्यकरण में निष्पक्षता लाने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) इस संबंध में दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जांच करने पर, इन शिकायतों में से एक में कोई वास्तविकता नहीं पाई गई। दूसरे मामले में, राष्ट्रीय मानवाधिकर आयोग से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त निकाय है, जिसने अपने प्रशासन और कार्यकरण के संबंध में केन्द्र सरकार के नियमों और विनियमों को अपनाया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 के द्वारा शासित होते हैं।

अधिवक्ताओं को चैम्बरों का आवंटन

2944. श्री राजैया मल्याला: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान भगावनदास रोड, नई दिल्ली में कितने अधिवक्ताओं को नए चैम्बर आवंटित किये गये तथा इन चैम्बरों के क्षेत्रफल सहित इनके लिए औसत कितनी लाइसेंस फीस ली गई;

(ख) आबंटन के समय इन चैम्बरों की भूमि और निर्माण की लागत को ध्यान में रखते हुए प्रतिमास प्रति वर्ग फुट कितनी मानक लाइसेंस फीस निर्धारित की गई;

(ग) आबांटेयों से मानक लाइसेंस फीस न वसूलने के क्या कारण हैं;

(घ) राजकोष को इसके कारण प्रतिवर्ष कुल कितने राजस्व का नुकसान हो रहा है; और

(ङ) आवंटियों से इस घाटे को पूरा करने हेतु वसूली करने के लिएं क्या कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) 145 अधिवक्ताओं को 141 नए चैम्बर (चार चैम्बर संयुक्त रूप से) आबंटित किए गए हैं, जिनमें से 13 वरिष्ठ अधिवक्ता, 104 अभिलेख अधिवक्ता और 28 अभिलेख-इतर अधिवक्ता हैं।

आबंटित चैम्बरों का क्षेत्रफल निम्नवत है:

चैम्बरों की संख्या	क्षेत्रफल, वर्गमीटर
5	9.27
2	10.75
6	10.79
5	10.99
4	11.64
6	11.67
65	11.71
40	12.11
4	13.18
3	19.34
1	22.50

उक्त चैम्बरों के लिए अनुज्ञप्ति फीस, अनंतिम रूप से, निम्नवत नियत की गई है:

चैम्बरों की संख्या	प्रतिमास अनुज्ञप्ति फीस अनंतिम रूप से
132	2,000 रुपये प्रति
5	1,600 रुपए प्रति
4	3,500 रुपए प्रति

(ख) चैम्बरों के लिए अनुज्ञप्ति फीस अनंतिम रूप से नियत की गई है तथा मानक अनुज्ञप्ति फीस अभी नियत नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) इस प्रक्रम पर प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीवरी नहवा परियोजना

2945. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई में सीवरी-नहवा नामक समुद्री पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और इस पर किनती धनराशि व्यय होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) केन्द्र सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यह पता चला है कि महाराष्ट्र सरकार की शिवड़ी और न्हावा को जोड़ने के लिए 6600 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक 25 कि.मी. लम्बे समुद्री पुल का निर्माण करने की योजना है।

[अनुवाद]

सांसदों को दिए गए एलपीजी कूपनों का इस्तेमाल

2946. श्री सुनील खां: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांसदों को दिए गए एलपीजी कूपनों को केवल उन्हीं लोगों को ही दिए जाने की शर्तें हैं जो कि पहले से ही एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आम व्यक्ति जो कि अपना नाम पंजीकृत कराना चाहते हैं लेकिन जिला बदलने के कारण, हालांकि दूरी केवल एक किलोमीटर ही है, पंजीकरण कराने के लिए पात्र नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस शर्त को समाप्त कर एलपीजी डीलरों को उनके पास लाभार्थी के पंजीकृत न होने पर भी सांसदों द्वारा जारी किए गए कूपनों को स्वीकार करने के लिए निदेश देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) संसद सदस्यों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों के निवासियों को एल पी जी कनेक्शनों के जारी किए जाने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को सरकार द्वारा सलाह दी गई है कि एल पी जी वितरक, संसद सदस्य कोटे के अंतर्गत ऐसे कनेक्शनों का लाभ उठाने वाले अपने प्रचालन क्षेत्र के बाहर के लोगों का पंजीकरण निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार करेंगे:

(1) संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र से संसद सदस्य कोटे से गैस कूपन प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति उस जिले में किसी भी एल पी जी वितरक के पास पंजीकरण करा सकता है जिसमें संबंधित संसद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र पड़ता हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जब तक कूपन जारी करने वाले संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में रहता है संसद

सदस्य के पड़ौसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थित किसी भी वितरक के पास पंजीकरण करा सकता है और उससे एल पी जी कनेक्शन ले सकता है भले ही वह किसी भिन्न जिले में हो।

[हिन्दी]

स्टीमर और जेट्टी को क्षति

***2947. श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या 25 मई, 1999 को गुजरात के जामनगर जिले की ओखा पत्तन पर कोयला ले जा रहा एक विदेशी स्टीमर "विनेटक" "सायाजीपीर जेटी" से टकरा गया था जिसके परिमामस्वरूप स्टीमर तथा जेटी को काफी नुकसान पहुंचा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से प्रत्येक को किस हद तक क्षति पहुंची और नुकसान की क्षतिपूर्ति करने तथा जेट्टी की मरम्मत कराने हेतु क्या उपाय किए गए;

(घ) क्या जी.एम.बी. के स्थानीय अधिकारी इस पत्तन के विकास तथा वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(च) इस मामले से क्या कार्रवाई की गई; और

(छ) इस पत्तन के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग 12 (अनुसंधान एवं जांच) की अपेक्षानुसार, नौवहन महानिदेशालय को पत्तन अधिकारी, ओखा अथवा गुजरात मेरीटाइम बोर्ड से दुर्घटना के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (छ) केन्द्र सरकार मुख्यत: देश में महापत्तनों से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है। लघु पत्तनों से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। चूंकि ओखा पत्तन एक लघु पत्तन है, इसके विकास के लिए संबंधित राज्य सरकार जिम्मेदार है।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर स्वायत्तशासी जिलों का सृजन

2948. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: *क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या सरकार का विचार ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर मौजूदा गोलपाड़ा जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्रों और मौजूदा कामरूप जिले के दक्षिणी भाग और नौगांव के मोरीगांव आदिवासी बहुत क्षेत्रों को मिलाकर नए स्वायत्तशासी जिलों का सृजन करने का है, ताकि उक्त जिलों के मैदानी भागों और करबी एंगलांग और उत्तरी कछार हिल्स के आदिवासी लोगों को स्व-शासन का राजनीतिक अधिकार हासिल हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव असम सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है, अत: केन्द्र सरकार द्वारा मामले पर विचार नहीं किया गया है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने की निवेश योजनाएं

2949. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने ने नई प्रणाली लगाकर और मजूदा मशीनरी के आधुनिकीकरण के माध्यम से अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कोई निवेश योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कारखाने ने डीजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सल्फर अंश कम करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) आधुनिकीकरण योजना के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क), (ख) और (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मथुरा रिफाइनरी के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने तथा इसकी वर्तमान सुविधा के आधुनिकीकरण के लिए निम्न निवेश योजनाएं आरंभ की गई हैं:

परियोजना का नाम	उद्देश्य	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपए)	वर्तमान स्थिति और निर्धारित समय
(1) कन्टिन्यूअस कैटेलिटिक रिफार्मर यूनिट	सीसारहित मोटर स्पिरिट का उत्पादन करना	545	मई, 1999 में चालू
(2) डीजल हाइड्रो-डीसल्फराइजेशन यूनिट	हाई स्पीड डीजल में गंधक की मात्रा 0.25 प्रतिशत भार (अधिकतम) तक कम करना	307	अगस्त, 1999 में चालू
(3) अतिरिक्त डीजल हाइड्रो-डीसल्फराइ-जेशन सुविधाएं	हाई स्पीड डीजल में गंधक की मात्रा 0.05 प्रतिशत भार (अधिकतम) तक कम करना	838*	परियोजना अनुमोदन की तारीख से 33 महीनों में चालू की जानी निर्धारित है।
(4) एम एस की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुविधाएं।	सक्रिय उपाय के रूप में यूरोपीय उत्सर्जन मानकों के अनुरूप एम एस. की गुणवत्ता में सुधार करना	393*	परियोजना अनुमोदन की तारीख से 27 महीनों में चालू कर दिए जाने का कार्यक्रम है।

*(व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत)

(ग) मथुरा रिफाइनरी ने हाई स्पीड डीजल में गंधक की मात्रा 0.25 प्रतिशत भार (अधिकतम) तक कम करने के लिए 307 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर हाइड्रोजन उत्पादन इकाई तथा गंधक निकासी इकाई सहित डीजल हाइड्रो-फीसल्फराइजेशन परियोजना नामक व्यापक सुविधाओं की स्थापना की है। परियोजना अगस्त, 1999 में पहले ही पूरी तथा चालू की जा चुकी है तथा मथुरा रिफाइनरी से आपूर्त सारे एच एस डी में गंधक की मात्रा सितम्बर, 1999 से 0.25 प्रतिशत भार (अधिकतम) है।

संचार नेटवर्क

2950. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ''वी-सेट'' वायरलैस टेलीफोनों और ''ऑप्टिकल फाइबर केबल'' का प्रयोग कर संपूर्ण राज्य को अतिरिक्त संचार नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भ में राज्य की राजधानी एवं जिलों के बीच वायस, डाटा तथा इन्टरनेट संपर्क प्रदान करने के लिए, वी-सैट, वायरलेस टेलीफोनी तथा आप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग करके राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख नगरपालिकाओं में राज्यव्यापी संचार तंत्र की व्यवस्था की गई है।

(ग) दूरसंचार सेवा विभाग (डीडीएस) के पास टीआरएआई द्वारा निर्धारित टैरिफ पर पश्चिम बंगाल सरकार को वांछित पट्टाशुदा कनेक्टिवटी प्रदान करने के लिए नेटवर्क क्षमता उपलब्ध है। जहां कहीं ऐसा नहीं है वहां यह कनेक्टिविटी, किराया तथा गारंटी (आर एंड जी) शर्तों पर प्रदान की जा सकती है। अत: उक्त उद्देश्य हेतु राज्य सरकार, दूरसंचार सेवा विभाग के बुनियादी ढांचे का प्रयोग कर सकती है।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

2951. श्रीमती मिनाती सेन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में जिलावार, विशेषत: जलपाईगुड़ी जिले में नए टेलीफोन कनेक्शनों हेतु कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) राज्य में पिछले तीन साल के दौरान आज तक जिलावार और उक्त जिले में कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए; और

(ग) सरकार ने राज्य में प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 1.12.99 की स्थिति के अनुसार, जलपाईगुड़ी में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 4231 है।

प. बंगाल में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची के जिला-वार आंकड़े विवरण में दिए अनुसार हैं।

(ख) जलपाईगुड़ी में गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक आवंटित टेलीफोनों की संख्या इस प्रकार है:

1997-98	3797
1998-99	4094
1999-2000 (12.12.99 तक)	1191

प्रदेश भर में गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक आबंटित टेलीफोनों की जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए अनुसार हैं।

(ग) पश्चिम बंगाल दूरसंचार-सर्किल (सिक्किम सहित) ने, 1999-2000 के दौरान 231,000 नए टेलीफोनों के लक्ष्य के मुकाबले 30.11.99 तक 40290 नए टेलीफोन-कनैक्शन दिए। प्रतीक्षा-सूची के क्रमिक रूप से निपटान हेतु, मार्च 2000 तक लगभग 190700 नए टेलीफोन कनैक्शन दिए जाने की संभावना है।

30.11.99 की स्थिति के अनुसार, फिलहाल कलकत्ता में नए टेलीफोन-कनेक्शनों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	पश्चिम बंगाल राजस्व जिले	1.12.99 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	1997-98 के दौरान आबंटित टेलीफोन	1998-99 के दौरान आबंटित टेलीफोन	1999-2000 (12.12.99 तक) के दौरान आबंटित टेलीफोन
1	2	3	4	5	6
1.	बांकुरा	2120	2729	3008	624
2.	बीरभूम	4892	4999	2096	1901

1	2	3	4	5	6
3.	बर्दवान	12520	20957	23287	8357
4.	कूचबिहार	3017	2374	2338	2986
5.	दक्षिण दिनाजपुर	1100	2003	2791	600
6.	दार्जीलिंग	3157	7958	8950	3288
7.	हुगली	7470	4832	6743	1000
8.	हावड़ा	5792	1202	1280	1000
9.	जलपाईगुड़ी	4231	3797	4094	1101
10.	माल्दा	2211	5299	5841	1413
11.	मिदनापुर	10631	7781	9588	5457
12.	मुर्शिदाबाद	8087	4248	5303	2743
13.	नाडिया	7080	4771	8129	2939
14.	पुरुलिया	1566	1369	7557	791
15.	उत्तर दिनाजपुर	2114	2489	4879	969
16.	24 परगना (उत्तर)	6378	4874	3398	3155
17.	24 परगना (दक्षिण)	2592	1992	2410	2000
	उपजोड़	84958	83674	101692	40414
18.	कलकत्ता	0	151588	180320	79093 (30.11.99 तक)

[हिन्दी]

बिहार के अभयारण्यों के विकास और संरक्षण के लिए योजनाएं

2952. श्री राजो सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के विकास और संरक्षण के लिए कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और कितनी योजनाओं को अभी तक मंजूरी दिया जाना शेष है, तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें केन्द्र सरकार का कितना योगदान है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास" स्कीम के अंतर्गत बिहार सरकार को 40.00 लाख रुपये का अस्थायी आबंटन किया था। इसकी तुलना में राज्य सरकार ने 91.628 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के प्रावधान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मंत्रालय ने उदयपुर और डाल्मा अभयारण्यों के लिए 18.30 लाख रुपये की राशि जारी की है। इसके अतिरिक्त हजारीबाग और गौतमबुद्ध अभ्यारण्यों के लिए 15.60 लाख रुपए की धनराशि का पुनर्वैधीकरण किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर चल रहा कार्य

2953. श्री जी. एम. बनातवाला: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर कितने कार्य चल रहे हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यों के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया;

(ग) क्या सरकार इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्तमान वित्तीय आबंटन को बढ़ाने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) केरल में रा.रा. 17 पर 25 निर्माण कार्य चल रहे हैं जिनमें भूमि अधिग्रहण के आठ, तीन पुल, एक बाइपास और तेरह अन्य सुधार कार्य शामिल हैं।

(ख) केरल में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए चालू वर्ष के दौरान 65 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसमें रा.रा.-17 पर चल रहे सभी कार्यों का प्रावधान शामिल है।

(ग) जी हां।

(घ) आबंटन में वास्तविक वृद्धि संसद द्वारा पूरक मांगों के अनुमोदन पर निर्भर होगी।

विद्रोह निवारक अभियान

2954. श्री एन.आर.के. रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम और भूटान दोनों में प्रतिबंधित "यूनाईटिड लिबरेशन फ्रंट आफ असम" (उल्फा के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही करने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य कौन-कौन सी गहन विद्रोह निवारक अभियान आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ख) जी नहीं, श्रीमान। भारत सरकार ने उल्फा उग्रवादियों से अनेक अपीलें की हैं कि वे हथियारों को त्याग दें और बातचीत के द्वारा मुद्दे को हल करने के लिए बिना शर्त वार्ता करने हेतु आगे आएं। उल्फा ऐसी शर्तों पर जोर दे रहें है जो भारत सरकार को अस्वीकार्य हैं। भारत सरकार ने असम और भूटान, दोनों में, उल्फा को निष्प्रभावी करने के लिए आवश्यक कदम उठाना जारी रखा है और वह भूटान के भीतर से सक्रिय उल्फा उग्रवादियों को खदेड़ने की दृष्टि से भूटान सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है।

(ग) सरकार ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, उग्रवादियों के खिलाफ भीतरी प्रदेश में प्रतिकारी कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को निष्क्रिय करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सभी स्तरों पर एकीकृत मुख्यालय के आपरेशन ग्रुपों और

आसूचना ग्रुपों के संस्थागत ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी और सुरक्षा बलों के लिए हथियार और उपकरण इत्यादि शामिल हैं। गहन गश्त और व्यापक तलाशी अभियानों के द्वारा सीमा पर निकट से निगरानी रखने सहित उग्रवादियों को खदेड़ने, घुसपैठ रोकने और उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नए सिरे से भी कदम उठाए गए हैं

राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को दो लेनों वाला बनाना

2955. श्री समर चौधरी: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में अगरतला और चारीबाड़ी के बीच मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को दो लेनों वाला बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य को पूरा करने के लिए कितनी समय सीमा की परिकल्पना की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 की लम्बाई 198 कि.मी. है जिसमें से 28 कि.मी. में पहले से ही दोहरी लेन है। विद्यमान नीति के अनुसार, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग दोहरी लेन के होने चाहिए जो यातायात की सघनता, सड़क की स्थिति, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन है। तथापि, धनराशि के अति अभाव के कारण त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के सम्पूर्ण खंड को दोहरी लेन का बनाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव

2956. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और चालू वर्ष में निर्धारित एवं प्राप्त किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में चल रही परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) लम्बित प्रस्तावों पर प्रस्ताव-वार की गई/को जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके संबंध में विलम्ब से निर्णय लेने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख), (घ) और (ङ) 1999-2000 में अभी तक 112 करोड़ रु. राशि के 100 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 41.51 करोड़ रु. लागत के 42 प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं और 26.3 करोड़ रु. लागत के 13 प्रस्ताव राज्य लो.नि.वि. के पास भेज दिए गए/लौटा दिए गए हैं। शेष की जांच की जा रही है। अतः विलम्ब नहीं हुआ।

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धि तथा वित्तीय आबंटन नीचे दर्शाए गए हैं:

वर्ष	पूरे किए गए कार्यों की संख्या		आबंटन रा.रा. (मूल)
	लक्ष्य	उपलब्धि	करोड़ रु.
1996-97	92	43	19.0
1997-98	88	45	29.0
1998-99	119	61	48.1
1999-2000	121	-	49.0

इसके अतिरिक्त, एक अन्य विश्व बैंक परियोजना के तहत, रा.रा.-8 के 439/0 से 497/0 कि.मी. खंड को चार लेन का बनाना है। इसे मार्च, 2001 तक पूरा करना है। इस प्रयोजनार्थ इन चार वर्षों के दौरान क्रमशः 0.2 करोड़ रु., 43.5 करोड़ रु., 60.0 करोड़ रु. और 60.0 करोड़ रु. आबंटित किए गए।

विगत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय लक्ष्य पूरे किए गए।

लोक अदालतों में दुर्घटना के मामले

2957. श्री के. येरननायडू: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में लोक अदालतों द्वारा दुर्घटना दावों के कितने मामले निपटाए गए; और

(ख) ऐसे मामलों के लिए लिखित रूप से दी गई पारस्परिक सहमति के बावजूद कितने मामले अभी तक नहीं निपटाए गए?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यथा प्रस्तुत अपेक्षित जानकारी निम्नवत है:

वित्तीय वर्ष	लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए गए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामलों की संख्या
1994-95	3,949
1995-96	3,553
1996-97	4,159
1997-98	3,551
1998-99	3,813

(ख) संबद्ध जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हाथियों की संख्या

2958. श्री जी.एस. बासवराज: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आर एलीफेंट्स सेफ इन देयर ओन कनफाइन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और खतरे के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा हाथियों को बचाने के लिए क्या कठोर उपाय किये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। यह सही है कि पूर्वोत्तर, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में हाथियों के गलियारों (कोरीडोर) से तेजी से गुजरने वाली ट्रेनों के कारण चालू वर्ष के दौरान हाथियों की मौत हुई है। पालामाऊ, बिहार से 2 हाथियों की बिजली का करंट लगने से मौत होने की सूचना मिली है। पहले मामले में यह मौत दुर्घटनास्वरूप हुई थी लेकिन दूसरे मामले में मौत, कृषि क्षेत्रों में, जहां बिजली की तारें बिछाई हुई थी, वहां मानव-जानवर के बीच भिड़न्त के कारण हुई थी। यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि हाथियों के वास-स्थल और गलियारे अवक्रमित और विखंडित होते जा रहे हैं जिसके कारण हाथी, जीवन और सम्पत्ति दोनों, के लिए विध्वंसकारी साबित हो रहे हैं।

(ग) इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: (1) हाथी परियोजना आरम्भ करना, जिसके अंतर्गत हाथियों के वास-स्थलों और गलियारों की दशा में सुधार करना आदि प्रमुख कार्य हैं। यह 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। इस परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई धनराशियों को बिहार सरकार उपयोग नहीं कर सकी है। केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत बिहार को जारी की गई

धनराशियों और पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई धनराशियों का विवरण निम्नवत है:

1997-98		1998-99		1999-2000	
जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
कोई मांग नहीं	–	40.00 लाख रु.	शून्य	पुनर्वैधीकृत 40.00 लाख रु.	

2. रेल मंत्रालय से भी अनुरोध किया गया है कि वे हाथियों के वास-स्थलों और गलियारों से गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार को नियंत्रित करने पर विचार करें।

प्रदूषण नियंत्रण

2959. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वायु, भूमि और ध्वनि प्रदूषण के सदा बढ़ते स्तरों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए मौजूदा तंत्र क्या हैं;

(ख) क्या औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना (आईपीसीपी) और औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना (आईपीपीपी) जैसी चालू और प्रस्तावित विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का भारत में प्रदूषण के नियंत्रण पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या वर्ष 1991 से आरंभ हुई औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना वर्ष 1999 में परियोजना के अंत में अपने वांछित लक्ष्य पर पहुंच गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) मौजूदा तंत्र में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण हेतु नीतिगत ढांचा, विधान, केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों सहित राजकोषीय प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।

(ख) से (ङ) विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना (आईपीसीपी) 1991 में शुरू हुई थी और मार्च, 1999 में पूरी हो गई थी। इससे चार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों नामतः गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को सुदृढ़ किए जाने के अलावा औद्योगिक स्रोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण में लागत प्रभावी कमी करने को बढ़ावा मिला है। इस परियोजना के तहत विभिन्न लघु-स्तर के औद्योगिक सैक्टरों में सामान्य बहिःस्राव शोधन संयंत्र लगाने और प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए अधिक स्वच्छ प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी गई है। औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के समान लघु स्तर की औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने पर भी विचार किया गया है। इस परियोजना का कार्य 2002 तक जारी रहेगा।

[हिन्दी]

बलहेरिया में गाद की समस्या

2960. श्री महेश्वर सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधि प्रदेश के मंडी जिले के बलहेरिया में गाद समस्या की ओर भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष, अन्य अधिकारियों और मंत्रालयों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हाँ। हिमाचल प्रदेश के जन-प्रतिनिधि समय-समय पर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुन्दरनगर में ब्यास-सतलुज परियोजना के संतुलन, जलाशय से गाद निकालने के कारण बाल्हक्षेत्र में होने वाली समस्याओं को सबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाते रहे हैं।

(ख) और (ग) भाकड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र की जनता के सामने आ रही असुविधाओं को कम करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। समय-समय पर उठाई गई माँगों और बीबीएमबी द्वारा उठाए गए उपायों के ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

लोक प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर उठाई गई मांगें तथा बीबीएमबी द्वारा की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा

उठाई गई मांग	बीबीएमबी द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्रवाई
बीएलएल परियोजना के निर्माण के कारण बाल्ह घाटी में सूखे स्रोतों के लिए क्षतिपूर्ति	बीबीएमबी ने सिंचाई स्कीमों तथा पीने के पानी के लिए स्कीमों को लागू करने हेतु अंतिम समाधान के रूप में हिमचाल प्रदेश सरकार को 65 लाख रुपये भुगतान किये हैं।
क्षतिग्रस्त फसलों के लिए क्षतिपूर्ति	वर्ष 1987 से किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में बीबीएमबी द्वारा लगभग 2 लाख रुपये की वार्षिक धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।
सुकेटी खाड के दोनों तरफ रहने वाले ग्रामवासियों के लाभों के लिए विभिन्न स्थानों पर स्टील तल वाले पुलों का प्रावधान	बीबीएमबी द्वारा अभी तक 20 से अधिक स्टील तल वाले पुलों की अधिष्ठापना की गई है। इसके अतिरिक्त चेनलाइजेशन कार्यों समेत निम्नलिखित स्थाई पुलों का निर्माण किया गया था। (1) पैदल यात्रियों के प्रयोजनार्थ पार करने के लिए बग्गी खड्ड के आर-पार 3 तल पुल। (2) 3 ट्रैक्टर पुल
बीएसएल परियोजना के वाटर कन्डक्टर प्रणाली से सिंचाई तथा पेयजल प्रयोजन हेतु सिंचाई के पानी की निकासी	बीबीएमबी हिमाचल प्रदेश सरकार को निम्नलिखित प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है: (1) बीएसएल परियोजना के सुन्दर नगर हाइडल चैनल से निःशुल्क बाल्ह घाटी सिंचाई परियोजना से 20 क्यूसेक पानी। (2) बीबीएमबी ने सुकेती खाड के बांयें तरफ के क्षेत्र हेतु 14.75 क्यूसेक सिंचाई जल (सुन्दर नगर हाइडल चैनल

उठाई गई मांग	बीबीएमबी द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्रवाई
	से पहले ही मुहैया कराये जा रहे 7.45 क्यूसेक सिंचाई जल समेत) की मांग को भी स्वीकार कर लिया है।
	(3) सन्तोलन जलाशय से डब्ल्यू एस एस पुंग थाथर नामक जल आपूर्ति स्कीम हेतु 2 क्यूसेक जल।
परियोजना प्राधिकारियों द्वारा गाद निपटान तथा पर्यावरणीय मुद्दे	जनता के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न प्राधिकारियों के साथ अत्यधिक मात्रा में पारस्परिक क्रिया के पश्चात बीबीएमबी ने गाद समस्या के कारण पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संबंधी अध्ययन कार्य तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना यदि कोई हो, को सुझाव देने का कार्य 26 लाख रुपये की लागत पर नेशनल एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एनईईआरआई) नागपुर को सौंपा है बीबीएमबी द्वारा नवम्बर, 1999 में प्राप्त रिपोर्ट का मसौदा टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने के लिए सभी संबंधितों को परिचालित किया है ताकि एनईईआरआई, बीबीएमबी द्वारा क्रियान्वित और विचार किये जाने हेतु रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान कर सके।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की उपयोगिता

2961. श्री मोहन रावले: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी लंबे-चौड़े दावों के बावजूद भारत में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक भी एक्सप्रैस मार्ग नहीं बन पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश को आर्थिक प्रगति के पथ पर द्रुत गति से ले जाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है; ताकि

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां। तथापि, कोई लम्बे-चौड़े दावे नहीं किए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन एच डी पी), जिसमें चार महानगरों, श्रीनगर से कन्याकुमारी और सिल्चर से पोरबंदर तक क्रमशः उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कारिडोर तथा रा.रा.-47 के सलेम-कोचीन खंड को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन शामिल है, को 54000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत (वर्तमान मूल्यों पर) पर अगले दस वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। इस उन्नयन कार्यक्रम का हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

[अनुवाद]

मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों संबंधी विशेष न्यायालय

2962. डा. वी. सरोजा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले निपटाने के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में, मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण हुए अपराधों पर विचारण करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक जिले के लिए सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने संबंधी सामर्थ्यकारी उपबन्ध है। उपलब्ध सूचना के अनुसार है, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ऐसे न्यायालय अधिसूचित कर दिए गए हैं।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती

2963. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओ.पी.ई.सी.) द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने के फलस्वरूप कीमतें बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अगले तीन वर्षों में कच्चे तेल के निर्यात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा के बढ़ने की आशा है; और

(घ) गैर-मोटरीकृत परिवहन क्षेत्र और अन्य गतिविधियों तथा कृषि क्षेत्रों की जुताई इत्यादि को, डी.ए.पी. का उपयोग करके, सहायता दिए जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) जी हां। अप्रैल, 1999 से "ओपेक" ने उत्पादन में कटौतियां कर दी हैं जिनके परिणामस्वरूप कच्चे तेल के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप आगे उत्पाद मूल्यों में भी वृद्धि हुई है।

(ग) अगले तीन वर्षों में कच्चे तेल के आयात पर अनुमानित विदेशी मुद्रा व्यय खपत, घरेलू उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल के मूल्यों पर निर्भर करेगा।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में पेट्रोल पंप

2964. श्री दाऊद अहमद: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के लिए कितने पेट्रोल पंप (जुबली आर.ओ.) स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) क्या जुबली आर.ओ. के निर्माण के लिए पेट्रोल पंपों के आवंटन और भूमि खरीद के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सिरोही, राजस्थान पेट्रोल पंप आवंटन मामले की छानबीन करने के बाद सी.बी.आई. ने भारतीय तेल निगम के बहुत से अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस प्रकार के कदाचार की पुनरावृत्ति, रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में 7 जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्रों का आवंटन किया गया है।

(ख) और (ग) राजस्थान में एक जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्र के लिए जमीन की खरीद में अनियमितता सहित अनेक अनियमितताओं के आरोप लगाने वाली एक शिकायत प्राप्त हुई है। संबंधित तेल कंपनी ने उक्त शिकायत की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि जमीन की खरीद को चयन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसके मद्देनजर समिति ने महसूस किया कि लगाए गए आरोप निराधार थे।

(घ) से (च) सी बी आई ने इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) के दो अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच दर्ज की है। सी बी आई की जांच का परिणाम आई ओ सी को प्राप्त नहीं हुआ है।

मणिपुर में एल पी जी एजेंसियां

2965. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मणिपुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में वर्तमान में कार्यरत एल पी जी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का जनता की मांग को पूरा करने के लिए निकट भविष्य में मणिपुर में कुछ और नई एल पी जी एजेंसियां खोलने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो नई एजेंसियां कब तक खोल दी जाएंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) दिनांक 1.4.1999 को सात उत्तर पूर्वी राज्यों में 252 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कार्य कर रही थी जिनमें मणिपुर राज्य की 18 डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल हैं।

(ख) से (घ) पूर्व विपणन योजनाओं में लंबित पड़े स्थानों के अलावा, मणिपुर राज्य के लिए वर्ष 1996-98 की विपणन योजना में 15 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गई हैं। मौजूदा नीति के अनुसार, विपणन योजना में शामिल डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को डीलर चयन बोर्ड द्वारा चयन किए जाने के उद्देश्य से विज्ञापित किया जाता है। सामान्यत: विज्ञापन की तारीख से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू होने में 1 से 2 वर्ष का समय लगता है।

सरकारी वाहनों का निजी उपयोग

2966. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहनों के दुरुपयोग के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) कुछ इक्का-दुक्का मामले ऐसे हुए हैं जिनमें विशिष्ट पुलिस अधिकारियों पर कथित रूप से सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। ये मामले जांच-पड़ताल की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दूरसंचार जिले के रूप में सिक्किम को शामिल करना

2967. श्री भीम दाहाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सर्किल से पूर्वोत्तर क्षेत्र तक सिक्किम को दूरसंचार जिले के रूप में शामिल करने के लिए सिक्किम सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। सिक्किम के मुख्य मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि सिक्किम दूरसंचार सर्किल को असम अथवा पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किल से जोड़ा जाए ताकि पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह सिक्किम को भी लाभ/प्रोत्साहन मिल सके।

(ग) सिक्किम राज्य भौगोलिक दृष्टि से असम और पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किल से अलग पड़ता है जबकि रोड व्यवस्था और दूरसंचार संपर्क पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले से उपलब्ध है। स्टाफ की व्यवस्था और सामग्री का जहां तक संबंध है सिक्किम दूरसंचार जिले को पूर्वोत्तर अथवा असम में शामिल करना प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक नहीं है। जहां तक लाभ/स्टाफ/अधिकारियों को प्रोत्साहन देने का संबंध है सिक्किम में तैनात अधिकारी वही वित्तीय और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात अधिकारी प्राप्त करते हैं।

जिला रोहतास, बिहार में रसोई गैस एजेंसियां

2968. श्रीमती कान्ति सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के रोहतास जिले में डेहरी-आन-सोन में रसोई गैस एजेंसियों की संख्या मांग और जनसंख्या अनुपात के अनुसार पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या और अधिक रसोई गैस एजेंसियां खोलने के विज्ञापन को पहले जारी किया गया और बाद में वापस हटा लिया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वहां और अधिक रसोई गैस एजेंसियां खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ङ) वर्तमान में बिहार राज्य में रोहतास जिलान्तर्गत देहरी-ओन-सोने में एक एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालन में है। इस स्थान की वर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए एक और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जिसके विषय में पहले का विज्ञापन रद्द कर दिया गया था, इस स्थान पर एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए पुनः विज्ञापित की गई है। इस स्थान के लिए चयन संबंधित डीलर चयन बोर्ड द्वारा पहले ही कर लिया गया है। तथापि, इस संबंध में आशय-पत्र जारी नहीं किया जा सका था क्योंकि डीलर के चयन के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त है, जो दिशानिर्देशों के अनुसार जांच के अधीन है। संबंधित तेल कंपनी द्वारा इस विषय में आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के अनुसार की जाएगी।

बुनियादी दूरसंचार सेवाएं

2969. श्री ए. ब्रह्मनैया :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में राज्यवार बुनियादी दूरसंचार सेवाएं शुरू करने के लिए कितनी कम्पनियों को अनुमति दी गई;

(ख) इन सेवाओं को शुरू करने के लिए किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ग) उन कम्पनियों की सेवा-शर्तें और अवधि क्या जिनके लिए उन्हें लाइसेंस दिया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में बाद में कोई परिवर्तन हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या टाटा टेलीकॉम का विचार आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 8635 टेलीफोन संस्थापित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) उपभोक्ता, संपर्क नेटवर्क में तांबे की केबल की प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर लगे प्रतिबंध को अब हटा लिया गया है।

(च) और (छ) लाइसेंस करार के अनुसार इस कम्पनी को, आंध्र प्रदेश में दिनांक 30.9.98 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधारहित गांवों में टेलीफोन प्रदान करने थे। अपनी इस बाध्यता को पूरा नहीं करने की वजह से लाइसेंस धारक से लाइसेंस की शर्तों के अनुसार नकद हर्जाना वसूला गया है।

विवरण-I

बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन के लिए अनुमति प्राप्त कम्पनियों के नाम तथा उनके प्रचालन हेतु निर्धारित क्षेत्र

क्र.सं.	लाइसेंस धारक का नाम	राज्य का नाम (सेवा-क्षेत्र)
1	2	3
1.	मै. भारती टेलीनेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश
2.	मै. ह्यूजेज इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र

1	2	3
3.	मै. टाटा टेलीसर्विस लिमिटेड	आंध्र प्रदेश
4.	मै. रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड	गुजरात
5.	मै. एस्सार कामविजन लिमिटेड	पंजाब
6.	मै. श्याम टेलीलिंक लिमिटेड	राजस्थान

विवरण-II

बुनियादी सेवा के लिए लाइसेंस की शर्तें

1. लाइसेंस धारक को एक भारतीय पंजीकृत कम्पनी होना चाहिए।
2. लाइसेंस धारक कम्पनी में विदेशी इक्विटी का प्रतिशत कुल इक्विटी का 49% से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. लाइसेंस की अवधि 15 वर्षों की होगी जिसे एक बार में 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
4. लाइसेंस धारक को, लाइसेंस जारी होने की तारीख से 12 महीने के भीतर सेवा शुरू करनी होगी।
5. लाइसेंस धारक दूरसंचार विभाग के टैरिफ से ज्यादा टैरिफ नहीं लेगा।
6. लाइसेंस धारक, सर्किल के अंदर ही लंबी दूरी सेवाएं प्रदान कर सकता है। लाइसेंस धारकों को अन्तःसर्किल की लंबी दूरी सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी।

नई दूरसंचार नीति-1999 की घोषणा मार्च 1999 में की गई थी। इस नीति में यह परिकल्पना की गई थी कि प्रारंभ में लाइसेंस 20 वर्षों की अवधि के लिए जारी किया जाएगा जिसे बाद में 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। बुनियादी टेलीफोन सेवा के मौजूदा लाइसेंस धारकों को, एक नियत लाइसेंस शुल्क के स्थान पर राजस्व में भागीदारी की व्यवस्था में माइग्रेशन पैकेज की पेशकश की गई है।

गोपालपुर पत्तन और अन्य मत्स्य पोताश्रयों को क्षति

2970. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में हाल ही में आए भयंकर और महाचक्रवातों के कारण पारादीप सहित गोपालपुर पत्तन और अन्य मत्स्य पोताश्रयों तथा स्थानों को कितनी क्षति पहुंची है; और

(ख) क्षतिग्रस्त गोपालपुर पत्तन, पोताश्रयों और स्थानों में हुए नुकसान की भरपाई करने, उनके पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) हाल के महाचक्रवात के कारण उड़ीसा में पत्तनों और बन्दरगाहों को हुई क्षति के अनुमान इस प्रकार हैं:-

पारादीप पत्तन	-	68.5 करोड़ रु.
पारादीप मत्स्य बन्दरगाह	-	9.5 करोड़ रु.
गोपालपुर पत्तन	-	6.5 करोड़ रु.

(ख) सभी पत्तनों और बन्दरगाहों पर सामान्य प्रचालन पुनः शुरू कर दिए गए हैं। पारादीप पत्तन न्यास ने पारादीप पत्तन और मत्स्य बन्दरगाह को हुई क्षति के बराबर की राशि के लिए केन्द्रीय सरकारी अनुदान का अनुरोध किया है। यह मामला विचाराधीन है। गोपालपुर पत्तन एक लघु पत्तन है और इसका पुनर्निर्माण तथा पुनः स्थापन उड़ीसा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

वाहनों पर लालबत्ती और साइरन संबंधी दिशानिदेश

*2971. **श्री रामसागर रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाहनों के ऊपर लालबत्ती लगाने और साइरन वाली कारों के संबंध में दिशानिदेशों का ब्यौरा क्या है?*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): दिल्ली मोटर-वाहन नियम, 1993 के नियम 97 के प्रावधानों के अनुसार, वाहनों के ऊपर लाल-बत्ती का प्रयोग, निम्न प्रकार के विनियमित किया जाता है:-

(1) घूमती हुई एवम् फ्लैशर लाल बत्ती का प्रयोग, केवल आपात ड्यूटी वाले मोटर वाहनों, जैसे, एम्बूलेन्स, अग्नि शमन, दिल्ली पुलिस नियंत्रण कक्ष के वाहनों द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार की बत्तियां छत के ऊपर बीच में होंगी; और

(2) फ्लैशर के बगैर लाल बत्ती दिल्ली क्षेत्र के जनरल आफीसर कमांडिंग (जी.ओ.सी.) और तीनों सेनाओं के प्रमुखों, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सैलून वाहन के आगे और विंड स्क्रीन पोजीशन के ऊपर लगाने की अनुमति होगी।

इसी प्रकार से केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 119 में यह व्यवस्था है कि किसी मोटर वाहन में बहु-आवाज वाले हार्न जिससे विभिन्न प्रकार की आवाज का आभास होता हो या अधिक तीखी, कर्णकटु-ध्वनि तेज या भौंच्चका कर देने वाला शोर पैदा करने वाले यंत्र नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन एम्बूलेन्स या अग्नि शमन या जान-माल बचाव वाले वाहनों या अपनी ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों या मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहनों में, रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में ये वाहन पड़ते हैं द्वारा अनुमोदित ध्वनि वाले यंत्र रखे जा सकते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-208

2972. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्वीलोन-शेन्कोहई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-208 पर खर्च होने वाली कुल धनराशि का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-208 पर बाई पास निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) रा.रा.-208 के विकास के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान लगभग 14.50 करोड़ रु. खर्च होने का अनुमान है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुच्छेद 356 के संबंध में अध्ययन दल

2973. **श्री रामदास आठवले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में अनुच्छेद 356 लागू करने की दृष्टि से कोई अध्ययन दल वहां भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मत है कि इन राज्यों में आन्तरिक गड़बड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) ऐसा कोई अध्ययन दल नहीं भेजा गया है। संवैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए देश में कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा स्थिति का विश्लेषण और मूल्यांकन करना, केन्द्र सरकार में एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कुछ केन्द्रीय दलों ने कुछ राज्यों का, समय-समय पर, दौरा किया है। कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर केन्द्र और राज्य सरकार सदैव आपस में बातचीत करती रहती है।

अधिक राशि के बिल संबंधी शिकायत

2974. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में विशेषकर बाशी, जिला सिद्धार्थ में टेलीफोन एक्सचेंज में वर्ष 1998-99 के दौरान अधिक राशि के बिल से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाशी नाम का कोई एक्सचेंज नहीं है। तथापि, जिला सिद्धार्थनगर में वंसी में एक एक्सचेंज कार्य कर रहा है जिसकी जानकारी नीचे भाग (ख) में दी गई है।

(ख) 1998-99 के दौरान, उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल तथा जिला सिद्धार्थनगर में वंसी एक्सचेंज के संबंध में अधिक राशि के बिलों की प्राप्त तथा निपटाई गई शिकायतों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शिकायतें जिनमें निपटान किया जा रहा है
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7976	5959	2017
वंसी	1	1	शून्य

वंशी एक्सचेंज में शिकायतों के बारे में लिए गए निर्णय के बारे में संबंधित उपभोक्ता को 10-5-99 को सूचना प्रेषित कर दी गई थी।

(ग) (1) वंसी में 1000 लाइनों वाला सी-डॉट एक्सचेंज काम कर रहा है जिसमें चालू कनेक्शनों की संख्या 630 है। यह एक डिजीटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज है जिसमें एस.टी.डी. उपभोक्ताओं के लिए डायनामिक नियंत्रण सुविधा है।

(2) बिल संबंधी शिकायतों के बारे में एस.एस.ए. तथा सर्किल स्तर पर निगरानी की जा रही है टेलीफोन अदालतों तथा खुले सत्रों के माध्यम से शिकायतों का तत्काल निफ्टान सुनिश्चित किया जाता है उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल में 1998-99 के दौरान उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु 27 टेलीफोन अदालतों तथा 31 खुले सत्रों का आयोजन किया गया।

(3) वंसी टेलीफोन एक्सचेंज के संबंध में 1998-99 में बस्ती में एक टेलीफोन अदालत आयोजित की गई थी और एक अदालत इस वर्ष आयोजित की गई है। उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि के लिए सिद्धार्थनगर (वंसी का जिला मुख्यालय) में एक खुले सत्र का आयोजन भी किया गया है।

[अनुवाद]

अंडमान में नाविक प्रशिक्षण कालेज

2975. श्री विष्णु पद राय : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान में नाविक प्रशिक्षण कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई ने डा. बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलीटेकनिक, पोर्ट ब्लेयर में चार बेसिक प्रवेश पाठ्यक्रमों अर्थात् (1) व्यक्तिगत बचाव तकनीक, (2) प्राथमिक चिकित्सा, (3) व्यक्तिगत सुरक्षा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, और (4) अग्नि-रोकथाम एवं अग्निशमन के आयोजन के लिए 5 नवम्बर, 1999 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

तमिलनाडु के पेट्रोल पंप

2976. **श्री ए.के. मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के शेष भाग में तमिलनाडु में स्थानवार कितने नये पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाई जाने वाले स्थानों को विपणन योजना में शामिल किया जाता है। तदनुसार, तमिलनाडु राज्य के लिए वर्ष 1996-98 की विपणन योजना 59 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप शामिल की गई है। इन स्थानों तथा पूर्व विपणन योजनाओं में लंबित स्थानों के लिए डीलरों का चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जिसमें स्थान का विज्ञापन तथा डीलर चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार शामिल हैं। यह एक सतत् और नियमित प्रक्रिया है।

सड़क निर्माण संबंधी मशीनरी

2977. **श्री अनन्त कुमार : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को सड़क निर्माण/सड़क रखरखाव संबंधी आधुनिक और आवश्यक मशीनरी उपलब्ध करा दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाचक्रवात/भारी बाढ़ से प्रभावित उड़ीसा के कई भागों में विभिन्न सड़कें, आर.डी. सड़कें, ग्रामीण सड़कें, मिसिंग, लिंक्स और राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी आवश्यक मशीनरी ब्लाक/जिला स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) महाचक्रवात/भारी बाढ़ से प्रभावित उड़ीसा के कई भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित विभिन्न सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए सांविधानिक रूप से जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न अन्य सड़कों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। मंत्रालय, सड़क निर्माण/सड़क अनुरक्षण मशीनरी उपलब्ध निधियों के भीतर खरीदता है और राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग को उस मशीनरी की आपूर्ति करता है, सामान्यतया उन मामलों में जहां ठेकेदारों के पास मशीनें नहीं होती हैं। सड़कों के अनुरक्षण के लिए ब्लाक/जिला स्तर के प्राधिकारी को मशीनें उपलब्ध कराने की इस मंत्रालय की कोई स्कीम नहीं है।

असम राइफल्स के कर्मियों को सी.एस.डी. सुविधायें

2978. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खण्डूड़ी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम राइफल्स के जवानों को सी.एस.डी. सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्तमान में असम राइफल्स के जवानों को सी.एस.डी.(आई.) सुविधायें मिल रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) असम राइफल्स के कर्मचारियों को सी.एस.डी. की सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।

(घ) और (ङ) इस समय, सेवारत अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी, अन्य रैंक और असम राइफल्स में मुख्यालय, यूनिटों या उप-यूनिटों में कार्यरत सिविलियन स्टाफ इन सुविधाओं का पात्र है।

सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग

2979. **श्री के. फ्रांसिस जार्ज :**
श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की सीमाओं से लगे कन्याकुमारी से मुम्बई तक के पश्चिमी तट को देश के चारों कोनों से जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुष्पद सुपर राजमार्ग परियोजना से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त राज्यों के जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रधानमंत्री तथा उन्हें प्रस्तावित परियोजना में पश्चिमी तट को शामिल करने संबंधी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) देश की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) के तहत स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण कारिडोर के संरेखण के बारे में निर्णय लिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) ज्ञापन पर विचार करने के बाद रा.रा.-47 के सलेम-कोचीन खंड को एन.एच.डी.पी. में शामिल कर लिया गया है।

राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

2980. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड के अंतर्गत प्रत्येक योजना में केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी के ब्यौरों सहित केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान केन्द्र द्वारा आबंटित धनराशि का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित इन योजनाओं का पश्चिम बंगाल सरकार कितना और लाभ उठा सकती है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा किये गये आबंटन के उपयोग के बारे में संतुष्ट है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को किए गए वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(छ) राज्य को अब तक जारी की गई धनराशि का वर्षवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची नीचे दी गई है:-

(1) *एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम (आई.ए.ई.पी.एस.):* यह शत-प्रतिशत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य लघु-योजना के माध्यम से जल-विभाजक (वाटरशैड) आधार पर भूमि और अन्य संबंधित प्राकृतिक संसाधनों के विकास हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर वनीकरण को बढ़ावा देना और अवक्रमित वनों का विकास करना है।

(2) *क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी एवं चारा परियोजना स्कीम (ए.ओ.एफ.एफ.पी.एस.):* यह स्कीम राज्य सरकारों के साथ 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर क्रियान्वित की जाती है। यह स्कीम समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईंधन लकड़ी की कमी के रूप में पहचाने गए देश के 242 जिलों में ईंधन लकड़ी तथा चारे के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रियान्वित की गई है।

(3) *गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद (औषधीय पौधों सहित) का संरक्षण और विकास स्कीम (एन.टी.एफ.पी.):* यह शत प्रतिशत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम में राज्य सरकारों को औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद (एन.टी.एफ.पी.) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें जनजातीय लोगों, जिनके लिए एन.टी.एफ.पी. आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है, पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(4) *वृक्ष एवं चरागाह बीज विकास स्कीम (टी.पी.एस.डी.):* यह शत-प्रतिशत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम है। स्कीम के तहत राज्यों को गुणवत्ता वाले बीजों

के संग्रहण, भंडारण, परीक्षण प्रमाणन तथा वितरण के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) आठवीं योजना के दौरान उपरोक्त स्कीमों के तहत राज्यवार दिया गया केन्द्रीय आबंटन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उपरोक्त स्कीमों के तहत परियोजनाएं पश्चिम बंगाल सरकार के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत की गई थी। इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को प्रदान की गई धनराशि का उपयोग संतोषजनक था।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के तहत नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों को वित्तीय आबंटन संबंधी ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(छ) नौवीं योजना में राज्यों को अब तक जारी की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के तहत आठवीं योजना में राज्यों को केन्द्रीय आबंटन (सी.ए.)

(लाख रु. में)

आठवीं योजना में प्रदान किया गया केन्द्रीय आबंटन (योजना-वार)

राज्य	आई.ए.ई.पी.एस.	ए.ओ.एफ.एफ.पी.एस.	एन.टी.एफ.पी.	टी.पी.एस.डी.
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	1057.56	313.08	297.89	.22.05
अरूणाचल प्रदेश	352.65	54.49	102.29	46.59
असम	158.10	565.48	53.50	32.73
बिहार	109.35	694.50	188.00	15.97
गोवा	38.22	29.34	34.20	7.00
गुजरात	266.09	617.25	556.92	62.28
हरियाणा	673.34	1320.24	291.85	149.83

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	977.74	627.94	411.89	30.60
जम्मू एवं कश्मीर	1569.82	127.01	363.26	118.88
कर्नाटक	1155.77	940.03	137.23	8.93
केरल	213.77	223.30	40.16	49.29
मध्य प्रदेश	2212.74	1587.79	268.45	18.98
महाराष्ट्र	138.07	220.25	140.44	0.00
मणिपुर	919.40	520.88	194.61	34.45
मेघालय	633.33	292.56	278.14	6.08
मिजोरम	585.67	1634.75	102.29	27.00
नागालैण्ड	222.45	25.15	43.85	5.00
उड़ीसा	242.40	796.32	654.88	3.50
पंजाब	429.28	869.30	343.00	28.93
राजस्थान	2635.95	1019.13	235.29	0.00
सिक्किम	1216.03	327.62	404.25	34.71

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	142.81	476.83	120.03	10.42
त्रिपुरा	273.79	176.26	56.09	0.00
उत्तर प्रदेश	2648.44	1300.53	9.00	32.05
पश्चिम बंगाल	1268.36	659.09	301.16	35.63
कुल	20141.13	15419.12	5648.67	780.90

विवरण-II

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के तहत नौवीं योजना के लिए अब तक प्रस्तावित केन्द्रीय आबंटन (सी.ए.)

(लाख रु. में)

नौवीं योजना में राज्यों के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय आबंटन (योजना-वार)

राज्य	आई.ए.ई.पी.एस.	ए.ओ.एफ.एफ.पी.एस.	एन.टी.एफ.पी.	टी.पी.एस.डी.
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	669.57	670.56	311.38	67.36
अरूणाचल प्रदेश	303.55	38.67	85.65	8.89
असम	439.74	858.31	167.80	33.88
बिहार	386.82	683.81	230.80	54.19
गोवा	0.36	37.92	57.42	42.56

1	2	3	4	5
गुजरात	289.97	913.68	376.26	87.29
हरियाणा	444.58	1128.62	164.50	49.21
हिमाचल प्रदेश	344.48	744.60	167.80	9.50
जम्मू एवं कश्मीर	1560.32	797.79	782.55	99.51
कर्नाटक	818.92	870.67	249.51	97.44
केरल	1412.01	517.63	66.85	0.00
मध्य प्रदेश	2003.32	2772.60	615.82	69.11
महाराष्ट्र	1150.58	515.67	443.81	31.42
मणिपुर	1681.35	975.22	194.36	27.70
मेघालय	50.04	123.80	104.63	0.00
मिजोरम	605.25	1114.14	136.10	0.00
नागालैण्ड	243.80	77.65	36.90	22.38
उड़ीसा	1082.77	565.47	492.00	0.00
पंजाब	519.74	1204.11	158.75	0.00
राजस्थान	1673.10	1610.63	545.35	27.16

1	2	3	4	5
सिक्किम	796.13	346.65	212.08	28.62
तमिलनाडु	140.30	663.55	118.88	43.49
त्रिपुरा	408.57	515.42	64.70	0.00
उत्तर प्रदेश	1923.51	1444.36	262.75	130.00
पश्चिम बंगाल	806.96	881.67	303.57	25.84
कुल	19755.74	20073.20	6350.22	955.55

16.12.1999 की स्थिति के अनुसार

विवरण-III

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के तहत नौवीं योजना में (1997-98 से 1999-2000) अब तक

(लाख रु. में)

राज्य	आई.ए.ई.पी.एस.			ए.ओ.एफ.एफ.पी.एस.			एन.टी.एफ.पी.			टी.पी.एस.डी.		
	1997-98	1998-99	1999-00	1997-98	1998-99	1999-00	1997-98	1998-99	1999-00	1997-98	1998-99	1999-00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	26.59	143.51	132.44	144.88	89.79	49.92	46.39	36.86	65.00	0.00	5.17	0.00
अरूणाचल प्रदेश	68.86	14.94	41.32	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.43	0.00
असम	80.04	50.00	67.15	70.00	83.95	89.69	13.50	14.00	15.00	8.45	16.98	0.00
बिहार	136.86	13.20	42.53	17.40	37.18	23.50	14.00	14.00	0.00	0.00	9.50	0.00
गोवा	0.36	0.00	0.00	5.00	3.00	5.69	8.22	10.87	12.13	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गुजरात	54.66	13.00	33.94	135.98	157.10	130.32	57.68	58.66	64.65	13.90	14.28	0.00
हरियाणा	68.76	109.93	60.97	194.38	261.00	199.27	36.30	38.25	29.44	35.00	3.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	17.00	52.28	0.00	142.08	58.20	100.00	28.63	4.00	23.00	9.50	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	176.10	288.37	248.77	120.33	42.31	0.00	97.05	151.35	136.50	45.55	0.00	13.42
कर्नाटक	170.79	37.42	151.00	195.31	74.45	109.18	43.00	53.87	30.00	9.50	15.57	15.00
केरल	136.53	199.35	259.43	87.17	106.96	39.77	10.35	4.00	3.50	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	350.55	231.27	213.84	210.18	500.50	388.13	71.00	69.80	77.50	0.00	21.22	0.00
महाराष्ट्र	111.87	84.28	17.18	75.00	27.91	70.00	38.51	48.66	0.00	15.19	0.00	0.00
मणिपुर	100.48	283.72	351.27	100.00	128.75	96.00	18.00	47.24	11.00	6.50	7.50	0.00
मेघालय	5.48	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	77.81	96.26	80.87	244.12	211.91	135.00	17.90	25.00	32.00	0.00	0.00	0.00
नागालैण्ड	1.22	0.00	38.60	0.00	4.23	10.87	0.00	5.00	0.00	3.36	4.16	3.00
उड़ीसा	46.99	176.60	18.50	91.14	69.21	42.10	48.00	102.88	50.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	69.97	37.83	28.62	169.14	20.98	0.00	29.50	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजस्थान	280.14	253.39	155.00	304.61	263.35	160.00	58.61	130.40	116.21	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	91.55	214.59	109.82	69.99	67.18	51.39	32.50	61.31	51.00	0.00	3.69	0.00
तमिलनाडु	15.82	18.02	0.00	133.45	84.24	50.00	0.00	33.00	0.00	0.00	2.00	2.80
त्रिपुरा	65.86	58.57	12.77	94.30	33.19	0.00	6.35	10.15	9.25	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	298.22	385.00	296.35	212.44	205.62	123.21	53.00	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00
पश्चिम बंगाल	53.55	125.60	145.64	134.68	168.99	146.19	21.47	59.70	49.00	3.04	4.00	5.25
कुल	2506.06	2887.13	2516.22	2957.58	2700.00	2020.23	749.96	1000.00	775.18	149.99	130.00	39.47

16.12.99 की स्थिति के अनुसार

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53 का निर्माण

2981. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम और मिजोरम सरकारों से मिजोरम के घालेस्वरी पुल से भैरबी तक के मार्ग के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53 पर लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) की सड़क पर कार्य शुरू करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। बी.आर.ओ. ने इस सड़क का अधिग्रहण नहीं किया क्योंकि इस सड़क का उल्लेख सामरिक महत्व की सड़क के रूप में नहीं किया गया था।

14 नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

2982. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 14 नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने हेतु क्या क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए मानदंड संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उचित समय में स्वीकार्य मानकों का बना दिया जाएगा। यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण-I

क्र.सं.	रा.रा. सं.	मार्ग	राज्य		कुल लम्बाई
1	2	3	4		5
1.	152	पतचीकुची-भूटान सीमा	असम	40 कि.मी.	40 कि.मी.
2.	214	कट्टीपुडी-काकीनाडा-पमारू	आंध्र प्रदेश	270 कि.मी.	170 कि.मी.
3.	83	पटना-पुनपुन-गया-दोभी	बिहार	130 कि.मी.	130 कि.मी.
4.	85	छपरा-सिवान-गोपालगंज	बिहार	95 कि.मी.	95 कि.मी.
5.	82	गया-राजगिर-बिहार शरीफ-मोकमा	बिहार	130 कि.मी.	130 कि.मी.
6.	84	अराह-बक्सर	बिहार	60 कि.मी.	60 कि.मी.
7.	81	कोरा-कटिहार- माल्दा सड़क	बिहार पश्चिम बंगाल	45 कि.मी. 55 कि.मी.	100 कि.मी.
8.	88	शिमला-बिलासपुर-हमीरपुर- नादौन-रानीताल-कांगड़ा- भगवान (रा.रा. 20 पर)	हिमाचल प्रदेश	115 कि.मी.	115 कि.मी.
9.	212	कोधीकोड-मैसूर- कोल्लागल	कर्नाटक केरल	160 कि.मी. 90 कि.मी.	250 कि.मी.

1	2	3	4		5
10.	213	पालघाट-कालीकट	केरल	130 कि.मी.	130 कि.मी.
11.	86	कानपुर-सागर	मध्य प्रदेश	180 कि.मी.	360 कि.मी.
			उत्तर प्रदेश	180 कि.मी.	
12.	215	पानीकोली-राजमुंडा	उड़ीसा	348 कि.मी.	348 कि.मी.
13.	89	अजमेर-बीकानेर	राजस्थान	300 कि.मी.	300 कि.मी.
14.	87	रामपुर-बिलासपुर-पटनागढ़-हल्द्वानी-नैनीताल	उत्तर प्रदेश	83 कि.मी.	83 कि.मी.
		जोड़			2411 कि.मी.

विवरण-II

राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए मानदंड

(1) देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कें।

(2) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।

(3) राष्ट्रीय राजधानी को राज्यों की राजधानियों से जोड़ने वाली तथा परस्पर राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें।

(4) महापत्तनों, विशाल औद्योगिक केन्द्रों और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें।

(5) अति महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताएं पूरी करने वाली सड़कें।

(6) ऐसी मुख्य सड़कें जिनसे यात्रा दूरी में काफी कमी आए और जिनसे काफी आर्थिक विकास हो।

(7) ऐसी सड़कें जिनसे पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों के बड़े भू-भाग को खोलने में मदद मिलती हो।

(8) 100 कि.मी. की राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड प्राप्त की जाती हो।

नोट : राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर समग्र देश की आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जाता है न कि किसी स्थानीय विशेष आवश्यकता के आधार पर।

पूर्व मंत्री द्वारा मंजूर किए गए एल.पी.जी. कनेक्शन

2983. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग ढाई लाख एल.पी.जी. कनेक्शन मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य मंत्रियों और सभी संसद सदस्यों को इतनी बड़ी संख्या में एल.पी.जी. कनेक्शन आवंटित करने संबंधी कोई नीतिगत निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

रिक्त पदों का भरा जाना

2984. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में डी.ए.एस.एस. काडर में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विशेष कारण, यदि कोई हों, क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के हितों के मद्देनजर निकट भविष्य में इन पदों को भरने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) इस समय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, की सरकार के अधीन डी.ए.एस.एस. संवर्ग के ग्रेड-1 में 244 रिक्त पद हैं, जो भरने की अंतिम अवस्था में हैं।

नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार

2985. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय और केन्द्रीय और राज्य सरकार के अन्य विभागों और प्रमुख सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से भारतीय सड़क कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय सड़क फेडरेशन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पुनर्वास और रख-रखाव विषय पर दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाता है:

(ख) यदि हां, तो उस सेमिनार में क्या मुख्य निर्णय लिए गए; और

(ग) सेमिनार में सहभागियों द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) सेमिनार की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(1) धनराशि के आबंटन के मामले में रख-रखाव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(2) सड़कों के रख-रखाव हेतु उपस्कर परक विधि अपनाने की आवश्यकता है।

(3) सड़क के निष्पादन में सुधार लाने के लिए नई सामग्री उपयोग में लाई जाए।

(4) मुख्य सड़कों की मरम्मत ठेकेदारों से करवाने को बढ़ावा दिया जाए।

(5) अनुरक्षण प्रबंधन हेतु ऐसी प्रणाली लागू की जाए जिसे सरलता से कार्यान्वित किया जा सके।

(ग) नीतिगत परिवर्तन में निर्णय लेने, विशिष्टियों और प्रथा-संहिता को अद्यतन करने में आई.आर.सी. की सिफारिशों को सरकार ध्यान में रखती है।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. के महाप्रबंधक (केन्द्रीय) के कार्यालय का स्थानान्तरण

2986. डा. बलिराम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुर्शीद लाल भवन स्थित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक (केन्द्रीय) के वर्तमान कार्यालय को सी.जी.ओ. काम्पलेक्स में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रयोक्ताओं की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उक्त प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित कार्यालयों को छोड़कर महाप्रबंधक (मध्य) की पूरी यूनिट सीजीओ काम्प्लेक्स में स्थानांतरित हो जाएगी:

1. उप महाप्रबंधक, (अनुरक्षण) सेन्ट्रल।
2. किदवई भवन, जनपथ, राजपथ तथा सेना भवन एक्सचेंजों के मुख्य लेखा-अधिकारी तथा लेखा अधिकारी दूरसंचार राजस्व के कार्यालय।
3. सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्य) (मध्य) तथा किदवई भवन, जनपथ, राजपथ तथा सेना भवन एक्सचेंजों के वाणिज्य अधिकारियों के कार्यालय।
4. मध्य क्षेत्र का टेलीमार्ट
5. टेलीफोन के बिलों का भुगतान केन्द्र तथा डुप्लीकेट बिल जारी करने के काउंटर।

(ग) से (ङ) महाप्रबंधक (मध्य) के कार्यालय की शिफ्टिंग के विषय पर पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त एक्सचेंजों के उपभोक्ताओं के साथ ज्यादा सरोकार रखने वाले वाणिज्य एवं लेखा कार्यालयों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है और इससे उपभोक्ताओं को कोई असुविधा नहीं होगी।

[अनुवाद]

आंग्ल-भारतीय सदस्यों के नामांकन को समाप्त करना

2987. श्री अधीर चौधरी: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने आंग्ल-भारतीय सदस्यों के नामांकन को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने, इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम विनिश्चय नहीं किया है। विषय संवेदनशील होने के कारण विस्तृत विचार-विमर्श/परामर्श अपेक्षित होगा। इस संबंध में, किसी समय-सीमा का भविष्य कथन नहीं किया जा सकता।

डिपो/सार्वजनिक वितरण प्रणाली. के बिक्री केन्द्रों पर मिट्टी के तेल की चोरी

2988. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लगभग 2.5 लाख टन मिट्टी का तेल प्रत्येक माह तेल कंपनी के डिपो और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के बीच गायब हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मिट्टी के तेल की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) मिट्टी तेल एक आवंटित उत्पाद है। राज्य के भीतर मिट्टी तेल का वितरण और इसकी निगरानी का कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मिट्टी तेल को थोक विक्रेताओं द्वारा राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश के अधीन तेल कंपनियों के डिपुओं से उठाया जाता है। थोक विक्रेता मिट्टी तेल राज्य के नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदत्त खुदरा विक्रेताओं को जारी करते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल का विपथन रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(1) तेल उद्योग और राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा नियमित/औचक निरीक्षण किये जाते हैं।

(2) विपथन की रोकथाम के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रणाली मिट्टी तेल में नीला रंग मिलाया जाता है।

(3) एमएस/एचएसडी में मिट्टी तेल की मिलावट का पता लगाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल की फरफरल डोपिंग भी की जाती है।

(4) आपूर्ति केन्द्र से अन्यत्र स्टाक स्थानान्तरण के समय टैंक ट्रक को शीलबंद करना।

(5) चुनिंदा स्थानों पर विधिवत सीलबंद की गई टैंक लारियों से सुपुर्दगी आपूर्तियां।

(6) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के मिट्टी तेल के विपथन को रोकने के लिए समय-समय पर विशेष अभयान भी चलाये जाते हैं।

किसी कदाचार/अनियमितता का पता लगाने की दशा में तेल कंपनियों द्वारा डीलरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

इथानोल का प्रयोग

2989. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीनी मिलों से प्राप्त होने वाली ईथानोल को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार की गतिविधियों पर भविष्य में विचार करने के संबंध में सरकार की योजना क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ग) मोटर ईंधन/डीजल के साथ इथानोल का मिश्रण करने की संभावनाओं की पता लगाने के लिए अगस्त, 1996 में खाद्य मंत्रालय के द्वारा गठित एक अंतर्मंत्रालयीन समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि ऐसा सम्मिश्रण तकनीकी रूप से साध्य है और यह वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो सकता है। मई 1997 में तेल उद्योग की ओर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तेल समन्वय समिति/ओ सी सी) द्वारा इस मुद्दे की आगे और जांच किए जाने पर यह महसूस किया गया कि हालांकि ऐसा सम्मिश्रण करना तकनीकी रूप से साध्य था, तथापि बड़े पूंजीगत व्यय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इथानोल आपूर्तिकर्ताओं से रिफाइनरीगत मोटर स्प्रिट मूल्य के बराबर मूल्य पर दीर्घावधिक आधार पर गारंटीशुदा आपूर्ति के लिए एक सुनिश्चित आश्वासन प्राप्त किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा आश्वासन नहीं मिल रहा था सिलिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह विचार किया कि पेट्रोल के साथ इथानोल का मिश्रण करने के विचार पर आगे कार्रवाई करना संभव नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय ने इस समूचे मुद्दे की जांच करने के लिए तेल समन्वय समिति के अधीन जनवरी, 1998 में एक और तेल उद्योग समिति का गठन किया। समिति, जोकि निर्जलीय अल्कोहल की क्षेत्रवार/राज्यवार आपूर्ति मांग पर आंकड़े की अनुपलब्धता जैसे पहलुओं द्वारा बाध्य रही है, को गैसोलीन तथा इस उत्पाद की अनिश्चित आपूर्ति की तुलना में इस उत्पाद के उचित मूल्य निर्धारण के विषय में अभी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देना है।

[हिन्दी]

पोप जॉन पॉल की यात्रा

2990. श्री राम नगीना मिश्र: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोप जॉन पॉल 11 की भारत यात्रा के दौरान उनको राष्ट्रीय स्तर का सम्मान प्रदान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्याध्यक्ष के रूप में उनके साथ हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्। महामहिम पोप जोन पाल द्वितीय को, 5 से 7 नवम्बर, 99 तक भारत यात्रा के दौरान, वेटीकन के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सभी प्रकार का आदर और सम्मान प्रदान किया गया था।

(ख) पोप जान पोल-II ने, भारत की धर्मनिर्पेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता तथा भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों के लिए जो सम्मान है उसकी भी प्रशंसा की। भारत में इसाई धर्म का विकास, मदर टेरेसा और आगामी सहस्त्राब्दी में विश्व में शांति की सम्भावना पर भी चर्चा की गई।

अग्रिम जमानत के प्रावधान का दुरुपयोग

2991. श्री मानसिंह पटेल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अग्रिम जमानत के प्रावधान का अपराधियों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) बालचन्द जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 366 के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति असाधारण स्वरूप की है और इसका प्रयोग यदा-कदा और केवल विशिष्ट मामलों में ही किया जाना चाहिए। तथापि, यह मामला अनन्य रूप से न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पड़ता है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय भाषाओं में पत्राचार

2992. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय कार्यालयों को आम जनता के साथ पत्राचार में, सभी प्रपत्रों और विभागीय साहित्य भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने के निर्णय के क्रियान्वयन का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य रूप से केन्द्र सरकार के कार्यालयों विशेषकर महाराष्ट्र में इसको संतोषजनक रूप से लागू किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में अपने निर्णयों को प्रभावकारी रूप से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ख) दिनांक 27.4.1960 की अधिसूचना के क्रम में दिनांक 25.3.1968 के का.ज्ञा. के अनुसार जनता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले फार्म और विभागीय साहित्य आदि अधिक से अधिक मात्रा में हिन्दी, अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषा में उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। इसका अनुपालन केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, महाराष्ट्र में भी सामान्यतः सन्तोषजनक रूप से किया जा रहा है। परन्तु केन्द्र सरकार के कार्यालयों/संगठनों द्वारा स्थानीय जनता के साथ वहां की प्रादेशिक भाषा में पत्राचार हो, ऐसी कोई व्यवस्था उक्त आदेश या परवर्ती आदेशों में सरकार ने स्वीकार नहीं की है।

(ग) वैसे तो संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन संयम, धैर्य और सहयोग की भावना से कराया जाता है, तथापि इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी विभागाध्यक्ष उत्तरदायी बनाए गए हैं। राजभाषा अधिनियम, नियमों आदेशों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए समय-समय पर कार्यालयों आदि के निरीक्षण किये जाते हैं।

चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर बम विस्फोट

2993. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे चल रही ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर हो रहे बम विस्फोट रोकने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान और आज तक चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर कितने बम विस्फोट हुये हैं; और

(घ) इस मामले में कौन से उपचारात्मक कदम उठाये जाने प्रस्तावित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क), (ख) और (घ) गाड़ियों में हुए अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच करना, पता लगाना और रोकथाम करने की ज़िम्मेदारी राजकीय रेलवे पुलिस की है, जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के नियंत्रण में कार्य करती है। इसलिए रेलवे में अपराधों को नियंत्रित करने और तोड़-फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए जो भी आवश्यक हो, यथासंभव उपाय करना अनिवार्य रूप से उन्हीं का काम है। रेलवे प्रशासन, अपनी तरफ से, संबंधित राज्य सरकारों के साथ निकट से और लगातार समन्वय बनाए रखता है और रेलवे में अपराधं को रोकने के लिए, उन्हें आवश्यक सहायता देता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक में विश्व बैंक की सहायता

2994. श्री एच.जी. रामुलू:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को इस सहायता राशि से विकसित किया जाएगा; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही यदि कोई हो तो की जा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्व बैंक वित्तीय सहायता के माध्यम से रा.रा.-63 के हुबली से जोलादरसी खंड में सुधार हेतु प्रस्ताव किया है। यह परियोजना विश्व बैंक सहायता हेतु प्रस्तुत परियोजनाओं में शामिल नहीं है। जहां तक राज्यीय राजमार्गों का संबंध है, "राज्य सड़क अवसंरचना तकनीकी सहायता परियोजनाओं" के अंतर्गत कर्नाटक राज्यीय राजमार्ग परियोजना तैयार करने के लिए विश्व बैंक ने 2.9 मिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध करवाए हैं। तथापि बैंक ने ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं दी है कि वह परियोजना तैयार हो जाने के बाद वित्तीय सहायता देगा।

महाराष्ट्र को नैप्था का आवंटन

2995. श्री चिंतामन वनगा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र को तरल ईंधन (नैप्था) का आवंटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से दहनू स्थित "बी.एस.ई.एस." कंपनी को नैप्था उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) तरल ईंधन नीति के अनुसार स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई पी पीज) को नाफ्था का आबंटन विभिन्न राज्यों के बीच वितरित 12000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता की समग्र अधिकतम सीमा के भीतर किया जाता है। इस कुल आबंटन में से महाराष्ट्र राज्य को 950 मेगावाट क्षमता का आबंटन किया गया है तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादों (आई पी पीज) के माध्यम से 750.20 मेगावाट के उत्पादन के लिए 936.80 टी एम टी पी नाफ्था का आबंटन पहले ही कर दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एम.ए.आर.आर. प्रणाली के अंतर्गत दूरभाष

2996. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार विभाग द्वारा अब तक संस्थापित दूरभाषों के माल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली (एम.ए.आर.आर.) की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर कितना धन खर्च हुआ;

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मल्टी एक्सेस रेडियो प्रणाली की स्थापना के लिए वर्ष 1999-2000 हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में इन लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 30.11.1999 तक, जिसके लिए आंकड़े एकत्र कर लिए गए हैं, देश में 203441 मल्टी ऐक्सेस ग्रामीण रेडिओ टेलीफोन संस्थापित किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) एमएआरआर पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संस्थापना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 1259.90 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। केवल क्षेत्र में उपलब्ध उपस्कर का उपयोग किया जा रहा है।

विवरण

एमएआरआर पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

क्र.सं.	सर्किल	1.12.99 को एमएआरआर पर प्रदान किए गए ग्रामीण-सार्वजनिक टेलीफोन
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	132
2.	आंध्र प्रदेश	12384
3.	असम	9061
4.	बिहार	12264
5.	गुजरात	7413
6.	हरियाणा	3634
7.	हिमाचल प्रदेश	2723
8.	जम्मू व कश्मीर	2395
9.	कर्नाटक	14294
10.	केरल	32
11.	मध्य प्रदेश	24138
12.	महाराष्ट्र	18692
13.	उत्तर पूर्व	3446
14.	उड़ीसा	11439
15.	पंजाब	6195
16.	राजस्थान	17703
17.	तमिलनाडु	7224
18.	उत्तर प्रदेश	38611
19.	पश्चिम बंगाल	11661
	जोड़	203441

35 टी.एस.आर.पी. टग्स का निर्माण

2997. श्री जार्ज ईडन: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड ने 35 टी.एस.आर.पी. टग्स के निर्माण के लिए कांडला पोर्ट ट्रस्ट के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे बनाने में कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या इसी तरह के 35 टी.वी.एच.पी. टग्स कम लागत पर बनाये गये थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इससे कोचीन शिपयार्ड को कोई वित्तीय नुकसान हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस नुकसान के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कांडला पत्तन न्यास के लिए 51.05 करोड़ रु. की लागत + बिक्री कर और विनिमय दर के अंतर की राशि से पांच 35 टी बोलार्ड पुल एस आर पी टगों का निर्माण करने का करार किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनी विधि बोर्ड के निर्णयों का क्रियान्वयन

2998. **श्रीमती कैलाशो देवी:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड के निर्णयों का समुचित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी विधि बोर्ड की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और इनमें से प्रत्येक के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन कम्पनियों द्वारा निर्णयों का कार्यान्वयन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित किये जाते हैं। जहा गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमाराशि का भुगतान करने में चूक होती है, कम्पनी विधि-बोर्ड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45क्यूए के अंतर्गत आदेश पारित करने की शक्तियां दी गई हैं। कम्पनी विधि बोर्ड के आदेशों का अनुपालन न किए जाने पर, भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 58ई के अंतर्गत गैर-बैंककारी कम्पनियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

कम्पनी विधि बोर्ड के निर्णय का अनुपालन न करने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों तथा कम्पनियों द्वारा ऐसे आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोन सुविधा

2999. **श्री आर.एल. जालप्पा:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चिकबल्लापुर क्षेत्र में बिना टेलीफोन सुविधा वाले गांव कितने हैं; और

(ख) क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 के दौरान स्थान-वार कितने गांवों को उक्त सुविधा प्रदान किये जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) इस समय चिकबल्लापुर क्षेत्र के 38 गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान चिकबल्लापुर के निम्नलिखित 25 गांवों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संबंधित पंचायतों द्वारा प्रचालकों/अवस्थितियों को समय पर अंतिम रूप दे दिया गया हो और चुने हुए प्रचालकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हों:

1. थीमाहवली

2. गोन्टीजेनाहल्ली

3. आंकनागोण्डी

4. थोंड्रामाकालाहल्ली

5. इथामाकालाहल्ली

6. अनेमाडागू

7. थम्मनायाकानाहल्ली

8. सोन्नापुरा

9. बालाजीगपाड़े

10. बल्लागेरे

11. बिलापपानाजेनहल्ली

12. रूपरालाहल्ली

13. होइजनाचेरलु

14. डी. कुरूबानाहल्ली

15. नल्लागुट्टापलगा

16. मारवेहल्ली

17. अमेनडोड्डा

18. मनालीकेरे

19. चीमनाहल्ली

20. सुड्डाहल्ली

21. गोल्लावनहल्ली

22. सदाशिवनाहल्ली

23. सोमालापुरा

24. गंटीगनाहुडया

25. सिंगनाडिन्नी।

एक सींग वाले गैंडों की संख्या

3000. **श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एक सींग वाले भारतीय गैंडों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों का राज्यवार और अभयारण्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सींग वाले गैंडे कहां-कहां पाये जाते हैं और सरकार उनकी प्रजाति को होने वाले खतरे का किस ढंग से सामना करने का विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार एक सींग वाले गैंडों को बचाने और उनके प्राकृतिक वास हेतु कोई विशेष कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) देश में एक सींगी भारतीय गैंडों की कुल संख्या 1817 है।

(ख) पिछले 3 वर्षों की गणना के अनुसार देश में गैंडों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

	1993	1995	1998/99
असम			
1. काजीरंगा	1164	1250	1552
2. मानस	80	80	12
3. पोबित्र	56	60	74
4. ओरांग	97	100	46
5. लाओखोवा	3	-	-
6. अन्य क्षेत्र (पाकेट्स)	40	40	-
पश्चिम बंगाल			
1. जलदापाड़ा	33	38	74
2. गोरूमाड़ा	14	17	46

	1993	1995	1998/99
उत्तर प्रदेश			
1. दुधवा	11	13	13
	1509	1598	1817

(ग) एक सींगी भारतीय गैंडा मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। एक सींगी गैंडे को ज्यादा खतरा उसके सींग के लिए उसका अवैध शिकार किये जाने के कारण है। गैंडों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. गैंडों के संरक्षण के लिए असम में 6 वन्यजीव अभयारण्यों और 3 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

2. गैंडे को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में रखा गया है और इसके सींग व सींग से निर्मित उत्पादों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

3. केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में अवैध शिकार रोधी अवसंरचना को सुदृढ़ किया गया है और उचित रूप से सुविधाओं से लैस किया गया है।

4. अवैध शिकारियों और अवैध व्यापारियों को पकड़ने के लिए जब भी आवश्यकता पड़ती है, सीमा सुरक्षा बल, सेना और डी.आर.आई. का सहयोग लिया जाता है।

5. भारत साइट्स (वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन) का एक पक्षकार है जिसके अनुसार उक्त प्रजातियों, उनके उत्पादों और उनसे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(घ) और (ङ) "असम में गैंडों का संरक्षण" नाम से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 7वीं योजना में कार्यान्वित की गई थी। 8वीं योजना में 1990-91 और 1991-92 में असम राज्य को 2.67 करोड़ की सहायता दी गई थी लेकिन, 1992-93 में राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार यह स्कीम राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थी।

सेवानिवृत्त असैनिक कार्मिकों की शिकायतें

3001. श्री टी.एम. सेल्वागणपति : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय भूतपूर्व अर्ध सैनिक संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कार्मिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) एसोसिएशन की मांगें मुख्यतः गृह मंत्रालय में पुनर्स्थापना और कल्याण निदेशालय का सृजन करने, चिकित्सा सुविधाओं, सेवा निवृत्त व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापना, उनके बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं, वीरता भत्ते में बढ़ोत्तरी, भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा, जब्त किए गए शस्त्रों और बेकार घोषित सरकारी वाहनों इत्यादि की बिक्री के मामलों में विशेष छूट देने से संबंधित है। एसोसिएशन की मांगों पर विचार किया गया है और जहां तक संभव हो, राहत देने के लिए कार्रवाई की गई है।

(घ) से (च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सेवानिवृत्त कार्मिक, केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त अन्य कर्मचारियों की तरह के.स.स्व. सेवा की सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, जिन क्षेत्रों में के.स.स्व. सेवा नहीं है, वहां पर उन्हें केन्द्रीय अर्धसैनिक बल अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों पर राज्य विद्युत बोर्डों की शेष बकाया धनराशि

3002. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी उपक्रमों और केन्द्र सरकार पर राज्य विद्युत बोर्डों की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा शेष धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा देय राशियों का लेखा-जोखा केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय नहीं रखता है तथापि, इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों को कुछ राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा देय बकाया राशियों को इंगित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य विद्युत बोर्ड संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अत: राज्य सरकारों/रा.वि. बोर्डों की यह जिम्मेवारी है कि वे अपनी बकाया देय राशियों की वसूली के लिए योजना/नीति तैयार करें। तथापि, अपनी बकाया देय रशि की वसूली के लिए राज्य सरकारों/रा.वि. बोर्डों द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है:-

(1) बकाया राशियों की वसूली के लिए चूककर्त्ता उपभोक्ता को समय-समय पर नोटिस जारी किया जाना तथा भुगतान न करने की दशा में कनैक्शन काटना।

(2) वैयक्तिक अनुसरण तथा पत्र व्यवहार।

(3) सिविल दावे दर्ज करना।

(4) विवादों का निपटारा करने के लिए बिजली अदालतों का गठन करना।

विवरण

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और केन्द्र सरकार के कार्यालयों को देय बकाया राशि का रा.वि. बोर्डों-वार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	रा.वि.बो. का नाम	बकाया राशि	की स्थितिनुसार बकाया
1	2	3	4
1.	एएसईबी	942.00	31.3.98
2.	एपीएसईबी	5050.14	30.11.98
3.	बीएसईबी	24553.00	25.2.99
4.	जोईबी	936.83	16.12.98
5.	एचएसईबी	95.00	15.4.99

1	2	3	4
6.	एमपीईबी	162909.00	31.8.98
7.	टीएनईबी	124.16	30.9.98
8.	पीएसईबा	356.04	28.2.99
9.	यूपीएसईबी	14681.00	31.3.99
10.	केईबी	48900.00	31.12.98
11.	केएसईबी	53.36	22.10.99
12.	एमएसईबी	7075.00	31.3.99
13.	आरएसईबी	914.67	31.7.99
14.	डीवीबी	105663.00	15.2.99
15.	डब्ल्यूबीएसईबी	728.25	31.3.99
16.	ग्रिडको	6804.00	31.12.98

जल परीक्षण प्रयोगशाला

3003. **श्री अशोक प्रधान :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को प्रत्येक जिले में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कुछ अन्य राज्यों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

धन का दुरूपयोग

3004. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने फर्जी परियोजनाओं के संबंध में करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण की अवधारणा

3005. **श्री दिन्शा पटेल :**
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्राम विद्युतीकरण की अवधारणा में हाल ही में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या नई अवधारणा से सरकार को और अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण करने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो इससे इस संबंध में कहां तक सहायता मिलेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण की अवधारणा को परिवर्तित किया है। ग्राम विद्युतीकरण की पूर्व अवधारणा इस प्रकार थी कि:-

> "किसी भी ग्राम को विद्युतीकृत ग्राम की श्रेणी में तभी रखा जाना चाहिए जबकि विद्युत का उपयोग किसी भी प्रयोजनार्थ इसके राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत किया जा रहा हो।"

यह परिभाषा तब बनाई गई थी जबकि देश में विद्युतीकरण का स्तर बहुत कम था और ग्राम स्तर पर विद्युत की आधारभूत सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य बनाया गया था। परामर्शदात्री समिति और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति ने वर्ष 1995 में आयोजित अपनी बैठक में यह महसूस किया कि ग्राम विद्युतीकरण की पूर्व परिभाषा अपने में सीमित एवं अपर्याप्त है और यह विचार किया कि पूर्व परिभाषा पर पुनर्विचार करना आवश्यक है ताकि गांवों के निवासीय क्षेत्रों को भी कम से कम इसके अन्तर्गत लाया जा सके। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और राज्य विद्युत बोर्डों के साथ परामर्श करके इस मुद्दे की जांच की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि अवधारणा को निम्नवत पुनर्परिभाषित किया जायेगा।

> "उस गांव को विद्युतीकृत समझा जायेगा यदि विद्युत का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए उस गांव की राजस्व सीमा के भीतर निवासीय इलाके में किया गया हो।"

(ग) और (घ) ग्राम विद्युतीकरण की नई अवधारणा के अन्तर्गत विद्युत का नेटवर्क उपभोक्ताओं के समीप होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के लिए विद्युत की आपूर्ति की उपलब्धता को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।

[हिन्दी]

प्रदूषण

3006. **श्री रामपाल सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

(ग) राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी हां, केन्द्र सरकार समन्वित अन्तःविभागीय पद्धतियों के समयबद्ध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अनुबद्ध है जिसमें राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय शामिल हैं।

(ग) प्रदूषण समस्याओं को सुलझाने में राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है।

मध्य प्रदेश को राजस्थान विद्युत परियोजना से विद्युत आपूर्ति

3007. श्री कान्तिलाल भूरिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश को राजस्थान विद्युत परियोजना से विद्युत के कितना अंश की आपूर्ति की गई और राजस्थान को मध्य प्रदेश से विद्युत के कितने अंश की आपूर्ति की जा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की निम्नलिखित संयुक्त उपक्रम विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं में एम.पी.ई.बी. और आर.एस.ई.बी. का विद्युत का हिस्सा निम्न प्रकार से है:

परियोजना का नाम और अधिष्ठापित क्षमता	द्वारा नियंत्रित	एम.पी.ई.बी. का हिस्सा	आर.एस.ई.बी. का हिस्सा
राणाप्रताप सागर (एच) (172 मे.वा.)	आरएसईबी	50%	50%
जवाहर सागर (एच) (99 मे.वा.)	आरएसईबी	50%	50%
गांधी सागर (एच) (115 मे.वा.)	एमपीईबी	50%	50%
सतपुड़ा थर्मल (312.5 मे.वा.) फेज-1 (5×62.5 मे.वा. यूनिट)	एमपीईबी	60%	40%

[अनुवाद]

हिन्दुजा राष्ट्रीय विद्युत निगम

3008. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशाखापत्तनम में स्थापित किए जा रहे हिन्दुजा राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) वर्ष 1990 में विद्युत परियोजना का मूल अनुमान क्या था और वर्तमान में इसका वर्तमान बढ़ा हुआ मूल्य क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में मैसर्स हिन्दुजा नेशनल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एच.एन.पी.सी.एल.) द्वारा प्रवर्तित की जा रही 1040 मे.वा. क्षमता वाली विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना को 943.75 मिलियन अमरीकी डालर + 1324.993 करोड़ रुपये की अनुमानित पूर्ण लागत पर 25 जुलाई, 1996 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। परियोजना को भारत सरकार द्वारा 14.8.98 को प्रति गारंटी प्रदान की गई थी। कम्पनी भारतीय वित्तीय संस्थानों/बैंकों तथा अपतटीय वित्त पोषक एजेंसियों से वित्तीय व्यवस्थाओं को पूरा करने की अंतिम अवस्थाओं में है। कम्पनी ने भूमि की खरीद में निवेश कर लिया है और इंजीनियरी प्रापण तथा निर्माण (ई.पी.सी.) के ठेकेदारों ने संसाधन जुटा लिए है और भूतल पर तैयारी संबंधी कार्यों को पूरा कर लिया है ताकि वित्तीय समापन के शीघ्र बाद निर्माण कार्य आरंभ किए जाने को सुविधाजनक बनाया जा सके। कम्पनी ने विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन, सीमा शुल्क भूमि के मूल्य नान-टर्न

की कार्यों में वृद्धि ऊपरी व्यय तथा वित्तीय प्रभारों के कारण होने वाली अभिवृद्धि समेत एक सुनिश्चित वित्तीय पैकेज आंध्र प्रदेश सरकार और अपट्रांस्को को प्रस्तुत किया है। प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तुत सुनिश्चित वित्तीय पैकेज की आंध्र प्रदेश सरकार/अपट्रांस्को द्वारा जांच की जाएगी और इसे उनकी सिफारिशों के साथ के.वि.प्रा. को अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए भेजा जाएगा। 1000 मेगावाट क्षमता वाली उक्त परियोजना जो मूलत: राज्य क्षेत्र परियोजना के रूप में परिकल्पित है, को 1560.28 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 23 अक्तूबर 1990 को सी.ई.ए. की तकनीकी-आर्थिक स्वीकति दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

3009. श्री नारायण दत्त तिवारी :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 50,000 करोड़ रुपए वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को जारी रखने का निर्णय लिया है जिसमें चारों महानगरों को जोड़ती हुई 1300 किलोमीटर की चार लेनें होंगी और जो लगभग सभी राज्यों से होकर गुजरेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं और अनुमानित लागत क्या है;

(घ) इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए किन स्रोतों से धन जुटाया जाएगा;

(ङ) इस संबंध में अब तक कितनी वास्तविक और वित्तीय प्रगति हुई है; और

(च) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां। इसमें कुल 13000 कि.मी. की लम्बाई शामिल है।

(ख) एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में चार महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारे और सलेम-कोचीन सड़क के संरेखण के साथ-साथ 4/6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना शामिल है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 54000 करोड़ रु. (वर्तमान मूल्यों पर) है।

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित संसाधन जुटाए जाएंगे:

(1) बजट अनुदान

(2) विदेशी सहायता

(3) गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

(4) बाजार ऋण।

(ङ) कुल 1,848 कि.मी. में पहले ही चार लेन बना दी गई हैं/बनाई जा रही हैं।

(च) इस परियोजना को मार्च, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की राज्य-वार लम्बाई

क्र.सं.	राज्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1753
2.	असम	677
3.	बिहार	910
4.	चण्डीगढ़	-
5.	दिल्ली	47
6.	गोवा	-

1	2	3
7.	गुजरात	1116
8.	हरियाणा	355
9.	हिमाचल प्रदेश	14
10.	जम्मू एवं कश्मीर	386
11.	कर्नाटक	717
12.	केरल	168
13.	मध्य प्रदेश	667
14.	महाराष्ट्र	752
15.	मणिपुर	-
16.	मेघालय	-
17.	मिजोरम	-
18.	नागालैंड	-
19.	उड़ीसा	442
20.	पांडिचेरी	-
21.	पंजाब	268
22.	राजस्थान	1265
23.	तमिलनाडु	1089
24.	उत्तर प्रदेश	1499
25.	पश्चिम बंगाल	802
	जोड़	12927

अवक्रमित वनों का पुनरुद्धार

3010. **श्री लक्ष्मण सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने राज्यों में "भोगाधिकार साझेदारी आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण निर्धनों की सहभागिता" योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी जनजातियों को राज्यवार रोजगार प्रदान किया गया है; और

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने जनजातियों को रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "भोगाधिकार हिस्सेदारी आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्भव में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों का सहयोजन" देश के 14 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना काफी श्रम-साध्य है और इसके अंतर्गत नौवीं योजना के दौरान जनजातियों और अन्य ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को लगभग 22.30 लाख श्रम-दिवस दिए जाने की संभावना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार उत्पन्न रोजगार विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्पन्न रोजगार श्रम-दिवसों में

क्र.सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1.	आंध्र प्रदेश	18769	-	9828
2.	बिहार	55200	51135	49290
3.	गुजरात	14644	-	21060
4.	जम्मू व कश्मीर*	-	-	18240
5.	कर्नाटक	21394	8550	28080
6.	मध्य प्रदेश	134700	71100	72015
7.	महाराष्ट्र	84975	-	7500
8.	मणिपुर*	-	-	14040
9.	मिजोरम*	-	-	9828
10.	नागालैंड*	-	-	9000
11.	राजस्थान	2625	-	23865
12.	त्रिपुरा*	-	-	6375
13.	पश्चिम बंगाल*	-	-	21000
14.	उड़ीसा	17753	73693	46726

*इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना नौवीं योजना में प्रारम्भ हुई।

केरल में विद्युत परियोजना

3011. **श्री के. करूणाकरण** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कायमकुलम परियोजना पूर्ण क्षमता का उत्पादन कब करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केरल राज्य से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में प्राप्त राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र और निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है:-

	स्कीम का नाम		प्राप्ति की तिथि
क.	**के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत/मूल्यांकित**		
1.	अदिरापल्ली एचईपी-केईबी (2×80 मे.वा.)		4/94
2.	विप्पीन सीसीजीटी (679.2 मे.वा.) (मै. सियासिन एनर्जी लि.)		2/97
ख.	**डीपीआर जांचाधीन**		
1.	कोझीकोड हैवी फ्यूल डीजल पावर		7/99
2.	कन्नूर (513 मे.वा.) में सीसीपीपी मै. कन्नूर पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. (केपीपीसीएल)		2/98
ग.	**निवेशों के अभाव में के.वि.प्रा. में कार्रवाई नहीं की जा रही स्कीमें**		
1.	केरला भवानी एचईपी	150	169.0
2.	त्रिकारीपुर (टी)	420	601.0
3.	पेंडियार पुन्नापूझा (एच)	70	122.0
4.	कांजीकोड डीजीपीपी (टी)	109.91	415.88
5.	कसरगोड सीसीजीटी	516	1483.4
6.	पालक्कड़ सीसीजीटी (एलएनजी)	330	1165.95
7.	कसरगोड सीसीजीटी (टी)	468.77	1333.381
8.	कसरगोड डीजीपीपी (टी)	63.534	225.99
9.	कसरगोड सीसीजीटी (टी)	459	1398.43

(2) केन्द्र के पास जाचाधीन अन्य तरल ईंधन परियोजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:-

1.	इदारीकोड, मालाप्पुरम जिला (5 मे.वा.)	3.12.98	इस परियोजना के लिए डीजल का आबंटन संबंधी अनुरोध विचाराधीन है।
2.	बीएसईएस कोचीन परियोजना नापथा लिंकेज का विस्तार	12.5.97	तीसरी यूनिट के लिए नापथा लिंकेज बढ़ोत्तरी हेतु परियोजना का अनुरोध।

उपरोक्त परियोजना के अलावा नापथा लिंकेज 107 मे.वा. परियोजना अर्थात् एलओके ईडीएल को नापथा लिंकेज दे दी गई है। इस परियोजना के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

(ग) और (घ) एनटीपीसी की कायमकुलम संयुक्त साइंकल विद्युत परियोजना की प्रत्येक 115.3 मे.वा. की क्षमता की जीटी-1 और जीटी-2 दोनों को क्रमश: 12/98 और 3/99 में नापथा से समकालित किया गया था। भाप टरबाईन (119.4 मे.वा.) को दिसम्बर, 1999/जनवरी, 2000 में लागू किए जाने की आशा है।

अप्रैल, 1999-नवंबर, 99 के दौरान एनटीपीसी स्थित कायमकुलम परियोजना के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक विद्युत उत्पादन निम्न प्रकार है:-

	विद्युत उत्पादन (मि.यू.)	
	लक्ष्य	वास्तविक
कायमकुलम जीटी (230.6 मे.वा.)	937	687

तथापि, विद्युत का उत्पादन केरल राज्य बिजली बोर्ड की आवश्यकतानुसार है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लाभ में गिरावट

3012. **डा. एस. जगतरक्षकन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लम्बी दूरी की घरेलू कॉलों पर प्रभार कम कर देने के कारण चालू वित्तीय वर्ष की द्वितीय तिमाही में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लाभ में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने बेहतर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए राजसहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) अनंतिम परिणामों के आधार पर, गत वर्ष की दूसरी तिमाही के 375 करोड़ रुपये के लाभ के मुकाबले, चालू वर्ष की दूसरी तिमाही का लाभ घटकर 323 करोड़ रुपये रह गया है। एमटीएनएल ने व्यापक विपणन के अलावा, इंटरनेट, आईएसडीएन, वीसीसी आदि बहुत सी नई सेवाएं शुरू की हैं। कुछ और सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) एमटीएनएल इंटरनेट-सेवाओं सहित सभी मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक सहायक कंपनी खोलने की योजना बना रही है। प्रस्तावित कम्पनी इंटरनेट सहित दूरसंचार के क्षेत्र में सभी मूल्यवर्धित सेवाओं की आयोजना, संस्थापना विकास, विपणन, व्यवस्था तथा अनुरक्षण का कार्य करेगी।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र की समस्याओं संबंधी समिति

3013. **डा. अशोक पटेल :**
डा. बलिराम :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) दूरसंचार क्षेत्र में समस्याओं के तत्काल समाधान तथा दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के बीच बढ़ती निकटता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 13-12-99 को "दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी समाभिरूपता दल" का गठन किया है जिसके विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(1) उपयुक्त विधायी संशोधन के जरिए टी.आर.ए.आई. को सशक्त बनाने हेतु विचार करना एवं सिफारिश करना।

(2) "नई दूरसंचार नीति, 1999" का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दूरसंचार क्षेत्र में सबसिस्टिंग समस्याओं के निपटान के उपाय खोजना तथा उनकी सिफारिश करना।

(3) दूरसंचार, कम्प्यूटर, दूरदर्शन तथा इलेक्ट्रानिक के तीव्रता से एक दूसरे के निकट आने को ध्यान में रखते हुए, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के स्थान पर एक नए व्यापक कानून का मसौदा तैयार करना।

(4) दूरसंचार सेवा विभाग को निगम बनाने के लिए स्पष्ट ढांचा तैयार करना।

(5) भारत में इन्टरनेट का त्वरित विस्तार करने के उद्देश्य से, आई.एस.पी. नीति के कार्यान्वयन, विशेषत: गेटवे नीति के उदारीकरण के जरिए, सब्सिस्टिंग समस्याओं का समाधान करना।

(6) ई-कामर्स के त्वरित विस्तार हेतु उपायों की सिफारिश करना।

उक्त दल, उपयुक्त विधायी संशोधनों के जरिए टी.आर.ए.आई. को सशक्त बनाने के मुद्दे तथा दूरसंचार क्षेत्र में सबसिस्टिंग महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु 31-1-2000 तक सरकार को अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह दल 31-3-2000 से पहले अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची

3014. श्री टी. गोविन्दन :
श्री के. मुरलीधरन :
श्री जार्ज ईडन :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में इस समय टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में जिला-वार कितने आवेदन पत्र हैं;

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान जिला-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ग) राज्य में नए टेलीफोन कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) राज्य में प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या केरल के सभी मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31.10.99 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) टेलीफोन कनेक्शन नियमित रूप से दिए जाते हैं। 1996-97, 1997-98, 1998-99 के दौरान तथा 1999-2000 को 31.10.99 तक निम्नांकित संख्या में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गये थे। प्रतीक्षा सूची निपटाने हेतु नये टेलीफोन कनेक्शन

प्रदान करने के लिए नियमित रूप से प्रयास किये जा रहे है।

वर्ष	प्रदान किये गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या
1996-97	1.72 लाख
1997-98	2.30 लाख
1998-99	2.71 लाख
1999-2000 (31.10.99 तक)	1.06 लाख

(घ) प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए, वर्ष 1999-2000 के दौरान 4 लाख नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) त्रिवेन्द्रम-काठमुक्कु एक्सचेंज के अतिरिक्त सभी इलैक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदला जा रहा है तथा उसके 31.12.99 से पहले इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलने का प्रस्ताव है।

विवरण I

_अक्तूबर, 1999 की स्थिति के अनुसार केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदकों की जिलेवार संख्या_

क्र.सं.	जिला का नाम	31.10.99 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अल्लेपी	45945
2.	कालीकट	62007
3.	कन्नानूर	61642
4.	एर्णाकुलम	54811
5.	इडुक्की	26521
6.	कसारगोड	32041
7.	कोट्टायम	39725
8.	मालापुरम	78624
9.	पालघाट	42685
10.	पत्तनमथिट्टा	31542
11.	क्वीलोन	57760
12.	त्रिचुर	70577
13.	त्रिवेन्द्रम	52033
14.	वैनाड	17745
	केरल राज्य का जोड़	673658
15.	माहे (पांडिचेरी यू.टी.)	1588
16.	लक्षद्वीप (यू.टी.)	55
	केरल सर्किल का जोड़	675301

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	अल्लेप्पी	13618	15662	20018
2.	कालीकट	14792	14314	18324
3.	कन्नानूर	10388	16691	15548
4.	एर्नाकुलम	28698	32010	37392
5.	इदुक्की	3873	4860	6226
6.	कसारागोड	3550	7296	9366
7.	कोट्टायम	13084	17012	23513
8.	मालाप्पुरम	9257	15384	12253
9.	पालघाट	7801	11001	13217
10.	पथनमथिट्टा	11000	15511	21174
11.	क्वीलोन	13086	14617	19287
12.	त्रिचुर	21373	30675	31128

1	2	3	4	
13.	त्रिवेन्द्रम	19521	30135	36163
14.	वैनाड	2030	3189	3601
	केरल राज्य का जोड़	172071	228357	267210
15.	माहे (पाण्डिचेरी) (यू.टी.)	77	333	2331
16.	लक्षद्वीप (यू.टी.)	623	1320	1524
	केरल सर्किल का जे ़	172775	230010	271065

भारत-पाक सीमा पर तार लगाया जाना

3015. श्री जी.जे. जावीया :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पूरी भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात सीमाओं पर तार लगाए जाने के कार्य की ताजा स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) नदी तटीय/उन व्यवहार्य क्षेत्रों के टुकड़ों को छोड़ कर जहां काम चलाऊ बाड़ लगाई है, पंजाब और स्थान में भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगा दी गई है और सुरक्षा बाड़ को फ्लड लाईट लगा कर मजबूत बनाया गया है।

राजस्थान के साथ में गुजरात (रण क्षेत्र) में भारत-पाक सीमा पर निर्मित तटबंध पर लूनी नदी घाटी क्षेत्र में सुरक्षा बाड़ लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर एक अवरोधक प्रणाली का निर्माण करने की भी योजना है।

पश्चिम बंगाल में भारत-बांगलादेश सीमा पर 507 कि.मी. में बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है जिसमें से प्रथम चरण में 482 कि.मी. में बड़ा लगा दी गई है।

वाडीनार पत्तन के लिए प्रस्ताव

3016. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को, वाडीनार पत्तन को कांडला पत्तन न्यास से पृथक कर इसे उन्हें सौंपने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कांदला पत्तन न्यास ने वाडीनार पत्तन की भूमि का कुछ भाग अवैध तरीके से एस्सार समूह को दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उच्च-स्तरीय जांच करवाई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) अनुरोध पर विचार नहीं किया गया क्योंकि वाडीनार, कांडला महापत्तन का अभिन्न हिस्सा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा-सूची

3017. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में 31 अक्तूबर, 1999 की स्थिति के अनुसार जिले-वार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में थे;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिले-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतीक्षा सूची में शेष कनेक्शनों को निपटाने हेतु कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31.10.99 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 22232 थी।

31.10.99 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शनों की जिला-वार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है:-

1996-97	32505
1997-98	67178
1998-99	68175

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में प्रदान किए गए जिला-वार टेलीफोन कनेक्शन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रदान किए जाने वाले 87000 नए टेलीफोन कनेक्शनों के लक्ष्य में से 30.11.99 तक 31434 नए टेलीफोन कनेक्शन पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। दिसम्बर, 1999 से मार्च, 2000 तक की अवधि के दौरान लगभग 55500 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की संभावना है। उपर्युक्त प्रतीक्षा सूची का निपटान मार्च, 2000 तक होने की संभावना है।

विवरण

क्र.सं.	राजस्व जिले का नाम	वर्ष 96-97 के दौरान जोड़ी गई सीधी एक्सचेंज लाइनें	वर्ष 97-98 के दौरान जोड़ी गई सीधी एक्सचेंज लाइनें	वर्ष 98-99 के दौरान जोड़ी गई सीधी एक्सचेंज लाइनें	31.10.99 की स्थिति के अनुसार कुल प्रतीक्षा-सूची
1	2	3	4	5	6
1.	अंगुल	1378	2117	3053	299
2.	बालासोर	1442	2324	3653	1281

1	2	3	4	5	6
3.	बारगढ़	963	1574	1185	257
4.	भद्रक	962	1550	1874	565
5.	बोलनगिर	1659	1855	1126	335
6.	बौध	125	186	369	143
7.	कटक	2670	5395	7112	2989
8.	देवगढ़	108	206	484	65
9.	धेनकनाल	654	2106	1742	628
10.	गजपति	203	480	450	256
11.	गंजम	3293	7863	4788	1110
12.	जगतसिंहपुर	642	1710	1478	1525
13.	जाजपुर	763	1740	1343	1086
14.	झारसुगुडा	558	1662	1805	258
15.	कालाहांडी	469	1396	704	269
16.	कंधामल	282	734	380	322

1	2	3	4	5	6
17.	केंद्रपारा	615	1269	1377	1106
18.	क्योंझर	739	1266	1949	380
19.	खुरदा	5454	13030	11348	3386
20.	कोरापुट	777	2165	2105	1232
21.	मालकनगिरि	150	282	370	66
22.	मयूरभंज	1062	1781	1738	1381
23.	नौरंगपुर	195	218	489	392
24.	नयागढ़	942	1335	1258	313
25.	नौपाड़ा	165	234	206	99
26.	पुरी	1270	1537	4519	602
27.	रयागढ़ा	174	682	1739	499
28.	संबलपुर	1518	3388	3331	408
29.	सोनपुर	310	929	384	119
30.	सुंदरगढ़	2963	6166	5800	861
	जोड़	32505	67178	68175	22232

तेल की खोज

3018. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले लगभग एक दशक से देश में तेल की खोज करने संबंधी कार्य की गति धीमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में तेल का वर्तमान में कितना उत्पादन हो रहा है और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1999-2000 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन तथा खपत निम्नवत् रही है:-

("000" टन)

उत्पादन	36490*•
खपत	44477**

* अनंतिम

• प्राकृतिक गैस में एल.पी.जी. उत्पादन शामिल है।

** गैर-सरकारी आयातों द्वारा होने वाली खपत शामिल नहीं है।

संवहन शुल्क में भेदभाव

3019. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौवहन कंपनियां विदेशी कंपनियों के मुकाबले अधिक संवहन शुल्क ले रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं। नौचालन योग्य मार्गों के बीच माल की ढुलाई की लागत बाजार-ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तार सेवाओं का आधुनिकीकरण

3020. श्री अमर रायप्रधान : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में तार सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू और आगामी वित्त वर्ष के लिए इस कार्य हेतु कोई बजट आबंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) स्टोर तथा फॉरवर्ड संदेश स्विचन प्रणालियों/इलैक्ट्रॉनिक की-बोर्ड कंसन्ट्रेटरों तथा फॉर्मेटिड टर्मिनल कंसन्ट्रेटरों से टर्मिनलों की व्यवस्था करके तार नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया गया है। केंद्रीय तार-घरों, तार-घरों, दूरसंचार केन्द्रों तथा संयुक्त डाक और तार घरों में आधुनिक तार उपस्कर की जिलेवार व्यवस्था का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। चालू वित्त वर्ष के लिए 49 लाख रु. का बजट आबंटन किया गया है।

विवरण

जिले का नाम	आधुनिकीकृत प्रणालियों पर कार्यरत				आधुनिकीकरण चल रहा है
	केन्द्रीय तार-घर	दूरसंचार केन्द्र	तार-घर	संयुक्त डाक और तारघर	संयुक्त डाक और तारघर
1	2	3	4	5	6
बांकुरा	—	1	1	8	11
बीरभूम	—	—	2	9	1
बर्दवान	—	2	4	29	4
कलकत्ता	1	—	14	13	12
कूच बिहार	—	1	1	5	4
दार्जीलिंग	1	2	1	12	6
दीनाजपुर (एन)	—	—	1	—	2
दीनाजपुर (एस)	—	—	1	—	2
हुगली	—	3	2	2	10
हावड़ा	—	3	1	1	5
जलपाईगुड़ी	—	—	1	—	4
माल्दा	—	—	1	8	2

1	2	3	4	5	6
मिदनापुर	—	1	3	3	20
मुर्शिदाबाद	—	—	1	13	—
नाडिया	—	—	2	—	6
पुरूलिया	—	—	1	8	4
24 परगना (एन)	—	—	2	1	3
24 परगना (एस)	—	—	1	—	—

भटिंडा (पंजाब) में पेट्रोलियम परियोजना

3021. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के भटिंडा जिला के उस प्रस्तावित पेट्रो संयंत्र के लिए कुल निवेश योजना क्या है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी है; और

(ख) संयंत्र का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और संयंत्र कब तक काम करना शुरू कर देगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) पंजाब में भटिंडा में संबद्ध सुविधाओं सहित ग्रासरूट रिफाइनरी की अनुमोदित अनुमानित लागत जून, 1998 के मूल्यों पर 9806 करोड़ रुपए है।

(ख) परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार के निर्धारण करने तथा कच्चे तेल के टर्मिनल तथा कच्चा तेल पाइपलाइन के लिए पर्यावरणीय अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, परियोजना को 48 महीनों में पूरा कर लिए जाने का अनुमान है।

रांगिया मुरकोंग को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

3022. श्री माधव राजवंशी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रांगिया (असम) को अरूणाचल प्रदेश के मुरकोंग सेलेक से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य और परियोजना के बजट अनुमानों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डीलरशिप के आवेदन के लिए डीलर्स के पारिवारिक सदस्यों को वंचित रखना

3023. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियां नए डीलरशिप के आवेदन के लिए उनमें डीलर्स के परिवारिक सदस्यों और संबंधियों को वंचित रख रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में नियमों इत्यादि को बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) विद्यमान नीति के अनुसार ऐसे किसी भी व्यक्ति को नई डीलरशिप प्रदान नहीं की जाएगी, यदि उस (पुरुष/महिला) के अथवा उस (पुरुष/महिला) के निम्नांकित संबंधियों में से किसी के पास पहले ही किसी सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनी का आशय पत्र अथवा एमएस/एचएसडी/एलपीजी/एसकेओ/एलडीओ की डीलरशिप है।

शारीरिक विकलांग श्रेणी के अलावा अन्य	शारीरिक विकलांग श्रेणी
(1) पति, पत्नी	(1) पति, पत्नी
(2) पिता/माता (पुत्रियों के लिए लागू नहीं)	(2) पिता/माता (पुत्रियों के लिए लागू नहीं)
(3) भाई/भाई की पत्नी (महिला आवेदकों के लिए लागू नहीं)	(3) पुत्र/पुत्रवधू
(4) पुत्र/पुत्रवधू	

इसे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में पुल का पुनर्निर्माण

3024. श्री पी.सी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के एर्णाकुलम में अलुवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर एक पुल (मरटंडा-वर्मा पुल) का कार्य शुरू किया जाना है;

(ख) क्या यह पुल इतना संकरा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों यातायात जाम रहता है; और

(ग) यदि हां, तो पुल के पुनर्निर्णाण की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) और (ग) रा.रा.-47 पर विद्यमान मरतंडा वर्मा पुल पर यातायात की भीड़-भाड़ के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। विद्यमान पुल के समानांतर एक नए पुल की योजना बनाई गई है। इस समय इसकी विस्तृत डिजाइन तैयार की जा रही है। नए पुल के निर्माण के लिए 860 लाख रु. के एक प्राक्कलन को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

पूर्वोत्तर परिषद द्वारा अन्तर-राज्यीय सड़कों का निर्माण

3025. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर परिषद द्वारा निर्माण हेतु अन्तर-राज्यीय सड़कों के चयन के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या असम और अरूणाचल प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को डिगबोई-बोर्डोमसा सड़क से जोड़ने के लिए किसी सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो यह किस तारीख तक कर दिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) अन्तर्राज्यीय सड़कों का चयन राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त प्रस्तावों को. योजना आयोग की संस्तुति के लिए, परिषद के समक्ष रखा जाता है। सड़कों को एन.ई.सी. योजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिए इन्हें अन्ततः योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(ख) अन्तर्राज्यीय सड़क अर्थात् डिगबोई-पानगड़ी-बोरडुमसा-खारसंग के निर्माण को एन.ई.सी. के 10वीं योजना में शामिल करने का प्रस्ताव, दोनों राज्य सरकारों असम और अरूणाचल प्रदेश द्वारा अग्रेषित किया गया है।

(ग) सड़क निर्माण का कार्य तभी शुरू हो सकता है जब योजना आयोग द्वारा एन.ई.सी. की 10वीं योजना में इसे अनुमोदित किया जाये, जो अप्रैल, 2002 में शुरू होगा।

मध्य प्रदेश में सड़क परियोजनाएं

3026. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार की सड़क परियोजनाओं संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावों की जांच की जा रही है। जो प्रस्ताव सही पाए जाएंगे उन्हें चालू वित्त वर्ष में अनुमोदित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राजस्थान के दूरसंचार और डाक क्षेत्रों में विकास कार्य

3027. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1998-99 और चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्थान के विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर और बीकानेर ज़िले में दूरदर्शन और डाक क्षेत्रों से संबंधित जो विकास कार्य किए गए, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अब तक इन विकास कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में प्रदान कराई गई वर्तमान दूरसंचार और डाक सेवाएं संतोषजनक और पर्याप्त नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

एन.टी.पी.सी. की परियोजना हेतु ऋण

3028. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने हाल ही में अपनी चल रही परियोजनाओं की सहायता के लिए 850 करोड़ रुपये की धनराशि उधार ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी, हां। नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन ने अपने क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ 750 करोड़ रुपये तथा आवासीय विकास वित्तीय निगम के साथ 100 करोड़ रुपये के ऋण सुनिश्चित किए हैं। ब्याज की दर स्टेट बैंक मध्यावधि ऋण दर (एसबीएमटीएलआर) समय-समय पर बदलती रहती है, से तथा त्रैमासिक रूप से देय ब्याज कर से जुड़ी हुई है। इस समय एसबीएमटीएलआर 12% है। इसकी पुनः अदायगी 14 अर्ध-वार्षिक समान किस्तों अथवा इसके समकक्ष बराबर किस्तों में की जाएगी। इसमें 36 माह का आस्थगन काल है।

पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण

3029. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जांच अधिकारियों की अकर्मण्यता और उपेक्षा के कारण आपराधिक मामलों के बहुत सारे अभियुक्त पर्याप्त सबूतों के अभाव में अदालतों से बरी हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो पुलिस कर्मियों को जांच के क्षेत्र में समुचित प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) आपराधिक मामलों में मुकदमों में देरी, अभियोजन की कमजोरी, अभियोजन गवाह का पक्षद्रोही हो जाना, जांच पड़ताल करने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण होना इत्यादि सहित अनेक कारणों से अभियुक्त दोषमुक्त हो जाते हैं।

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण अपने पुलिस कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण देना राज्य सरकारों का काम है ताकि वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन कारगर ढंग से कर सकें। तथापि, केन्द्र सरकार ने कलकत्ता, चण्डीगढ़ और हैदराबाद में तीन केन्द्रीय डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल खोले हैं ताकि सहायक उप निरीक्षक से उपाधीक्षक के रैंक तक के पुलिस कर्मियों को वैज्ञानिक जांच पड़ताल तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जा सकें।

अहमदी समिति

3030. श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री इन्द्रजीत गुप्त:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदी समिति ने मानवाधिकार अधिनियम में संशोधन संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) भारत सरकार को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित अहमदी समिति की रिपोर्ट पर आधारित, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन संबंधी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में एलपीजी एजेंसियां

3031. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एलपीजी की डीलरशिप के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो एलपीजी की नई डीलरशिप की मंजूरी के लिए पहचान किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जिले में एलपीजी डीलरों द्वारा वितरण में अनियमितताओं और कदाचार की कोई रिपोर्ट मिली है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले सहित देश के विभिन्न भागों में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं और तेल कंपनियां व्यवहार्यता सर्वेक्षण करती हैं। व्यवहार्य पाए गए स्थान विपणन योजनाओं में शामिल किए जाते हैं। तदनुसार 11 स्थान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए व्यवहार्य पाए गए हैं। अतिरिक्त एक अन्य स्थान अर्थात कामाक्षयागुडी, जिला जलपाइगुडी एच पी सी एल द्वारा ग्रामीण विपणन वाहन योजना के माध्यम से घरेलू एल पी जी की आपूर्ति के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) से (ङ) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में कुछ एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की कार्यप्रणाली में अनियमितताओं की सूचना दी गई है। दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध तेल उद्योग के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है।

विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र

3032. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रति गारंटी दिए जाने के बावजूद भी निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को सुदृढ़ बाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी, हां। ततापि, यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि भारत सरकार केवल आठ निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के बारे में प्रति-गारंटी हेतु वचनबद्ध है। इनमें से मै. जेवीके इंडस्ट्रीज लि. की जेगरूपाडु परियोजना (216 मे.वा.), मैसर्स इब वैली पावर प्रोजेक्ट लि. की इब वैली परियोजना (500 मे.वा.), मै. डाभोल पावर कम्पनी की डाभोल परियोजना चरण-1 (740 मे.वा.) मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कार्पोरेशन लि. की विशाखापट्टनम परियोजना (1040 मे.वा.) मैसर्स एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कम्पनी की नैवेली लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना (250 मे.वा.) तता मैसर्स सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी की भद्रावती परियोजना (1082 मे.वा.) को पहले ही प्रति-गारंटी दी जा चुकी है। इब वैली परियोनजा को दो गई प्रति-गारंटी पर नये सिरे से पुनर्विचार करने की जरूरत है क्योंकि परियोजना पैरामीटरों में पर्याप्त परिवर्तन किए गए हैं। गोदावरी परियोजना (208 मे.वा.) के प्रवर्तक मै. स्पेक्ट्रम पावर जेनरेशन लि. ने प्रति-गारंटी हेतु भारत सरकार से किए गए अनुरोध को वापस ले लिया है। शेष परियोजनाओं की प्रति-गारंटी अर्थात् मै. मंगलौर पावर कंपनी को 1013.2 मे.वा. की मंगलौर परियोजना को प्रति-गारंटी सभी जरूरी शर्तें पूरी हो जाने पर ही दी जाएंगी।

उक्त काउंटर-गारंटी परियोजनाओं में से डाभोल, जेगरूपाडु तथा गोदावरी परियोजनाएं पहले ही आरंभ हो चुकी हैं और एस टी-सीएमएस प्रोजेक्ट ने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है और निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है।

(ग) प्रति-गारंटी परियोजनाओं समेत निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं द्वारा शीघ्र वित्तीय समापन को सरल बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। इस दिशा में पहले से ही किए गए/किए जा रहे प्रयासों में ये शामिल हैं:-केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) (पहले से ही गठित) और राज्य विद्युत नियामक आयोगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना, अभिज्ञात परियोजनाओं का विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित क्राइसिस रेजोल्यूशन ग्रुप के द्वारा सघन मानीटरिंग करना, जिससे पर्याप्त प्रगति हुई है और वित्तीय समापन को प्राप्ति करने में आ रही अंतिम समस्या के और मुद्दों आदि से संबधित एस्क्रो को निपटाने के लिए राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत करना शामिल है। इसके अलावा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति सभी परियोजनाओं की प्रगति और भारत सरकार द्वारा तरल ईंधन आधारित परियोजनाओं को फ्यूल लिंकेज दी गई परियोजनाओं की नियमित आधार पर मानीटरिंग की जा रही है।

न्यायाधीशों की संख्या

3033. श्री मोइनुल हसन: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में जिला स्तर के न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय स्तर तक कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और अन्य विकासशील देशों में प्रति मिलियन आबादी पर न्यायाधीशों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) भारत और अन्य देशों में न्यायपालिका हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कितना भाग नियत किया जाता है;

(घ) क्या 20वें विधि आयोग ने लंबित मामलों का निपटान करने और इस संबंध में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप न्यायाधीशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने की सिफारिश की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तब से अब तक न्यायाधीशों की बढ़ायी गई संख्या का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) लंबित मामलों के संबंध में उपलब्ध जानकारी निम्नवत है:

	लंबित मामलों की संख्या	तारीख को
उच्चतम न्यायालय	20,307	1.11.1999
उच्च न्यायालय	31,98,547	31.12.1998
जिला/अधीनस्थ न्यायालय	2,02,00,000	31.12.1998

(ख) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, सितंबर, 1999 में, भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या के लिए 12.8 न्यायाधीश थे। अन्य देशों की बाबत ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के निबंधनों के अनुसार न्यायपालिका पर 0.2 प्रतिशत व्यय किया जाता है, कोरिया में यह 0.2 प्रतिशत से अधिक है, सिंगापुर में यह 1.2 प्रतिशत है, यूनाइटेड किंगडम में 4.3 प्रतिशत है और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.4 प्रतिशत है।

(घ) और (ङ) 11वें विधि आयोग ने, अपनी 120वीं रिपोर्ट में, जो वर्ष, 1998 में संसद के समक्ष रखी गई थी, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की थी कि प्रति मिलियन जनसंख्या पर 10.5 न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या बढ़ाकर प्रति मिलियन जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश कर दी जाए। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या प्रति मिलियन जनसंख्या पर 12.8 है।

राजमार्ग परियोजनाओं में निजी निवेशक

3034. **श्री शंकर सिंह वाघेला:**
श्री जे.एस. बराड़:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के चार महानगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों पर प्रत्यक्ष चुंगी वसूलने के आधार पर निजी विधेयकों को आकर्षित करना संभव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राजमार्गों का प्रत्यक्ष चुंगी व्यवस्था के अंतर्गत अलाभकारी राजमार्ग के रूप में आंकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन राजमार्गों के विस्तार संबंधी योजना के क्रियान्वयन के लिए भविष्य में क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी खंड बी ओ टी स्कीम के तहत व्यवहार्य नहीं हैं।

(ग) उन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया जा रहा है, जो बी ओ टी स्कीम के तहत व्यवहार्य होंगे। शेष राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (क) बजट सहायता, (ख) विदेशी सहायता, और (ग) बाजार से ऋण के जरिए वित्त पोषित किए जाएंगे।

(घ) सम्पूर्ण स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पांच वर्षों में कार्यान्वित की जानी है।

ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल की आधारशिला

3035. **श्री पवन सिंह घाटोवार:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के बोगीबील, डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल की आधारशिला रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के लिए कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां। इस रेल-सह-सड़क पुल की नींव रख दी गई है।

(ख) यह कार्य रेल मंत्रालय और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच लागत भागीदारी आधार पर 1000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से रेल मंत्रालय के बजट में शामिल किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 5 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है।

(ग) रेलवे द्वारा इस पुल के लिए विस्तृत जांच-पड़ताल, हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन और अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। इनका जून, 2000 तक पूरे हो जाने की उम्मीद है। विस्तृत सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों संबंधी समिति से अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो जाने, भूमि उपलब्ध होने और जल भूतल परिवहन मंत्रालय के हिस्से की अपेक्षित धनराशि रेलवे को प्राप्त हो जाने के पश्चात् रेलवे यह कार्य अपने हाथ में ले सकता है।

(घ) कोई तारीख नियत नहीं की गई है। यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आने वाले वर्षों में पूरा किया जाएगा।

कच्चे तेल के भंडार

3036. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलीया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे तेल के भंडारों की कुल क्षमता के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए देश भर में एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किस तारीख को किया गया और इसके अनुसार देश में कुल अनुमानित पेट्रोलियम भंडार कितना है;

(ग) क्या सरकार ने इन भंडारों की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले वर्ष के दौरान उत्पादित कुल अनुमानित भंडारों की वार्षिक औसतन मात्रा का प्रतिशत क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (घ) हाइड्रोकार्बन भंडारों के स्थान, सर्वेक्षण, अन्वेषण, नए तेल क्षेत्रों को खोजना तथा खोजे गए क्षेत्रों से उत्पादन करना एक सतत् और अनवरत प्रक्रिया है। नवीनतम निवेशों के आधार पर प्रत्येक वर्ष प्राय: 31 मार्च को नए संवर्धनों तथा खोजों के आधार पर कच्चे तेल भंडारों का अद्यतनीकरण किया जाता है। दिनांक 1 अप्रैल, 1999 को भारत के तेल तथा तेल समतुल्य गैस (ओ+ओईजी) के भंडार (शेष) अनुमानत: 1417.34 मिलियन मीटरी टन थे। वर्ष 1998-99 के दौरान ओ+ओईजी के अनुमानित भंडारों का 4.24 प्रतिशत उत्पादित किया गया था।

[हिन्दी]

मोबाइल सैल्यूलर सेवाएं

3037. **श्री रामशकल:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मोबाइल सेल्यूलर सेवा का सरलीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों की भागीदारी के संबंध में ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। सरकार ने मौजूदा पात्र सेल्युलर लाइसेंसधारियों को नयी दूरसंचार नीति-99 व्यवस्था में माइग्रेशन की पेशकश की है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) मौजूदा बयालिस सेल्युलर लाइसेंसधारियों में से छत्तीस लाइसेंसधारियों को निश्चित लाइसेंस शुल्क व्यवस्था से नयी दूरसंचार नीति-99 व्यवस्था में माइग्रेशन के लिए एक पैकेज की पेशकश की गई थी। लाइसेंसधारियों को अब एक बार प्रवेश शुल्क तथा राजस्व शेयर के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। लाइसेंसधारियों को आपरेटरों की सीमित संख्या वाली व्यवस्था से प्रचालन के अधिकार को छोड़ना पड़ेगा तथा मल्टिपोली लाइसेंस व्यवस्था में प्रचालन करना होगा

अर्थात् एक सेवा क्षेत्र में असीमित संख्या में लाइसेंस जारी किए जाएंगे। मौजूदा शेयरधारिता की, लाइसेंस देने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए लॉक-इन होगी। लाइसेंस की अवधि 20 वर्ष की होगी।

आशा की जाती है कि योजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता में बढ़ोत्तरी तथा प्रतिस्पर्धा में बढ़ोत्तरी से उपभोक्ताओं को लागत प्रभावी सेवाएं प्राप्त होंगी।

(ग) इस सेवा के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि. के अतिरिक्त ऐसी भारतीय कंपनियों को लाइसेंस दी गई है, जो एक संयुक्त उद्यम है। जिसमें सीधा विदेशी निवेश अधिकतम 49% है। देश में सेल्युलर सेवा के प्रचालन के लिए, भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनी (जेबीसी) में भागीदार के रूप में भाग लेने वाली मुख्य विदेशी कंपनियां निम्नांकित हैं:

1. ए आई जी (मारीशस) एलएससी मॉरिशस।
2. एयर टच इंटरनेशनल, मारिशस
3. एयर टच इंटरनेशनल, यू एस ए
4. एशिया टेक मारीशस लि., मारीशस
5. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर आंध्र प्रदेश, मॉरीशस
6. एशियन टेलीकम्यूनिकेशन्स इंवेस्टमेंट (मॉरिशस) लि. मॉरिशस
7. ए टी एंड टी सेल्युलर प्रा.लि., मॉरिशस
8. बेल कनाडा इंटरनेशनल (इंडिया) सेल्युलर लि., मॉरिशस
9. बेल कनाडा इंटरनेशनल इंका, कनाडा।
10. बेल साऊथ इंटरनेशनल, यू एस ए।
11. बेजेक ग्लोब मॉरीशस होल्डिंग, मॉरीशस
12. बी टी (नीदरलैंड) होल्डिंग बी वी, नीदरलैंड।
13. सी सी आई आई (मॉरीशस) इंका, मारीशस।
14. तेल फोन लि., मारीशस।
15. सेलुनेट इंडिया लि., मॉरीशस।
16. डिस्टाकॉम कम्यूनिकेशन्स, मॉरीशस।
17. यूरो पेसिफिक सिकुरीटीज लि. ओसीबी।
18. फर्स्ट पैसिफिक कं. लि., हांग कांग।
19. फ्रांस टेलीकॉम, फ्रांस।
20. हुचीसन टेलीकम्यूनिकेशन्स लि., मॉरीशस।
21. इंडियन टेलीकम्यूनिकेशन्स बी वी, नीदरलैण्ड
22. इटोचु कार्पो., जापान
23. जेसमीन इंटरनेशनल पब्लिक कं. लि., थाईलैंड
24. मीडिया वन सेल्युलर इंवेस्टमेंट कंपनी, मॉरीशस
25. मिलीकॉम इंटरनेशनल, लक्समबर्ग
26. मित्सुबीसी कॉ., जापान
27. मोबाइल सिस्टम्स इंटरनेशनल सेल्युलर इंवेस्टमेंट लि., नीदरलैंड
28. मोबाइल वायरलेस कं. लि., मॉरीशस
29. मॉबिलवेस्ट (मॉरीशस) लि. मॉरीशस
30. निनेक्स इंटरनेशनल (एशिया) लि., मारीशस
31. पीसीएम (मॉरीशस) प्रा.लि., मॉरीशस।
32. पर्सनल कम्यूनिकेशन्स (मॉरीशस), लि., मॉरीशस
33. फिलहपीनों टेलीफोन, फिलीपिन्स
34. प्राइम मेटल्स लि., ओसीबी

35. शाइन वाट्रा इंटरनेशनल पब्लिक कं., थाइलैंड

36. एस टी ई टी इंटरनेशनल, नीदरलैंड एन वी, नीदर-लैंड

37. एस टी ई टी मोबाइल होल्डिंग एन वी, नीदर लैण्ड

38. स्विस, पीटीटी स्विटजरलैंड

39. टेलीकॉम मलेशिया, मलेशिया

40. टेलीफोन आर्गेनाइजेशन ऑफ थाईलैंड, थाईलैण्ड

41. टेलीसिस्टम प्रा.लि. मॉरीशस

42. टेलिया ए बी, स्वीडेन

43. टेल्स्ट्रा इंटरनेशनल लि., आस्ट्रेलिया

44. टेल्स्ट्रा साउथ एशिया होल्डिंग लि., मॉरीशस।

[अनुवाद]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण केन्द्र का स्थानान्तरण

3038. श्री इन्द्रजीत गुप्त:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र को पारादीप से देवली, राजस्थान स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) हाल के भयंकर तूफान के कारण पारादीप में अस्थायी स्थान के बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंचने के कारण केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने प्रशिक्षणार्थियों को अस्थायी रूप से देयोली, राजस्थान में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया ताकि प्रशिक्षण जारी रहे। तथापि, आर.टी.सी. के लिए स्थायी स्थान कटक (उड़ीसा) के समीप मुण्डाली (चक्रधरपुर) में पहले ही तय किया जा चुका है जहां निर्माण कार्य चल रहा है।

लघु निवेशकों के हितों की सुरक्षा

3039. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए कानूनों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से उन कंपनियों के खिलाफ क्या कदम उठाये जाने का विचार है जिन्होंने भुगतान तिथि से एक वर्ष की अवधि के ब्याज या लाभांश का भुगतान नहीं किया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 में कतिपय संशोधन करने पर विचार कर रही है और इस स्थिति में उसमें छोटे निवेशकों के हित के संरक्षण के उपबन्ध शामिल होंगे जहां कम्पनियां परिपक्वता पर जमा राशि का भुगतान नहीं कर पाती हैं।

(ग) ऐसे मामलों में चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 207 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि जहां कम्पनी द्वारा लाभांश की घोषणा कर दी गई है लेकिन लाभांश के भुगतान के पात्र किसी भी शेयरधारक को भुगतान नहीं किया गया है या घोषणा की तारीख से 42 दिनों के अन्दर उस संबंध में वारंट जारी नहीं किया गया है तो कम्पनी का प्रत्येक निदेशक, यदि वह जानबूझकर चूक का पक्षकार है तो उसे उस अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जाएगा जिसे सात दिनों तक बढ़ाया जा सकेगा और उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

जहां तक धनराशि पर ब्याज का भुगतान न किये जाने का संबंध है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क में उन कम्पनियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है जो जनता से ऐसी जमाराशि इकट्ठा करने की निबंधन व शर्तों के अनुसार जमाराशि का भुगतान नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार की चूक कारावास सहित दण्डनीय है जो तीन वर्षों तक

की हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है जो पचास रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगा। इस जुर्माने को कम्पनी विधेयक, 1997, जिसे 14.8.1997 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था, मैं प्रतिदिन पांच सौ रुपये के हिसाब से बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

"कोको" योजना के अंतर्गत पेट्रोल पंपों का आबंटन

3040. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "कोको" योजना के अंतर्गत कुछ पेट्रोल पंपों का आबंटन अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन आधार पर किया गया है अथवा किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान "कोको" योजना के अंतर्गत कितने पेट्रोल पंपों का आबंटन किया गया अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या निजी पार्टियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (घ) जी हां। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान तेल कंपनियों ने 51 कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्रों का आवंटन किया है।

कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों के प्रचालन के लिए ठेका प्रदान करने हेतु सरकार ने दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं. इन दिशानिर्देशों के अनुसार संबधित तेल कंपनी के उक्त क्षेत्र का बिक्री अधिकारी खुदरा बिक्री केन्द्र का प्रभारी होगा और ठेकेदार का चयन तेल कंपनी के मंडल कार्यालय के अधिकारियों के एक दल द्वारा किया जाएगा। ठेके के लिए निम्नलिखित आवेदन कर सकते हैं:

(1) ढुलाई ठेकेदार,

(2) परिवहन ठेकेदार,

(3) थोक एल पी जी परिवहनकर्ता,

(4) टैक्सी/आटो रिक्शा/ट्रक प्रचालक संघ,

(5) राज्य सरकार निगम,

(6) मंडलीय कार्यालय प्रभारी द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति/पक्षकार।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर निवेश में वृद्धि तथा उसे सरणीबद्ध करना

3041. **श्री के. मुरलीधरन:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर निवेश हेतु सड़क क्षेत्र के विकास और निवेश संसाधनों को सरणीबद्ध करने के लिए इस क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ाने के संबंध में केन्द्र सरकार से संपर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां।

केरल में मौजूदा रा.रा. प्रणाली में 340 कि.मी. की कुल लम्बाई के तीन नए राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े गए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 65 करोड़ रु. और रख-रखाव तथा मरम्मत के लिए 18.4 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त केरल में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की वाहन चालन गुणता के सुधार के लिए 16.1 करोड़ रु. की लागत के छह विशेष मरम्मत कार्य हाल में स्वीकृत किए गए हैं। केरल सरकार ने निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) के आधार पर कुछ पुनः संरेखण और बाइपासों का प्रस्ताव किया है।

पेट्रोल का उत्पादन

3042. **श्रीमती रानी नरह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आर्थिक मंदी के दौर के कारण पेट्रोल का उत्पादन और इसकी खोज करने का कार्य बुरी तरह से प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेट्रोल के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डाक सेवा का आधुनिकीकरण

3043. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषरूप से दुर्गम क्षेत्रों में डाक सेवा को आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): जी हां।

(ख) और (ग) डाक विभाग डाक की आवश्यकताओं के अनुसार सूचना तथा दूरसंचार प्रौद्योगिकी का समावेश करके डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहा है। विभाग काउंटर प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण कर रहा है क्योंकि ये डाकघर तथा ग्राहक के मध्य परस्पर संपर्क का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान हैं। 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार, विभाग ने दुर्गम क्षेत्रों में स्थित डाकघरों सहित विभिन्न डाकघरों में 5007 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें संस्थापित कीं। 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार विभाग ने देश में दुर्गम क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपग्रह के जरिए मनीआर्डरों के प्रेषण के लिए 75 वीएसएटी स्टेशन तथा 610 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर केन्द्र (ईएसएमओ) संस्थापित किए। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभाग का मनीआर्डरों के प्रेषण के लिए 150 वी-सैट संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

विद्युत परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

3044. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विद्युत परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) भारत सरकार समय-समय पर विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी करती है। राज्य विद्युत बोर्डों/पावर यूटिलिटीज के हाइड्रो तथा थर्मल स्टेशनों का अप्रैल, 99 से नवम्बर, 99 तक राज्य-वार उत्पादन निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) का गठन किया है, जिसका मुख्य कार्य केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रणाधीन उत्पादक कम्पनियों के टैरिफ को नियमित करना है, ताकि टैरिफ पालिसी आदि के निरूपण में केन्द्र सरकार की सहायता तथा सलाह के लिए विद्युत की अन्तर-राज्य भारी बिक्री को नियमित करने हेतु ट्रांसमिशन इन्टटीज के टैरिफ समेत अन्तर-राज्य पारेषण को नियमित किया जा सके। उसी प्रकार उड़ीसा सहित तेरह राज्यों द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) अधिसूचित/गठित किए गए हैं, जिससे सुधार विधान को नई दिशा मिली और 1996 में भारत में स्वतंत्र टैरिफ नियामक निकाय का गठन हुआ। उड़ीसा ने भी राज्य विद्युत बोर्ड को मुक्त कर विद्युत वितरण का निजीकरण कर दिया है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश पहले ही अपने-अपने सुधार अधिनियम ला चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र तथा पंजाब जैसे कई अन्य राज्यों ने अपने राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) के संविधान को अधिसूचित किया है। सरकार ने भी अलग से विद्युत संशोधन अधिनियम, 1998 अलग से पारित किया है ताकि पारेषण प्रणाली में निजी सेक्टर की भागीदारी को और अधिक बढ़ाया जा सके।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान जल विद्युत केन्द्रों का राज्यवार विद्युत उत्पादन कार्यक्रम

क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 1999-2000 (मि.यू.)	लक्ष्य (उत्पादन) (मि.यू.)	उपलब्धियां (उत्पादन) (मि.यू.)	लक्ष्य से अधिक उत्पादन का %
1	2	3	4	5
1. विद्युत बोर्ड/उपक्रम				
जम्मू एवं कश्मीर	812	620	459	74.0
एचपीएसईबी	1365	1166	1026	880
एचएसईबी	225	183	182	99.5
आरएसईबी	1356	788	587	74.5
पीएसईबी	3700	2653	2473	93.2
यूपीएसईबी	5425	4144	2889	93.8
जीईबी	1630	1100	819	74.5
एमएसईबी	3793	2276	2154	94.6
एमपीईबी	2375	1655	1745	105.4
एपीएसईबी	8712	5980	6171	103.2

1	2	3	4	5
केपीसीएल	9774	6135	7567	123.3
केईबी	442	304	280	92.1
केएसईबी	7170	4886	4807	98.4
टीएनईबी	4915	3553	3081	86.7
बीएसईबी	290	230	130	36.5
ओएसईबी	5010	3106	2848	91.7
डब्ल्यूबीएसईबी	363	298	316	106.0
सिक्किम	45	33	7	21.2
मेघालय	468	313	445	142.2
त्रिपुरा	50	34	39	114.7
अरुणाचल प्रदेश	20	13	8	61.5
कुल राज्य क्षेत्र	57940	39470	39033	98.9
केन्द्रीय यूटिलिटीयां	11544	16931	16956	100.1
अखिल भारत	81000	57492	57168	99.4

ताप विद्युत स्टेशनों का संयंत्र भार घटक (%)

(अप्रैल, 99 से नवम्बर 99)

दिल्ली विद्युत बोर्ड	48.3
हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन	53.0
राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	76.9
पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	76.0
उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड	48.7
गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	64.5
गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड	65.0
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	68.6
मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	65.0
आंध्र प्रदेश जेनरेशन कारपोरेशन	80.9
तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	68.9
कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	79.3
बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	18.6
तेनुघाट (बिहार) विद्युत निगम लिमिटेड	33.7
उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन	82.6
पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	39.7
पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन	54.1
दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	23.8
असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	17.9
राज्य क्षेत्र कुल	61.8
केन्द्रीय क्षेत्र	70.5
निजी क्षेत्र	70.0
अखिल भारत	65.0

टेलीफोन लाइनों के लिए निविदाएँ

3045. श्री सुशील कुमार शिन्देः
श्री माधवराव सिंधियाः

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जुलाई, 1999 में 45 लाख टेलीफोन लाइनों के लिए निविदाएं जारी की थीं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से 30 लाख लाइनें 1900 रुपये से 2600 रुपये प्रति लाइन की दर से भारतीय निर्माताओं को दे दी गयी थीं और अन्य 13 लाख लाइनें 4380 रुपये से 5600 रुपये प्रति लाइन की दर से बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को दे दी गयी थीं; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय कम्पनियों और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को दी गई दरों में इतनी बड़ी विसंगतियों के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दूरसंचार विभाग ने एसबीएम, एमएएक्सएक्सएल तथा नई प्रौद्योगिकी एक्सचेंजों के लिए आमंत्रित निविदाओं के माध्यम से लगभग 36.67 लाख लाइनों का प्रापण किया है।

(ख) आमंत्रित निविदाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) दूरसंचार विभाग द्वारा दी जा रही प्रति लाइन कीमत सहित विभिन्न निविदाओं में विभिन्न उपस्करों के लिए विभिन्न कंपनियों की पात्रता के अनुसार उनको किया गया लाइनों का आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) दूरसंचार विभाग इन एक्सचेंजों के प्रापण के लिए अलग-अलग निविदाएं जारी करता है। चूंकि इन एक्सचेंजों की विशिष्टताएं, क्षमता और विनिर्देशन भिन्न होते हैं। इसीलिए दरें भी भिन्न होती हैं। एसबीएम एक्सचेंज मध्यम क्षमता वाले एक्सचेंज होते हैं तथा इनका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। एमएएक्सएक्सएल अधिक क्षमता के एक्सचेंज होते हैं। नई प्रौद्योगिकी के एक्सचेंज बहुत अधिक क्षमता वाले एक्सचेंज होते हैं, जिसमें बहुत सी तकनीकी विशिष्टताएं होती हैं।

विवरण I

क्र.सं.	एक्सचेंज का प्रकार	निविदा सं.	निविदा आमंत्रित सूचना की तारीख	निविदा खोलने की तारीख	आर्डर की गई मात्रा
1.	एसबीएम	एमएम/आरएन/ 011999/000158	11.2.99	07.4.99	12.31 लाख
2.	एमएएक्स-एक्सएल	एमएम/एसडब्ल्यू/ 121998/000151	18.2.99	26.4.99	11.36 लाख
3.	नई प्रौद्योगिकी	एमएम/एसडब्ल्यू/ 031999/000165	12.3.99	12.5.99	13.00 लाख

विवरण II

1. पात्रता शर्त:

निविदा आमंत्रण भारत में निविदागत उपस्कर के विनिर्माण हेतु पंजीकृत सभी आपूर्तिदाताओं/भारतीय कंपनियों के लिए खुला है।

2. उत्पाद का नाम

	अधिमान्य औसत दर/लाइन	निविदा सं.
क. एसबीएम एक्सचेंज उपस्कर	2718 रुपए	एमएम/आरएन/ 011999/000158 दि. 7.4.99 को खोला गया।

विभिन्न कंपनियों को आबंटन

(लाख लाइनों में)

क्र.सं..	कंपनियों का नाम	मात्रा
1	2	3
1.	यूनाइटेड टेलीकॉम लि.	2.46
2.	क्राप्टन ग्रीव्ज लि.	1.30
3.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लि.	1.34
4.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि.	1.10

1	2	3
5.	पंजाब कम्युनिकेशन्स लि.	1.03
6.	आई टी आई लि.	1.16
7.	एच टी एल लि.	1.00
8.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	0.52
9.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टी. कं. लि.	0.90
10.	इलैक्ट्रानिक्स कार्पो. ऑफ इंडिया लि.	0.74
11.	केरल स्टेट इलैक्ट्रानिक्स कार्पो. लि.	0.76

ख.	एम ए एक्स-एल/एक्सएल:	3570/-रु.	एमएम/एसडब्ल्यू/ 121998/000151 दि. 26.4.99 को खोला गया

(लाख लाइनों में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	मात्रा
1	2	3
1.	यूनाइटेड टेलीकॉम लि.	1.55
2.	क्रॉम्पटन ग्रीव्ज लि.	1.55
3.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लि.	1.55
4.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.	1.08
5.	पंजाब कम्यूनिकेशन्स लि.	1.55
6.	आई टी आई लि.	1.49
7.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	1.04
8.	इलैक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.55

ग.	नई प्रौद्योगिकी एक्सचेंज उपस्कर	4389.41 रुपए	एमएम/एसडब्ल्यू/ 031999/000165 दि. 12.5.99 को खोली गयी

(लाख लाइनों में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	मात्रा
1.	सिमेन्स	4.55
2.	एचटीएल	2.24
3.	एएमएनएस	2.13
4.	टी एल टी एल	2.06
5.	एरिक्सन	2.02

कन्नूर हवाई अड्डे को स्वीकृति

3046. **श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पहले से ही स्वीकृत कन्नूर हवाई अड्डे को मंजूरी प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) एक उच्च स्तरीय दल ने तकनीकी व्यवहार्यता के लिए विमानपत्तन स्थल का दौरा किया। दल ने सिफारिश की है कि कन्नूर में 6600 फुट से अधिक लम्बाई की हवाई पट्टी का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कन्नूर कालीकट से केवल 120 किलोमीटर और मंगलौर से 135 किलोमीटर दूर है। वर्तमान नीति के अंतर्गत, वर्तमान विमानपत्तन से 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के अंदर किसी ग्रीनफील्ड विमानपत्तन का विकास नहीं किया जा सकता। अतः पर्यावरण मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

''आई एस आई'' के आत्मघाती दस्ते

3047. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''आई एस आई'' ने जम्मू कश्मीर में आत्मघाती दस्ते बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले में यदि कोई हो, विशेष कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सरकार को कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि एल.ई.टी. और एच.एम. जैसे उग्रवादी गुटों के पास फिदायी (आत्मघाती दस्ते) हैं जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों पर हमला करने के लिए उकसाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को, शिविरों/प्रतिष्ठानों के आस-पास बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपाय करके पूरी तरह सतर्क रहने तथा पैदल व वाहनों में जाते समय अत्यधिक चौकस रहने को कहा गया है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में जल विद्युत उत्पादन

3048. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में जल विद्युत उत्पादन की काफी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका दोहन करने के लिए सरकार की क्या नीति है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1978-87 के दौरान ''वृहद् और मध्यम जल विद्युत स्कीमों की जल विद्युत शक्यता के पुन: मूल्यांकन'' के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर की जल विद्युत शक्यता को 60% भार अनुपात पर 7487 मे.वा. आंका गया है। इसमें से 480 मे.वा. (6.4%) का विकास कर लिया गया है, 407 मे.वा. (5.4%) क्रियान्वयनाधीन है तथा 503 मे.वा. (6.7%) की कुल शक्यता वाली जल विद्युत स्कीमों का के.वि.प्रा. द्वारा मूल्यांकन कर लिया गया है।

(ग) देश में जल विद्युत शक्यता का विकास करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों में केन्द्रीय/संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विद्युत निगमों का गठन करना, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियों और पद्धतियों का उदारीकरण करना, विद्यमान जल विद्युत संयंत्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन पर जोर देना, जल विद्युत विकास की गति को तीव्र करने के लिए एक नीतिगत ढांचे की स्थापना करना शामिल है।

राजनीतिक नेताओं और उनके संबंधियों को पेट्रोल पंपों का आबंटन

3049. **डा. चरणदास महंत:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जिन राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके संबंधियों को पेट्रोल पंपों का आबंटन किया गया है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रकार के पेट्रोल पंपों के आबंटन के क्या मानदंड हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) विद्यमान नीति के अनुसार राजनीतिक दलों के नेताओं अथवा उनके संबंधियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आवंटन आयु, राष्ट्रीयता, शैक्षिक योग्यता, आय, बहु डीलरशिप मानक, आवास, इत्यादि से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को किया जाता है। इनका चयन डीलर चयन बोर्ड के माध्यम से गुण-दोष के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में निर्माण कार्य

3050. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डोडा-चम्बा सड़क पर निर्माण कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा उसमें से अभी तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) जम्मू-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इसका निर्माण कार्य कौन-सी एजेंसियां कर रही हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) प्रश्न में उल्लिखित सड़कें न तो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और न ही केन्द्र द्वारा प्रायोजित किसी सड़क स्कीम के अंतर्गत आती हैं। इन सड़कों के सुधार और रख-रखाव के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बिजलीघर

3051. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बिजलीघरों को स्थापित करने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विचार देश में निकट भविष्य में और ताप विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा किसी विशेष क्षेत्र/राज्य में किसी विद्युत संयत्र की स्थापना का निर्णय कोयला/ईंधन की उपलब्धता, क्षेत्र में मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, भूमि और पानी जैसे मुख्य निवेशों की उपलब्धता, परियोजना स्थल द्वारा पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने और कम से कम मुख्य कृपीय/वन भूमि का अधिग्रहण करने तथा परियोजना से कम से कम लोगों के प्रभावित होने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को परियोजना स्थल द्वारा पूरा करने, तथा पर्याप्त बचावकारी प्रक्रिया के साथ लाभभोगी राज्यों द्वारा विद्युत क्रय समझौता पर हस्ताक्षर करने की इच्छा और भुगतान करने की योग्यता तथा अन्य तकनीकी आर्थिक विवादों को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। एनटीपीसी द्वारा निकट भविष्य में चालू की जाने वाली प्रत्याशित/निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है:

परियोजना/स्थल का नाम	क्षमता (मे.वा.)	पहले से चालू की गई क्षमता (मे.वा.)
विन्ध्याचल थर्मल पावर परियोजना चरण-2, मध्य प्रदेश	1000	500
फरीदाबाद गैस पावर परियोजना, हरियाणा	430	286
सिम्हाद्री थर्मल पावर परियोजना, आंध्र प्रदेश	1000	शून्य
तलचेर थर्मल पावर परियोजना चरण-2 उड़ीसा	2000	शून्य

इसके अतिरिक्त एनटीपीसी उत्तर प्रदेश में रिहन्द ताप विद्युत परियोजना चरण-2 (1000 मे.वा.) आंध्र प्रदेश में रामागुण्डम ताप विद्युत परियोजना चरण-3 (500 मे.वा.) और मध्य प्रदेश में दूसरी सिपत ताप विद्युत परियोजना (2000 मे.वा.) का कार्य हाथ में लेने की आयोजना रखता है, एनटीपीसी ने बिहार में, उत्तरी कर्णपुरा, बाड़ और कहलगांव और तमिलनाडु में चेम्पूर में कोयला आधारित मेगा विद्युत परियोजनाओं तथा उत्तर प्रदेश में औरय्या (650 मे.वा.) राजस्थान में, अन्ता (650 मे.वा.) गुजरात में गंधार (650 मे.वा.) एवं कवास (650 मे.वा.) गैस आधारित परियोजना की स्थापना का कार्यक्रम बनाया है। इन परियोजनाओं से लाभ 10वीं तथा 11वीं योजना के दौरान प्राप्त होंगे। रिहन्द चरण-2 तथा रामागुण्डम चरण-3 परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पहले ही प्रदान कर दी गई है।

तार घर

3052. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान संचार के अन्य माध्यम आ जाने के कारण ताप घरों से भेजी जाने वाली तारों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप सरकार का विचार तार घरों को खोलने पर होने वाले खर्चों को कम करने तथा उन्हें बन्द करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) नए तार घरों को स्थापति करने और उनका विस्तार करने की गति और मात्रा काफी हद तक कम हो गई है। तार घरों को बंद करने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

गुड़गांव में मांग पर टेलीफोन की सुविधा

3053. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अगस्त, 1999 के ''दी हिन्दुस्तान-टाइम्स'' में ''टेलीफोन ऑन डिमांड बाय 2000' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार वहां व्याप्त स्थिति के मद्देनजर गुड़गांव दूरसंचार जिले के लिए अतिरिक्त लोगों को पद स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक संपन्न किए जाने की संभावना है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) से (च) 24 अगस्त, 1999 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में टेलीफोन ऑन डिमांड बाई 2000 शीर्षक से छपा समाचार गुड़गांव में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने, अत्यधिक दोष दर, दूरसंचार सेवाओं तथा ग्राहक सेवा केंद्रों, कॉल केन्द्रों इत्यादि जैसी नई दूरसंचार सुविधाएं शुरू करने से संबंधित है। इस समाचार में रेडियो पेजिंग, वाइस मेल, इंटरनेट इत्यादि जैसी सेवाओं के लिए गुड़गांव चैम्बर ऑफ कामर्स की मांग भी है।

गुड़गांव में मार्च, 2000 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने की योजना है। अगस्त, 1999 में गुड़गांव नगर क्षेत्र में दोष दर अपेक्षाकृत रूप से अधिक थी, लेकिन अब यह कम हो गई है तथा इसे घटाकर एक अंक तक लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुड़गांव में ग्राहक सेवा केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार को हरियाणा दूरसंचार सर्किल के अंतर्गत आने वाले गुड़गांव दूरसंचार जिले में स्टाफ की कमी की जानकारी है। स्थिति में सुधार करने के लिए अतिरिक्त दूरसंचार तकनीकी सहायक तथा मोटर ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति मुख्य महाप्रबंधक, हरियाणा दूरसंचार सर्किल को पहले ही दी जा चुकी है। हरियाणा सर्किल में कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों की भर्ती की कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

टेलीफोन लाइनों का कार्य न करना

3055. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में होसुर तालुक के थाली क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोग टेलीफोन लाइनों के कार्य न करने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उस क्षेत्र में टेलीफोन सुविधाओं को सुधारने और इन लाइनों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) होसुर तालुक के थाली क्षेत्र में टेलीफोन लाइनें संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं, तथापि ओवरहेड पारेषण माध्यम तथा अपर्याप्त जंक्शनों के कारण अन्य एक्सचेंजों से कॉल प्राप्त करने तथा भेजने में उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(ग) थाली और टेंकनीकोट्टा के बीच पर्याप्त जंक्शनों सहित विश्वसनीय पारेषण माध्यम (ऑप्टिकल फाइबर केबल) की योजना बनाई गई है। जिसके 31.3.2000 तक चालू होने की संभावना है।

इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

3056. श्री अर्जुन सेठी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के भद्रक जिले में 2048 आई.एल.टी. इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज को हाल ही में चालू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त जिले में यह किस सीमा तक उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाएगा।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान, 2048 आईएलटी इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चालू किया गया था। अगस्त 1999 के दौरान, भद्रक में दूसरा 4000 लाइन का सी-डॉट एक्सचेंज चालू किया गया है, जो भद्रक के उपभोक्ताओं को बेहतर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

3057. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों के किन-किन स्थानों पर स्थापित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का इन परियोजनाओं की स्थपना हेतु विदेशी संस्थाओं को गारंटी प्रदान करने संबंधी समझौता करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) इन नई परियोजनाओं का अनुमोदन और कार्यान्वयन कब तक हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) सात परियोजनाओं (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और अलग से आठ निजी क्षेत्र परियोजनाओं को फ्यूल लिंकेज दे दी गई है। दो परियोजनाएं (एक राज्य क्षेत्र में और एक निजी क्षेत्र में) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांचाधीन है। चौबीस परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वापस कर दिया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) क्रियान्वयन सभी लंबित निवेशों/स्वीकृतियों और सुनिश्चित की जा रही परियोजनाओं के वित्तीय समापन पर निर्भर करेगी।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	के.वि.प्रा. में प्राप्ति की तिथि	टीईसी स्वीकृति की तिथि
1	2	3	4	5
क. के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत/मूल्यांकित				
1.	अनपारा-सी (टी)-यूपीएसईबी	2×500	11/94	9.8.96
2.	विष्णुप्रयाग एचईपी (एच) (मै. जयप्रकाश पावर वेंचर लि.)	4×100	4/97	3.6.97

1	2	3	4	5
3.	रोजा टीपीपी (चरण-1) (टी) (मै. इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर) टिहरी	2×283.5	4/96	20.8.97
4.	टिहरी बांध चरण-2 एचईपी (एच) (उ.प्र.)-टिहरी हाइड्रो पावर कार्पोरेशन लि.	4×250	3/81	10.10.88
5.	औरैया सीसीएसटी चरण-2 (टी) (उ.प्र.)-एनटीपीसी	1×650	5/97	28.9.98
6.	रिहन्द एसटीपीपी चरण-2 (टी) एनटीपीसी	2×500	9/98	22.7.99 1.10.99
7.	श्रीनगर एचईपी (एच) (मै. डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कम्पनी लि.)	5×66	10/99	26.11.99

तरल ईंधन परियोजनाएं जिन्हें फ्यूल लिंकेज दी गई है:

		क्षमता (मे.वा.)	ईंधन
1.	कोसीकलां (वासन एक्सपोर्ट)	355	नापथा
2.	गाजियाबाद (नौएडा पावर कं. आरपीजी)	100	नापथा
3.	साहिबाबाद (इलेक्ट्रिक सप्लाई कं. इंडिया लि.)	100	नापथा
4.	सहारनपुर (मै. कंट्रोल एंड स्विचगीयर)	100	नापथा
5.	चन्दौसी (आईपीपी लि.)	100	नापथा
6.	लखनऊ (गिन्नी फिलिमेंट्स)	100	नापथा
7.	वाराणसी (गुजरात फ्लोर कैमिकल्स)	100	नापथा
8.	गजरौला (एनप्रो इंडिया)	100	भारी ईंधन

		क्षमता (मे.वा.)	वापसी की तिथि	
		1	2	
ख. के.वि.प्रा. में परीक्षाधीन डीपीआर				
1.	मनेरी भाली-2 एचईपी (एच)-यूपीएसईबी	4×76	8/98	-
2.	जवाहरपुर टीपीपी (टी) (मै. जवाहरपुर पॉवर इंडिया प्रा.लि.)	2×400	26.12.96	-
ग. लौटाई गई स्कीमें/प्रत्याशित डीपीआर का प्रस्तुतीकरण				
1.	पाला मनेरी एचईपी (एच)	4×100	1/87	
2.	कोटलीभेल बांध एचईपी (एच)	4×250	9/83	
3.	पंचांद एचईपी (एच)	6×15	7/83, 4/89	
4.	परीचा विस्तार (टी)	2×210	6/79, 4/89	
5.	औरैया जीटी (टी)	5×120	7/84	
6.	नरौरा (टी)	3×210	3/82	
7.	परताबपुर (टी)	2×500	1/84	
8.	दोहरीघाट (टी)	2×210	5/78	
9.	बाउला नन्द एचईपी (एच)	3×44	5/93	
10.	तपोवन एचईपी (एच)	3×120	5/93	
11.	बेलथारा रोड (टी)	3×250	11/92	

		1	2
12.	लोहारी नागपालाएएचईपी (एच)	4×130	12/88
13.	औनला सीसीजीटी (टी)	600	3/91
14.	बबराला सीसीजीटी (टी)	600	4/91
15.	शाहजहांपुर सीसीजीटी (टी)	600	5/91
16.	जगदीशपुर जीटीसीसी (सी)	4×35	5/89, 8/90
17.	तियुनीप्लासू एचईपी (एच)	3×14	1/93
18.	फर्रुखाबाद गैस (टी)	800	12/90
19.	दादरी गैस आधारित (टी)	600	9/88
20.	बोरीगंगा एचईपी चरण-1 व 2 (एच)	3×20	10/90
21.	गोरीगंगा एचईपी चरण-3 ए व बी (एच)	3×40	4/92
22.	धौलीगंगा एचईपी (एच)-एनएचपीसी	3×70	11/96
23.	किशाऊ बांध एमपीपी (एच)	4×150	6/98
24.	लखवर-व्यासी एमपीपी (एच)	3×100	9/99

[हिन्दी]

भारतीय तेल निगम द्वारा किसानों की भूमि का अधिग्रहण

3058. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने गैस और बाटलिंग संयंत्र की स्थापना के लिए महाराष्ट्र के नासिक जिले के पानवाड़ी, घोटाने, तहसील नंदगांव ग्राम के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया था और उन प्रत्येक किसानों के परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में आश्वासन दिये जाने के बावजूद अब तक किसानों के परिवार के सदस्यों को रोजगार नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन ने एल पी जी भरण संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से जिला नासिक, महाराष्ट्र में गांव धोताने/बुद्रुक/पनेवाडी में भूमि प्राप्त की है। इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा भूमि खोने वाले व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने के लिए भूमि खोने वालों को कोई वचन नहीं दिया गया था।

पर ऐसे सभी छह भूमि खोने वालों को नौकरी दे दी गई है जिनके बारे में पाया गया कि वे जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। अन्य उम्मीदवार नौकरी के लिए पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते थे, इसलिए नौकरी के लिए उन पर विचार नहीं किया गया।

[अनुवाद]

हाइड्रो-कार्बनों का उत्पादन

3059. **श्री प्रकाश परांजपे:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा कुओं से हाइड्रो-कार्बनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से कोई विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में तटीय राजमार्ग का निर्माण

3060. **डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में समुद्री चक्रवात से बचने के लिए तटीय राजमार्ग का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त राजमार्ग का निर्माण कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं। केन्द्र सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम और अरुणाचल प्रदेश में आतंकवाद

3061. **श्री संतोष मोहन देव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूटान सरकार के साथ, हमारे क्षेत्र से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए किसी संयुक्त कार्यनीती पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आतंकवादियों के सरगना की भूटान के अधिकारियों के साथ हुई एक मुलाकात में आतंकवादियों के सरगना, भूटान में अपने गिरोह की गतिविधियों को कम करने पर राजी हो गया है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव आतंकवादियों को असम और अरुणाचल प्रदेश के निकटवर्ती जिलों से भूटान अंतरित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने और हमारे क्षेत्र में आतंकवादियों के पुन: प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) भूटान में पूर्वोत्तर उग्रवादियों की उपस्थिति के संबंधित मामले पर भूटान नरेश से कई अवसरों पर चर्चा की गयी है। नरेश ने आश्वासन दिया है कि भूटान, भारत के हितों के विरुद्ध अपने क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं होने देगा।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

हेरोईन बनाने वाले कारखाने का भंडाफोड़

3062. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में एक हेरोइन बनाने वाले कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने 28 नवम्बर, 1999 को बंगलौर में एक होटल से 18.83 किलोग्राम हैरोईन पकड़ी और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके बाद दिल्ली में उसके रिहायशी और व्यापारिक परिसर की 29 नवम्बर, 1999 को की गयी तलाशी के परिणामस्वरूप 32.50 किलोग्राम हैरोईन और 70 मीटर एसेटिक एनहाईड्राईड, जो आवश्यक प्रिकयूसर केमीकल है, के साथ, हैरोईन के उत्पाद में प्रयोग आने वाले कुछेक अन्य केमीकल और उपकरण बरामद किए गए। इससे तीन अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और सभी अभियुक्त न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए।

नए टेलीफोन कनैक्शन

3063. श्रीमती संतोष चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन सभी उपभोक्ताओं को टेलीफोन-कनैक्शन प्रदान कर दिए हैं, जिन्होंने 3000 रुपए की राशि जमा करके अपने टेलीफोन-कनैक्शन बुक कराए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या ईदगाह दूरभाष केन्द्र (दिल्ली) ने भी सितम्बर, 1999 में बुक कराए गए बकाया कनेक्शनों को जारी कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। उन उपभोक्ताओं की, जिन्होंने 3000 रु. जमा करके अपने टेलीफोन बुक किए हैं, लगभग 20,320 ओ वी, एम टी.एन.एल., दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में लम्बित हैं।

(ख) और (ग) सितम्बर, 1999 में किए गए पंजीकरण के कुल 490 मामलों में से 349 मामले, नए टेलीफोनों की व्यवस्था करने के लिए ईदगाह टेलीफोन एक्सचेंज (दिल्ली) में लंबित हैं। जून, 2000 तक, टेलीफोन प्रदान करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को फटकार

3064. श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 दिसंबर, 1999 के "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मट्टु केस: सी.बी.आई. क्लूलेस ऑन ह्वाट वेन्ट रौन्ग विद द इन्वेस्टीगेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी हाँ, श्रीमान्। सरकार ने 14 दिसम्बर, 1999 को इस सम्माननीय सदन में "प्रियदर्शिनी मट्टू मामले" में अपनी ओर से दिए वक्तव्य में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

महाराष्ट्र में पेट्रोल पंपों और रसोई गैस की एजेंसियों की स्थापना

3065. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अगले वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुछ नए पेट्रोल/डीजल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ग) महाराष्ट्र के नासिक जिले में 22 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा 17 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना की जानी है। वर्तमान नीति के अनुसार विपणन योजनाओं में शामिल डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से चयन के लिए विज्ञापित किया जाता है। विज्ञापन जारी करने की तारीख से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू होने में आमतौर पर 1-2 वर्ष लगते हैं।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत छूट

3066. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से विशाखापत्तनम के वन्य क्षेत्रों और गोदावरी जिले के पूर्वी क्षेत्रों में कहवा उगाने की अनुमति देने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में छूट देने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में छूट प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से विशाखापत्तनम के वन्य क्षेत्रों और गोदावरी जिले के पूर्वी क्षेत्रों में कहवा उगाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में छूट देने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियम और दिशानिर्देशों के उपबन्धों के अनुसार कहवा की खेती को वनेतर गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है और इसलिए वन भूमि पर इस तरह के कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

तदनुसार 23.12.1998 को यह सूचित किया गया था कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पूरी छूट देना सम्भव नहीं है। तथापि, यदि राज्य सरकार चाहती है तो वे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 और वन (संरक्षण) नियम 1981 के नियम 4 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को प्रत्येक मामले के आधार पर औपचारिक प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन डायरेक्टरियां

3067. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में गत दो वर्षों के दौरान टेलीफोन डाइरेक्टरियों की छपाई नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा टेलीफोन डाइरेक्टरियों के सही समय पर छपाई हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) मुद्रित डायरेक्टरियों का एसएसए-वार (दूरसंचार जिला) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) संविदात्मक समस्याओं के कारण कई स्थानों पर टेलीफोन डायरेक्टरियों के मुद्रण में देरी हुई। टेलीफोन डायरेक्टरियो का समय पर प्रकाशन करने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरियों के मुद्रण संबंधी नीति को हाल ही में संशोधित किया गया है। संशोधित मुद्दों में विक्रेता के लिए न्यूनतम अर्हता, कड़ी सजा संबंधी धारा, कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी, चरणबद्ध बोली, नेगेटिव रायल्टी पर टेलीफोन डायरेक्टरियों के मुद्रण पर निर्णय लेने के लिए मुख्य महाप्रबंधक को, शक्तियां सौंपना, इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरियां तथा बड़े शहरों में सीडी-आरओएम आदि शामिल है।

विवरण

क्र. सं.	एसएसए का नाम	वर्तमान डायरेक्टरी के मुद्रण का वर्ष	तक संशोधित
1	2	3	4
1.	आरा	1997	अगस्त, 1997
2.	भागलपुर	1996	अक्तूबर, 1996
3.	छपरा	1997	अगस्त, 1996
4.	धनबाद	1997	अगस्त, 1997
5.	दरभंगा	1997	मार्च, 1997
6.	डुमका	1997	अगस्त, 1996
7.	गया	1997	अगस्त, 1997
8.	हजारीबाग	1997	अगस्त, 1997
9.	जमशेदपुर	1997	अगस्त, 1997
10.	मोतीहारी	1997	अगस्त, 1996
11.	मुजफ्फरपुर	1994	दिसम्बर, 1993
12.	मुंगेर	1996	अक्तूबर, 1996
13.	पटना	1996	नवम्बर, 1996
14.	रांची	1997	दिसम्बर, 1996
15.	ससाराम	1997	अगस्त, 1997
16.	सहरसा	1997	अक्तूबर, 1996
17.	डाल्टनगंज	1997	अगस्त, 1997

कच्चे तेल का उत्पादन

3068. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक खोजी गई संभावनाओं के आधार पर देश में कच्चे तेल का कितना उत्पादन होने की संभावना है; और

(ग) इस समय देश में कच्चे तेल का कितना उत्पादन हो रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ग) वर्ष 1998-99 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 32.72 मिलियन मीटरी टन (मि.मी.ट.) था। निम्नलिखित उपायों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाए जाने के लगातार प्रयास किये गए हैं:

(1) बेहतर रिजर्वायर प्रबंध, त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षणों, इनफिल वेधन, दाब अनुरक्षण, इंस्टालेशन/कृत्रिम लिफ्ट सिस्टम के इष्टतमीकरण तथा उन्नत व लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा मौजूदा क्षेत्रों से इष्टतम उत्पादन करना।

(2) खोजे गए नए तेल क्षेत्रों का तेजी से विकास।

(3) गहन अन्वेषण कार्यों द्वारा नए हाइड्रोकार्बन रिजर्व खोलना, जैसे:

(i) मौजूदा क्षेत्रों में अधिक गहराई तक अन्वेषण।

(ii) गहन जल तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य बढ़ाना।

(iii) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति को लागू करते हुए अन्वेषण कार्यों में निजी भागीदारी को बढ़ाना।

नौवीं योजना दस्तावेज के अनुसार नौवीं योजना की समाप्ति तक कच्चे तेल का उत्पादन 36.98 मि.मी.ट. होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

इंडियन आयल कार्पोरेशन के एलपीजी वितरकों को जारी किया गया आशय-पत्र

3069. **श्री जे.एस. बराड़**: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन, दिल्ली जोन द्वारा क्षेत्र "आशय-पत्र" के माध्यम से कितनी एलपीजी वितरण एजेंसियां खोली गईं;

(ख) क्या इन वितरण एजेंसियों को सरकार की अनुमति प्राप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार के अवैध आवंटनों पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (घ) आई ओ सी द्वारा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जो "आशय पत्र" क्षेत्र कहलाती हो। पर पिछले तीन वर्षों अर्थात 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने दिल्ली में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए 5 आशय-पत्र जारी किये हैं। जिनमें से 3 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें पहले ही चालू की जा चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश में वनों का विकास

3070. **श्री रवि प्रकाश वर्मा**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वनों के विकास के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) मंत्रालय ने नौवीं योजना के

लिए इस मंत्रालय की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के तहत प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। मंत्रालय ने नौवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं के लिए 3421 लाख रु. के परिव्यय का अनुमोदन किया है। राज्य को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. एकीकृत वनीकरण एवं पारिविकास परियोजना स्कीम (आई.ए.ई.पी.एस.)

(लाख रु. में)

जिला	नौवीं योजना परिव्यय	1997-98		1998-99		1999-2000	
		मंजूर की गई	जारी की गई	मंजूर की गई	जारी की गई	मंजूर की गई	जारी की गई
1	2	3	4	5	6	7	8
देहरादून	344.60	45.01	45.01	73.69	73.69	78.65	37.90
उत्तरकाशी	340.90	30.81	30.81	72.14	72.14	81.03	40.52
पौड़ी	285.39	41.63	41.63	56.19	56.19	64.80	48.60
नैनीताल	725.98	67.97	67.97	158.58	158.58	174.90	116.40

2. क्षेत्रोन्मुखी ईंधन एवं चारा पौधरोपण स्कीम (ए.ओ.एफ.एफ.पी.एस.)

नौवीं योजना परिव्यय	1997-98		1998-99		1999-2000	
	मंजूर की गई	जारी की गई	मंजूर की गई	जारी की गई	मंजूर की गई	जारी की गई
1444.36	217.02	212.44	298.61	205.62	343.17	123.21

3. गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद स्कीम (एन.टी.एफ.पी.एस.)

(लाख रुपये में)

नौवीं योजना परिव्यय	1997-98		1998-99		1999-2000	
	मंजूर की गई	जारी की गई	मंजूर की गई	जारी की गई	मंजूर की गई	जारी की गई
262.75	62.00	53.00	77.70	0.00	64.85	0.00

यनम-येदुरूलंका पुल

3071. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से यनम-येदुरूलंका पुल के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा 50 करोड़ रुपये का योगदान करने हेतु कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम से जिस योगदान की मांग की गई है, उसे इसने पूरा किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने यनम-येदुरूलंका पुल के निर्माण के लिए ओ एन जी सी से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। ओ एन जी सी अपने हिस्से के रूप में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने पर सहमत हो गया था, जिसका भुगतान 2.50 करोड़ रुपए की चार समान किस्तों में किया जाएगा। ओ एन जी सी तथा राज्य सरकार के बीच हुए करार के अनुसार अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद शीघ्र ही प्रथम किस्त जारी की जा रही है।

ऊपरि पुलों का निर्माण

3072. श्री एम. चिन्नासामी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कप्पूरबाईपास सड़क फाटक, कापूर-पूगलूर सड़क रेल फाटक और लाला पेट्टई रेल फाटक के निर्माण से संबंधित कार्य न शुरू किये जाने के क्या कारण हैं जबकि इसका शिलान्यास 25 अक्तूबर 1998 को ही किया गया था;

(ख) क्या इस परियोजना को इसी वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) करूर बाइपास पर मौजूदा लेवल क्रासिंग के बदले में रा.रा.-7 पर करूर सड़कोपरि पुल (आर ओ बी) का निर्माण-कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

करूर-पूगलूर सड़क एक राज्यीय सड़क होने के कारण इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है।

रा.रा.-67 पर लालापेट आर ओ बी के निर्माण में पर्याप्त भूमि अधिग्रहण और उपयोगी सुविधाओं का

स्थानांतरण कार्य शामिल है। परियोजना की तैयारी पहले ही शुरू की जा चुकी है और भूमि अधिग्रहण तथा उपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण पूरा हो जाने के बाद कार्य को अगले वित्त वर्ष में सौंपे जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-209

3073. **श्री पी. कुमारासामी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार कार्य हेतु 130 करोड़ रुपये का आवंटन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राशि के बड़े हिस्से का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-209 के लिए किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां। तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुधार (विकास और अनुरक्षण) कार्यों के लिए 142.24 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है।

(ख) जी नहीं। यह राशि तमिलनाडु में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च की जानी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मूल के लोगों को स्वदेश भेजना

3074. **श्री बलवीर सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999 के अंत तक देशवार और विमान पत्तनवार भारतीय विमान पत्तनों पर भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों को स्वदेश भेजा गया; और

(ख) इनमें भारतीय पासपोर्ट धारक और विदेशी पासपोर्ट धारकों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) विदेशी राष्ट्रिकों के मूल स्थान का ध्यान रखे बिना, स्वदेश वापस भेजे गए विदेशी नागरिकों के राष्ट्रीयतावार आंकड़े रखे जाते हैं। वर्ष 1999 (सितम्बर तक) के दौरान, 380 विदेशी नागरिकों को भारत से निर्वासित किया गया तथा 972 को पांच प्रमुख हवाईअड्डों पर भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। राष्ट्र-वार तथा हवाई-अड्डा-वार आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

निर्वासित किए गए विदेशी नागरिक

दिल्ली	मुम्बई	कलकत्ता	चेन्नै	त्रिवेन्द्रम
47	41	66	188	38

(श्रीलंका-120, बंगलादेश-51, अफगानिस्तान-16, फ्रांस-14, म्यंमार-13, नाईजीरिया-13, कनाडा-10, चीन-10, केन्या-10, अन्य-83, जोड़-380)

विदेशी राष्ट्रिक जिन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई

दिल्ली	मुम्बई	कलकत्ता	चेन्नै	त्रिवेन्द्रम
283	366	63	212	48

(श्रीलंका-120, यू.एस.ए.-60, यू.के.-40, पाकिस्तान-34, बंगलादेश-26, कनाडा-24, डच-22, फ्रांस-21, आस्ट्रेलिया-19, चीन-14, अन्य-592, जोड़-972)

उपर्युक्त आंकड़े विदेशी पासपोर्ट धारकों के हैं, इनमें से कुछ भारतीय मूल के हो सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट धारकों को भारत से बाहर निर्वासित नहीं किया जा सकता है।)

विशाखापत्तनम बंदरगाह का बहुउद्देशीय "बर्थ"

3075. **श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम बन्दरगाह अपने बहुउद्देशीय "बर्थ" के प्रचालन हेतु इसे किसी निजी कंपनी को सौंपने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या बन्दरगाह अगले वर्ष मार्च में शुरू होने वाले अपने बहुउद्देशीय "बर्थ" के प्रचालन हेतु किसी साझीदार की संभाव्यता का भी अध्ययन कर रहा है;

(ग) वर्ष 1998-99 में विशाखापत्तनम बंदरगाह से कितने टन का कारोबार हुआ;

(घ) वर्ष 1997-98 में हुए कारोबार की तुलना में कितना अधिक कारोबार हुआ; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान विशाखापत्तनम बन्दरगाह की टन क्षमता की ताजा स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) यह बहुउद्देश्यी बर्थ सन् 2000 के मध्य तक चालू किया जाना है। विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने सरकारी मार्गनिर्देशों के अनुसार बी ओ टी आधार पर इस बहुउद्देशीय बर्थ पर एक कन्टेनर टर्मिनल विकसित करने और उसके प्रचालन तथा प्रबंधन हेतु गैर-सरकारी उद्यमियों को आमंत्रित किया है।

(ग) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने 1998-99 में कुल 35.65 मिलियन टनभार की आवाजाही की।

(घ) 1997-98 की तुलना में 1998-99 के दौरान कुल यातायात में लगभग 0.36 मिलियन टन (0.99%) की मामूली गिरावट आई।

(ङ) चालू वित्त वर्ष में (नवम्बर, 99 तक) कुल 25.22 मिलियन टन भार की आवाजाही हुई।

देहरादून में वनरक्षकों की हत्या

3076. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 नवम्बर, 1999 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" के नई दिल्ली संस्करण में "फारेस्ट स्टाफ इन्टेंसिफाई एजिटेशन औवर किलिंग आफ गार्ड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा देहरादून के वन्य क्षेत्रों में आतंक राज समाप्त करने और देहरादून तथा हरिद्वार के वनों का संरक्षण करने के लिए क्या नये कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) देहरादून वन प्रभाग की अतरोड़ी रेंज में एक सक्रिय माफिया के सदस्यों द्वारा दो वन रक्षकों और एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को कथित रूप से मार दिया गया था।

(ग) और (घ) इस प्रकार की वारदातों से बचने के लिए प्रवर्तन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना जरूरी है। विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वाहनों, हथियारों और वायरलैस सैटों की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय सहायता की जा रही है। राजाजी उद्यान पहले से ही हाथी रिजर्व का एक हिस्सा है जो हाथी परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने का हकदार है और जहां सुरक्षित क्षेत्र के बाहर भी, विशेषकर हाथी-अहातों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता देय है।

काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में एलपीजी एजेंसियां

3077. **श्री कृष्णमराजू:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में कुल कितनी एलपीजी एजेंसियां कार्यरत हैं और इनके उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक को कुल कितने एलपीजी कनैक्शन आवंटित किए गए हैं; और

(ग) उक्त जिले में एलपीजी एजेंसियों की स्थापना के लिए लंबित आवेदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) फिलहाल आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के मुख्यालय काकीनाडा में 50000 से अधिक ग्राहक संख्या के साथ कुल 5 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर कार्यरत हैं। उपर्युक्त के अलावा ए पी एस पुलिस–काकीनाडा को एक अन्य प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी गई है जिसकी ग्राहक संख्या लगभग 1600 है।

(ग) काकीनाडा के लिए 5 अन्य एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की योजना बनाई गई है। वर्तमान नीति के अनुसार विपणन योजना में शामिल डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से चयन के लिए विज्ञापन दिया जाता है। विज्ञापन की तारीख से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू होने में आमतौर पर 1-2 वर्ष लगते हैं।

जामनगर में कर्मचारियों की कमी

3078. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के जामनगर जिले में विभिन्न डाक एवं तार कार्यालयों में डाकियों और अन्य कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जिले में रिक्त पद भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) *दूरसंचार विभाग:*

जामनगर एसएसए में कर्मचारियों का विवरण (समूहवार) निम्नानुसार है:

समूह	कर्मचारियों की स्वीकृत सं.	कार्यरत
1	2	3
समूह "क"	11	9
समूह "ख"	40	23
जेटीओ	64	38
समूह "ग"	931	763
समूह "घ"	168	147
योग	1214	980

समूह "ग" तथा समूह "घ" के अन्य संवर्गों में कमी का कारण भर्ती पर लगी रोक है।

डाक विभाग:

जामनगर डाक डिवीजन में, जिसमें जामनगर जिला भी शामिल है, पोस्टमैनों के 4 पद, समूह घ का एक पद तथा डाक सहायक के 17 पद खाली हैं। ये पद स्थानांतरण, चिकित्सा अशक्तता पर सेवानिवृत्ति तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और साथ ही कर्मचारियों की मृत्यु के कारण रिक्त हुए हैं।

(ग) *दूरसंचार विभाग:*

1. पदों को भरने के लिए विभागीय परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

2. कतिपय संवर्गों में सीमित सीधी भर्ती को अनुमति दी गई है।

3. जेटीओ की समूह "ख" में पदोन्नति के मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

4. जेटीओ के पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं आयोजित करने के लिए कहा गया है।

डाक विभाग:

डाक डिवीजन के रिक्त पद मौजूदा नियमों के अनुसार भर्ती द्वारा भरे जा रहे हैं। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 16 डाक सहायकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बिहार के लिए विश्व बैंक की सहायता

3079. **श्री राजो सिंह:** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने बिहार में सड़कों के विकास तथा पुलों/पुलियाओं और परिवहन की अन्य ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने विगत में भी ऐसे कार्यों के लिए सहायता प्रदान की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ने बिहार सहित विभिन्न राज्यों में राज्यीय सड़कों में सुधार हेतु, मार्च, 1989 में एक ऋण मंजूर किया। इसमें बिहार के लिए आबंटित 56.6 मिलियन अमरीकी डालर भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं में सोनपुर-छपरा और हाजीपुर-मुजफ्फरपुर सड़कें तथा भागलपुर में गंगा नदी पर पुल तथा सम्पर्क मार्ग भी शामिल हैं। चूंकि, परियोजनाएं पूरी नहीं हुई थीं, अतः बाद में ऋण को घटा कर 23.6 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया।

देश में गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

3080. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं कितनी हैं और उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं कुछ समस्याओं का सामना कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन समस्याओं पर काबू पाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) देश में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को उनकी उत्पादन क्षमता समेत इंगित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) अप्रैल-नवंबर, 1999 की अवधि के लिए गैस दहन स्टेशनों के संबंध में 31847 मिलियन यूनिट के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन लगभग 31771 मिलियन यूनिट (9.8%) था। यह गत वर्ष इसी अवधि के दौरान प्राप्त उत्पादन से 13.3% अधिक है। यूटिलिटियों में गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण गैस की उपलब्धता और आवश्यकता आदि को मद्देनजर रखते हुए राज्य विद्युत बोर्डों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ परामर्श करके किया जाता है। देश में गैस की कमी को देखते हुए सरकार ने सहायक तरल ईंधन का उपयोग करने से संबंधित निर्देश जारी किए हैं ताकि विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तरल ईंधन पर प्रचालन कार्य भागीदार राज्यों की आवश्यकताओं पर आधारित है।

विवरण

30.11.99 की स्थितिनुसार 20 मे.वा. से अधिक क्षमता की गैस विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता

क्र.सं.	विद्युत परियोजनाओं के नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट में)
1	2	3
1.	फरीदाबाद सीसीजीटी	286.00
2.	रामगढ़ (राजस्थान)	38.50
3.	डी.वी.बी. जीटी	282.00
4.	औरैया (उ.प्र.) एनटीपीसी	652.00
5.	दादरी (उ.प्र.) एनटीपीसी	817.00
6.	अन्ता (राजस्थान) एनटीपीसी	413.00
7.	धुव्रण (गुजरात)	54.00
8.	उत्तरान (गुजरात)	144.00
9.	वटवा (गुजरात)	100.00
10.	हजीरा (गुजरात)	515.00
11.	जीआईपीसीएल बड़ौदा गैस टरबाईन (गुजरात)	167.00
12.	पगुथन (गुजरात)	655.00
13.	उरान (महाराष्ट्र)	912.00
14.	टाटा ट्राम्बे (महाराष्ट्र)	180.00
15.	डाभोल (महाराष्ट्र)	740.00
16.	कवास (गुजरात) एनटीपीसी	644.00
17.	गांधार (गुजरात) एनटीपीसी	648.00
18.	विज्जेश्वरम (आं.प्र.)	99.00
19.	गोदावरी विद्युत परियोजना (आं.प्र.)	208.00
20.	जेगरुपाडु इंड. प्रा.लि. (आं.प्र.)	235.40
21.	कोचीन (केरल)	90.00
22.	बेसिन ब्रिज (तमिलनाडु)	120.00
23.	कराईकल (पांडिचेरी)	22.90
24.	कायमकुलम (केरल) एनटीपीसी	350.00
25.	सलगांवकर (गोवा)	48.00
26.	हल्दिया (प. बंगाल)	40.00

1	2	3
27.	लकवा (असम)	120.00
28.	नामरूप (असम)	103.50
29.	रोखिया (त्रिपुरा)	48.00
30.	कैथालगुड़ी (असम) नीपको	291.00
31.	अगरतला (त्रिपुरा) नीपको	84.00
	जोड़	9107.00

महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में सिविल एवं आपराधिक मामले

3081. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में निपटान हेतु लंबित सिविल एवं आपराधिक मामलों की संख्या क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) आज की तारीख में, बंबई उच्च न्यायालय में 2,52,868 सिविल मामले और 22,537 दांडिक मामले निपटान के लिए लंबित हैं।

(ख) विभिन्न न्यायालयों में, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय भी हैं, लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि विशेष न्यायिक/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और लोक अदालत, सुलह, मध्यस्थता और माध्यस्थम् जैसी विवाद समाधान की अन्य वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाना। उच्च न्यायालयों ने भी मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए, ऐसे मामलों का, जिनमें विधि के समान प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं, समूहन और वर्गीकरण, विशेषित न्यायपीठों की स्थापना, मामलों के सूचीकरण का कंप्यूटरीकरण, आदि जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

पूर्वोत्तर में सीमा पर बाड़ लगाना

3082. श्री समर चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर की सीमा के मुकाबले कश्मीर सीमा पर अधिक संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर में सीमा सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कश्मीर और पूर्वोत्तर में सीमा पर चौकियों के बीच दूरी कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर में समूची अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) कश्मीर में, नियंत्रण रेखा पर मुख्यतः सेना को तैनात किया जाता है। जबकि जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की चौकियों की औसतन दूरी 2 कि.मी. है, पूर्वोत्तर में सुरक्षा बल की सीमा चौकियों के बीच दूरी 5.6 कि.मी. है।

(ङ) और (च) भारत-बंगलादेश सोमा के और 2429.50 कि.मी. में बाड़ लगाने का प्रस्ताव किया गया है। यह पहले से ही स्वीकृत 857.36 कि.मी. बाड़ के अतिरिक्त है। पूर्वोत्तर में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सड़क निर्माण और अन्य योजनाएं

3083. श्री रामदास आठवले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का प्रवर्तन होने के बाद से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल वन क्षेत्रों में चल रही सड़क निर्माण और अन्य योजनाओं का काम रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए इन सरकारी योजनाओं के अधीन होने वाले कार्यों को पुन: शुरू करने हेतु कोई विशेष छूट देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है या प्रस्तावित है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार, वन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आदि जैसी वनेतर गतिविधियों के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर किसी गतिविधि की मनाही नहीं है लेकिन यह केवल इस उद्देश्य से वन भूमि के वनेतर उपयोग को विनियमित करता है जिससे अन्य सभी विकल्पों की जांच की जाए तथा वन भूमि की मांग केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में कम से कम की जाए।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान (1996, 1997 एवं 1998) सड़कों और अन्य स्कीमों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	प्रस्तावों की श्रेणी	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत	अस्वीकृत	सूचना के अभाव में अस्वीकृत	लौटाए गए राज्यों द्वारा वापिस लिए गए	मंत्रालय के विचारधीन	सूचना के अभाव में राज्यों के पास लम्बित
1.	सड़कें	469	310	25	70	5	5	54
2.	अन्य स्कीमें	1947	1336	145	92	35	134	205
	योग	2416	1646	170	162	40	139	259

[अनुवाद]

रेलवे क्रासिंग पर उपरि पुल

3084. श्री सुनील खां : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बर्दवान जिले में रामपुर के निकट रेलवे क्रासिंग पर उपरि पुल इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में रामपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे क्रासिंग पर किसी उपरि पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में डाक सेवाएं

3085. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में विशेषत: विदर्भ और चिमूर क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के विकास/आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई कार्ययोजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और उक्त क्षेत्रों में डाक सेवाओं के विकास और विस्तार हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र सर्किल, विशेष रूप से विदर्भ तथा चिमूर परिक्षेत्रों में डाक सेवाओं के विकास, आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) महाराष्ट्र सर्किल, विशेष रूप से विदर्भ चिमूर परिक्षेत्रों में नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों (1997-98) तथा (1998-99) में उक्त सेवाओं के विकास तथा विस्तार के लिए कार्यक्रमों तथा चालू वार्षिक योजना (1999-2000) में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

डाक सेवाओं के विकास/आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए कार्यक्रम	महाराष्ट्र सर्किल		विदर्भ तथा चिमूर परिक्षेत्र	
	प्राप्त	व्यय	प्राप्त लक्ष्य	व्यय
1	2	3	4	5
खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	237	1,11,97,000 रु.	66	शून्य
खोले गए विभागीय उप डाकघर	42	-	3	-
आधुनिक बनाए गए डाकघर	182	4,39,60,766 रु.	29	73,31,903 रु.
आधुनिक बनाए गए रेल डाक सेवा कार्यालय	1	2,00,000 रु.	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
संस्थापित आटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर	1	20,20,00,000 रु.	शून्य	शून्य
डाकघरों में स्थापित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें, जिनमें वे मशीनें भी शामिल हैं जो बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हैं	252	1,50,00,000 रु.	32	19,00,000 रु.
संस्थापित वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल स्टेशन	6	60,00,000 रु.	1	10,00,000 रु.
कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण सार्टिंग वर्क	2	72,53,558 रु.	शून्य	शून्य
कम्प्यूटरीकृत ट्रांजिट मेल कार्यालय	1	23,90,035 रु.	शून्य	शून्य

विवरण-2

डाक सेवाओं के विकास/आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए कार्यक्रम	महाराष्ट्र सर्किल		विदर्भ तथा विमूर परिक्षेत्र	
	1997-98 में प्राप्त लक्ष्य	1999-2000 के लिए लक्ष्य	1997-98 में प्राप्त लक्ष्य	1999-2000 के लिए लक्ष्य
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना।	103	50	27	–
विभागीय उप डाकघर खोलना	7	3	–	–
डाकघरों का आधुनिकीकरण	39	3	7	1
रेल डाक कार्यालयों का आधुनिकीकरण	6	1	शून्य	1
डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना इनमें वे मशीनें भी शामिल हैं जो बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हैं	230	98	24	4
वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल स्टेशनों की स्थापना	शून्य	3	शून्य	1
पंजीकरण छंटाई कार्य का कम्प्यूटरीकरण/उन्नयन	1	1	शून्य	शून्य
ट्रांजिट मेल कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण	शून्य	1	शून्य	शून्य

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सदस्यों के विदेशी दौरे

3086. **श्री जी.एस. बसवराज : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा अपने विदेशी दौरे पर अधिक व्यय किये जाने के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को सरकार द्वारा नियमत: प्रदान किए जाने वाले भत्तों और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके द्वारा अधिक व्यय किए जाने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) ऑडिट रिपोर्ट का उद्धरण संलग्न विवरण-I में दिया है।

(ग) टी.आर.ए.आई. के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तों, भत्तों तथा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों तथा अन्य स्वीकृतियों की प्रतियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
अन्य स्वायत्त निकाय

1999 की संख्या 4

अध्याय IV

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

4. भारतीय दूरसंचार नियमितता प्राधिकरण–हकदारी की लेखापरीक्षा

प्राधिकरण की स्थापना के दो वर्षों के पश्चात् भी भारतीय दूरसंचार नियमितता प्राधिकरण (भा.दू.नि.प्रा.) के लेखाओं का फॉर्म तथा निधियम प्रबन्धों को सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया था। भा.दू.नि.प्रा. ने भा.दू.नि.प्रा. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना अप्राधिकत रूप के बहुत से आदेश जारी किये। अप्राधिकृत आदेश भा.दू.नि.प्रा. की अध्यक्षा तथा सदस्यों को लाभों के बहुत अच्छे पैकेज पहुंचा सकते थे। आन्तरिक जांच तथा नियंत्रण की प्रणाली में भी कमी पाई गई जिसके परिणामस्वरूप बहुत सी गम्भीर अनियमितताएं पाई गई थीं।

4.1 प्रस्तावना

भारतीय दूरसंचार नियामतता प्राधिकरण की स्थापना दूरसंचार सेवाओं तथा इससे सम्बन्धित घटनाओं के मियमन के उद्देश्य से भारतीय दूरसंचार नियमितता प्राधिकरण अधिनियम 1997 के नाम से जाने वाले संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी। अधिनियम 25 जनवरी, 1997 को प्रवृत्त हुआ।

4.2 लेखाओं का अनुरक्षण तथा निधियन प्रबन्ध

* भा.दू.नि.प्रा. अधिनियम की धारा 23(1) अनुबन्धित करता है कि प्राधिकरण सभी उपयुक्त लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखे अनुरक्षित करेगा तथा लेखाओं की वार्षिक विवरणी उस फॉर्म में तैयार करेगा जो कि केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित करे। परन्तु सरकार दिसम्बर 1998 तक भा.दू.नि.प्रा. के लेखाओं के फॉर्म को अंतिम रूप देने में विफल रही तथा इस प्रकार प्राधिकरण 1997-98 के लेखे अनंतिम फार्मेट पर तैयार तथा सत्यापित किये गये थे।

* सरकार दिसम्बर 1998 तक प्राधिकरण के निधियन प्रबन्धों को अंतिम रूप देने में असफल रही। वर्ष 1997-98 के दौरान भा.दू.नि.प्रा. के व्ययों को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गए अनुदानों से पूरा किया गया।

4.3 भा.दू.नि.प्रा. स्थापना की कार्य विधि

अप्रैल-मई 1998 के दौरान भारतीय दूरसंचार नियमितता प्राधिकरण (भा.दू.नि.प्रा.) की लेखापरीक्षा के दौरान बहुत से मामले ध्यान में आये जहां प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया तथा अपने व्यक्तिगत दावों से सम्बन्धित उन विषयों पर निर्णय लिया जो कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत निर्णीत किये जाने थे। व्यक्तिगत दावों के निपटान में गंभीर अनियमित भुगतान भी थे। अनियमितता तथा अनुपयुक्तता के महत्वपूर्ण मामलों की नीचे चर्चा की गई है:

4.4 अध्यक्षा तथा सदस्यों की सेवा शर्तें

अधिनियम के अन्तर्गत भा.दू.नि.प्रा. की अध्यक्षा तथा सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्णय लेने का केवल केन्द्र सरकार को अधिकार है

भा.दू.नि.प्रा. अधिनियम की धारा 35(2)(क) के अन्तर्गत, भा.दू.नि.प्रा. की अध्यक्षा तथा सदस्यों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध के नियम बनाने की शक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार एकल प्राधिकरण है। केन्द्र सरकार ने भा.दू.नि.प्रा. की अध्यक्षा तथा सदस्यों के वेतनमान तथा महंगाई भत्ते की दरें दिसम्बर 1997 में अधिसूचित कर दी थी परन्तु यह भा.दू.नि.प्रा. की अपने लिए सेवा की अन्य शर्तों को तुरन्त अधिसूचित करने में विफल रही।

अध्यक्ष तथा सदस्यों ने सरकार के अनुमोदन के बिना अपनी सेवा शर्तों के बारे में आदेश जारी किये

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि, भा.दू.नि.प्रा. अधिनियम के प्रावधानों का पूरा उल्लंघन करके भा.दू.नि.प्रा. की अध्यक्षा तथा सदस्यों ने घरेलू तथा विदेशी यात्राओं की दरों के निर्धारण, चिकित्सा लाभों, रिहायशी आवासों को उपलब्ध करने आदि के लिए, केन्द्र सरकार को अपने अप्राधिकृत निर्णय की सूचना दिये बिना अपने लिए स्वयं आदेश जारी किये। अपने सेवा शर्तों के सम्बन्ध में अध्यक्षा तथा सदस्यों द्वारा 29 मई से 1 सितम्बर 1997 के बीच लिये गए तदर्थ निर्णय परिशिष्ट-IX में दिये गए हैं। न तो प्राधिकरण को अधिनियम के अन्तर्गत इस तरह के आदेश जारी करने का अधिकार था न ही उसने इस बारे में केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति या सहमति ली।

लेखापरीक्षा की पूछताछ में संचार मंत्रालय ने बताया कि भा.दू.नि.प्रा. की अध्यक्षा और सदस्यों द्वारा अपनी शर्तों के विषय में लिये गए अन्तरिम निर्णय की उन्हें कोई सूचना नहीं थी।

भा.दू.नि.प्रा. ने नवम्बर 1998 में अपने उत्तर में बताया कि भा.दू.नि.प्रा. अधिनियम द्वारा प्राधिकरण में निहित स्वतन्त्रता को ध्यान में रखते हुए लिए गए नेकनियती निर्णयों के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है विशेषकर जबकि ये केन्द्र सरकार ने सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम न बनाने के सन्दर्भ में लिए गए थे।

प्राधिकरण का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि भा.दू.नि.प्रा. अधिनियम के अन्तर्गत अध्यक्षा तथा सदस्यों को केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना ऐसे आन्तरिक आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। यह स्वीकार किये गए मानदण्ड कि किसी संगठन के सर्वोच्च प्रशासक अपने लिए हकदारी के विधाता नहीं बन सकते है के भी विरुद्ध है। बाकी सभी एजेन्सियों में, जहां स्वतंत्रता बराबर तौर पर जरूरी है ये अधिकार किसी एजेन्सी/प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत रूप से ग्रहण नहीं किए गए।

4.5 अनियमित आदेशों से हकदारी की उच्च दरें अनुमत की

केन्द्र सरकार ने भा.दू.नि.प्रा. की अध्यक्षा को 9000 रु. नियत (संशोधन पूर्व) तथा सदस्यों का 8000 रु. नियत (संशोधन पूर्व) का वेतनमान प्रदान किया जो कि भारत सरकार के क्रमशः मंत्रीमंडल सचिव तथा सचिव का वेतनमान था। केन्द्रीय सरकार ने अध्यक्ष तथा सदस्यों को केन्द्र सरकार के ग्रुप 'क' अधिकारियों के समान दर पर महंगाई भत्ते की दरें भी अनुमत की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्राधिकरण द्वारा इसके तदर्थ आदेशों के अन्तर्गत अध्यक्षा तथा सदस्यों को उपलब्ध करवाई गई हकदारी भारत सरकार में उनके बराबर के अधिकारियों को ग्राह्य से अधिक थे जिनको वेतनमान तथा महंगाई भत्तों के मामले में सरकार द्वारा भा.दू.नि.प्रा. के अध्यक्षा तथा सदस्यों के बराबर माना गया था।

4.5.1 विदेश यात्रा

विदेश यात्रा के लिए भत्तों की असाधारण अधिक दरें

भा.दू.नि.प्रा. ने अध्यक्षा, सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों के संबंध में दिनांक 17 जून, 1997 को हुई अपनी बैठक में विदेशी यात्राओं के लिए दैनिक विराम भत्ते की पात्रता निम्नानुसार नियत की:

पदनाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान (पूर्व संशोधित)	भा.दू.नि.प्रा. द्वारा नियत दै.वि.भ.* (नेपाल को छोड़कर सभी देशों के लिए)
अध्यक्षा	9000 (नियत)	500 यू.एस. डॉलर प्रति दिन
सदस्य	8000 (नियत)	500 यू.एस. डॉलर प्रति दिन
सचिव	7300-7600	500 यू.एस. डॉलर प्रति दिन
आर्थिक सलाहकार	5900-7300	500 यू.एस. डॉलर प्रति दिन
संयुक्त सचिव तथा निदेशक	5900-6700 4500-5700	350 यू.एस. डॉलर प्रति दिन
उ.स. तथा उससे नीचे के अधिकारी	3700-5000	250 यू.एस. डॉलर प्रति दिन

टिप्पणी : नेपाल में सभी अधिकारी 250 यू.एस. डॉलर प्रतिदिन की दर से दैनिक विराम भत्ते के पात्र होंगे।

*भोजन तथा रहने के स्थान के लिए।

लेखापरीक्षा जांच से निम्नलिखित प्रकट हुआ कि:

भा.दू.नि.प्रा. ने विश्व में उन्नत प्रदत्त सिविल सेवा से अधिक दरों पर नियत

(i) भा.दू.नि.प्रा. की दैनिक विराम भत्ते की दरें अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सिविल सेवा, जो विश्व में एक उच्चतम प्रदत्त सिविल सेवा है, के अधिकारियों के लिए निर्धारित दरों से अधिक थी। विभिन्न स्टेशनों/देशों में भा.दू.नि.प्रा. के अधिकारियों तथा सं.रा. के अधिकारियों के दैनिक विराम भत्ते की दरों की तुलनात्मक स्थिति परिशिष्ट X में दी गई है। संयुक्त राष्ट्र भोजन तथा रहने के लिए स्थान के लिए लागत निश्चित करते हुए विभिन्न देशों में नियमित सर्वेक्षण करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों के लिए दैनिक विराम भत्ते (दैनिक निर्वाह भत्ता) की दरें नियत करता है। 500 यू.एस. डॉलर की भा.दू.नि.प्रा. की एकरूप दर बहुत महंगे शहरों जैसे लंदन, न्यूयार्क, जनेवा, सिंगापुर, पैरिस तथा टोकियों, में सं.रा. की दरों से अपेक्षाकृत अधिक थीं।

(ii) भा.दू.नि.प्रा. की अध्यक्षा, सदस्य तथा अन्य अधिकारियों की विदेश यात्रा के लिए दैनिक विराम भत्ते की उक्त दरें समान स्तर के केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के ग्राह्य दरों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक थी। भा.दू.नि.प्रा. दरों की विदेश मंत्रालय (वि.मं.) द्वारा विदेशी यात्रा के लिए निर्धारित दैनिक निर्वाह भत्ते की दरों के साथ सीधी तुलना करना संभव नहीं था क्योंकि वि.मं. यात्रा करने वाले देश में रहने के स्थान की लागत पर आधारित 60 यू.एस. डॉलर से 100 यू.एस. डॉलर के बीच दैनिक भत्ते का भुगतान करने के अतिरिक्त प्रभारों की प्रतिपूर्ति तथा उनके ठहरने के लिए होटलों के पैनल की व्यवस्था करता है। दूसरी ओर, भा.दू.नि.प्रा. ने भोजन, होटल प्रभारों आदि को शामिल करते हुए एक समान एक मुश्त दरें अनु[illegible] की। तथापि, लेखापरीक्षा में, वि.मं. के दरों की भा.दू.नि.प्रा. की दरों के साथ उन मामलों में जहां अतिथि शिष्टमंडल को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराए गए तथा पाया गया कि जबकि वि.म. के मियमों के अंतर्गत दैनिक निर्वाह भत्ता 60 यू.एस. डॉलर से 100 यू.एस.

डॉलर के बीच ग्राह्य था, भा.दू.नि.प्रा. ने नेपाल को छोड़कर सभी देशों में एकसमान 200 यू.एस. डॉलर की समान दर पर भुगतान किया होगा।

(iii) विभिन्न देशों के लिए दैनिक विराम भत्ते की एक समान एकमुश्त दर निर्धारित करने के लिए भा.दू.नि.प्रा. का निर्णय दैनिक भत्ते के निर्धारण के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है अर्थात् (क) दै.भ. इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह लाभ का स्रोत न बने तथा (ख) चूंकि दै.. भ. का भुगतान भोजन, होटल इत्यादि की लागत को वहन करने के लिए किया जाता है, दै.भ. की दर का विशेष स्थान/देश में खाने व ठहरने की लागत से कुछ सम्बन्ध होना चाहिए।

(iv) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दैनिक विराम भत्ते की एकसमान दरें भत्ते को भा.दू.नि.प्रा. के अधिकारियों के लिए लाभ का स्रोत बनाती है।

पहले वर्ष में, भा.दू.नि.प्रा. के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बैठकों में भाग लेने के लिए तथा विभिन्न अध्ययन यात्राओं के संबंध में मई 1997 तथा मार्च 1998 के बीच सिंगापुर, मनीला, आस्ट्रेलिया, हांगकांग, लॉस एंजलिस, यू.एस., लंदन, पैरिस, माल्टा, कनाडा, जनेवा, स्वीडन, काठमांडू तथा बैंकाक में विदेशी यात्राएं की। इन यात्राओं में से अधिकांश यात्राएं भा.दू.नि.प्रा. की अध्यक्षा, सदस्यों तथा सचिव द्वारा की गई थी।

भा.दू.नि.प्रा. ने अपने उत्तर में बताया कि दैनिक विराम भत्ते की दरें मोटे तौर पर अन्य संगठनों जैसे एस.ई.बी.आई., सी डॉट तथा एम.टी.एन.एल. में समकक्ष ग्रेडों की पात्रताओं के अनुसार नियत की गई थी तथा किए जाने वाले अपेक्षित कार्य के संदर्भ में तथा प्राधिकरण के सदस्यों को महत्व देने के लिए इन्हें अत्यधिक के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य/वरिष्ठ एक्जिक्यूटिवों के विशेष वेतनमान के लिए दै.वि.भ. अधिकतम 500 यू.एस. डॉलर की दर पर नियत किया। इस प्रकार, भा.रि.बै. द्वारा नियत केवल 500 यू.एस. डॉलर की दर एक अधिकतम दर है तथा सभी देशों के लिए एक समान रूप से लागू नहीं की जा सकती। *सभी देशों के लिए एक समान रूप से अधिकतम दर का आधार दर के रूप में अपनाया जाना भा.दू.नि.प्रा. का इसे लाभ का स्रोत बनाने की इच्छा का सूचक है।*

4.5.2 विदेशी यात्राओं के लिए संस्वीकृति

प्राधिकरण ने अपनी 29 मई 1997 में यह निर्णय लिया कि भा.दू.नि.प्रा. के अध्यक्ष, उप अध्यक्ष तथा वरिष्ठतम सदस्यों से बनी एक समिति सदस्यों तथा अध्यक्ष सहित भा.दू.नि.प्रा. के अधिकारियों की विदेशी यात्रा के मामलों पर निर्णय लेगी।

अतः भा.दू.नि.प्रा. ने 1997-98 के दौरान अध्यक्ष तथा सदस्यों सहित भा.दू.नि.प्रा. के अधिकारियों द्वारा ली गई प्रतिनियुक्ति/विदेशी यात्राओं के संबंध में भारत सरकार का कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं था। यह कार्यवाही किसी प्राधिकार के बिना की गई थी।

अधिनियम की धारा 6(1) तथा 35(2)(ख) में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित है कि अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यों का संचालन करने में सामान्य पर्यवेक्षण तथा निर्देशनों का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण की इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करने, तथा कार्यों, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके निर्धारित किया जाए, को करने का अधिकार होगा। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर दूरसंचार मंत्रालय, ने मई 1998 में स्पष्ट किया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी यात्रा हेतु अनुमोदन प्रदान करने के उद्देश्य से जांच समिति के कार्यों को करने के लिए भा.दू.नि.प्रा. की अध्यक्ष अथवा किसी अन्य सदस्य को यह अधिकार देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे। चूंकि भा.दू.नि.प्रा. की अध्यक्ष तथा सदस्यों के सेवा नियमों की शर्तों तथा उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जानी थी, अध्यक्ष तथा सदस्यों सहित विदेशी यात्रा के मामलों को अनुमोदित करने का भा.दू.नि.प्रा. का निर्णय अधिनियम के प्रावधानों या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा भा.दू.नि.प्रा. को किए गए शक्तियों के किसी प्रत्यायोजन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता था।

लेखापरीक्षा द्वारा संकेत किए जाने पर भा.दू.नि.प्रा. ने विदेशी यात्रा करने से पूर्व दूर संचार मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के संबंध में इस प्रकार के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए नवम्बर 1998 में प्रक्रिया का आशोधन किया।

4.5.3. घरेलू यात्रा

घरेलू यात्रा में व्यय पर कोई सीमा नहीं

जबकि भारत सरकार के सचिव स्तरीय केन्द्रीय सरकार के अधिकारी भारत के ए-1 क्लास शहरों में होटल में ठहरने पर प्रतिदिन 650 रु. दैनिक भत्ता प्राप्त करते हैं तथा कोई अन्य अतिरिक्त भोजन व्यवस्था प्रभार प्राप्त नहीं करते हैं, भा.दू.नि.प्रा. का अध्यक्ष तथा सदस्य पंचतारा होटलों में ठहरने के लिए वास्तविक आधार पर ठहराव प्रभार तथा व्हाउचर प्रस्तुत करने पर वास्तविक आधार पर भोजन व्यवस्था प्रभार भी प्राप्त करते हैं अतः भा.दू.नि.प्रा. अधिकारियों के संबंध में घरेलू यात्रा के लिए दैनिक भत्ता केन्द्रीय सरकार की दरों से ज्यादा था।

4.5.4 अन्य सुविधायें

* भा.दू.नि.प्रा. के अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर स्तर अनुमत किए जाने का मामला सरकार के पास विचाराधीन था। इस विषय में सरकारी अधिसूचना की प्रतीक्षा किए बगैर भा.दू.नि.प्रा. के अध्यक्ष को 2.26 लाख रु. मूल्य की निःशुल्क की सुसज्जा तथा बिजली के उपकरण उपलब्ध कराए गए।

* अध्यक्ष को मकान में निःशुल्क जल तथा विद्युत भी अनुमत की गई।

भा.दू.नि.प्रा. ने बताया कि अध्यक्ष के स्तर को ध्यान में रखते हुए, जो कि पहले उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था; मार्च 1998 तक 1.60 लाख रु. की राशि अध्यक्ष के घर को सुसज्जित करने तथा 0.66 लाख रु. उनके घर पर कार्यालय फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए खर्च किए गए। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह राशि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 2 लाख रु. की हकदारी से अधिक है।

4.6 तुलनात्मक स्थिति

भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों की हकदारी तथा तदर्थ आदेशों के अन्तर्गत भा.दू.नि.प्रा. के अध्यक्ष तथा सदस्यों को अनुमत की तुलनात्मक स्थिति परिशिष्ट-XI में दी गई है।

भा.दू.नि.प्रा. ने बताया कि चूंकि प्राधिकरण एक सरकारी विभाग नहीं है इसलिए इसके अधिकारियों की केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ हकदारी की तुलना सही नहीं है उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार ने भा.दू.नि.प्रा. के अध्यक्ष तथा सदस्यों को वेतन तथा महंगाई भत्ते के मामले में भारत सरकार के मंत्रीमंडल सचिव तथा सचिव के बराबर किया है; अतः बाकी मामलों में दरें अलग नहीं हो सकतीं।

लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किए जाने के बाद केन्द्रीय सरकार ने 15 मार्च 1999 को भा.दू.नि.प्रा. के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा-शर्तों को अधिसूचित किया। अधिसूचना के अनुसार, भा.दू.नि.प्रा. का अध्यक्ष तथा सदस्य केन्द्रीय सरकार के समान ग्रेड अधिकारियों के केवल सममूल्य पर विदेशी यात्रा भत्ते के हकदार होंगे। घरेलू यात्रा में दैनिक भत्ते के लिए अध्यक्ष पुनः रोजगार के समय पर ग्राह्य दरों पर जज के रूप में उसकी पात्रता के अनुसार भत्तों का हकदार होगा। भा.दू.नि.प्रा. के सदस्य केन्द्रीय सरकार के वर्ग 'क' अधिकारियों के स्तर के बराबर कर दिए गए हैं। अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर किराया मुक्त सज्जित आवास या उसके बदले उसके वेतन के $12^1/_2$ प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना 15 मार्च 1999 को जारी की गई है तथा उक्त दरें उसी तिथि से लागू की गई हैं। केन्द्रीय सरकार को 15 मार्च 1999 से पहले की अवधि के लिए निर्णय लेना होगा।

4.7 आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की कमी

भा.दू.नि.प्रा. के अध्यक्ष, सदस्यों तथा अधिकारियों के व्यक्तिगत दावों के निपटान में बहुत सी गम्भीर अनियमितताएं पाई गईं जो कि आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तथा प्रबोधन की पूर्णता कमी का संकेत देती है।

कुछ अनियमितताओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

4.7.1 मनोरंजन भत्ते का अधिनियमित दावा

यद्यपि मनोरंजन भत्ता विदेशी संभ्रान्त व्यक्तियों/विदेशी अतिथियों के मनोरंजन के लिए ग्राह्य है, अध्यक्ष ने 39547 रु. के बराबर हांगकांग डालर तथा आस्ट्रेलियाई डालर में अपने होटल में ठहरने के बिलों का मनोरंजन भत्ते के रूप में दावा किया। ये अनियमित दावे सितम्बर 1997 में हांगकांग तथा मेलबॉर्न में उसके दौरों से संबंधित थे तथा प्राधिकरण द्वारा

पारित किये गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, नवम्बर 1998 में प्रस्तुत किये उत्तर के अनुसार भा.दू.नि.प्रा. द्वारा सारी राशि अध्यक्ष से वसूल कर ली गई थी।

4.7.2 भत्ते का दुगना भुगतान

* भा.दू.नि.प्रा. का एक सदस्य मई 1997 में नेपाल के दौरे के दौरान होटल में ठहरा जिसके लिए भा.दू.नि.प्रा. द्वारा उसके ठहरने तथा भोजन तथा परिवहन के लिए ट्रैवल एजेन्ट के माध्यम से 7355 रु. का भुगतान किया गया था। उसने इसी दौरे क लिए 250 यू.एस. डालर की दर पर प्रतिदिन ठहरने के लिए भारतीय रु. में कुल 30068 रु. का दावा किया परिणामस्वरूप भत्ते का दुगना भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर भा.दू.नि.प्रा. ने सदस्य से अप्रैल 1998 में 7355 रु. वसूल कर लिये।

* अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा उनके मुम्बई, जयपुर, बंगलौर तथा चेन्नई में दौरों के संबंध में घरेलू यात्रा के लिए खान-पान प्रभारों के दुगने भुगतान के मामले भी थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर भा.दू.नि.प्रा. ने सम्बद्ध अधिकारियों से 3399 रु. वसूल कर लिए। भा.दू.नि.प्रा. ने यह भी बताया कि उपयुक्त कार्यवाही के लिए अन्य मामलों की समीक्षा हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही थी।

4.7.3 विदेशी एयरलाइनों द्वारा यात्रा

भारत सरकार, नागर विमानन विभाग के अक्तूबर 1985 के अनुदेश यह निर्धारित करते हैं जहां पर हवाई यात्रा का व्यय सरकार की निधियों से वहन किया जाता है, सम्बद्ध व्यक्ति को राष्ट्रीय वाहनों से यात्रा करनी चाहिए। उस मामले में जहां राष्ट्रीय वाहन उस तिथि को अथवा उसकी वांछित तिथि को यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम न हो अथवा राष्ट्रीय वाहन उस क्षेत्र में न चलता हो अथवा जिस स्थान पर यात्रा करनी हो उसके निकटतम सम्बद्ध स्थान पर कोई फ्लाइट न हो, सम्बद्ध विभाग/उपक्रम विदेशी एयर लाईन में सीधे यात्रा करने के लिए निर्धारित प्रोफॉर्मा में एयर इंडिया/इंडियन एयर लाईन से सम्पर्क करेगा। केन्द्र सरकार के इस आदेशों के उल्लंघन में भा.दू.नि.प्रा. के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अधिकारियों ने यू.एस.ए., कनाडा, आस्ट्रेलिया, यू.के., फ्रांस, स्वीडन तथा जेनेवा में दौरों के लिए विदेशी एअर लाइनों का उपयोग किया जबकि इनमें से बहुत से देशों के लिए इंडियन एयर लाइन की फ्लाइट उपलब्ध हैं।

भा.दू.नि.प्रा. ने बताया कि विदेशी एअर लाइनों से इसलिए यात्रा की गई थी क्योंकि वे सुविधाजनक अनुसूची तथा सुनिश्चित स्थान उपलब्ध करवा सकते थे। परन्तु यह दर्शाने के लिए कि इन दौरों के सम्बन्ध में वे एअर इंडिया से सुनिश्चित स्थान अथवा सुविधाजनक अनुसूची प्राप्त नहीं कर सके भा.दू.नि.प्रा. कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। न ही भा.दू.नि.प्रा. ने यह दर्शाने के लिए कि उन्होंने इस उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहनों से सम्पर्क किया था, जैसा कि नियमानुसार अपेक्षित था, कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।

4.7.4 प्रथम श्रेणी द्वारा हवाई यात्रा

1 अक्तूबर 1997 से पूर्व भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने जुलाई तथा अगस्त 1991 में विशेष रूप से निदेश जारी करते हुये भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों सहित भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों के अधिकारियों को देश में अथवा विदेश में प्रथम श्रेणी में हवाई गात्रा करने से विवर्जित कर दिया था। परन्तु सरकार के अनुदेशों के उल्लंघन में भा.दू.नि.प्रा. के दो सदस्यों ने मई तथा सितम्बर 1997 के बीच पांच हवाई यात्रायें प्रथम श्रेणी में कीं।

भा.दू.नि.प्रा. ने अपने उत्तर में बताया कि मंत्रीमंडल सचिवालय का मार्च 1995 का ओ.एम. सचिव स्तर अधिकारियों को प्रथम श्रेणी यात्रा की अनुमति देता है। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि ये अनुदेश मंत्रिमंडल सचिवालय ओ.एम. के पैराग्राफ 1(ix) में दिये गये है तथा ये केन्द्रीय मंत्रियों तथा उनके निजी स्टॉफ द्वारा विदेशी यात्राओं पर लागू होते हैं। पैराग्राफ 2(i) में ओ.एम. विशेष रूप से स्पष्ट करता है कि सरकारी अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति के मामले में समय-समय पर जारी तथा विदेश मंत्रालयों के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

4.7.5 कार्यालय में कार्यग्रहण करने से पूर्व यात्रायें

भा.दू.नि.प्रा. के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने 25 मार्च 1997 को प्राधिकरण का प्रभार सम्भाला। अध्यक्ष ने 27 फरवरी से 24 मार्च 1997 अर्थात् प्राधिकरण में कार्यग्रहण करने से पूर्व चण्डीगढ़ से दिल्ली तक उसके द्वारा की गई तीन यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रा भत्ते का दावा किया। इसी प्रकार उपाध्यक्ष ने भी 27 फरवरी से 24 मार्च 1997 तक जयपुर से दिल्ली की तीन यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते का दावा किया। प्राधिकरण द्वारा दावे पारित कर दिये गये थे।

4.7.6 प्रति दिन का अधिक दावा

विदेशी यात्रा से सम्बन्धित या.भ. दावों की नमूना जांच से प्रतिदिन ठहरने के भत्ते के अधिक आहरण का पता चला जो कि निम्न प्रकार है:

* वित्त मंत्रालय के मई 1980 के अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि किसी विदेशी सरकार/एजेन्सी द्वारा प्रायोजित बैठक/सम्मेलन के लिए जहां किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाता है तथा उसे निर्वाह भत्ता उसी द्वारा दिया जाता है वह भारत सरकार के दैनिक भत्ता लेने का पात्र नहीं होगा। सचिव भा.दू.नि.प्रा. ने इन अनुदेशों के उल्लंघन में ए.वि.बैं. तकनीकी सहायता परियोजना से सम्बन्धित 17 से 21 अगस्त 1997 तक एशिया विकास बैंक, मनीला को अपनी प्रतिनियुक्ति के लिए पारगमन के दौरान 75 यू.एस. डालर के निर्वाह भत्ते तथा मनीला में ए.वि.बैंक द्वारा पेश किए 55 यू.एस. डालर की बजाए भा.दू.नि.प्रा. की प्रति दिन ठहरने की 200 यू.एस. डालर की दर पर दावा किया। सचिव भा.दू.नि.प्रा. को उसके मनीला के दौरे के लिए 705 यू.एस. डालर का अदेय लाभ दिया गया था।

* भा.दू.नि.प्रा. ने अपने उत्तर में बताया कि सचिव को कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि उसका या.भ. दावा भा.दू.नि.प्रा. के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भा.दू.नि.प्रा. ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए हैं। भा.दू.नि.प्रा. की दर पर अनुमत किया गया प्रतिदिन ठहरने का भत्ता भी चूंकि ए.वि.बैं. मनीला द्वारा पेश की गई दर से बहुत अधिक था इस प्रकार सरकार के नीति दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अदेय लाभ दिया गया था।

* भा.दू.नि.प्रा. ने दौरे के दिनों की गलत गणना करके अथवा औचित्य की वास्तविक से अधिक दिनों के दौरे की अनुमति देकर विदेश यात्रा के लिए प्रतिदिन ठहरने के भत्ते के संबंध में विभिन्न अधिकारियों को 7250 यू.एस. डालर तथा 480 आ.डा.* डालर का भी अधिक भुगतान किया।

* भा.दू.नि.प्रा. ने अपने उत्तर में बताया कि प्राधिकरण द्वारा दौरों में न केवल विशिष्ट सेमिनार ही शामिल होते हैं अपितु दूरसंचार क्षेत्र के व्यावसायियों, नियामकों, बहुपक्षीय निकायों तथा अन्यों के साथ अनौपचारिक बैठकें भी शामिल होती हैं उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दौरे के कार्यक्रम विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुमोदित किये गये थे तथा अनुमोदित कार्यक्रमों में अन्यों के साथ औपचारिक परामर्श करने का संकेत नहीं दिया गया था।

4.7.7 मनोरंजन भत्ते का सन्देहास्पद भुगतान

वित्त मंत्रालय के जनवरी 1992 के अनुदेश इस मामले में जहां विदेश यात्रा के दौरान प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दोपहर/रात्रि भोजन की मेजबानी करना अनिवार्य हो मंत्रियों को 7500 रु. तथा सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए 6000 रु. की अनुमति देता है। भा.दू.नि.प्रा. ने विदेशी दौरे करने वाले अपने अधिकारियों के संबंध में तो इस सरकारी अनुदेशों का पालन क्रिया और न ही उसके पास कोई दिशानिर्देश थे। मनमाने ढंग से बहुत अधिक मनोरंजन भत्ते की अनुमति दी जो कि उपरोक्त अनुदेशों के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में बहुत अधिक थे।

3 सितम्बर से 19 सितम्बर 1997 तक आस्ट्रेलिया तथा हांगकांग की यात्रा के लिए अध्यक्ष को 66520 रु. के बराबर 1830 यू.एस. डालर के मनोरंजन भत्ते का भुगतान किया गया था। 66520 रु. के कुल मनोरंजन भत्ते में से 39547 रु. उसके होटल रूम प्रभारों से संबंधित थे जैसी कि ऊपर चर्चा की गई है तथा 26973 रु. की शेष राशि के लिए पूर्ण व्हाउचर तथा सत्कार किये गए विदेशी संभ्रांत व्यक्तियों की सूची तथा बिलों का विवरण नहीं दिया। यह बहुत अनियमित था क्योंकि सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार जहां सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से मनोरंजन भत्ते पर व्यय बढ़ जाए तो मनोरंजन भत्ते का दावा करने वाले अधिकारी के लिए या.भ. दावे के साथ मूल व्हाउचर लगाना भी अनिवार्य। यदि ऐसा विवरण प्रस्तुत नहीं किया हो तो दावे को निरस्त किया जा सकता था।

---

*आस्ट्रेलियाई डालर।

4.7.8 विदेशी यात्रा के लिए अप्रयुक्त दौरे की अग्रिम की वापसी में विलम्ब

सामान्य वित्तीय नियमावली में यह निर्धारित है कि या.भ. अग्रिम का समायोजन दौरे के पूरे होने अथवा दौरे के पूरे होने के पश्चात सरकारी कर्मचारी के कार्यग्रहण के पश्चात 15 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। विदेश विनिमय नियमितता अधिनियम की धारा 8(3) भी अप्रयुक्त विदेश मुद्रा को 30 दिन की सीमा में प्राधिकृत डीलर अथवा धन विनियामक को बेचने की व्यवस्था करती है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि भा.दू.नि.प्रा. ने एक ओर अपने अधिकारियों को अधिक दौरे के अग्रिम दिये तथा दूसरी ओर नियमों का उल्लंघन करके अप्रयुक्त अग्रिम को उपरोक्त समय सीमा में समायोजित नहीं किया।

* अध्यक्ष तथा सदस्य सहित भा.दू.नि.प्रा. के पांच अधिकारियों को विदेशी दौरों के लिए उनकी प्रतिदिन ठहरने के भत्ते की कुल पात्रता से 2980 यू.एस. डालर से अधिक का दौरा अग्रिम दिया गया था।
* अध्यक्ष तथा सचिव सहित प्राधिकरण के छः अधिकारियों ने 7913 यू.एस. डालर के अप्रयुक्त अग्रिम को निर्धारित समय सीमा में वापस नहीं किया था। अप्रयुक्त राशि को या तो अन्ततः वापस किया गया था अथवा एक से सात माह के विलम्ब के पश्चात बाद के दौरों के प्रति समायोजित किया गया था।

भा.दू.नि.प्रा. ने बताया कि मनोरंजन भत्ते के अंशतः उपयोग तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा आवृत किये जा रहे स्थानों के अतिरिक्त अन्य होटलों अथवा होटल प्रभारों के कारण दौरे के अग्रिम पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किये गये थे। उसने स्पष्ट किया कि विदेशी मुद्रा ट्रेवल चैकों के रूप में थी तथा यह बाद के दौरों जिनका कम अवधि में पता चलता था हेतु उपयोग करने के लिए रखी गई थी।

भा.दू.नि.प्रा. का उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि दौरों जिनके लिए अग्रिम अधिक हो गया था तथा दौरे जिनके लिए अध्यक्ष, सचिव तथा आर्थिक सलाहकार द्वारा अग्रिम के आधिक्य का समायोजन किया गया था अथवा वापस किया गया था के बीच तीन से सात माह का अन्तराल था। इस संबंध में यह नियमों का खुला उल्लंघन है।

4.8 पट्टे पर लिये गये आवास

भा.दू.नि.प्रा. द्वारा इसके कर्मचारियों के लिए पट्टे पर लिए गए आवास की निर्धारित दरें भी अधिक थी जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

संशोधित वेतनमान में मूल वेतन	भा.दू.नि.प्रा. द्वारा अनुमत किये गये पट्टे पर आवास का प्रकार	भा.दू.नि.प्रा. द्वारा किये गये आदेशों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम पट्टा किराया (रुपयों में)	केन्द्रीय सरकार नियमों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम मकान किराया (रुपयों में)
2550-3049	I	1500	765-915
3050-4589	II	2500	915-1376
4590-8499	III	4500	1376-2550
8500-10999	IV	6000	2550-3300
11000-18399	V	9500	3300-5520
18400-22399	VI	12000	5520-6720
22400 एवं अधिक	VII	15000	6720-9000

इसके अतिरिक्त, भा.दू.नि.प्रा. न अपने कर्मचारियों को स्वयं पट्टा देने की सुविधा अनुमत की थी। कर्मचारी अपने मकानों को पट्टे पर दे सकते हैं तथा तालिका में दिखाये अनुसार पट्टा किराये का दावा कर सकते हैं। केन्द्र सरकार में अपने मकानों में रह रहे कर्मचारी/अधिकारी, भा.दू.नि.प्रा. के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अनुमत प्रतिमाह 1500 रु. से 15000 रु. की तुलना में 765 रु. से 9000 रु. प्रतिमाह के हकदार हैं। भा.दू.नि.प्रा. द्वारा अपने मकानों को पट्टे पर देने की योजना, पट्टा किराये के रूप में दुगने दर पर मकान किराये भत्ते को प्रदान करके भा.दू.नि.प्रा. कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से भारी अदेय लाभ पहुंचाना है।

4.9 वाहन की अन्यायोचित खरीद

प्राधिकरण की पांच वातानुकूलित एम्बैसडर तथा तीन बिना वा.नू. कारों सहित आठ कारें हैं। उसने अ.वि. अतिथियों के लिए एक मारूति स्टीम ई.एक्स. वातानुकूलित कार भी खरीदी।

लेखापरीक्षा जांच करने पर यह पाया गया था कि मारूति एस्टीम वा.नू. कार न तो वित्त मंत्रालय की अनुमोदित सूची में थी और न ही म.नि.आ.नि. के दर अनुबंध में। यह भी देखा गया था कि 1997-98 के दौरान विदेशी संभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा केवल तीन यात्राएं की गई थी अतः अ.वि. अतिथियों के लिए अलग से मारूति एस्टीम कार का अनुरक्षण करना न्यायोचित नहीं था।

भा.दू.नि.प्रा. ने बताया कि मारूति एस्टीम कार की उपयोगिता को अ.वि. अतिथियों को लेने जाने तथा उनकी देखभाल करने के लिए महसूस किया गया था। मारूति एस्टीम कार का भी प्राधिकरण के लिए बैंक अप वाहन के रूप में उपयोग किया गया था। उत्तर इस तथ्य को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि प्राधिकरण के पास पहले से ही कई स्टाफ कारें हैं जिनका विदेशी संभ्रान्त व्यक्तियों की कभी-कभी यात्राओं के लिए उपयोग किया जा सकता था या विदेशी प्रतिनिधियों की अल्पावधि यात्राओं के लिए उपयुक्त वाहन किराए पर लिया जा सकता था।

मामला मंत्रालय को अगस्त 1998 में भेजा गया था। लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये बिन्दुओं पर अपनी टिप्पणी देने के बजाय मंत्रालय ने भा.दू.नि.प्रा. को लेखापरीक्षा को उत्तर देने के लिए निदेशित किया। मंत्रालय का अंतिम उत्तर दिसम्बर 1998 तक प्रतीक्षित था।

परिशिष्ट IX

(पृष्ठ 16 पर पैराग्राफ 4.4 देखें)

केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना भा.दू.नि.प्रा. द्वारा जारी किये गये तदर्थ आदेश

विषय	भा.दू.नि.प्रा. की बैठक की तिथि	अध्यक्षा तथा सदस्यों द्वारा अपनी सेवा शर्तों के लिए प्रदान किया गया अप्राधिकृत अनुमोदन
1	2	3
विदेश यात्रा		
1. भा.दू.नि.प्रा. की अध्यक्षा, सदस्यों तथा स्टाफ की विदेश में प्रतिनियुक्ति/यात्रा के अनुमोदन हेतु क्रिया विधि	29 मई 1997	अध्यक्षा, उप-अध्यक्षा तथा सदस्य से बनी तीन सदस्यी समिति अपने मामले सहित विदेश प्रतिनियुक्ति के सभी मामलों का निर्णय लेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिए प्रतिदिन ठहरने के भत्ते की दरें	17 जून 1997	अध्यक्षा तथा सदस्य नेपाल के सिवाए सभी देशों के लिए प्रतिदिन 500 यू एस डालर के भत्ते के हकदार होंगे। नेपाल में उन्हें भारतीय रुपये के बराबर 250 यू.एस. डालर का भुगतान किया जाएगा।

1	2	3
3. विदेश यात्रा के मामले में, जहां सभी व्यय मेजबान संस्थान द्वारा वहन किये जाते हैं प्रासंगिक व्यय	17 जून 1997	नेपाल के सिवाये सभी देशों के मामलों में 100 यू. एस. डालर तथा 400 यू.एस. डालर अधिकतम नेपाल में 50 यू.एस. प्रतिदिन जो अधिकतम 200 यू.एस. डालर हो की दर पर प्रासंगिक व्यय का भुगतान किया जाएगा।
4. विदेश यात्रा के मामले में नकद भत्ता	17 जून 1997	जब विदेश में मेजबान संस्थान/दूतावास द्वारा रिहायश की व्यवस्था की जाए, रिहायश के उद्देश्य से किये गये वास्तविक व्यय की वापसी की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें ठहरने के देश के लिए प्रतिदिन की पात्रता के 40 प्रतिशत के बराबर नकद भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
घरेलू यात्रा		
5. रिहायशी प्रभार	17 जून 1997	फाइवर स्टार होटलों में ठहरने के लिए वास्तविक रिहायशी प्रभारों की वापसी की जाएगी।
6. खानपान प्रभार	17 जून 1997	व्हाऊचर प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय
7. ठहरने का भत्ता	17 जून 1997	यदि रहने तथा खाने पीने की स्वयं व्यवस्था की हो तो 400 रु. प्रतिदिन की दर पर
8. प्रासंगिक व्यय	17 जून 1997	खानपान प्रभारों का दावा करने की स्थिति में ठहरने के भत्ते की 25 प्रतिशत की दर पर
9. यात्रा के लिए श्रेणी मात्रता	17 जून 1997	हवाई जहाज द्वारा एक्जिक्यूटिव श्रेणी तथा रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
चिकित्सा सुविधायें		
10. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	30 मई 1997 तथा 4 जून 1997	अध्यक्षा, सदस्यों तथा उनके आश्रित अलग-अलग आधार पर निपटाये जा सकते हैं (कोई सीमा नहीं रखी गई है)
परिवहन सुविधायें		
11. सरकारी उपयोग के लिए परिवहन	30 मई तथा 4 जून 1997	परामर्शदाता तथा उसके ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों (रु. 5900-7300) को अलग ड्राईवर सहित कार दी जाएगी।

1	2	3
12. व्यक्तिगत उपयोग के लिए परिवहन	30 मई तथा 4 जून 1997	परामर्शदाता तथा उसके ऊपर के स्तर के अधिकारी अवातानुकूलित के लिए 250 रु. तथा वातानुकूलित कारों के लिए 400 रु. प्रतिमाह के भुगतान पर 500 कि.मी. तक व्यक्तिगत उपयोग के लिए अलग ड्राईवर द्वारा चलाई कारों को उपयोग कर सकते हैं।
रिहायश में सुविधायें		
13. बिजली तथा जल प्रभार फर्नीचर तथा फिटिंग	1 सितम्बर 1997	अध्यक्षा को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर 2 लाख रु. तक बिजली के उपकरणों सहित निःशुल्क सुसज्जित मकान तथा निःशुल्क जल तथा बिजली की सुविधा प्रदान की गई है।

परिशिष्ट X

(पृष्ठ संख्या 17 पर पैराग्राफ 4.5.1 देखें)

दू.सं.नि.प्रा. द्वारा उसके अधिकारियों को दिए गए दैनिक विराम भत्ते की सं.रा. द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सिविल सेवा को दिए दै.नि.भ. दरों के साथ तुलना

स्थान/देश	भा.दू.नि.प्रा.		संयुक्त राष्ट्र	
	पदनाम	प्रतिदिन प्रति डाइम दर (यू.एस.डा.)	पदनाम	प्रति डाइम/प्रतिदिन डी एस ए दर (यू.एस.डा.)
1	2	3	4	5
केनबरा/आस्ट्रेलिया	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	228.2
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि.स्त. 2	187.45
	(3) निदेशक	350	(3) व्य. क्षे. 5	163
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य. क्षे. 4 एवं निम्न	163

1		2	3	
ओटावा/कनाडा	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(2) अ.म.स./स.म.स.	245
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि.स्त. 2	201.25
	(3) निदेशक	350	(3) व्य.क्षे. 5	175
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य.क्षे. 4 एवं निम्न	175
बीजिंग/चीन	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	259
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि.स्त. 2	212.75
	(3) निदेशक	350	(3) व्य.क्षे. 5	185
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य.क्षे. 4 एवं निम्न	185
हांगकांग	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	271.60
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि.स्त. 2	223.10
	(3) निदेशक	350	(3) व्य.क्षे. 5	194
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य. क्षे. 4 एवं निम्न	194
टोक्यो/जापान	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	368.2
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि. स्त. 2	302.45
	(3) निदेशक	350	(3) व्य. क्षे. 5	263
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य.क्षे. 4 एवं निम्न	263

1	2	3	4	5
माल्टा	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	141.4
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि.स्त. 2	120.15
	(3) निदेशक	350	(3) व्य. क्षे. 5	101
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य.क्षे. 4 एवं निम्न	101
पेरिस/फ्रांस	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	275.80
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि. स्त. 2	226.55
	(3) निदेशक	350	(3) व्य. क्षे. 5	197
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य. क्षे. 4 एवं निम्न	197
काठमाण्डू/नेपाल	(1) अध्यक्षा/सदस्य	250	(1) अ.म.स./स.म.स.	173.6
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	250	(2) नि.स्त. 1/नि. स्त. 2	142.6
	(3) निदेशक	250	(3) व्य. क्षे. 5	124
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य. क्षे. 4 एवं निम्न	124
सिंगापुर	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	292.60
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि. स्त. 2	240.35
	(3) निदेशक	350	(3) व्य. क्षे. 5	209
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य. क्षे. 4 एवं निम्न	209

1	2	3	4	5
जोहानसबर्ग/दक्षिणी अफ्रीका	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	201.6
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि. स्त. 2	165.6
	(3) निदेशक	350	(3) व्य.क्षे. 5	144
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य.क्षे. 4 एवं निम्न	144
कोलम्बो/श्रीलंका	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	117.6
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि.स्त. 2	96.6
	(3) निदेशक	350	(3) व्य. क्षे. 5	84
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य. क्षे. 4 एवं निम्न	84
स्विटजरलैंड (सभी क्षेत्रों)	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	266
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि. स्त. 2	218.5
	(3) निदेशक	350	(3) व्य. क्षे. 5	190
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य.क्षे. 4 एवं निम्न	190
बैंकाक/थाईलैंड	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	126
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि. स्त. 2	103.5
	(3) निदेशक	350	(3) व्य. क्षे. 5	90
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य. क्षे. 4 एवं निम्न	90

1	2	3	4	5
लंदन/यू.के.	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	338.8
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि.स्त. 2	278.3
	(3) निदेशक	350	(3) व्य. क्षे. 5	242
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य. क्षे. 4 एवं निम्न	242
वाशिंगटन/यू.एस.ए.	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	274.4
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि. स्त. 2	225.4
	(3) निदेशक	350	(3) व्य. क्षे. 5	196
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य.क्षे. 4 एवं निम्न	196
न्यूयार्क/यू.एस.ए.	(1) अध्यक्षा/सदस्य	500	(1) अ.म.स./स.म.स.	301
	(2) सचिव/ई. परामर्शदाता	500	(2) नि.स्त. 1/नि. स्त. 2	247.25
	(3) निदेशक	350	(3) व्य.क्षे. 5	215
	(4) डी.एस. एवं निम्न	250	(4) व्य.क्षे. 4 एवं निम्न	215

अ.म.स.-अवर महासचिव

स.म.स.-सहायक महासचिव

नि.स्त. ,-निदेशक स्तर-1

नि.स्त.2-निदेशक स्तर-2

व्य.क्षे. 5-व्यावसायिक श्रेणी 5

व्य.श्रे. 4-व्यावसायिक श्रेणी 4

परिशिष्ट XI

(पृष्ठ संख्या 20 पर पैराग्राफ 4.6 देखें)

भा.दू.नि.प्रा. के अध्यक्ष/सदस्यों के साथ भारत सरकार के सचिव की हकदारी की तुलना
(भा.दू.नि.प्रा. द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार)

विषय	भारत सरकार के सचिव की हकदारी (वेतन श्रेणी 16,400 रु. एवं अधिक)	भा.दू.नि.प्रा. की अध्यक्षा/सदस्यों की सेवा की शर्तों के संबंध में भा.दू.नि.प्रा. द्वारा लिये गये निर्णय
1	2	3
विदेश यात्रा		
1. विदेश यात्रा के लिए दैनिक विराम भत्ते की दर	वि.मं. की दरें अर्थात होटलों की अनुमोदित सूची का वास्तविक कमरा किराया जमा यात्रा के देश के अनुसार यू.एस. डॉलर 60 से यू.एस. डॉलर 100 के बीच दैनिक भत्ता	अध्यक्षा एवं सदस्य नेपाल के अतिरिक्त सभी देशों के लिए प्रतिदिन 500 यू.एस. डॉलर दैनिक भत्ते के हकदार थे। नेपाल में उन्हें 250 डॉलर प्रतिदिन भारतीय रु. के समकक्ष दिया गया था।
2. विदेश यात्रा के संबंध में आकस्मिक व्यय जहां सभी व्यय मेजबान संस्था द्वारा किये जाते हैं।	प्रतिदिन भत्ते का केवल 25 प्रतिशत अर्थात देश यात्रा पर आधारित प्रतिदिन 15 यू.एस. डालर से 25 यू.एस.डा. के बीच।	नेपाल के अतिरिक्त सभी देशों के लिए अधिकतम 400 यू.एस. डालर शर्त के साथ 100 यू.एस. डालर प्रतिदिन नेपाल में आकस्मिक व्यय 50 यू.एस. डॉलर प्रतिदिन की दर पर दिये गये जो कि अधिकतम 200 यू.एस. डॉलर थे।
3. विदेश यात्रा की दशा में रोकड़ भत्ता	जहां स्थान मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, दैनिक भत्ते की पात्रता केवल 60 यू.एस. डॉलर से 100 यू.एस. डॉलर के बीच।	जब स्थान की व्यवस्था मेजबान संस्थान/विदेश दूतावास द्वारा की जाती है, स्थान के लिए किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें विराम के देश के लिए देय 40 प्रतिशत के बराबर नकद भत्ता अर्थात नेपाल के अतिरिक्त सभी देशों में 200 यू.एस. डॉलर दिया जाएगा। नेपाल में यह 100 यू.एस. डॉलर है।
देशीय यात्रा		
4. रहने का किराया	क-1 श्रेणी के शहरों में रहने के लिए केवल 650 रु इस राशि में भोजन का खर्चा भी शामिल है।	रहने के किराए की पांच सितारा होटल में रहने पर आने वाले खर्चे के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी।

1	2	3
5. भोजन का खर्चा	रहने के किराए में शामिल है।	वाऊचर देने पर वास्तविक खर्चा
6. विराम भत्ता	क-1 श्रेणी के शहरों में 260. रु.	यदि रहने तथा खाने के प्रबंध स्वयं किए जाते हैं तो 400 रु. प्रति दिन की दर (शहर की श्रेणी की ओर ध्यान दिए बिना)
7. प्रासंगिक व्यय	शून्य	भोजन के खर्चों का दावा करने पर विराम भत्ते के 25 प्रतिशत की दर पर।
8. यात्रा की पात्रता श्रेणी	हवाई जहाज अथवा गाड़ी में ए.सी. प्रथम श्रेणी द्वारा।	एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई जहाज द्वारा तथा ए.सी. प्रथम श्रेणी द्वारा
चिकित्सा सुविधाएं		
9. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	के.स.स्वा.से. सुविधाएं	अध्यक्षों, सदस्यों तथा उनके आश्रितों को अलग-अलग मामले के अनुसार (कोई सीमा निर्धारित नहीं है)
परिवहन सुविधाएं		
10. कार्यालय प्रयोग हेतु वाहन	पृथक स्टाफ कार	पृथक ड्राईवर चालित कार
11. व्यक्तिगत प्रयोग हेतु वाहन	निम्नलिखित के भुगतान पर प्रतिमास 500 कि.मी. तक निजी प्रयोजनों हेतु सरकारी कारों का प्रयोग कर सकते हैं। (क) 16 हा.पॉ. तक की की कारों के लिए 350 रु. प्र.मा. (ख) 16 हा.पॉ. से अधिक की कारों के लिए 450 रु. प्र.मा.	परामर्शदाता तथा उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी गैर-ए.सी. कारों के लिए 250 रु. प्रतिमास तथा ए.सी. कारों के लिए 400 रु. प्रति मास के भुगतान पर 500 कि.मी. प्रतिमास तक व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पृथक ड्राईवर चालित कारों का प्रयोग कर सकते हैं। 500 कि.मी. से अधिक के प्रयोग के लिए अधिकारी को 1 रु. प्रति कि.मी. देना पड़ेगा।
निवास पर सुविधाएं		
12. बिजली तथा जल प्रभार, फर्नीचर तथा फिटिंग	सरकारी आवास/नि:शुल्क बिजली तथा जल प्रभार, फर्नीचर, फर्निशिंग आदि की कोई सुविधा नहीं	अध्यक्ष को 2 लाख रु. तक के बिजली उपकरण सहित नि:शुल्क फर्निसिंग की सुविधाएं दी गई हैं तथा उच्च न्यायालय के बराबर नि:शुल्क जल तथा बिजली की सुविधाएं दी गई हैं।

विवरण II

सं. 1-1/94-टी सी ओ (खंड X) (पार्ट-II)

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
10, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

14 जून, 1999

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें।

सक्षम प्राधिकारी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 14 मार्च, 1999 तक की निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के लिए एतद्द्वारा कार्योत्तर मंजूरी प्रदान करते हैं:

I. अध्यक्ष के पद पर कार्यरत वर्तमान पदधारी को अतिरिक्त सुविधाएं:

(1) तीन हजार रु. की प्रतिमाह का आतिथ्य सत्कार भत्ता।

(2) आवासीय कार्यालय के लिए फर्नीचर-2,00,000/-रु.।

(3) प्रति वर्ष 10,000 विद्युत यूनिटें और 36,000 केएल पानी की सुविधा।

(4) प्रतिमाह 200 लीटर (अधिकतम) पेट्रोल का मासिक कोटा अथवा प्रतिमाह पैट्रोल की वास्तविक खपत इनमें जो भी कम हो।

(5) चिकित्सा सुविधाएं केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर।

(6) एल.टी.सी. सुविधा-एक कैलेण्डर वर्ष में दो बार।

उपर्युक्त (1) से (6) में दी गई सुविधाएं टी आर ए आई के वर्तमान अध्यक्ष को ही मिलेंगी।

(7) 14.03.99 तक अध्यक्ष के पद पर कार्यरत वर्तमान पदधारी द्वारा विदेशी यात्रा में किया गया खर्च प्रतिदिन अधिकतम 500 अमरीकी डालर की दर पर नियंत्रित किया जाएगा।

(8) अध्यक्ष को घरेलू सरकारी दौरों पर प्रतिपूर्ति के आधार पर आईटीसीडी के होटलों में ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी तथा जहां आईटीडीसी के होटल उपलब्ध नही होंगे वहां प्रतिपूर्ति के आधार पर अन्य होटलों में यह सुविधा उपलब्ध होगी।

II. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अन्य सदस्यों को अतिरिक्त सुविधाएं

(1) इन सदस्यों को भारत सरकार के सचिव के बराबर की सरकारी आवास सुविधा प्राप्त होगी।

(2) इन सदस्यों को भारत सरकार के सचिव के बराबर की वाहन-सुविधा प्राप्त होगी।

(3) इन सदस्यों को भारत सरकार के सचिव के बराबर की सरकारी विश्राम गृहों में ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी।

(4) इन सदस्यों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्राप्त होंगी।

(5) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सदस्यों को घरेलू सरकारी दौरों पर प्रतिपूर्ति के आधार पर आईटीडीसी के होटलों में ठहरने की सुविधा तथा जहां आईटीडीसी के होटल उपलब्ध नहीं होंगे वहां प्रतिपूर्ति के आधार पर अन्य होटलों में यह सुविधा प्राप्त होगी।

(6) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त नहीं होगा परन्तु उन्हें भारत सरकार के सचिव को मिलने वाली सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी।

III. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रादिकरण के उपाध्यक्ष को अतिरिक्त सुविधाएं

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्तमान उपाध्यक्ष को निःशुल्क आवास सुविधा के साथ-साथ अतिरिक्त आवासीय कार्यालय सुविधा भी दी जाएगी।

उपर्युक्त सुविधाएं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के केवल वर्तमान उपाध्यक्ष को ही प्राप्त होंगी।

ह०
गुरदीप सिंह
संयुक्त सचिव (दूरसंचार)

सेवा में,

दूरसंचार आयोग के सभी सदस्य/सलाहकार।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सचिव।

प्रति: अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग के प्रध्या निजी सचिव।

सं. I-1/94-टीसीओ (खण्ड X) (पार्ट II)

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

दिनांक : 14 जून, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषय : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा संबंधी नियम एवं शर्तें

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 1999 के नियम 8, जिसे 15 मार्च, 1999 को अधिसूचित किया गया था, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों को निम्नानुसार उदार बनाने का निर्णय किया है।

2. नियमों को उदार बनाकर टीआरएआई के अध्यक्ष पद पर वर्तमान पदधारी को अतिरिक्त सुविधा

अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे वर्तमान पदधारी निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं के पात्र होंगे:

(1) 3000 रु. प्रतिमाह की दर से आतिथ्य सत्कार भत्ता।

(2) सरकारी आवास को सजाने के लिए 2 लाख रु. की अधिकतम धनराशि की पात्रता। इसमें 15 मार्च, 1999 को नियम अधिसूचित होने से पूर्व किया गया खर्चा भी शामिल है।

(3) प्रति वर्ष 10,000 यूनिट बिजली और 36,000 के एल पानी का भत्ता।

(4) प्रतिमाह 200 लीटर ईंधन (अधिकतम) अथवा पेट्रोल की वास्तविक खपत अथवा जो भी कम हो, की दर से पेट्रोल के मासिक कोटे की पात्रता।

(5) केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रियों के बराबर चिकित्सा सुविधाओं की पात्रता।

(6) अध्यक्ष एक कैलेण्डर वर्ष में दो बार एलटीसी पर जाने का पात्र होगा।

उपर्युक्त व्यवस्थाएं, टीआरएआई के अध्यक्ष पद पर आसीन वर्तमान पदधारी को ही मिलेंगी और उनके पद छोड़ते ही ये समाप्त हुई समझी जाएंगी।

3. नियमों को उदार बनाकर, टीआरएआई के अध्यक्ष को अतिरिक्त सुविधा

(1) अध्यक्ष, टीआरएआई के विदेश में सरकारी दौरों के समय, भारतीय दूतावास हर प्रकार की व्यवस्था करेगा और उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश/उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भांति उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

(2) देश में सरकारी दौरे पर अध्यक्ष को आईटीडीसी होटलों में प्रतिपूर्ति आधार पर ठहरने की सुविधा की जाएगी और जहां आई टी डी सी के होटल नहीं होंगे, वहां दूसरे होटलों में ठहरेंगे।

4. नियमों को उदार बना कर, टी आर ए आई के सदस्यों को अतिरिक्त सुविधा

(1) सदस्य भारत सरकार के सचिवों की भांति सरकारी मकानों में रहने के पात्र होंगे।

(2) टीआरएसआई के सदस्यों के लिए, विदेश में सरकारी दौरे के समय भारतीय दूतावास व्यवस्था करेंगे और भारत सरकार के सचिव की भांति उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

(3) अपने देश में सरकारी दौरों के समय सदस्यों को आईटीडीसी होटलों में, प्रतिपूर्ति आधार पर, ठहरने की सुविधा उपलब्ध होगी और जहां आईटीडीसी के होटल नहीं होंगे, वहां प्रतिपूर्ति आधार पर दूसरे होटलों में ठहरने की सुविधा मिलेगी।

उपर्युक्त व्यवस्थाएं 15 मार्च, 1999 को नियमों से अधिसूचित होने की तारीख से प्रभावी होंगी।

ह०
(गुरदीप सिंह)
संयुक्त सचिव

सेवा में,

1. सभी सदस्य/सलाहकार, दूरसंचार आयोग

2. सचिव, टी.आर.ए.आई.
जवाहर व्यापार भवन, टाल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:

1. प्रधान निजी सचिव, अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग
2. निजी सचिव, अपर सचिव

सं. I-I/94-टी सी ओ (खंड X) (पार्ट-II)

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

कार्यालय ज्ञापन

दिनांक : 14 जून, 1999

विषय : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1999 के नियम 7, जिसे 15 मार्च 1999 को अधिसूचित किया गया था, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सदस्यों/उपाध्यक्ष को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(1) सदस्य निम्नलिखित सुविधाओं के पात्र होंगे:

(क) भारत सरकार के सचिव के बराबर के सरकारी आवास की सुविधा के पात्र होंगे।

(ख) भारत सरकार के सचिव को उपलब्ध वाहन सुविधाओं के सममूल्य पर सुविधाओं के पात्र होंगे।

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सदस्यों का दर्जा (उच्च न्यायालय के जज के बराबर का नहीं होगा, लेकिन उनके लिए भारत सरकार के सचिव के लिए प्रदत्त शर्तों का प्रावधान होगा।

उक्त प्रावधान 15.3.1999 के नियमों की अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मौजूदा उपाध्यक्ष की आवासीय कार्यालय तथा साथ ही उनके निजी प्रयोग के लिए किराया मुक्त रिहायशी आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी।

उपाध्यक्ष के लिए उक्त प्रावधान नियम 15 मार्च, 1999 के अधिसूचित होने की तारीख से प्रभावी होंगे और उनके कार्यालय छोड़ने पर समाप्त हो जाएंगे।

ह०
(गुरदीप सिंह)
संयुक्त सचिव

सेवा में,

1. सभी सदस्य/सलाहकार, दूरसंचार आयोग

2. सचिव, टी आर ए आई
जवाहर व्यापार भवन,
टोलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग के पी.पी.एस.

2. अपर सचिव के निजी सचिव।

सं. I-I/94-टीसीओ (खंड-X) (पार्ट-II)

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

दिनांक: 2 अगस्त, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें

उपर्युक्त विषय पर 14 जून, 1999 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिए एतद्द्वारा मंजूरी प्रदान करते हैं।

I. अध्यक्ष के पद पर कार्यरत वर्तमान पदधारी को सुविधाएं:

(1) चिकित्सा सुविधाएं

(क) नियुक्ति की तारीख से 14.03.1999 तक मेडिकल प्रेक्टिशनर और अपनी पसंद के चिकित्सा संस्थान से कराए गए इलाज पर हुए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति बशर्ते कि यह इलाज भारत में कराया गया हो।

(ख) 15 मार्च, 1999 से केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अनुमोदन जारी होने तक इलाज पर हुए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति बशर्ते कि इस इलाज पर हुए खर्च की मात्रा इस कार्यालय के 14.6.1999 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में दी गई राशि से अधिक न हो।

(2) घरेलू यात्रा के दौरान होटल में ठहरने पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति

नियुक्ति की तारीख से 14.03.1999 तक घरेलू यात्रा के दौरान होटल में एक कमरे में ठहरने पर हुए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति।

(3) आवासीय कार्यालय की सुविधा

अध्यक्ष के पद पर कार्यरत वर्तमान पदधारी को पदभार ग्रहण करने की तारीख से पदभार त्यागने की तारीख तक की अवधि के लिए उनके आवास पर कार्यालय की सुविधा।

II. उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ।

(1) चिकित्सा सुविधाएं

(क) नियुक्ति की तारीख से 14.03.1999 तक मेडिकल प्रेक्टिशनर और अपनी पसंद के चिकित्सा संस्थान से कराए गए इलाज पर वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति, बशर्ते कि यह इलाज भारत में कराया गया हो।

(ख) 15 मार्च, 1999 से केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अनुमोदन जारी होने तक, इलाज पर हुए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति बशर्ते कि इस इलाज पर इस कार्यालय के 14.06.99 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में दी गई राशि से अधिक न हो।

(2) घरेलू यात्रा के दौरान होटल में ठहरने पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति

नियुक्ति की तारीख से 14.03.99 तक घरेलू यात्रा के दौरान होटल में एक कमरे में ठहरने पर वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति।

(3) 14.03.99 तक विदेशी यात्राओं पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति

सदस्यों द्वारा अपनी नियुक्ति की तारीख से 14.03.99 तक की गई विदेशी यात्राओं पर हुए खर्च का नियमितीकरण, 500 अमरीकी डालर प्रति दिन की दर से किया जाएगा।

(4) वाहन सुविधाएँ

उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को उनकी नियुक्ति की तारीख से 14.03.1999 तक प्रतिमाह 200 लीटर पेट्रोल (अधिकतम) या प्रति माह उनके द्वारा वास्तविक खपत में जो भी कम होगा, वाहन सुविधा के रूप में दिया जाएगा।

2. इस कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित प्रतिपूर्ति के सभी मामलों पर ऐसे लेन देनों को संचालित करने वाले सामान्य सिद्धान्तों के अनुरूप लेखा प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार वाउचर प्रस्तुत करने पर ही विचार किया जाएगा।

3. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के आवासीय कार्यालय की साजसज्जा/फर्नीचर की सीमा का निर्धारण, समय-समय पर यथा संशोधित व्यय विभाग के दिनांक 15 जून, 1954 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ-I (7)-ईजी-1/54 तथा डाक-तार मैनुअल के खण्ड-II के नियम 610ए के अनुसार होगा।

ह०
(गुरदीप सिंह)
संयुक्त सचिव

सेवा में,

1. दूरसंचार आयोग के सभी सदस्य/सलाहकार।

2. सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष दूरसंचार आयोग के प्रधान निजी सचिव।

2. अपर सचिव के निजी सचिव।

सं. I-I/94-टीसीओ (खंड X) (पार्ट-II)

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

दिनांक : 2 अगस्त, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें

15 मार्च, 1999 को अधिसूचित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नियम 8 (वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 1999 के तहत 15 मार्च, 1999 से प्रभावी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के बारे में 14 जून, 1999 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए घरेलू सरकारी दौरे पर होटलों में ठहरने से संबंधित पैरा 3(ii) और 4(iii) में क्रमश: जो सुविधा प्रदान की गई है, वह एक कमरे में ठहरने की होगी.

ह०
(गुरदीप सिंह)
संयुक्त सचिव

सेवा में,

1. सभी सदस्य/सलाहकार, दूरसंचार आयोग

2. सचिव, टी आर ए आई
जवाहर व्यापार भवन, टालस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष (टी सी) के प्रधान निजी सचिव

2. अपर सचिव (टी) के निजी सचिव

सं. I-I/94-टीसीओ (खंड-X)

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

दिनांक: 8 सितम्बर, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें

15 मार्च, 1999 को अधिसूचित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण नियमावली, 1999 के नियम 8 (अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते तथा सेवा संबंधी अन्य शर्तें) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों की रिहाइशी आवास के प्रावधान में ढील देने तथा कार्यालय छोड़ने के बाद दो माह तक उन्हीं

निबंधन एवं शर्तों पर आवास में रहने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

ह०

(अनिल कुमार)

संयुक्त सचिव

सेवा में,

सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण,
जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग के प्रधान निजी सचिव/दूरसंचार आयोग के सदस्य।
2. अपर सचिव (टी) के निजी सचिव।
3. सलाहकार, दूरसंचार आयोग के निजी सचिव।

खुर्जा, उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों/पेट्रोल पम्पों का स्थानांतरित किया जाना

3087. **श्री अशोक प्रधान:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी रसोई गैस एजेंसियों/पेट्रोल पंपों को अन्य स्थानों से उत्तर प्रदेश के खुर्जा क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है;

(ख) इन्हें किस आधार पर स्थानांतरित किया गया;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे स्थानांतरण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या मानदंडों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ङ) सरकार ने खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के स्थान परिवर्तन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। विगत तीन वर्षों अर्थात 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान किसी खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप अथवा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अन्य स्थानों से उत्तर प्रदेश के खुर्जा क्षेत्र में स्थानान्तरण की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

भुसावल और पारस ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति

3088. **श्री मोहन रावले:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भुसावल और पारस ताप विद्युत केन्द्रों के विस्तार हेतु इन्हें पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए केन्द्र सरकार से बात की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने भुसावल टीपीएस विस्तार और पारस टीपीएस विस्तार के लिए कोयला लिंकेज की स्वीकृति हेतु जून, 1998 में भारत सरकार से अनुरोध किया था। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया और उन्हें सूचित किया गया था कि इन यूनिटों के लिंकेज संबंधी प्रश्न पर केवल दसवीं योजना के लिए विद्युत परियोजनाओं की सूची सुनिश्चित करने और इन यूनिटों को उनमें सम्मिलित करने के बाद ही विचार किया जायेगा।

सहस्त्राब्दि दूरसंचार कंपनी की शुरुआत

3089. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि. ने सहस्त्राब्दि दूरसंचार नामक सहायक कंपनी खोलने के लिए शेयर धारकों की अनुमति प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कंपनी द्वारा मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) एमटीएनएल ने भारत एवं विदेशों में अपनी एक सहायक कंपनी खोलने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ अपने संगम अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए अपने शेयर होल्डरों का अनुमोदन ले लिया है। ''मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड'' नामक इस सहायक कम्पनी का उक्त नाम रखने का विशिष्ट अनुमोदन शेयर होल्डरों से नहीं लिया गया है क्योंकि कानून के अनुसार इसकी जरूरत नहीं हैं। महाराष्ट्र के कम्पनी रजिस्ट्रार ने 'मिलेनियम टेलीकाम लिमिटेड' के नाम से जाने जानी वाली इस सहायक कंपनी को अपना अनुमोदन दे दिया है।

यह प्रस्तावित कम्पनी दूरसंचार क्षेत्र में सभी प्रकार की मूल्यवर्धित सेवाओं में अपनी योजना बनाएगी, उनकी स्थापना करेगी, उनका विकास, विपणन एवं अनुरक्षण करेगी। इन सेवाओं में सेल्यूलर मोबाइल, आईएसपी, आईएन, आईएसडीएन, मल्टीमीडिया सेवाएं तथा पेजिंग सेवाओं के साथ अन्य सभी इस प्रकार की मूल्य वर्धित सेवाएं शामिल हैं, जिन्हें समय समय पर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाना जरूरी है।

राजभाषा

3090. डॉ. वी. सरोजा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल तमिल सहित कुछ भाषाओं को संघ की राज भाषाओं के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सरकार का विचार है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देने की साध्यता परखनी चाहिए। इस दृष्टि से एक समिति गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष और सदस्यों को सेवा विस्तार

3091. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष और सदस्यों को सेवा विस्तार देने के संबंध में सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्यक्ष और कई सदस्य इस समय सेवा विस्तार पर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्तमान नीति की समीक्षा करने और इस स्तर पर सेवा विस्तार बन्द करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (च) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी एस यूज) के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों तथा अन्य पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पी ई एस बी) की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति, सामान्यतया पांच वर्षों अथवा अधिकारी की अधिवर्षिता की तारीख तक, के लिए, इनमें जो भी पहले हो, है। सरकारी दिशानिर्देशों की यह भी शर्त हैं कि यदि संबंधित बोर्ड स्तरीय अधिकारी की प्रथम पांच वर्ष की पदावधि के पूरे होने के पश्चात उसकी सेवा के कुछ और वर्ष शेष हैं तो ऐसे अधिकारियों के उसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत आगे और सेवा विस्तार के विषय में निर्णय सरकार के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के साथ परामर्श से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। जब बोर्ड स्तरीय निदेशकों की अधिवर्षिता की आयु 30 मई, 1998 को 60 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी, उस समय यह भी निर्णय लिया गया था कि जब कभी भी बोर्ड स्तरीय अधिकारियों की पांच वर्ष की पदावधि में से सेवा की अवधि शेष रहती है, तो उस स्थिति में उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा पांच वर्ष पूरे होने तक सेवा विस्तार के लिए आदेश संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी किये जायेंगे।

इस मंत्रालय के अधीन काम कर रहे बोर्ड स्तरीय अधिकारियों के समावेशन एवं उनकी सेवाओं को जारी रखने की सरकार की वर्तमान नीति की पुनरीक्षा करने के लिए इस मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। आयल एण्ड नेचुरल गैस

कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी एल) के अंतर्गत, निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (कार्मिक) अपनी पांच वर्ष की पहली पदावधि पूरी कर चुके हैं तथा उनकी सेवाओं को जारी रखने के लिए उन्हें अगली पदावधि प्रदान करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। निदेशक (वेधन) ने अपनी मूल पदावधि पूरी कर ली है, और चूंकि वे 58 वर्ष की आयु पर पहुंच गए हैं, इसलिए उनकी सेवाओं को आगे और जारी रखना विचाराधीन है। इन निर्णयों को लंबित रहते यह अधिकारी वर्तमान में तदर्थ सेवा विस्तार पर हैं।

फ्रांस तेल कम्पनी के साथ भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड का संयुक्त उद्यम

3092. श्री आर.एल.भाटिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस की अग्रणी प्राकृतिक गैस कम्पनी ने भारत में गैस वितरण के लिए संयुक्त उद्यम हेतु भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड के साथ वार्ता शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने, परियोजना के अंतर्गत 33.33 प्रतिशत के प्रतिभागिता हित के साथ महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ट्रांबे में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात टर्मिनल के विकास के लिए फ्रांस की टोटल-फिना तथा टाटा इलैक्ट्रिक कंपनीज, मुम्बई के साथ 07 सितंबर, 1999 को एक संयुक्त सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में वन सम्पदा

3093. श्री भीम दाहाल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में वन सम्पदा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन राज्यों में वनों की कटाई रोकने तथा वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ क्या प्रावधान किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मंत्रालय ने पारिस्थितिकीय स्थायित्व के लिए वानिकी और वृक्ष संसाधनों के योगदान को बढ़ावा देने तथा निवेश की स्थिति में सुधार करके पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम सहित पूरे देश के वन संसाधनों के संरक्षण और विकास हेतु जन केन्द्रित विकास सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार की है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य का नाम	वन स्थिति रिपोर्ट, 1997 के अनुसार वन आवरण वर्ग कि.मी. में	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत वनीकरण के लिए किया गया प्रावधान		
			1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6
अरूणाचल प्रदेश	88602	81.9	146.32	69.17	75.99
असम	23824	30.4	178	244.03	325.49

1	2	3	4	5	6
मणिपुर	17418	78	495.66	288.51	606.58
मिजोरम	18775	89.1	366.92	339.35	404.07
मेघालय	15657	69.8	140.95	14.03	43.95
नागालैण्ड	14221	85.8	147.7	188.92	208.2
त्रिपुरा	5546	52.9	40	0	15.75
सिक्किम	3129	44.1	368.35	215.22	321.45

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी

3094. **श्री होलखोमांग हौकिप:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान और आज तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल कितने उग्रवादी पकड़े गए;

(ख) उनमें से कितने पाकिस्तानी हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे या करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) 1998 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1497 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए थे। 1999 के दौरान, 15 दिसम्बर तक, इस क्षेत्र में 1390 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। उपर्युक्त में से, 1999 में गिरफ्तार किया गया एक उग्रवादी, पाकिस्तानी राष्ट्रिक बताया जाता है।

(ग) सरकार को पाकिस्तान आई.एस.आई. ने नापाक इरादों की जानकारी है और वह स्थिति पर निकट से और सतत निगरानी रख रही है। आतंकवादी ग्रुपों और विघटनकारी तत्वों के खिलाफ लगातार आपरेशन चलाने सहित सभी आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार के नापाक इरादे कामयाब न हो सके।

कर्मचारियों की कमी

3095. **श्री दोडीकुनील सुरेश:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल दूरसंचार सर्किल में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां, कुछ संवर्गों में स्टाफ की कमी है।

(ख) सीधी भर्ती के जरिए ग्रेड "ग" और "घ" सवर्गों में पदों को भरे जाने पर प्रतिबंध है।

(ग) विभागीय अभ्यार्थियों को पदोन्नत करके पदों को भरा जा रहा है। कुछ संवर्गों में, जहां स्टाफ की कमी थी सीमित सीधी भर्ती की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

जम्मू कश्मीर में नागरिकों का पुनर्वास

3096. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कारगिल, द्रास, बटालिक और लेह क्षेत्रों में युद्ध के कारण प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास के लिए किसी विशेष पैकेज की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जम्मू और कश्मीर को कितनी सहायता राशि मंजूर की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने कारगिल और अन्य क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक राहत पैकेज तैयार किया है। इस राहत पैकेज में प्रमुख मदें निम्नलिखित हैं:

(क) विस्थापित परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 9 किलोग्राम खाद्यान्न की दर से मुफ्त राशन।

(ख) विस्थापित परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 200 रु. की दर से नकद सहायता।

(ग) विस्थापित परिवार को प्रति माह 10 लीटर की दर से मुफ्त मिट्टी का तेल।

(घ) बड़े पशु के लिए 150 रु. और छोटे पशु के लिए 30 रु. प्रतिमाह की दर से पशुओं के लिए मुफ्त चारा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रतिमाह प्रति परिवार 1000 रु. है'

(ङ) जीवन हानि के लिए, मृत्यु के प्रत्येक मामले में 1 लाख रु. की दर से अनुग्रहपूर्वक राहत और अचल सम्पत्ति के नुकसान के लिए अचल सम्पत्ति आंकलित नुकसान के 50% की दर से राहत, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति मामले में 1 लाख रु. है।

(च) जो परिवार, लगातार गोलीबारी के कारण अपने घरों को वापस जाने की स्थिति में नहीं हैं उन्हें 200 रु. प्रति माह की दर से किराया, और

(छ) प्रभावित परिवारों को मुफ्त दवाओं सहित मुफ्त चिकित्सा उपचार।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने मई 2000 तक राहत पैकेज को लागू करने के लिए 35 करोड़ रु. के खर्च का अनुमान लगाया है। राहत पैकेज पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने नवम्बर के अंत तक, जम्मू और कश्मीर सरकार को 17 करोड़ रु. अग्रिम उपलब्ध कराए हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा निधि से 15 करोड़ रु. और गृह मंत्रालय के सुरक्षा संबंधी व्यय से 2 करोड़ रु. सम्मिलित है। कारगिल और लेह से विस्थापित व्यक्तियों को सर्दी के चालू मौसम के दौरान 6 महीनों के लिए एक मुश्त राहत देने हेतु भी कदम उठाए हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय ने इस प्रयोजन हेतु 1.30 करोड़ रु. प्रति माह की दर से 6 महीने के लिए 7.80 करोड़ रु., रिलीज किए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय तेल निगम और गेल का पेट्रोनेट के साथ समझौता

3097. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम और गेल ने दाहेज टर्मिनल से तरलीकृत प्राकृतिक गैस को पुन: गैसीकृत करने के लिये पेट्रोनेट के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय तेल निगम की ओर से इस समझौते के लिये की गयी जल्दबाजी के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान

3098. **श्री अनन्त नायक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों ने उड़ीसा में तैनात डाक और दूरसंचार कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाक और दूरसंचार कर्मचारियों को उड़ीसा के तूफानग्रस्त इलाकों के मूल निवासी हैं किन्तु उड़ीसा से बाहर और संचार मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में तैनात हैं को यह अनुग्रह राशि (जिसे वापस नहीं किया जाना है) नहीं दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन्हें भी ऐसी ही अनुग्रह राशि का भुगतान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार इनकी पैतृक संपत्ति को हुई भारी क्षति को देखते हुए अनुग्रह राशि को बढ़ा कर 10,000/- रु. करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) उड़ीसा के तूफानग्रस्त/बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के मूल निवासी और दूरसंचार/डाक विभाग के जो कर्मचारी उड़ीसा से बाहर तैनात हैं, उन्हें अनुग्रह राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):

डाक विभाग

(क) किसी अनुग्रह अनुदान की मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। तथापि, विभाग की कल्याण निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं।

(ख) निम्नलिखित दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं:

	विभागीय कर्मचारी	अतिरिक्त विभागीय एजेंट
चक्रवात से प्रभावित	1500/- रु.	750/- रु.
भीष्म चक्रवात से प्रभावित	3000/- रु.	1500/- रु.

(ग) उड़ीसा से बाहर तैनात कर्मचारी, जिनकी चक्रवात से प्रभावित इलाकों में अचल संपत्ति है, उपर्युक्त सहायता के पात्र हैं। डाक विभाग का कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ख) के अनुसार।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) जैसी ही कर्मचारी का दावा सत्यापित हो जाता है।

दूरसंचार विभाग :

(क) किसी अनुग्रह अनुदान की मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। तथापि, दूरसंचार कल्याण निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) निम्नलिखित दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:

(1)	17.10.99 के चक्रवात से प्रभावित कर्मचारी	1000/- रु. प्रत्येक
(2)	29.10.99 के भीषण चक्रवात से प्रभावित कर्मचारी	3000/- रु. प्रत्येक

(ग) से (च) उड़ीसा के बाहर तैनात ऐसे कर्मचारियों को भी, जिनके पास 29.10.99 के भीषण चक्रवात द्वारा प्रभावित इलाकों में अचल संपत्ति थी, 3000/- रु. प्रति व्यक्ति की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जहां तक दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, उड़ीसा के चक्रवात के कारण विदेश संचार निगम लिमिटेड में वित्तीय सहायता के लिए केवल एक आवेदन ही प्राप्त हुआ है, जबकि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वित्तीय सहायता के लिए कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) दावों के सत्यापन के पश्चात् भुगतान किया जाएगा।

दामोदर नदी में प्रदूषण उपशमन

3099. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दामोदर नदी के प्रदूषण उपशमन की योजना को कब अनुमोदित किया गया था और इसकी अनुमानत लागत कितनी है;

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अब तक वर्ष-वार अलग-अलग कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार इस योजना के कार्यान्वियन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई प्रगति से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस योजना-कार्य को पूरा करने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) दामोदर नदी की प्रदूषण निवारण स्कीम सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत अक्तूबर, 1996 में 22.41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत की गई। इसमें से पश्चिम बंगाल घटक की अनुमानित लागत 12.19 करोड़ रुपये और बिहार की 10.22 करोड़ रुपये है।

(ख) गंगा कार्य योजना चरण-II, जो कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का एक हिस्सा है, शत प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोपित प्रायोजित स्कीम है जिसमें राज्य सरकार को केवल भूमि की लागत वहन करनी है। वर्ष 1996-97 में पश्चिम बंगाल सरकार को 10.74 लाख रुपये को राशि जारी की गई थी। तब से कोई और धनराशि प्रदान नहीं की गई।

(ग) और (घ) अपेक्षित 20 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में से केवल 5 रिपोर्टें राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। ये रिपोर्टें सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार नहीं की गई हैं। भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण राज्य सरकार ने प्रदूषण निवारण कार्यों को प्राथमिकता दी और दामोदर नदी के कार्य को कम प्राथमिकता दी है।

दिल्ली पुलिस को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाना

3100. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी अध्ययन/सर्वेक्षण/विश्लेषण से यह पता चला है कि दिल्ली पुलिस में अत्यधिक भ्रष्टाचार, ड्यूटी के पति लापरवाही और अक्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली पुलिस को भ्रष्टाचार और अक्षमता मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, जब कभी भी कदाचार संबंधी कोई मामला ध्यान में आता है, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाती है।

(ग) इस संबंध में उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं, भ्रष्टाचार की गुंजाइश, सीमा और तरीकों का लगातार आकलन, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निवारक सतर्कता रखना और कदाचार, अनुशासन-भंग, भ्रष्ट तरीकों इत्यादि के दृष्टांतों के विरुद्ध एक कठोर अनुशासनिक शासन-प्रणाली लागू करना।

बोडोलैंड का सृजन

3101. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम से अलग बोडोलैंड राज्य का अलग सृजन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसा कब तक करने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार बोड़ों लोगों की वैध शिकायतों का निवारण किस तरह किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) बोडो समझौते पर 1993 में हस्ताक्षर किए गए थे ताकि उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, जातीय और सांस्कृतिक उन्नति के लिए बोड़ो को स्वायत्तता प्रदान की जा सके। राज्य विधान मण्डल के एक अधिनियम द्वारा मई, 1993 में बोडोलैण्ड

स्वायत्त परिषद की स्थापना की गई थी। असम सरकार ने बोडोलैण्ड स्वायत परिषद को सीमा को अधिसूचित कर दिया है।

सरकार, बोडोलैण्ड स्वायत्त परिषद (बी.ए.सी.) क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के प्रति वचनबद्ध है। केन्द्र सरकार ने विकासात्मक गतिविधियों के लिए बी.ए.सी. को 14.29 करोड़ रुपये की राशि विशेष सहायता के रूप में जारी की। सरकार ने वर्ष 1999-2000 के लिए संसाधनों के केन्द्रीय नान-लैप्सेबल पूल से बी.ए.सी. क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्रों के निर्माण के लिए 4.00 करोड़ रुपये तथा स्पोर्ट्स स्टेडियम, पुस्तकालय, सड़कों के रख-रखाव, इत्यादि हेतु 2.50 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। 26.03.99 को कोकराझार (असम) में बी.ए.सी. क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर एक सेमिनार हुआ था जिसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल, असम, और अध्यक्षता, असम के मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इस सेमिनार में 20 केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों ने भाग लिया तथा बी.ए.सी. क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु कतिपय सिफारिशें की गई थीं। उक्त सेमिनार में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं।

बोडो समझौते के अन्तर्गत अन्य मुद्दों की असम सरकार और प्रमुख बोडो ग्रुपों के साथ त्रिपक्षीय वार्ताओं में सावधिक रूप से पुनरीक्षा की जा रही है।

अल्पसंख्यकों को पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप का आवंटन

3102. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के लिए डीलरशिप के आवंटन हेतु जिलास्तर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई आरक्षण है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों की अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो की तरह डीलरशिप आवंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (घ) मौजूदा नीति के अनुसार राज्यवार आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की 25% डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरक्षित रखी जाती हैं। अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम राज्यों में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए अधिक आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। फिलहाल अल्पसंख्यों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तमिलनाडु में पेट्रोल पंपों का आवंटन

3103. **श्री पी.डी. एलानगोवन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सालेम, धर्मपुरी, साउथ अरकॉट, नार्थ अरकॉट और बेल्लोर जिलों में पेट्रोल पंपों का आवंटन कुछ विशेष समुदायों के लोगों को इन जिलों में उनके जनसंख्या घनत्व के अनुपात में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति का पालन नए रसोई गैस बिक्री केन्द्रों और मिट्टी के तेल के डिपों के आवंटन हेतु भी किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार राज्यवार आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए 25% खुदरा बिक्री केन्द्र/एस.के.ओ.-एल.डी.ओ./एल.पी.जी. डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरक्षित हैं। अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम राज्यों में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए अधिक आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। तमिलनाडु राज्य सहित अन्यत्र किसी विशिष्ट समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं होता।

पर्यावरणीय प्रदूषण प्राधिकरण की टिप्पणियां

3104. **श्रीमती श्यामा सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरणीय प्रदूषण प्राधिकरण (ई.पी.ए.) ने राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कड़े उपाय करने

और साथ ही इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र को बन्द करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े उपाय करने तथा इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र को बन्द करने तथा उसके स्थान पर गैस आधारित संयंत्र लगाने की मांग की गई है क्योंकि यह केन्द्र अपनी सामान्य अवधि से अधिक समय से बना हुआ है।

(ख) राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं-दिल्ली में प्रदूषण को कम करने हेतु कार्य योजना का कार्यान्वयन 1.4.2000 से प्रभावी यूरो-II मानदण्डों से सम्बद्ध कड़े उत्सर्जन मानदण्डों की प्रारूप अधिसूचना, सीसायुक्त पेट्रोल को बन्द करना, 15 वर्ष और इससे अधिक पुराने सभी वाणिज्यिक/यातायात वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध और चरणबद्ध ढंग से उन्हें हटाना, 1.4.99 से प्रभावी दो स्ट्रोक इंजिल आयल की विनिर्देश की अधिसूचना, 31.12.98 से प्रभावी खुले 2-टी तेल की बिक्री और आपूर्ति पर प्रतिबंध, ईंधन गुणवत्ता में सुधार, स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, सार्वजनिक सवारी बसों में वृद्धि करना, एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणालियों में सुधार, तापीय विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जन स्तरों को मॉनीटर करना, परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरी कार्यक्रम, बड़े पैमाने पर रोपण कार्यक्रमों और जन जागरूकता को बढ़ावा देना।

अनियमितता की जांच

3105. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राममोहन गाड्डे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और एक तेल ढांचागत कंपनी के अधिकारियों द्वारा की गई निविदाओं संबंधी गड़बड़ सहित निविदा मानदंडों के कथित उल्लंघन की जांच का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और तेल कंपनी द्वारा इस संबंध में किए गए नियमों के उल्लंखन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न तेल कंपनियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत विभिन्न तेल कंपनियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड (कोचीन-कोयम्बटूर-करूर उत्पादन पाइपलाइन का क्रियान्वयन करने के लिए तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) से संबंधित एक निविदा के संबंध में इंजीनियर्स इंडिया लि. (ई.आई.एल.) द्वारा कथित अनियमितताओं के लिए एक जांच का आदेश दिया गया। परन्तु जांच से स्पष्ट हुआ कि सभी निर्धारित मानदण्डों और प्रक्रिया का अनुपालन ईआईएल द्वारा किया गया था।

(ग) से (ङ) जी नहीं। इसके अलावा इस मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का एक पृथक सतर्कता स्कंध होता है जिसके कार्यकरण की निगरानी केन्द्रीय सतर्कता आयोग और इस मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है।

महानगर गैस कम्पनी का विस्तार

3106. **श्री किरीट सोमैया :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर गैस कम्पनी के विस्तार कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस करार के परिणामस्वरूप महानगर गैस कम्पनी कुल कितना वित्त जुटाएगी;

(ग) क्या ब्रिटिश गैस, एच.पी.सी.एल., इंडियन ऑयल कम्पनी मुम्बई में और अधिक कम्प्रैस्ड् प्राकृतिक गैस ईंधन की आपूर्ति करने वाले विक्रय केन्द्रों की स्थापना करके महानगर गैस कम्पनी के विस्तार कार्यक्रम के लिए सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ब्रिटिश गैस कम्पनी और एच.पी.सी.एल. और अन्य सरकारी कम्पनियों के मध्य मतभेदों के कारण उक्त परियोजना में वर्ष 1995 से विलम्ब हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) के पास ग्रेटर मुंबई में तथा इसके आसपास शुरू में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तथा वितरण करने तथा वाहनों को सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने का आदेश है। कम्पनी ने ग्रेटर मुंबई क्षेत्र को चरणबद्ध रूप से शामिल करने के लिए अपनी योजनाएं बनाई हैं।

(ख) कम्पनी वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि से दीर्घावधिक उधार लेने के माध्यम से वित्त जुटाती है।

(ग) और (घ) एमजीएल ने तेल विपणन कम्पनियों नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों के साथ 16 सीएनजी बिक्री केन्द्र पहले ही खोल दिए हैं, जिनमें से 14 बिक्री केन्द्र काम कर रहे हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों की यात्राएं

3107. डा. बलिराम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो महीनों के दौरान और आज की तिथि तक मंत्रियों ने किन-किन देशों की यात्राएं की;

(ख) इनके कारण क्या थे और इन यात्राओं के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर कुल कितना व्यय हुआ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

टिहरी बांध

3108. योगी आदित्यनाथ : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल क्षेत्र के टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन अधिक ऊंचाई वाले बहुउद्देशीय बांध की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस बांध के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी पर टिहरी विद्युत काम्प्लेक्स (2400 मे.वा.) की टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना (1000 मे.वा.) चरण-I टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। निर्माण गतिविधियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं।

मुख्य बांध को सबसे गहरे नींव स्तर से लगभग 105 मीटर की औसत ऊंचाई तक उठा दिया गया है, सभी चार हैड-रेस सुरंगों की खुदाई पूरी कर ली गई है। चरण-I की सुरंगों में लाईनिंग कार्य भी पूरा कर लिया गया है जबकि पम्प स्टोरेज परियोजना की सुरंगों में यह कार्य अभी चल रहा है। भूमिगत विद्युत गृह काम्प्लेक्स के विभिन्न कार्य तथा विद्युत गृह गुफा की खुदाई का कार्य पूरा होने की अग्रिम अवस्था में है। स्पिल-वे पर निर्माण चल रहा है। प्रमुख उत्पादन संयंत्र तथा उपस्कर हेतु संविदाएं प्रदान कर दी गई हैं जबकि शेष उपस्कर हेतु संविदाएं कार्रवाई की विभिन्न अवस्था में हैं।

(ख) परियोजना की सभी 4 यूनिटों (250 मे.वा. प्रत्येक) को दिसम्बर, 2002 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

अपराधों में लिप्त बच्चे

3109. **श्रीमती कान्ति सिंह:**
श्री अनंत गंगाराम गीते:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न अपराधों में बच्चों की संलिप्तता होने के संबंध में उत्तरदायी कारणों की पहचान करने के लिए कार्य अध्ययन किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस खतरे की जांच के लिए क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का विचार है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय है। अत: अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना, उनका पता लगाना और उनकी रोकथाम करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। यह संबंधित राज्य सरकारों का काम है कि वे अपराध में बच्चों की संलिप्तता को रोकने के लिए, यथावश्यक, निवारक और दण्डात्मक कदम उठाएं।

नेशनल एन्वायरेन्मेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट

3110. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एन्वायरेन्मेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर के निदेशक ने कहा है कि भारत में पर्यावरण और वन क्षेत्र में 5 प्रतिशत विकास हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति में सुधार हेतु प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) निदेशक, नेशनल एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर ने योजना के अगस्त, 1997 के अंक में प्रकाशित अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष दिया कि यदि कुल पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय क्षति लागत को शामिल किया जाए तो 1991-95 के दौरान जी.डी.पी. में 4.74 प्रतिशत की कमी हुई है।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का देश के पर्यावरण और वनों को सुधारने के लिए नौवीं योजना में लगभग 3013.84 करोड़ रु. खर्च करने का प्रस्ताव है।

तेल क्षेत्रों का विकास

3111. **श्री दिलीप संघाणी:**
डॉ. रमेशचंद तोमर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने छोटे और मध्यम तेल क्षेत्रों का पता लगाया गया तथा कितने ऐसे क्षेत्रों को विकास हेतु उन्हें निजी कंपनियों को सौंपे जाने का प्रस्ताव किया गया;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ये कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) इन तेल क्षेत्रों के विकास हेतु अब तक क्या प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ग) 1996 से सरकार ने निजी कम्पनियों को तेल तथा गैस के विकास और उत्पादन के लिए 12 लघु तथा मध्यम आकार के खोजे गए क्षेत्र प्रदान किए हैं। इन क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। निजी कम्पनियों या संयुक्त उद्यमों द्वारा इन क्षेत्रों का विकास संबद्ध उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद ही किया जा सकता है जो अभी तक किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं किए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	स्थान/राज्य
मध्यम आकार के क्षेत्र:		
(1)	रत्ना तथा आर-सीरिज	मुम्बई अपतट
लघु आकार के क्षेत्र		
(2)	उत्तरी बलोल	गुजरात
(3)	उत्तरी कठाना	गुजरात
(4)	अलोरा	गुजरात
(5)	उनावा	गुजरात
(6)	कनवरा	गुजरात
(7)	ढोलासन	गुजरात
(8)	कारिजीसन	गुजरात
(9)	मोढेरा	गुजरात
(10)	ओगनाज	गुजरात
(11)	मांगनपुर	गुजरात
(12)	आमगुड़ी	असम

[हिन्दी]

पर्यावरणीय अधिकरण

3112. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्रातिशीघ्र पर्यावरणीय अधिकरण गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इनके कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 के तहत एक राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण का गठन करने हेतु कार्रवाई कर रही है। अधिनियम में किसी तरह के परिसंकटमय पदार्थ के हस्तन के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना के कारण हुए नुकसान के लिए ठीक-ठीक उत्तरदायित्व तय करने तथा ऐसी दुर्घटना से जुड़े मामलों को प्रभावी ढंग से और तेजी से निपटाने की व्यवस्था है ताकि व्यक्तियों, सम्पत्ति और पर्यावरण को होने वाले नुकसान और इससे सम्बद्ध मामलों अथवा आकस्मिक घटनाओं के लिए राहत और क्षतिपूर्ति की जा सके।

[अनुवाद]

नामक्कल, तमिलनाडु के एल.पी.जी. डीलर

3113. **डॉ. वी. सरोजा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु के नामक्कल जिले में एल.पी.जी. डीलरों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): इस समय तमिलनाडु के नामक्कल जिले में निम्न 6 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालनरत हैं:

(1) मैसर्स पोन्नी गैस सर्विस।

(2) मैसर्स मोहनपुर शुगर मिल्स (परियोजना डिस्ट्रीब्यूटर)।

(3) मैसर्स आर.ए.पी.सी.एम.एस. लिमिटेड।

(4) मैसर्स टी.ए.पी.सी.एम.एस. लिमिटेड।

(5) मैसर्स बी.के.आर. गैस एजेन्सीज।

(6) मैसर्स मारुति गैस।

बाघों का अवैध शिकार

3114. श्री राजीव प्रताप रूडी:
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाघों की सख्या में कमी के कौन से प्रमुख कारण जिम्मेवार हैं;

(ख) विभिन्न जैविक उद्यानों और अभयारण्यों में बाघों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अवैध शिकारियों द्वारा कितने बाघ मारे गये और उनको क्या दंड दिया गया; और

(घ) बाघों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार की नीति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) बाघों की संख्या में कमी होने का मुख्य कारण (1) निरन्तर बढ़ती हुई आबादी, (2) विकासात्मक गतिविधियों, तथा (3) बढ़ती हुई पशु संख्या से वासस्थलों पर दबाव पड़ने के कारण बाघ वासस्थलों का कम होना है।

(ख) 1997 के अनुमान के अनुसार विभिन्न बाघ रिजर्वों में बाघों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मारे गए बाघों की संख्या निम्नलिखित है:

1997	1998	1999
88	44	50

(घ) बाघों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार की नीति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बाघ रिजर्व क्षेत्रों में बाघों की संख्या

क्र.सं.	रिजर्व का नाम	1997
1	2	3
1.	बान्दीपुर, कर्नाटक	75
2.	कार्बेट, उत्तर प्रदेश	138
3.	कान्हा, मध्य प्रदेश	114
4.	मानस, असम	125
5.	मेलघाट, महाराष्ट्र	73
6.	पलामू, बिहार	44
7.	रणथम्भौर, राजस्थान	32
8.	सिमिलीपाल, उड़ीसा	98
9.	सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल	263
10.	पेरियार, केरल	सूचित नहीं किया गया
11.	सरिस्का, राजस्थान	24
12.	बक्शा, पश्चिम बंगाल	32
13.	इन्द्रावती, मध्य प्रदेश	15
14.	नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश	39
15.	नामदाफा, अरूणाचल प्रदेश	57

1	2	3
16.	दधवा, उत्तर प्रदेश	104
17.	कालाकड, तमिलनाडु	28
18.	वाल्मिकी, बिहार	53
19.	पेंच, मध्य प्रदेश	29
20.	ताड़ोबा, महाराष्ट्र	42
21.	बांधवगढ़, मध्य प्रदेश	46
22.	पन्ना, मध्य प्रदेश	22
23.	दाम्फा, मिजोरम	5
	योग	1458

विवरण II

भारत सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

राष्ट्रीय स्तर:

1. सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तटरक्षक, राज्य पुलिस, उप निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण तथा वैज्ञानिक संगठन जैसे कि भारतीय प्राणि एवं वनस्पति सर्वेक्षण जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार तथा अवैध व्यापार के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना।

2. वन्यजीव उत्पादों के व्यापार एवं तस्करी को रोकने में उपर्युक्त विभागों को सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

3. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के प्रयासों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सचिव (पर्यावरण एवं वन), विशेष सचिव (गृह), निदेशक, सी.बी.आई. तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के प्रतिनिधि के साथ एक विशेष समन्वय समिति बनाई गई है।

4. सशस्त्र दस्तों, वाहनों, संचार नेटवर्क तथा उद्यान प्रबंधों के बीच समन्वय सहित सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने लगभग 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

5. चोरी-छिपे शिकार का पता लगाने तथा उसकी सूचना देने के लिए उत्कृष्ट कार्य एवं बहादुरी के कार्य के लिए पुरस्कार देने की स्कीमें शुरू की गई हैं।

6. राज्य सरकारों को सतर्कता बढ़ाने तथा गश्त तेज करने की सलाह दी गई है।

7. वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में सरकार की सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य को शामिल करने के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

8. बाघ के अंगों तथा उत्पादों के व्यापार मार्गों का पता लगाने में संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों की सहायता करना तथा बाघ के अंगों तथा उत्पादों के लिए एक न्यायिक अभिनिर्धारण संदर्भ मैनुअल तैयार करना।

9. राज्य सरकारों को क्षेत्रों पर जैविक दबाव कम करने हेतु उनके पारिविकास के लिए निधियां प्रदान की जा रही है।

10. बाघ परियोजना क्षेत्रों में स्थान विशिष्ट विशेष बल।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर:

1. बाघों के संरक्षण से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय मामलों के समाधान के लिए बाघ रेंज देशों का एक मंच अर्थात विश्व बाघ मंच के सृजन के लिए कार्रवाई।

2. ट्रान्स बाउन्डरी व्यापार को नियंत्रित करना तथा बाघ संरक्षण में परस्पर सहयोग करना:

(1) चीन के साथ एक प्रोटोकल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(2) महामहिम की नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(3) बंगलादेश के साथ बातचीत शुरू की गई है।

3. बाघ के अंगों और उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए साइटस के कई संकल्पों को भारत की पहल पर अपनाया गया है।

4. सहस्त्राब्दि बाघ पोषण।

राष्ट्रीय राजमार्ग-203 को चौड़ा करना

3115. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (भुवनेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 से पुरी तक) को चौड़ा और मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उक्त राजमार्ग की अनुमानित लागत कितनी है और इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) तत्काल सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-203 हेतु 1999-2000 के दौरान लगभग कुल 3.03 करोड़ रु. के कुछेक मूल कार्य स्वीकृत किए गए जिनमें रख-रखाव भी शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार एक सतत् कार्य है और यह उपलब्ध निधियों और अखिल भारतीय आधार पर कार्यों की परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करते हैं, इसलिए रा.रा.-203 पर और विकास कार्यों के संबंध में उपलब्ध निधियों के अनुसार चरणों में विचार किया जाएगा।

कुरुक्षेत्र, हरियाणा में रसोई गैस की एजेंसियां

3116. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा के कुरुक्षेत्र और इसके आस-पास रसोई गैस वितरकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कुरुक्षेत्र में रसोई गैस की प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को कब तक गैस कनेक्शन मिल जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) वर्तमान में कुरूक्षेत्र में तथा इसके आसपास 6 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें हैं, जिनके पास 10880 की प्रतीक्षा सूची है।

(ग) एलपीजी कनेक्शन, उत्पाद की उपलब्धता तथा नामांकन योजना इत्यादि पर निर्भर करते हुए प्रतीक्षा सूचीबद्ध उम्मीदवारों को एक चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्ति

3117. श्री अमीर आलम :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अक्तूबर, 1998 तक जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा-पार से की गई गोलाबारी के कारण वर्ष-वार कितने सुरक्षा कर्मी और आम नागरिक मारे गये और हताहत किये गये;

(ख) राज्य में उक्त अवधि के दौरान आतंकवादी हिंसा के परिणामस्वरूप क्षति हुई सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के आश्रितों को भुगतान किये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान, अक्तूबर 1998 तक, जम्मू और कश्मीर में पाक सेना द्वारा की गई गोलीबारी के कारण 112 सिविलियन और 61 गैर-सिविलियन मारे गए और 196 सिविलियन और 11 गैर-सिविलियन जख्मी हुए।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को अनुग्रहपूर्वक राहत की अदायगी एक सतत प्रक्रिया है और राज्य सरकार के मानदण्डों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। केन्द्र सरकार, जम्मू और कश्मीर राज्य को उसके द्वारा दी गई इस प्रकार की राहत/मुआवजा की राशि की प्रतिपूर्ति सुरक्षा संबंधी खर्च के रूप में करती है। भारत सरकार द्वारा प्राप्तकर्ताओं के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

विवरण

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में उक्त अवधि के दौरान हुई उग्रवादी हिंसा के परिणामस्वरूप सम्पत्ति को हुई हानि के ब्यौरे इस प्रकार है:-

वर्ष	कुल घटनाएं	सरकारी भवन	शैक्षिक संस्थान	निजी मकान	पुल	दुकानें	अस्पताल
1995	688	127	133	1814	16	402	2
1996	482	52	68	602	2	161	3
1997	259	13	11	437	5	67	1
1998 (अक्तूबर 1998 तक)	152	11	15	239	1	51	–

[अनुवाद]

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अधीन क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाना

3118. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री कृष्णमराजु :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के नेलापट्टु पक्षी अभ्यारण्य को इस अधिसूचना में शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस अधिसूचना के अंतर्गत क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) किसी क्षेत्र को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किए जाने संबंधी शक्ति राज्य सरकार के पास है।

(ख) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किए गए क्षेत्रों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) अधिनियम के तहत नेलापट्टू एक अधिसूचित पक्षी अभयारण्य है।

(घ) आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में 458.92 है. क्षेत्र को आंध्र प्रदेश के राजपत्र की अधिसूचना संख्या 356 दिनांक 4 अक्तूबर 1997 के माध्यम से एक अभयारण्य घोषित किया गया है।

(ङ) अभयारण्य में सभी गतिविधियां वन्यजीवों के हितों को ध्यान में रखकर करनी होंगी तथा उन अधिकारों के प्रयोग की अनुमति दी गई है जिन्हें कलक्टर द्वारा स्वीकृत किया गया है।

विवरण

भारतीय वन्यजीव अभयारण्य

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1	2	3	4
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह			
1.	अरैल	अंडमान	0.05
2.	बम्बू		0.05
3.	बारेन	निकोबार	8.10
4.	बाटिमाल्वे		2.23
5.	बेल्ले		0.08
6.	बेनेट		3.46
7.	बिंघम		0.08
8.	ब्लिटेर		0.26
9.	ब्लफ		1.14
10.	बोंडोविले		2.55
11.	ब्रश		0.23
12.	बचनन		9.33
13.	चैनेल		0.13
14.	चिंक		9.51
15.	ग्लाइड		0.54

1	2	3	4
16.	कोन		0.65
17.	कर्ल्यू		0.03
18.	कर्ल्यू (बी.पी.)		0.16
19.	चितबर्ट वे	अंडमान	5.82
20.	डिफेंस		10.49
21.	डाट		0.18
22.	डाट्रेल		0.13
23.	डंकल		0.43
24.	ईस्ट		6.11
25.	ईस्ट आफ इंगलिस		3.55
26.	एग		0.05
27.	एंटेंस		0.96
28.	इलैट		9.36
29.	जेंडर		0.05
30.	ग्लाथिया बे	निकोबार	11.44
31.	गूज़		0.01
32.	गुर्जन		0.16
33.	हम्प		0.47

1	2	3	4
34.	इंटरव्यू		133.80
35.	जेम्स		2.10
36.	जंगल		0.52
37.	क्वांगटुंग		0.57
38.	कीड		8.00
39.	लैंडफिल		29.48
40.	लाटूश		0.96
41.	लोहा बैरक क्रोकोडाईल सैंक		106.00
42.	मैंग्रोव्स		0.39
43.	मास्क/बास्क		0.78
44.	मायो		0.10
45.	मेगापोड		0.01
46.	मोंटोगरमी		0.21
47.	नारकोंडम		6.81
48.	नार्थ		0.49
49.	नार्थ ब्रदर		0.75
50.	नार्थरीफ		3.48
51.	ओलिवर		0.10
52.	ओरचिड		0.10

1	2	3	4
53.	ओयस्टर		0.21
54.	ओयस्टर		0.08
55.	ओक्स		0.13
56.	पैगोट		7.36
57.	पार्किंसन		0.34
58.	पैसेज		0.62
59.	पैट्रिक		0.13
60.	पीकाक		0.62
61.	पिटमैन		1.37
62.	प्वाइंट		3.07
63.	पोटान्मा		0.16
64.	रैंजर		4.26
65.	रीफ		1.74
66.	रोपर		1.46
67.	रोज		0.01
68.	रोव		0.01
69.	सैंडी		1.58
70.	सी सर्पेंट		0.78

1	2	3	4
71.	शार्क		0.60
72.	शेर्मे		7.85
73.	सरह्यूजरोज़		1.06
74.	सिस्टर		0.36
75.	स्नेक		0.03
76.	स्नेक		0.73
77.	साउथ रीफ़		1.17
78.	साउथ सेंटीनल		1.61
79.	साउथ ब्रदर		1.24
80.	स्पाइक		11.70
81.	स्पाइक		0.42
82.	स्टोट		0.44
83.	सूरत		0.31
84.	स्वैंप		4.09
85.	टेबल (डेलग्रैनो)		2.29
86.	टेबल (एक्सलाइजर)		1.69
87.	टालाबाइचा		3.21
88.	टम्पल		1.04

1	2	3	4
89.	टिल्लेन चांग		16.83
90.	ट्री		0.03
91.	टिलबी		0.96
92.	टर्फ		0.29
93.	कछुआ		0.39
94.	पश्चिम		6.40
95.	व्हर्फ		0.11
96.	सफेद क्लिफ		0.47
			481.66

आंध्र प्रदेश

1.	कोरिंगा	पूर्वी गोदावरी	235.70
2.	इटर्नगरम	वारंगल	803.00
3.	गुडला ब्रह्मेश्वरम्	कुर्नूल/प्रकाशम	194.00
4.	कुंडीन्य	चित्तूर	357.60
5.	कवल	आदिलाबाद	893.00
6.	किन्नेरसनी	खम्माम	655.41
7.	कृष्णा	कृष्णा/गुंटूर	194.81
8.	कोल्लेरू	पश्चिम गोदावरी	673.00

1	2	3	4
9.	लांजमदुगु (सिवराम)	आदिलाबाद (करीम नगर)	36.29
10.	मंजीरा	मेडक	20.00
11.	नागार्जुन सागर (बाघ रिजर्व)	गुंटूर, प्रकाशम, कुर्नूल महबूब नगर, नालगोंडा	3568.00
12.	नालपट्टु	नेल्लोर	4.58
13.	पाखाल	वारंगल	860.00
14.	पापिकोंडा	पूर्वी गोदावरी, खम्माम	591.00
15.	पोछाराम	मेडक/निजामाबाद	130.00
16.	प्रानहित	आदिलाबाद	136.02
17.	पुलीकट	नेल्लोर	500.00
18.	रोल्लपाडु	कुर्नूल	614.00
19.	श्री वेंकटेश्वरा	चित्तूर/काडप्पा	153.94
20.	श्री लंका माल्लेश्वरा	काडप्पा	464.42
21.	श्री पुनुसिला नरसिंह वन्य जीव अभयारण्य	काडप्पा/नेल्लोर	1030.85
			13115.624
अरूणाचल प्रदेश			
1.	ईगल नेस्ट	पूर्वी कामांग	217.00
2.	इटानगर	पपुम पारे	140.30
3.	कामलोंग	लॉहित	783.00

1	2	3	4
4.	लाली (डेरिंग)	पूर्वी सियांग	190.00
5.	मेहाओ	दिबंग घाटी लोहित	281.50
6.	पाखुई	पूर्वी कामेंग	861.95
7.	सेस्सा आर्किड	पश्चिमी कामेंग	100.00
8.	दिलबाग	दिबांग घाटी	4149.00
9.	कने	पश्चिमी सियांग	55.00
			6777.75
असम			
1.	बारांडी	कामरूप	26.00
2.	डिब्रू सेकोवा	कामरूप	640.00
3.	दिपार बील	कामरूप	4.14
4.	गरमपानी	शिवसागर	6.00
5.	लाओखोवा	नौगांव	70.00
6.	मानस (बाघ रिजर्व)	कामरुप/गोलपाड़ा	391.00
7.	नामेरी	सोनितपुर	130.00
8.	ओरांग	दारांग	75.60
9.	पवित्र	नौगांव	38.84
			1381.58

1	2	3	4
बिहार			
1.	भीमबंध	मुंगेर	681.99
2.	बेटला	पालामऊ	747.60
3.	डालमा	रांची	193.22
4.	गौतमबुद्ध	गया	259.50
5.	हजारीबाग	हजारीबाग	186.25
6.	कैमूर	रोहतास	1342.00
7.	कोडेरमा	हजारी बाग और गया	177.95
8.	काबार झील	बेगू सराय	63.11
9.	लावालांग	हजारीबाग	207.00
10.	महुआडांडानार	पालामाऊ	63.25
11.	नागी बांध	मुंगेर	1.91
12.	नाक्टी बांध	मुंगेर	3.32
13.	पारसनाथ	हजारीबाग	49.33
14.	राजगिर	नालंदा	35.84
15.	टोपचाचि	धनबाद	8.75
16.	उदयपुर	चंपारन	8.74
17.	वाल्मीकि (बाघ रिजर्व)	चंपारन	544.54

1	2	3	4
18.	विक्रमशिला गंगेटिक डाल्फिन	भागलपुर	50.00
19.	पंत अरण्य	नालंदा	–
			4624.30
चण्डीगढ़			
1.	सुखना झील	चण्डीगढ़	25.42
			25.42
दमन और दीव			
1.	फुदम	दीव	2.18
			2.18
दिल्ली			
1.	इंदिरा प्रियदर्शनी (असोला)	दिल्ली	13.20
			13.20
गोवा			
1.	भगवान महावीर	गोवा	240.00
2.	बोंडला	गोवा	8.00
3.	कोटिगाओ	गोवा	85.65
4.	चोराओ (डा. सलीम अली)	गोवा	1.78
			335.43

1	2	3	4
गुजरात			
1.	बलराम अंबाजी	बांसकांठा	542.081
2.	बारडा	जूनागढ़ जामनगर	192.31
3.	धुमखल (शूलपानेश्वर)	राजपीपला, भड़ौच	607.70
4.	गंगा (जी आई बी)	जामनगर	3.33
5.	गिर	जूनागढ़	1153.47
6.	हिंगोलगढ़	राजकोट	6.54
7.	जंबूघोड़ा	पंचमहल	130.38
8.	जैसोर	बांसकाठा	180.66
9.	कच्छ मरूस्थल	कच्छ	7506.22
10.	खिजादीया	जामनगर	6.05
11.	मरीन	जामनगर	295.03
12.	नालसरोवर	अहमदाबाद और सुरेन्द्रनगर	120.82
13.	नारायण सरोवर	कच्छ	765.79*
14.	पानीय	अमरेली	39.63
15.	पोरबंदर	जूनागढ़	0.9
16.	रामपुरा	राजकोट	15.01
17.	रतनमहल	पंचमहल	55.65

1	2	3	4
18.	थोल	मेहसाना	6.99
19.	जंगली गधा	सुरेन्द्रनगर, बांसकाठा	4953.70
20.	पूर्ना	डँग	160.84
21.	कच्छ सोहन चिड़िया	कच्छ	2.03
			16744.27
हरियाणा			
1.	भिंडवास	रोहतक	4.06
2.	छिलछिला	कुरूक्षेत्र	0.28
3.	नहर	रोहतक	2.09
4.	बीर शिकारगढ़	अम्बाला	7.58
5.	चौटाला	सिरसा	113.96
6.	सरस्वती	कुरूक्षेत्र	49.98
7.	बीर बारावन	जींद	4.14
8.	कालेसर		
9.	खापरवास		
हिमाचल प्रदेश			
1.	बांदली	मंडी	41.32
2.	चैल	सोलन	108.54

1	2	3	4
3.	नूरघर	सिरमौर	56.15
4.	दारांघाटी I और II	शिमला	167.40
5.	गंमूल सिया-बेही	चंबा	108.85
6.	गोबिन्दसागर	बिलासपुर	100.34
7.	कालाटॉप और खज्जर	चम्बा	69.26
8.	कानावर	कुल्लू	60.70
9.	खोखन	कुल्लू	14.05
10.	कियास	कुल्लू	14.19
11.	कुग्टी	चम्बा	378.86
12.	लिप्पा असरांग	किन्नौर	30.89
13.	मजाथल हसरांग	सोलन	39.38
14.	मनाली	कुल्लू	31.80
15.	नारगू	मण्डी	278.37
16.	नैनादेवी	बिलासपुर	122.68
17.	पोंग बांध झील	कांगड़ा	307.29
18.	रक्षम चितकुल (सांगला)	किन्नौर	650.00
19.	रेणुका	सिरमौर	4.02
20.	रूपी भाबा	किन्नौर	269.14
21.	सन्नू टुआं नाला	चम्बा	102.95

1	2	3	4
22.	शिकारी देवी	मंडी	72.00
23.	शिल्ली	सोलम	2.13
24.	शिमला जल ग्रहण क्षेत्र	शिमला	10.25
25.	सिम्बलबारा	सिरमौर	19.03
26.	तालड़ा	शिमला	40.49
27.	तीर्थन	कुल्लू	61.12
28.	टंडा	नम्बा	64.22
29.	किब्बेरे	लाहौल-स्पीति	1400.50
30.	धौलाधार अभयारण्य	कांगड़ा	944.00
31.	दारलाघाट	दारलाघाट	6.00
32.	सांगला	किन्नौर	650.00
33.	सैंज	कुल्लू	90.00
			6315.92
जम्मू और कश्मीर			
1.	बालताल	श्रीनगर	203.00
2.	चांगथांग	लेह	4000.00
3.	गुलमर्ग	बारामूला	186.00
4.	हीरापोड़ा	श्रीनगर	110.00
5.	होकेरसर	श्रीनगर	10.00

1	2	3	4
6.	जसरोटा	जम्मू	4.00
7.	कराकोरन	कारगिल	5000.00
8.	लाछीपोड़ा	बारामूला	80.00
9.	लिम्बर	बारामूला	26.00
10.	नन्दानी	जम्मू	33.34
11.	ओवेरा	श्रीनगर	32.00
12.	ओवेरा-अरू	श्रीनगर	425.00
13.	रामनगर राखा	जम्मू	12.20
14.	सुरीनसर मानसर	जम्मू	39.13
15.	तिरकुटा	जम्मू	3.00
16.	थाजवास		
			10163.67
कर्नाटक			
1.	आदिचुनचुनागिरी	मंडी	0.84
2.	अराबिथिट्टु	मैसूर	13.50
3.	भद्रा	शिमोगा और	492.46
		चिकमंगलूर	539.52
4.	बिलीगिरि रंगास्वामी मंदिर	मैसूर	539.52

1	2	3	4
5.	ब्रहमगिरि	मादिकेरी	181.29
6.	कावेरी	मैसूर, माड्या, बंगलूर	510.51
7	दांडेल्लि	उत्तर कन्नड़	834.16
8.	घाटप्रभा	बेलगांव	29.78
9.	गुडावी	शिमोगा	0.73
10.	मेलकोट मंदिर	दक्षिण कन्नड़	49.82
11.	मूकांबिका	मांड्या	247.00
12.	नुगु	मैसूर	30.32
13.	पुष्पागिरि	कोडागु	102.92
14.	रंगनथिट्टु	मैसूर	0.67
15.	रानेबेन्नूर	धारवाड़	119.00
16.	शेट्टिहल्लि	शिमोगा	395.60
17.	भ्रावती वैली	शिमोगा	431.23
18.	सोमेश्वर	दक्षिण कन्नड़	88.40
19.	तालकवेरी	कोडागु	105.59
20.	डोराजी भालू अभयारण्य	बेल्लारी	55.873
			4229.213

केरल

1.	अरालम	कन्नानूर	55.00
2.	चिमोनी	त्रिचूर	100.00

1	2	3	4
3.	चिनार	इदुक्की	90.44
4.	इदुक्की	इदुक्की	77.00
5.	नेय्यार	तिरूवनन्तपुरम	128.00
6.	पराम्बिकुलम	पालघाट	285.00
7.	पीछी वजानी	त्रिचूर	125.00
8.	पेप्पारा	तिरूवनन्तपुरम	53.00
9.	पेरियार (बाघ रिजर्व)	इदुक्की	427.00
10.	शेन्दुर्नी	तिरूवनन्तपुरम	100.32
11.	थट्टेकाड	इदुक्की	25.16
12.	वायनाड़	कालीकट और वायनाड	344.-4
			1810.36
महाराष्ट्र			
1.	अंधेरी	चंद्रपुर	509.27
2.	अनेर बांध	धुले	82.94
3.	भीमशंकर	पुणे/थाने	130.78
4.	बोर	वर्धा	61.10
5.	चंदोली	सागली सतार रत्नागिरि/कोल्हापुर	308.97
6.	चपरोला	गड़चिरोली	134.78

1	2	3	4
7.	गौटाला औत्रम घाट	औरंगाबाद/जलगांव	260.61
8.	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (नानज)	शोलापुर/अहमदनगर	8496.44
9.	जायकवाड़ी	औरंगाबाद	341.05
10.	कलसूबाई हरीश चंद्रगढ़	अहमदनगर	361.81
11.	करनाला	रायगढ़	4.48
12.	कटेपूर्णा	अकोला	52.79
13.	कोयना	सतारा	423.55
14.	मालवन (मरीन)	सिंधुदुर्ग	29.12
15.	मेलघाट (बाघ रिजर्व)	अमरावती	1597.23
16.	नागजीरा	भंडारा	152.81
17.	नन्दूर मदमेश्वर	नासिक	100.12
18.	पैनगंगा	यवतमाल/नानदेड़	324.62
19.	फंसड	रायगढ़	69.79
20.	राधानगरी	कोल्हापुर	371.88
21.	देयोलगांव रेहेकारी	अहमदनगर	2.17
22.	सागरेश्वर	सांगली	10.87
23.	तांसा	थाने	304.81
24.	यावल	जलगांव	177.52
			14309.51

1	2	3	4
मध्य प्रदेश			
1.	अचनकमार	बिलासपुर	551.55
2.	बादलखोल	रायगढ़	104.55
3.	बगदारा	सीधी	478.90
4.	बरनवापरा	रायपुर	244.66
5.	बैरामगढ़	बस्तर	139.00
6.	बारी	होशंगाबाद	518.00
7.	गांधीसागर	मंदसौर	368.62
8.	घाटीगांव ग्रेट इंडियन वस्टर्ड	ग्वालियर	512.00
9.	गोमार्दा	रायगढ़	277.82
10.	केरेरा ग्रेट इंडियन वस्टर्ड	शिवपुरी	202.21
11.	केन घड़ियाल	पन्ना छतरपुर	45.00
12.	कियोनी	रायगढ़देवास	132.70
13.	नरसिंहगढ़	मुरैनादेवास	59.19
14.	नेशनल चंबल	सागर ‚मोहदेवास	320.00
15.	नेयोरादेही	देवास नरसिंहपुर	1034.52
16.	पंचमढ़ी	होशंगााद	461.85
17.	पामड़े	बस्तर	262.00

1	2	3	4
18.	पनपाठा	शहडोल	245.84
19.	पालपुर (कुनो)	मुरैना	345.00
20.	पेंच	सिवनी/छिंदवाड़ा	449.39
21.	फेना	मांडला	110.74
22.	रातापानी	रायसेन	686.79
23.	रलामंडल	इंदौर	234.55
24	सैलाना	रतलाम	12.96
25.	संजय (डुबरी)	सीधी	364.59
26.	सरदारपुर	धार	348.12
27.	समारसोट	सरगुजा	430.36
28.	सिंघोरी	रायसेन	287.91
29.	सीतानदी	रायपुर	553.36
30.	सोन घड़ियाल	सीधी, सतना, शहडोल	209.00
31.	तामोर पिंगला	सरगुजा	608.52
[illegible]	उदांती जंगली भैंस	रायपुर	247.59
			10847.29
मणिपुर			
1.	यांगोनपोकपी लोकचाओ	चांदी	184.85
			184.85

1	2	3	4
मेघालय			
1.	बाघमारा (पिछेर प्लांट)	पश्चिमी गारो पहाड़ी	0.027
2.	नौंगक्याल्लेम	पूर्वी गारो पहाड़ी	29.00
3.	सिज्जु	पश्चिमी गारो पहाड़ी	5.18
			34.207
मिजोरम			
1.	डाम्पा (बाघ रिजर्व)	ऐजवाल	500.00
2.	जेंगपुई	जेंगपुई	170.00
3.	स्वांगलौंग	थेंज्वल	50.00
			720.00
नागालैंड			
1.	फकीम	तुनसांग	6.41
2.	पुलीबाजे	कोहिमा	23.24
4.	रंगपहाड़	कोहिमा	4.70
			34.25
उड़ीसा			
1.	बालूखंड-कोणार्क	पुरी	71.72
2.	भितरकनिका	चांदबली	170.00

1	2	3	4
3.	चांदका-डांपरा	पुरी	175.79
4.	चिल्का	पुरी और गंजाम	15.53
5.	डेब्रीगढ़	संबलपुर	346.91
6.	हैडगढ़	किओंझर मयूरभंज	191.60
7.	खालासुनी	संभलपुर	116.00
8.	कोटगढ़	फूलबनी	399.50
9.	कुलदोहा	बालासोर, मयूरभंज	272.75
10.	लखाड़ी घाटी	गंजाम	185.87
11.	महानदी बैसीपल्ली	पुरी	168.35
12.	नन्दनकानन	पुरी	14.26
13.	सतकोसिया जॉर्ज	धेंकनाल, पूरी, कटक, मयूरभंज	795.52
14.	सिमलीपाल	मयूरभंज	2200.00
15.	सुनबेड़ा	कालाहांडी	600.00
16.	उपाकोठाई (बदरमा)	संभलपुर	304.03
17.	कार्लापट	कालाहांडी	147.66
			6175.49
पंजाब			
1.	अबोहर	फिरोजपुर	186.00
2.	बीर बुनेरहेरी	पटियाला	6.50
3.	बीर गर्दियल पुरा	पटियाला	6.10

1	2	3	4
4.	बीर मोतीबाग	पटियाला	6.40
5.	हारिके झील	फिरोजपुर	86.00
6.	तखानी रेहमपुर	होशियारपुर	3.82
			294.82
राजस्थान			
1.	बंधा बरेठा	भरतपुर	192.76
2.	बस्सी	चित्तौड़गढ़	152.90
3.	भेंसरोडगढ़	चित्तौड़गढ़	229.14
4.	दारा	कोटा	265.80
5.	जैसमांड	राजसमंद	52.00
6.	जामवा रामगढ़	जयपुर	300.00
7.	जवाहर सागर	कोटा	100.00
8.	केलादेवी	सवाई माधोपुर	676.38
9.	कुंभलगढ़	उदयपुर	578.25
10.	माउंट आबू	सिरोही	288.84
11.	नाहरगढ़	जयपुर	50.00
12.	नेशनल चंबल	कोटा	280.50
13.	फुलवारी की नाल	उदयपुर और पाली	511.41
14.	रामगढ़ विषधारी	बूंदी	307.00

1	2	3	4
15.	सरिस्का (बाघ रिजर्व)	अलवर	492.00
16.	सज्जनगढ़	उदयपुर	5.19
17.	शेरगढ़	कोटा	98.71
18.	सीता माता	चित्तौड़गढ़	422.94
19.	सवाई मानसिंह	सवाई माधोपुर	127.60
20.	ताल छप्पर	चुरू	7.90
21.	तोड़घर रावाली	अजमेर	495.27
22.	वन विहार	धौलपुर	59.93
			5694.02
सिक्किम			
1.	फामबग एल एच ओ	पूर्वी सिक्किम	51.76
2.	कोंगवोसला अल्पाइन	रोंगनेक चु	31.00
3.	मायनम	दक्षिण सिक्किम	35.34
4.	शिंगबा (रोडो-ड्रोन)	युमथांग	43.00
			161.10
तमिलनाडु			
1.	अन्नामलाय (इंदिरा गांधी)	कोयम्बतूर	841.49
2.	कालाकृड (बाघ रिजर्व)	तिरुनालवेल्लि	223.58
3.	मुडुमलाइ	नीलगिरि	217.76

1	2	3	4
4.	मुंडनथुराई (बाघ रिजर्व)	तिरुनावेलवेनी	567.38
5.	प्वाइंट क्लाइमेर	तन्जौर	17.26
6.	पुलीकट	चेंगलपट्टु	153.67
7.	वेदांथंगल	चेंगलपट्टु	0.30
8.	वेंट्टागुड्डीपट्टी/चित्रांगुदी/कांजिरांकरम्	रामनाथपुरम्	1.90
9.	करीकिली	चेंगली अन्ना	0.61
10.	श्रीविल्लिपुथुर ग्रिजिलगिलहरी	कामराजार	485.20
11.	उदयमार्तंडपुरम्	तंजौर	0.45
12.	वाल्लानाडु	चिदम्बरनार	16.41
13.	वाडुवूर	कायदेमिलथ	1.28
			2527.29
त्रिपुरा			
1.	गुमटी	दक्षिण त्रिपुरा	389.54
2.	तृष्णा	दक्षिण त्रिपुरा	194.70
3.	सेयाहीजाला	पूर्वी त्रिपुरा	18.53
4.	रोआ	उत्तरी त्रिपुरा	0.85
			603.62

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
1.	अस्कोट	पिथौरागढ़	600.00
2.	बखीरा	बस्ती	28.94
3.	बिनसर	अल्मोड़ा	45.59
4.	चंद्र प्रभा	वाराणसी	78.00
5.	सोहागी बारवा	महाराजगंज	428.21
6.	गोबिन्द पशु विहार	उत्तरकाशी	953.12
7.	हस्तिनापुर	मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर गाजियाबाद	2073.00
8.	कैमूर	मिर्जापुर	500.75
9.	कटेरनियाघाट	बहराइच	400.00
10.	केदारनाथ	चमोली	957.00
11.	किशनपुर	लखीमपुर खीरी	227.12
12.	लाख बहोसी	फर्रुखाबाद	80.23
13.	महावीर स्वामी	ललितपुर	5.00
14.	नेशनल चम्बल	आगरा/इटावा	635.00
15.	नवाबगंज	उन्नाव	2.24
16.	रानीपुर	बांदा	230.00
17.	समसपुर	रायबरेली	7.99

1	2	3	4
18.	सोहेलवा	गोरखपुर	452.57
19.	ससोनानदी	पौड़ी गढ़वाल	301.76
20.	कछुआ	वाराणसी	7.00
21.	सांघी	हरदोई	3.00
22.	ओखला	गाजियाबाद	4.00
23.	समन	मैनपुरी	5.00
24.	पार्वतीयार्गा	गोंडा	11.00
25.	विजय सागर	हमीरपुर	3.00
26.	पटना	एटा	1.00
27.	सूरसरोवर	आगरा	4.00
28.	सुरहताल	बलिया	34.00
			8078.52
पश्चिम बंगाल			
1.	बल्लवपुर	बीरभूम	2.00
2.	बेथुअदहारी	नादिया	1.21
3.	बुक्शा (बाघ रिजर्व)	जलपाईगुड़ी	251.89
4.	छपरामरी	जलपाईगुड़ी	9.60
5.	गोरूमारा	जलपाईगुड़ी	8.73

1	2	3	4
6.	कल्लीदे	24-परगना	5.95
7.	गजदापारा	जलपाईगुड़ी	216.51
8.	जोर पोखरी	दार्जिलिंग	0.04
9	लोथियन द्वीप समूह	24-परगना	38.00
10.	महानन्दा	दार्जिलिंग	127.22
11.	नरेन्द्र पुर	24-परगना	0.10
12.	(पारमैदान) (विभूतिभूषण) नदिया	24-परगना	0.60
13.	रायगंज	पश्चिम दिनापुर	1.30
14.	रमना बगान	वर्द्धमान	0.14
15.	साजानाखली	24-परगना	362.40
16.	सेंचल	दार्जिलिंग	38.60
			1064.29

भारत के राष्ट्रीय पार्क

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्र (कि.मी.)
1	2	3	4
अंडमान व निकोबार द्वी पमूह			
1.	कैंपबेल बे	निकोबार	426.239
2.	गालथिया	निकोबार	110.00

1	2	3	4
3.	महात्मा गांधी मरीन	अंडमान	281.50
4.	मिडिल बटन	अंडमान	0.64
5.	माउंट हैरिपट	अंडमान	0.46
6.	उत्तरी बटन	अंडमान	0.44
7.	रानी झांसी मरीन	अंडमान	256.142
8.	सैडिल पीक	अंडमान	32.54
9.	साउथ बटन	अंडमान	0.03
			1153.951
आंध्र प्रदेश			
1.	कासू ब्रह्मा रेड्डी	हैदराबाद	14.25
2.	महावीर हरिण वनस्थली	रंगारेड्डी	145.9
3.	मृगवाणी	रंगारेड्डी	36.00
4.	श्री वेंकटेश्वर	चित्तूर और कोडप्पा	352.62
			548.77
अरूणाचल प्रदेश			
1.	मौलिंग	ईस्ट सियांग	483.00
2.	नामदफा (बाघ रिजर्व)	तिरूप	1985.23
			2668.23

1	2	3	4
असम			
1.	कांजिरंगा	जोरहाट	430.00
2.	मानस (बाघ रिजर्व)	कामरूप-गोलपाड़ा	500.00
			930.00
बिहार			
1.	बेटला (बाघ रिजर्व	पालमऊ	231.67
2.	बाल्मीकि (बाघ रिजर्व)	पश्चिमी चम्पारन	335.65
			567.32
गोवा			
1.	भगवान महावीर	गोवा	107.00
			107.00
गुजरात			
1.	गिर	जूनागढ़	258.71
2.	मरीन	जामनगर	162.89
3.	वंसदा	वलसाड	23.99
4.	वेलावाडार	भावनगर	34.08
			479.67
हरियाणा			
1.	सुल्तानपुर	गुड़गांव	1.43
			1.43

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश			
1.	ग्रेट हिमालयन	कुल्लू	765.00
2.	पिन घाटी	लाहौल-स्फीति	675.00
			1430.00
जम्मू व कश्मीर			
1.	सिटी फारेस्ट	श्रीनगर	9.07
2.	डाचिगम	श्रीनगर	141.00
3.	हेमिस उच्च ऊंचाई	लेह	3350.00
4.	किश्तवाड़	किश्तवाड़	310.00
			3810.07
कर्नाटक			
1.	अंशी	उत्तरकांडा	250.00
2.	बांदीपुर (बाघ रिजर्व)	मैसूर	874.20
3.	बेन्नेरघाट्टा	बेंगलौर	104.27
4.	कुडेरमुख	दक्षिण कांडा व चिकमंगलूर	600.32
5.	नागरहोल	मैसूर कोड्डागु	643.39
			2472.18

1	2	3	4
केरल			
1.	एरावीकुलम	इदुक्की	97.00
2.	पेरियार (बाघ रिजर्व)	इदुक्की	350.00
3.	साइलेंट वैली	पालघाट	89.52
			536.52
मध्य प्रदेश			
1.	बागवगढ़ (बाघ रिजर्व)	शहडोल	105.40
2.	फैसिल	मांडला	0.27
3.	इंद्रावती (बाघ रिजर्व)	बस्तर	1258.00
4.	कांगर वैली	बस्तर	200.00
5.	कान्हा (बाघ रिजर्व)	मांडला बालाघाट	94.00
6.	माडव	शिवपुरी	337.00
7.	पन्ना (बाघ रिजर्व)	पन्ना छत्रपुर	543.00
8.	पेंच	सिवनी	293.00
9.	संजय	सीधी सरगुजा	1938.00
10.	सतपुडा	होशंगाबाद	524.00
11	वन विहार	भोपाल	4.45
			6143.12

1	2	3	4
महाराष्ट्र			
1.	गुजामल (बाघ रिजर्व)	अमरावती	361.80
2.	नावेगाँव	भंडारा	133.88
3.	पेंच	नागपुर	257.26
4.	संजय गांधी	मुंबई थाने	86.96
5.	ताडोबा (बाघ रिजर्व)	चंद्रपुर	116.55
			956.45
मणिपुर			
1.	कैबुल लामजेओ	इम्फाल बिशेनपुर	40.00
2.	सिरोही	पूर्वी जिला	41.00
			81.80
मेघालय			
1.	बलफाकराम	पश्चिमी गारो पहाड़िया	339.22
2.	नोक्रेक	पश्चिमी गारो पहाड़ियां	47.48
			386.70
मिजोरम			
1.	नीला पर्वत		50.00
2.	मुरलेन		200.00
			250.00

1	2	3	4
नागालैंड			
1.	इंटांकी	कोहिमा	202.02
			202.02
उड़ीसा			
1.	उत्तरी सिमलीपाल (बाघ रिजर्व)	मयूरभंज	845.70
2.	भितर कनिका	कटक	367.00
			1212.70
राजस्थान			
1.	केवलदेव घना	भरतपुर	28.73
2.	रणथम्भौर (बाघ रिजर्व)	सवाई माधोपुर	392.00
3.	सरिस्का (बाघ रिजर्व)	अलवर	273.80
4.	मरूस्थल राष्ट्रीय पार्क	जैसलमेर	3162.00
			3856.53
सिक्किम			
1.	खांगचेंडजोंगा	उत्तरी सिक्किम	850.00
			850.00
तमिलनाडु			
1.	गुइंडी	मद्रास	2.82
2.	इन्दिरा गांधी	कोयम्बटोर	117.11

1	2	3	4
3.	मैरिन	गल्फ ऑफ मन्नार	6.23
4.	मुदुमलाई	नीलगीरिज	103.24
5.	कुकुरथी	नीलगीरिज	78.46
			307.86
उत्तर प्रदेश			
1.	*कारबेट (बाघ रिजर्व)	गढ़वाल नैनीताल	520.82
2.	*दुधवा (बाघ रिजर्व)	लखीमपुर खेरी	488.29
3.	गंगोत्री	उत्तर काशी	2390.00
4.	नन्दा देवी	चमोली	630.33
5.	फूलों की घाटी	चमोली	87.50
6.	राजाजी	देहरादून हरिद्वार	820.03
7.	गोविंद पशु विहार	उत्तर काशी	472.08
			5409.05
पश्चिम बंगाल			
1.	नेवरा घाटी	दार्जिलिंग	88.00
2.	सिंगलिया	दार्जलिंग	78.00
3.	सुंदर बन (बाघ रिजर्व)	24 परगना	1330.10
4.	बुक्शा	जलपाईगुड़ी	117.10
5.	गुरूमार	जलपाइगुड़ी	79.45
			1692.65

*उन बाघ रिजर्वों को दर्शाता है जहां अन्य वन क्षेत्रों के साथ-साथ राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य शामिल है।

बाईपास सड़क निर्माण कार्य

3119. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में चेन्नारायापाटना और सकलेशपुर में बाई-पास सड़क निर्माण कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए उक्त कार्य को शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर चेन्नारायापाटना बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण और सकलेशपुर बाइपास के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को वार्षिक योजना 1999-2000 में शामिल कर लिया गया है। इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत प्रस्ताव और अनुमान राज्य सरकार से प्रतीक्षित हैं। अत: इन परियोजनाओं पर आने वाली अनुमानित लागत के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता।

स्पीड पोस्ट सुविधा

3120. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री अशोक प्रधान:
श्री अमर राय प्रधान:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1999-2000 के दौरान राज्यवार किन शहरों/कस्बों में स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध है और कहां-कहां यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) देश के बाकी शहरों/कस्बों में उक्त सुविधा के कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जिन शहरों/कस्बों में राष्ट्रीय नेटवर्क पर स्पीड पोस्ट सुविधा है, उनकी राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम सेवा है जो समयबद्ध तथा गारंटीशुदा वितरण प्रदान करती है। यह सेवा व्यावसायिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चलाई जाती है। स्पीड पोस्ट सेवा का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है जो बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है।

विवरण

अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट सेवा

केन्द्र	वे शहर जहां स्पीड पोस्ट केन्द्र हैं
1	2
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, विशाखापट्नम, तिरुपति, विजयवाड़ा
असम	गुवाहाटी, सिल्चर, डिब्रूगढ़, जोरहाट
बिहार	पटना, रांची, धनबाद, जमशेदपुर
दिल्ली	दिल्ली
गुजरात	अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट

1	2
जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू
केरल	कोचीन, त्रिवेन्द्रम, आल्वे, कालीकट, त्रिचूर, क्विलोन कोट्टायम
कर्नाटक	बेंगलूर, मेंगलूर, मैसूर, उडीपी, हुबली धारवाड़, बेलजियम, गुलबर्गा
मध्य प्रदेश	इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, रायपुर
महाराष्ट्र	बम्बई, पुणे, नागपुर, पणजी, नासिक, औरंगाबाद
उत्तर-पूर्व	अगरतला, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, दीमापुर, कोहिमा
पंजाब	चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर
हिमाचल प्रदेश	शिमला
हरियाणा	फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाला, पानीपत
उड़ीसा	भुवनेश्वर, कटक
राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर
तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बतूर, त्रिची, मदुरै, सलेम, कांचीपुरम, पांडिचेरी, त्रिसूर, होसुर
उत्तर प्रदेश	कानपुर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, देहरादून, बरेली, नोएडा, गाजियाबाद
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता, हावड़ा, सिलीगुड़ी, गंगटोक
सेना डाक सेवा	56 एपीओ, 99 एपीओ
कुल	91

रसायनों का भंडारण

3121. **श्री विलास मुत्तेमवारः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "लास प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया" ने किसी भी रसायन विस्फोट और आग लगने की घटना से बचने हेतु लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना मालिकों और मालवाहकों के विरुद्ध सरकार से कड़े कदम उठाने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई दिशा-निर्देश जारी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन दिशा-निर्देशों का किस सीमा तक पालन किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, नही। लास प्रिवेंशन एसोसिएशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 7 जून, 1999 के "द हिन्दू" में प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति में रसायन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रसायनों के भंडारण एवं हैंडलिंग के लिए दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया है।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने रसायनों के उचित हैंडलिंग और रसायन दुर्घटनाओं के प्रबंध के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खतरनाक रसायनों का निर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989, (1994 में संशोधित) और रसायन दुर्घटना (आयात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996 को अधिसूचित किया है। नियम के अंतर्गत विभिन्न विशिष्ट प्राधिकरणों को अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

कर्नाटक के लिए वित्तीय सहायता

3122. **श्री ए. वेंकटेश नायकः** क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 1998-99 के दौरान 133 करोड़ रु. के अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व के कार्यों की सूची अनुमोदन और वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों के लाम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक अनुमोदित कर दिया जाएगा?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) चूंकि इस स्कीम के अंतर्गत निधियां सीमित हैं, राज्य सरकार से प्रस्तावों को प्राथमिकता प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। कर्नाटक राज्य सरकार ने अंततः लगभग 10 करोड़ रु. के संशोधित परियोजना प्रस्ताव भेजे हैं।

(ग) राज्य सरकार से कुछ सूचना अभी प्राप्त होनी है।

(घ) अभी कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह राज्य सरकार के उत्तर, धनराशि की उपलब्धता और ऐसे कार्यों की अखिल भारतीय प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

अर्ध-सैनिक बलों को मजबूत करना

3123. **श्री अजित सिंह:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः
श्री सुरेश रामराव जाधवः
श्री जे.एस. बराड़ः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आतंकवादी घटनाओं से जूझ रहे राज्यों को अर्ध-सैनिक बलों को तैनात करने और देश से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कोई ठोस नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य में तैनात अर्ध-सैनिक बलों की संख्या कितनी-कितनी है तथा केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी तैनाती पर किये जा रहे खर्च का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आतंकवाद प्रभावित राज्यों के विकास के लिए कोई धनराशि का आवंटन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार अर्ध-सैनिक बलों के अस्त्र-शस्त्रों और उपकरणों का उन्नयन करने तथा उनकी संख्या बढ़ाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) राज्य सरकारों को लोक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करने के लिए केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी भी राज्य में इन बलों की तैनाती का स्तर, समग्र सुरक्षा परिदृश्य और इन बलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तथापि, इन बलों के ब्यौरे और उनकी तैनाती का स्तर बताना जनहित में नहीं होगा। राज्यों से तैनाती प्रभार के रूप में 6.60 करोड़ रु. प्रति बटालियन, प्रति वर्ष की दर से खर्च वसूल किया जाता है। तथापि, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बगैर विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्रों, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों को, असम को छोड़कर, इन तैनाती प्रभारों को अदायगी से छूट प्राप्त है। असम के मामले में, सामान्य तैनाती प्रभार का केवल 10% ही लिया जाता है।

(घ) और (ङ) सुरक्षा संबंधी और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अलावा आतंकवाद से प्रभावित राज्यों, विशेष रूप से, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकास के लिए भिन्न-भिन्न स्कीमें हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की विकास स्कीमों को भी प्राथमिकता दी जा रही हैं।

(च) और (छ) सरकार का, संसाधनों की समग्र कमी के बावजूद, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से सुसज्जित करने का सतत प्रयास रहा है ताकि ये बल आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपट सके। बलों का आधुनिकीकरण और उन्हें सुदृढ़ करना एक सतत प्रक्रिया है और स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

3124. श्री नवल किशोर राय:
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में की गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा उसमें कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और उनकी नियुक्ति का कार्यकाल कितना है;

(ग) उनकी नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए थे; और

(घ) ऐसे प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य क्या था?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) का गठन 25 जनवरी, 1997 को प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 के जरिए 20.2.97 को किया गया था। बाद में उक्त अध्यादेश के स्थान पर 28.3.97 को संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। टीआरएआई का गठन, दूरसंचार सेवाओं के विनियमन तथा दूरसंचार से सम्बद्ध था इसके परिणामी मामलों के निपटाने के लिए किया गया था।

टीआरएआई अधिनियम, 1997 की धारा 3(3) के अनुसार, इस प्राधिकरण में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और कम से कम दो तथा अधिकतम 6 सदस्य होंगे। तदनुरूप केन्द्र सरकार ने अधिनियम में यथा निर्धारित अपेक्षित संरचना के अनुरूप एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य नियुक्त किए हैं। टीआरएआई अधिनियम की धारा 5(2) तथा 5(3) में यह उपबंधित है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए इनमें से जो भी पहले हो, होगा।

टीआरएआई अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता इस प्रकार है:

(1) प्राधिकरण का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश हो या इस पद पर रहा हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश हो या इस पद रहा हो।

(2) प्राधिकरण का सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे दूरसंचार, उद्योग, वित्त, लेखा पद्धति, विधि, प्रबंधन, तथा उपभोक्ता मामलों का विशेष ज्ञान तथा व्यावसायिक अनुभव हो।

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को जो सरकार में सेवारत हो या रहा हो तब तक सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह तीन वर्ष के लिए भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव या अपर सचिव और सचिव या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में किसी समकक्ष पद पर रहा हो।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों का निष्पादन

3125. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों का निष्पादन क्या रहा;

(ख) क्या उत्पादकता और क्षमता हेतु ये पर्याप्त संख्या में आदेश आकृष्ट कर सकें;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के चार शिपयार्ड हैं अर्थात् हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम, कोचीन शिपयार्ड लि., कोचीन, हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि., कलकत्ता और केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता का राजाबागान डाकयार्ड। कोचीन शिपयार्ड लि. को छोड़कर अन्य शिपयार्ड घाटा उठा रहे हैं।

(ख) से (घ) खुली अर्थ-व्यवस्था के मौजूदा परिदृश्य में क्रयादेश आकर्षित करने के लिए उत्पादों के मूल्य और सुपुर्दगी समय-सारणी का पालन करने की दृष्टि से शिपयार्डों की प्रतिस्पर्धात्मकता एक पूर्वापेक्षा है। तथापि, प्रबंधकीय तकनीक के जरिए निर्माण-लागत कम करने, उत्पादकता में सुधार करने, जनशक्ति का युक्तिकरण करने, अनुत्पादक व्यय समाप्त करने और ऊपरी खर्च कम करने के लिए शिपयार्ड प्रयास कर रहे हैं। जहाजनिर्माण क्रयादेश प्राप्त करने के लिए आक्रामक विपणन भी अपनाया जाता है। सरकार ने 1997 में पांच वर्ष की अवधि के लिए जहाज निर्माण सब्सिडी स्कीम भी लागू कर दी थी।

ओ.बी. जारी करने के बाद टेलीफोन कनेक्शन

3126. श्री रामसागर रावत:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में ओ.बी. जारी करने के काफी दिनों बाद भी टेलीफोन प्रदान/स्थानांतरित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1998-99 के दौरान आज की तिथि तक ऐसे मालमों का ब्यौरा क्या है और इन सभी मामलों में टेलीफोन सुविधाएं कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली के अन्दर लाखों की संख्या में टेलीफोन काफी लम्बे समय से बेकार पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ये कब से बेकार पड़े हैं तथा इन्हें कब तक ठीक कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) निम्नलिखित कारणों को छोड़कर, आमतौर पर निर्धारित मानदंडों के भीतर ओ.बी. जारी करने के बाद टेलीफोन प्रदान/शिफ्ट किये जाते हैं:

(1) कुछ पॉकेट/क्षेत्र भूमिगत केबल पेयर उपलब्ध न होने के कारण तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने पर।

(2) उपभोक्ता के अपने कारणों से।

(3) बल्क रिलीज के कारण।

(ख) एमटीएनएल दिल्ली में वर्ष 1998-99 के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शनों तथा शिफ्ट मामलों में जारी लंबित ओ.बी. का ब्यौरा निम्नानुसार है:

नए टेलीफोन कनेक्शन	6733
शिफ्ट मामले	96

सभी लंबित ओ.बी. मामलों को मार्च, 2000 तक टेलीफोन उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर में यथा-उल्लिखित विलंब के कारण।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। औसतन 18,32,619 चालू लाइनों के मुकाबले दोषयुक्त टेलीफोनों की 16617 शिकायतें प्राप्त होती हैं।

औसतन	
शिकायत के दिन ही ठीक किए गए टेलीफोन	30.9%
24 से 48 घंटों के बीच	42.65%
सात दिन के भीतर	25.11%

शेष दोषसुधार कार्य में केबल ब्रेकडाउन या केबल चोरी के मामलों के कारण विलंब होता है।

दोषयुक्त टेलीफोनों को तत्काल ठीक करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

तिहाड़ जेल में थर्मों सेंसरों का लगाया जाना

3127. **डा. अशोक पटेल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तिहाड़ जेल से उग्रवादियों के जेल तोड़कर भाग जाने के खतरे को देखते हुए संवेदनशील सुरक्षा मशीन "थर्मों सेंसर को लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आने की संभावना है; और

(घ) इस मशीन के तिहाड़ जेल में कब तक लग जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

भुन्तर-गड़सा-शिलागढ़ सड़कों का रखरखाव

3128. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में पार्वती जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड को स्थानान्तरित किए जाने के बाद से ही राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा भुन्तर-गड़सा-शिलागढ़ और मनिकरण-बरशैनी सड़कों के रख-रखाव पर उचित ध्यान न दिये जाने के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) भुन्तर-गड़सा सड़क का रख-रखाव कर रहा है। गड़सा-शिलागढ़ सड़क का निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) द्वारा कराया गया था और मई, 1999 के अंतिम सप्ताह में इसे राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) को सौंप दिया गया था। तदनन्तर सौंपने के बाद यह पाया गया कि यह सड़क भारी वाहनों को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं और यहां पर सोलिंग, रिटेनिंगवाल्स, ब्रीस्ट वाल्स, ड्रेनेज तथा क्रास ड्रेनेज निर्माण कार्य, जो एचपीएसईबी द्वारा एनएचपीसी को सड़क सौंपते समय नहीं किये गये थे, जैसे निर्माण किये किये जाने जरूरी हैं। मणिकरन-बरशैनी सड़क का निर्माण कार्य एचपीएसईबी द्वारा किया गया था और सितम्बर, 1999 के दौरान इसे एनएचपीसी को सौंप दिया गया था। हाथ में ली गई इस सड़क की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। भारत सरकार ने इस परियोजना के सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा अवसंरचनागत कार्यों को आरंभ करने का अनुमोदन दे दिया है। निधियाँ प्राप्त होने पर इन सड़कों के सुधार का काम हाथ में लिया जायेगा। इससे स्थानीय जनसंख्या द्वारा महसूस की जा रही असुविधा में कमी आयेगी।

(ग) एनएचपीसी निधियां जारी होते ही इस सड़क की मरम्मत का कार्य हाथ में लेगा ताकि पार्वती (चरण-II परियोजना) के अवस्थापनागत/जरूरी निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/रख-रखाव के लिए योजनागत आवंटन

3129. **श्री जी.जे. जावीया:** क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख-रखाव के लिए अपेक्षित योजनागत आबंटन के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए राज्य सरकारों को आवंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राज्यों में विशेष रूप से सौराष्ट्र-कच्छ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(घ) मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ पार्किंग स्थल, विकास कक्ष, रेस्तरां, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और टेलीफोन इत्यादि जैसी मूल मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है, जो योजनागत धनराशि उपलब्ध होने पर सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों ही के माध्यम से प्रदत्त की जाएगी।

मध्य प्रदेश में रा.रा.-6 के दुर्ग-राजानन्द गांव खंड के 325 कि.मी. पर ऐसी सुविधा गैर-सरकारी वित्तपोषण स्कीम के तहत पहले से ही उपलब्ध है। सरकारी बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश में रा.रा.-3 पर खलघाट में और गुजरात में रा.रा. 8 पर वापी में इसी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण तथा स्थल विकास कार्य पूरा हो चुका है।

विवरण I

विभिन्न राज्यों में रख-रखाव और मरम्मत हेतु निधियों का आबंटन दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000 (नियत) (नवम्बर, 99 को समाप्त सामान्य रख-रखाव माह)	1999-2000 (नियत) (नवम्बर, 99 को समाप्त विशेष रख-रखाव माह)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3898.00	4568.40	3428.26	3457.80
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	1162.55	2815.51	3399.44	3170.22
4.	बिहार	3410.77	3336.97	5592.64	6192.03

1	2	3	4	5	6
5.	चण्डीगढ़	71.00	48.04	41.00	51.33
6.	दिल्ली	330.20	210.00	124.84	160.20
7.	गोवा	450.39	617.08	475.64	617.24
8.	गुजरात	3758.96	3296.94	2098.17	1792.23
9.	हरियाणा	772.34	1239.42	1611.70	597.02
10.	हिमाचल प्रदेश	2034.32	2256.01	1757.25	1094.22
11.	जम्मू एवं कश्मीर	87.40	129.65	290.00	0.00
12.	कर्नाटक	3002.90	3111.75	3550.90	4524.60
13.	केरल	2268.11	2090.63	2234.00	1610.00
14.	मध्य प्रदेश	3313.78	3945.04	6139.49	6677.99
15.	महाराष्ट्र	5157.68	4957.67	3659.63	3434.23
16.	मणिपुर	277.03	365.59	851.08	0.00
17.	मेघालय	584.54	625.80	805.89	464.24
18.	मिजोरम	0.00	0.00	380.00	543.64

1	2	3	4	5	6
19.	नागालैंड	37.11	382.90	431.63	422.66
20.	उड़ीसा	2522.00	2761.15	3577.24	2396.62
21.	पांडिचेरी	29.96	64.18	77.00	167.10
22.	पंजाब	1357.75	1538.81	1804.00	448.76
23.	राजस्थान	3841.71	3718.19	4355.00	4911.35
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	2981.37	3740.00	3923.15	5801.07
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	185.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	4949.19	6128.44	5905.49	4794.62
28.	पश्चिम बंगाल	3264.94	2757.83	3525.00	1410.92
29.	एन एच ए आई	375.00	274.00	9082.00	0.00
30.	अन्य संस्थाएं	13.00	—	0.00	0.00
	कुल	49750.00	54980.00	69305.44	54740.09

विवरण II

नौवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों (मूल) के लिए निधियों का आबंटन दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2949.83	4500.00	5000.00
2.	असम	1821.00	2600.00	3100.00
3.	बिहार	1900.00	3405.31	3400.00
4.	चण्डीगढ़	30.00	82.00	100.00
5.	दिल्ली	800.00	1400.00	1200.00
6.	गोवा	900.00	1100.00	1400.00
7.	गुजरात	3675.00	5346.96	5000.00
8.	हरियाणा	1100.00	2613.50	4000.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1700.00	2500.00	3000.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	150.00	100.00	135.00
11.	कर्नाटक	2900.00	3500.00	4500.00
12.	केरल	3600.00	6744.46	6500.00

1	2	3	4	5
13.	मध्य प्रदेश	1700.00	2200.00	3000.00
14.	महाराष्ट्र	2900.00	4811.63	4900.00
15.	मणिपुर	700.00	700.00	1000.00
16.	मेघालय	920.00	1000.00	1500.00
17	मिजोरम	0.00	0.00	300.00
18.	नागालैंड	100.00	200.00	450.00
19.	उड़ीसा	2600.00	4000.00	4350.00
20.	पांडिचेरी	70.00	100.81	150.00
21.	पंजाब	1300.00	2500.65	2500.00
22.	राजस्थान	2550.00	3450.00	3800.00
23.	तमिलनाडु	2500.00	3624.75	5000.00
24.	त्रिपुरा	0.00	0.00	50.00
25.	उत्तर प्रदेश	4608.00	7078.14	6300.00
26.	पश्चिम बंगाल	5375.00	7150.94	6600.00
27.	जोगीघोपा पुल	1244.00	0.00	0.00
28.	मंत्रालय	0.17	3.86	506.00
29.	बी आर डी बी	7031.00	8500.00	10300.00
	कुल	55124.00	79213.01	88041.00

[हिन्दी]

बिहार और उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की आपूर्ति

3130. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति का पृथकत: ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों में रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में पैक्ड एल पी जी की बिक्री का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े टी एम टी में)

राज्य	आपूर्ति (बिक्रियां)		
	1996-97	1997-98	1998-99
बिहार	124.33	135.69	147.65
उत्तर प्रदेश	500.64	566.87	620.21

देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों के एल पी जी ग्राहकों की मांग कमोबेश पूरी की गई है। फिलहाल बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्य में एल पी जी सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी कमी की सूचना नहीं मिली है। तथापि जब कभी एल पी जी का बकाया उत्पन्न होता है तो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियां प्रभावित बाजारों में मांग पूरी करने के लिए अधिकाधिक आयात करने, बढ़ाए गए घंटों/रविवारों और छुट्टियों के दिनों को भराई संयंत्रों का प्रचालन करने सहित अनेक उपाय करती हैं।

[अनुवाद]

अहमदाबाद-बड़ौदा एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण

3131. **श्री मानसिंह पटेल:** क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद-बड़ौदा एक्सप्रेस राजमार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करने की संभावना का पता लगाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसी संभावना के मद्देनजर उक्त राजमार्ग पर निर्माण कार्य शूरू करने हेतु क्या प्रयास किये गये?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शेष कार्य को 0 से 43.4 कि.मी. और 43.4 से 93.3 कि.मी. तक दो चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण के लिए पूर्व-अर्हता प्राप्त ठेकेदारों से प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है और द्वितीय चरण के लिए परियोजना तैयार करने का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है।

महानदी में प्रदूषण

3132. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश और उड़ीसा में महानदी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों की संख्या क्या है;

(ख) महानदी को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन उपायों से प्रदूषण नियंत्रण में किस हद तक सफलता मिली है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कुल 5 उद्योगों की पहचान की गई है जो महानदी में प्रदूषण

फैलाने के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से 4 इकाइयों ने बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित कर लिए हैं और निर्धारित निस्तारण मानकों का पालन कर रहे हैं। 5वीं इकाई अर्थात् उड़ीसा टैक्सटाइल मिल, चौद्वार, कटक के पास अभी कोई शोधन संयंत्र नहीं है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस इकाई समेत अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले सभी दोषी उद्योगों द्वारा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाना सुनिश्चित करने हेतु उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में महानदी में किसी उद्योग से बहिस्राव उत्सर्जन की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत उड़ीसा में कटक के लिए 14.04 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रदूषण उपशमन कार्य मंजूर किए हैं। राज्य सरकार द्वारा इन कार्यों के लिए, भेजी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार नहीं की गई थीं। फलस्वरूप, इन परियोजनाओं को अभी तक मंजूर नहीं किया गया है।

चुनाव आयुक्तों को संवैधानिक सुरक्षा देना

3133. श्री रमेश चेन्नितला: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चुनाव आयुक्तों को वही सुविधाएं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल और पद से हटाने के संबंध में उपलब्ध हैं, प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) भारत निर्वाचन आयोग ने, इस आशय का एक सुझाव दिया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए नियुक्ति की पद्धति और नियुक्ति के पश्चात् सांविधानिक संरक्षण समरूप होना चाहिए। तथापि, सरकार ने, इस संबंध में अपनी कोई राय कायम नहीं की है।

डाक और तार विभाग के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

3134. श्री अमर राय प्रधान :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में राज्यवार कितने डाक और तार विभाग के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में विशेषकर उक्त राज्यों में कितने उक्त कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने की संभावना है तथा अगले वर्ष स्थान-वार कितने कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी डाक और तार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कार्यभार कम करने तथा विलंब को रोकने में कम्प्यूटरीकृत डाकघर कितनी मदद करेंगे;

(च) क्या सरकार का विचार सेटेलाइट मनीआर्डर डिस्पैच सिस्टम की समीक्षा करने का भी है चूंकि सिस्टम आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मनीआर्डर के डिस्पैच में अनावश्यक विलंब को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटरीकृत किए गए डाकघरों की संख्या 406 है, जिनमें से पश्चिम बंगाल में बीस, हिमाचल प्रदेश में पांच तथा कर्नाटक में बारह डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया गया। इनका विवरण विवरण-I क में देखा जा सकता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटरीकृत किए गए तारघरों की संख्या 468 है जिनमें पश्चिम बंगाल के 10 तारघर भी शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक में किसी भी तारघर का कम्प्यूटरीकरण नहीं किया। ब्यौरे विवरण I(ख) पर देखे जा सकते हैं।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान कम्प्यूटरीकरण के लिए 90 डाकघरों की पहचान की गई है। इनमें पश्चिम बंगाल के 5 डाकघर, हिमाचल प्रदेश के 4 डाकघर तथा कर्नाटक के सात डाकघर शामिल हैं। इसका ब्यौरा विवरण-I क में देखा जा सकता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान कम्प्यूटरीकरण के लिए 175 तारघरों की पहचान की गई है। इन डाकघरों में पश्चिम बंगाल के 57 डाकघर भी शामिल हैं। इनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी हां। विभाग सभी विभागीय डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करने का विचार रखता है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध रहे। जहां तक तारघरों का संबंध है, कम्प्यूटरीकरण आवश्यकता आधार पर किया जाएगा बशर्ते कि परियात की आवश्यकता पूरी होती हो।

(घ) विभाग का मार्च 2002 तक 185 डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है। कम्प्यूटरीकरण किए जाने वाले डाकघरों की संख्या तथा उनका विवरण धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। जहां तक तारघरों का संबंध है, इनका कम्प्यूटरीकरण आवश्यकता आधार पर किया जाएगा बशर्ते कि परियात की अपेक्षाएं पूरी होती हों।

(ङ) डाकघरों के प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण, विशेष रूप से फ्रंट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के परिणामस्वरूप एक ही खिड़की पर ग्राहकों को सभी सुविधाएं मुहैया हो गई हैं तथा इसके परिणामस्वरूप पंक्तियों में खड़े रहने के समय में भी कमी आई है। इसने प्रति लेन-देन के समय में भी कमी की है तथा कार्य प्रक्रियाओं को सरल व कारगर बनाया है और कार्य वातावरण को भी बेहतर बनाया है। इन डाकघरों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कार्यकुशलता में भी सुधार लाया गया है जिससे उनके मनोबल में वृद्धि हुई है। कार्य के निपटान में हुए सुधार के परिणामस्वरूप विभाग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गए अतिरिक्त कार्य को निपटाने में भी सक्षम हुआ है क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा उसके पश्चात् विभाग में किसी भी नए पद को मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

(च) विभाग प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन के कार्यक्रमों की नियमित रूप से पुनरीक्षा व उनकी नियमित मानीटरिंग करता है।

(छ) विभाग प्रत्येक माह वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल्स की कार्य क्षमता की मानीटरिंग करता है। यह नेटवर्क आज प्रतिवर्ष एक करोड़ मनीआर्डरों का निपटान करता है। हाल ही में साफ्टवेयर का एक नया संस्करण (वर्जन) जारी किया गया है।

विवरण I (क)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	कम्प्यूटरीकृत डाकघर की संख्या 1997-98	कम्प्यूटरीकृत डाकघर की संख्या 1998-99	वर्ष 1999-2000 के दौरान कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रस्तावित डाकघरों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10	5	7
2.	असम	31	2	4
3.	बिहार	10	6	7
4.	दिल्ली	13	7	शून्य
5.	गुजरात	34	3	7
6.	हरियाणा	7	3	5
7	हिमाचल प्रदेश	3	2	4

1	2	3	4	5
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1	1	3
9.	कर्नाटक	9	3	7
10.	केरल	11	3	5
11.	मध्य प्रदेश	9	7	7
12	महाराष्ट्र	27	3	8
13.	उत्तर पूर्व	1	6	5
14.	उड़ीसा	14	7	5
15.	पंजाब	14	4	7
16.	राजस्थान	9	7	शून्य
17.	तमिलनाडु	30	8	4
18.	उत्तर प्रदेश	58	8	शून्य
19.	पश्चिम बंगाल	17	3	5
	कुल	308	98	90

विवरण I(ख)

(1) पिछले तीन वर्षों से अब तक देश में कम्प्यूटरीकृत किए गए तारघरों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	बी.ओ.	टी.सी.	संयुक्त डाक एवं तारघर
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान एवं निकोबार	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	–	27	–
3.	असम	19	–	14

1	2	3	4	5
4.	बिहार	–	–	–
5.	गुजरात	–	–	36
6.	हरियाणा	–	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
8.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–
9.	कर्नाटक	–	–	–
10.	केरल	–	51	210
11.	मध्य प्रदेश	5	6	2
12.	महाराष्ट्र	–	–	–
13.	उत्तर-पूर्व	–	–	3
14.	उड़ीसा	1	–	–
15.	पंजाब	6	–	–
16.	राजस्थान	–	–	–
17.	तमिलनाडु	–	9	44
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	11	1	–
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3	6	–
20.	पश्चिम बंगाल	–	–	10
21.	दिल्ली (एनटीआर)	1	2	1
	कुल	46	102	320

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान देश में कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए संभावित डाकघरों के स्थान

सर्किल का नाम	तारघर	दूरसंचार केन्द्र	संयुक्त डाक-तार घर
1	2	3	4
अंडमान एवं निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य
	1999-2000		
आन्ध्र प्रदेश		वेमुलवडा काडियन	
	2000-2001		
		मणिरलयम नागार्जुन यूनिवर्सिटी कैम्पस गुंटूर, आर टी सी बस स्टैंड, विजयवाड़ा अशीबाबाद, कोरतला मन्थई	
असम	1999-2000	1999-2000	
	शून्य	शून्य	
	2000-2001	2000-2001	
	बोंगईगांव, भुवरी, तेजपुर, नागांव, सिबसागर, तिनसुकिया, सिल्चर, करीमगंज, असम सचिवालय, उत्तर लखीमपुर, उलूब्बरी, नूनमाटी, डीफू, होजय, हैफलोंग	बोरझर एयरपोर्ट (आगमन टर्मिनल), बोरझर एयरपोर्ट (प्रस्थान टर्मिनल)	
बिहार	1999-2000	1999-2000	
	शून्य	शून्य	
	2000-2001	2000-2001	
	गहरवा, भबुआ, चाइबासा, मधेपुरा	पटना जं. पटना एरोड्रम, पटना	

1	2	3	4
	गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, सुपौल, गुमला	वीर कुंवर सिंह पार्क, पटना इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट पावापुरी नालंदा, राजगीर, राजगीर बाढ़, मसौढ़ी, रांची रेलवे स्टेशन, रांची एरोड्रम, रांची आर.एम.सी.एच., टाटानगर रेलवे स्टेशन, जे.एम. टेल्को, चक्रधरपुर, धनबाद रेलवे स्टेशन, झुमरी तिलैया, भागलपुर रेलवे स्टेशन, कहलगांव, बरौनी, बरौनी उर्वरक नगर, तेघड़ा, रोसड़ा, जयनगर, कठियर रेलवे स्टेशन, जोगबेनी, छपरा गांधी चौक, छपरा, रोली स्टेशन, द्विवेदी, कॉलोनी सिवान, राजीव नगर सिवान, मशरक, मरहावड़ा, मोतीपुर, आरा कचहरी, विक्रमगंज, लखीसराय शेखपुरा, सिमरीबख्तियारपुर बिहारी गंज, जामतारा	
गुजरात		1999-2000	
		धोलका, बावला, बचाड, तलोड, मोडासा, जासदान, पधारी, कोटडा संघानी, थनगढ़, चोटीला, वधवान सिटी, सचिन, वीजापुर हरीज, सामी, खरालु, चनासमा वादनगर, मंसा उमरेठ, खंभत बालासिनोर, वल्लभीपुर सिहोर (ए), धरमपुर, किल्ला परदी, खेरगाम बुंदलव, संजन मिलाड, सारीगाम पडरा, मियागाम बोदेली, दहेज वाघरा, नेत्रांज राजपरदी, उमल्ला हंसोट, विसावदर कलावाड, भनवाड, जामनगर एयरफोर्स, जामनगर-वलसुरे जोडिया, ध्रोल, जाम नोधपुर, संतरामपुर, देवगढ़ बारिया, झालोड, स्नात्रोड, टिम्बा रोड, शेहरा	

1	2	3	4
हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	**1999-2000** शून्य **2000-2001** केलोंग		
जम्मू एवं कश्मार		**1999-2000** शून्य **2000-2001** टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, श्रीनगर, शेरे-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	
कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य
केरल	शून्य	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश	**1999-2000** टीकमगढ़, सीधी, पन्ना **2000-2001** शून्य		
महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य
उत्तर पूर्व	**1999-2000** राधाकिशोरपुर, कैलाशहर, पासीघाट, बोमर्डीला, चूराचंदपुर **2000-2001** शून्य	**2000-2001**	1999-2000 शून्य नोंगस्टियन, नोंगपोह, चेरापूंजी, बड़पानी, नोनग्लीअर, लैतमुखराह, जोवाई, हैप्पी वैली, विलयिमनगर, बाघमारा, बरेनगपाड़ा फूलबाड़ी, महेन्द्रगंज, अलोंग, जीरो, दपोरीजो, चूराचंदपुर, डी.टी.ओ., थौबल, उखरूल, बिशनपुर, सेनापति, त्म्मै, दीमापुर बाजार, पुराना बाजार चुमुकदीमा, मोकोकचंग, त्वेनसांग, वोखा, फेक, मोन जुन्हेबोतो, सबरूम, सोनमुरा, खोवई, तैलियामपुरा, ऊमरपुर

1	2	3	4
उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य
पंजाब	1999-2000	1999-2000	1999-2000
	शून्य	शून्य	रोपड़
	2000-2001	2000-2001	2000-2001
	मंसा, अमृतसर स्वर्ण मंदिर	पटियाला सिटी	समाना, बहादुरगढ़, सनौर, पटरन
राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु			1999-2000 पैरनामबूट, शोंलिगूर, तिरुवेरीपुरम, वतईपेट, आर्कोट कन्नामंगलम, पल्लीगोंडा, मेलवीश्रम, पोरयार, सेम्बानारकोईल कुठलम, अनईकरनचटराम वेथीस्वरंकोइल, तिरुवेनकुन्दु, मनालमेडु, तिरुवलपुथुर, कामुदी, अबीरामाम, कल्लाल, किलाकरई 2000-2001 नागारसमपट्टी, मोराप्पुर, पप्पीरेड्डलपट्टी, कम्बेनाल्लूर, पापपरपट्टी, मसीनगुडी, एमेराल्ड, थांगडु, कुण्डाब्रिज, केट्टी, चेनगाम, अवालुरपेट, सदानुर्दम, थांडाराई अम्बाथुरई कन्नीवाड़ी, कोवरलूर, नल्लामनारकोट्टल, सेमेन्दु, कलापैपानैकेनपट्टी, ऐमानेश्वरम चिट्टीरक्कुड़ी मारावमंगलम, पगानेर्ल, कोराडाचेरी, कोल्लुमलगुडी, पेरालम, तिरुनेल्लीकवीलई,

1	2	3	4
			तिरुमारुगल, अराचलूर, मोडाकुरीची, चित्तौड, वेल्लोड, अवालपुंडरई, गांधीनगर, इंडिस्ट्रयल कॉलोनी, पेट्टई, रेड्डियारपट्टी, पेरुमलपुरम, तिरुविथमपिल्लई, पल्लायपेटई, थाचंल्लूर, चेंगुलम, अलकुडी, जम्बूगपुरम, कट्टूर, कोवीलेडी, कचमंगलम, तिरुपंतुरुथी, पुथुर, सेंगलपट्टी, नाडु कावेरी, नाडुन गुलाम, एलंकन्नी, सिक्कल, नन्दीलाम, थिट्टाचेरी, नागोर, किल्वेलूर, तिरुपॉडी
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	शून्य	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1999-2000 रुद्रप्रयाग बागेश्वर 2000-2001 बागपत, अमरोहा,	1999-2000 कर्णप्रयाग जोशीमठ, लैंसडाऊन, कोटद्वारा, सतपुली, विद्युतनगर, मोहन नगर, पिलखुवा, गढ़मुक्तेश्वर, गुलौठी, खुर्जा, लोनी, नोएडा, नेपा, डाक-पत्थर 2000-2001 चोपला, राजिन्दर नगर, सीबी गंज, नवाबगंज, बहेरी, एयरफोर्स गेट, मीरगंज, देवबन्द, गंगोह, लक्शर, मवाना, सरदाना, हशनापुर, खतौली, शामली	1999-2000 दादरी, लोनी, डोईवाला, रायवाला, वीरभद्र, आईडीपीएल, चेमनटाउन, जोली, ग्रांड, हरबर्टपुर, चकरौता, काठ गोदाम, बाजपुर 2000-2001 अनोला, विलासपुर, उझनी, सरांवा, जलालाबाद, ननुटा, थानाभवन, मंगलार, रामपुर सहारनपुर, कांधला

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल			**1999-2000** आसनसोल, बहुला, टॉप्सी, आगरा, पानागढ़, कालियागंज, गंगारामपुर, हल्ली, डलखोला, इस्लामपुर,, सुश्रुतनगर, एम.बी. यूनिवर्सिटी, पकुआहट, समानी, बिजोनबाड़ी, नगरिसपुर, चांगराबंधा मेखलीगंज, तिस्ताबाजार, तिनधरिया, तुंग, कमलाबागान, लतागुड़ी, बरूईपुर, कोसीपुर, सर्कस, आरे, तिलजैस, खड़गपट्टी, ढिकुरिया, हालटु, कस्बा, पुरना, पुटियारी, अलकसरे, एच पी ओ, हेस्टिंग्स, न्यू अलीपुर, बिराती, न्यू बंरकपुरा, राचारहट, हबरा, बोनगांव, बसीरहट, मध्यमग्राम, लिल्लूह, बल्ली, आमटा, डामजूर, बरगचिया, अंगुस, कन्नागट, बैद्याबूटी, शोनापल्ली, करवा, कलना, मान्डेचाक, कोटाली, ओल्ड मालदा, सूजापुर, टाकदा, लोपचू, बेलगाची, ठाकुरगंज, दावनहाट, पुंडियाबारी, निशीगढ़, सीताकुची, सितईहाट, बीरपाड़ा, फालकटा, बानरहाट, कालचीनी, हामिन्टनगंज, दलसिंहपाड़ा, हंसीपाड़ा **2000-2001** राजभटखवा, न्यू लैंड, अन्दुल बोरिया, शंकरेल, सियालदत ईआर, बरतला, किड्डेपोआ, गार्डन रीच, एसई रेलवे, बनासडोना, राजपूत, तोलीगंज, बाझा, जातिन, हारोआ, हरनाबाद, टाकी, देरालाया, देगंगा, खोलापोटा, बदीउरा, छोटी जागुलिया, नीलगंज, मिहाली, घीगुडंगा, दुम दुम, सिंगर, हैयापाद, तेलिमपाड़ा, नासागांव
नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य

भावनापाडु पत्तन पर तलकर्षण कार्य

3135. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तलकर्षण निगम आन्ध्र प्रदेश में भावनापाडु पत्तन पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भावनापाडु पत्तन पर भारतीय तलकर्षण निगम द्वारा कुल कितना कार्य किया जाएगा; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) भारतीय निकर्षण निगम ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक करार के बाद भावनापाडु पत्तन पर 10 नवम्बर, 1999 से निकर्षण कार्य शुरू किया।

(ख) ठेके के अनुसार 1.2 लाख घन मीटर स्वस्थाने कुल अनुमानित मात्रा निकर्षित की जानी है।

(ग) 30 दिन की आरम्भिक ठेका अवधि में से अभी तक 27 निकर्षण दिवस पूरे हो चुके हैं।

कोचीन स्थित एल.एन.जी. टर्मिनल

3136. श्री पी.सी. थामस : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोचीन स्थित प्रस्तावित एल.एल.जी. टर्मिनल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना को सभी स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ग) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) ने कोचीन टर्मिनल को एलएनजी की आपूर्ति के लिए कतार के मैसर्स रास गैस के साथ दीर्घावधिक तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) बिक्री खरीद करार पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) व मूलभूत इंजीनियरिंग पैकेज (बीईपी) तथा अन्य परियोजना पूर्व कार्य पूरे किए जा चुके हैं। टर्मिनल के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है। तटीय कार्य करने, समुद्र के पानी का उपयोग करने के लिए अनुमोदन और एलएनजी आयात टर्मिनल की स्थापना करने के लिए स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का ठीक से कार्य न करना

3137 कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी राजस्थान विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में वर्षवार कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ प्रदान किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त जिलों में 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत सार्वजनिक टेलीफोन बूथ खराब/ठीक से काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के उचित रख-रखाव और सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में प्रदान किए गए पीसीओ की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	बाड़मेर	जैसलमेर	बीकानेर
1996-97	49	5	53
1997-98	73	54	414
1998-99	89	68	461

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पीसीओ के काम न करने के संबंध में जैसे ही शिकायतें प्राप्त होती हैं फील्ड स्टाफ द्वारा उनको ठीक कर दिया जाता है। पीसीओ का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच की जाती है।

पैतृक संपत्ति का अधिकार

3138. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1999 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "लॉ पैनल मूव टू पुट सन, डॉटर आन पार" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विधि आयोग ने संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में लड़की को लड़के के बराबर का दर्जा देने के लिए प्रावधानों में व्याप्त असमानता को दूर करने हेतु कोई गहन अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अधिसूचना कब तक जारी कर दी जाएगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत निर्वाचन आयोग ने हिन्दू स्त्रियों द्वारा संपत्ति की विरासत के अधिकारों में परिवर्तन करने के प्रश्न पर हितबद्ध समूहों, शैक्षणिक संस्थाओं, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, न्यायाधीशों, पत्रकारों, इत्यादि के विचार जानने के लिए 1 अप्रैल, 1999 को एक प्रश्नावली जारी की थी। यह विषय अभी भी आयोग की जांचाधीन है और इसलिए, आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कुछ और समय लगेगा। अत:, कोई ऐसी निश्चित समय-सीमा विनिर्दिष्ट कर पाना संभव नहीं है जिसके भीतर सरकार आयोग की रिपोर्ट की, जब उसे प्रस्तुत की जाए, जांच कर सकेगी और उसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक विधायी उपाय कर सकेगी।

[हिन्दी]

बिहार में एल.पी.जी. डीलर/डीजल और पेट्रोल बिक्री केन्द्र

3139. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष रूप से बिहार में उप-मण्डलों और ब्लाकों की संख्या कितनी है जहां एल.पी.जी. वितरकों और डीजल/पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से बिहार में इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप तथा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप तेल उद्योग के व्यवहार्यता मानक पूरे करने वाले स्थानों पर पूरे देश में स्थापित की जाती हैं।

1.4.1999 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 17185 खुदरा बिक्री केन्द्र और 5648 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप कार्यरत थीं जिनमें बिहार में 1131 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 214 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल हैं।

बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र तथा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अतिरिक्त स्थान बिहार सहित विपणन योजना में शामिल किए गए हैं।

[अनुवाद]

मामले के निपटान के लिए पारी व्यवस्था

3140. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पारी व्यवस्था लागू करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं भी ली जानी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को निपटाने के लिए पाली प्रणाली प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

मानवाधिकार का उल्लंघन

3141. **श्री कांतिलाल भूरिया :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में मानवाधिकार उल्लंघन के राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र और राज्य सरकारों को प्रभावित लोगों को मुआवजे के भुगतान के लिए आदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मानवाधिकार उल्लंघन के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में क्या ब्यौरा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आयोग की सिफारिशें केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों सहित राज्य सरकारों को सीधे ही सम्बोधित की जाती हैं। आमतौर पर ये सिफारिशें संबंधित प्राधिकरणों द्वारा स्वीकार कर ली जाती है और आयोग के निदेशों के अनुसार क्रियान्वित की जाती हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	250	201	230	681
2.	अरूणाचल प्रदेश	10	13	10	33
3.	असम	72	68	58	198
4.	बिहार	985	894	1674	3553
5.	गोवा	16	23	14	53
6.	गुजरात	115	124	203	442
7.	हरियाणा	218	363	852	1433
8.	हिमाचल प्रदेश	25	46	25	96
9.	जम्मू और कश्मीर	197	129	136	462
10.	कर्नाटक	116	136	165	417
11.	केरल	171	163	208	542
12.	मध्य प्रदेश	355	709	909	1973

1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	299	488	829	1616
14.	मणिपुर	48	26	19	93
15.	मेघालय	12	5	18	35
16.	मिजोरम	शून्य	12	11	23
17.	नागालैंड	62	14	6	82
18.	उड़ीसा	241	212	214	667
19.	पंजाब	181	226	354	761
20.	राजस्थान	375	489	857	1721
21.	सिक्किम	शून्य	3	1	4
22.	तमिलनाडु	236	399	502	1137
23.	त्रिपुरा	5	10	6	21
24.	उत्तर प्रदेश	3921	8749	12286	24956
25.	पश्चिम बंगाल	284	154	285	723
26.	संघ शासित क्षेत्र	581	763	1667	3011
	कुल	8775	21539	14419	44733

[अनुवाद]

मानवाधिकार आयोग

3142. **श्री इन्द्रजीत गुप्तः**
श्री अजय चक्रवर्तीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में मानवाधिकार आयोग गठित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी राज्यों में मानवाधिकार आयोग गठित हों, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) राज्य सरकारों के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में एक सामर्थ्यकारी उपबन्ध है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 10 राज्य सरकारों नामतः असम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, केरल और राजस्थान ने मानवाधिकार आयोगों का गठन कर लिया है।

(ग) केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों को, समय-समय पर, राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन करने के लिए लिखती रही है। इस बारे में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को आखिरी बार लिखा गया पत्र 10 जुलाई, 1999 को जारी किया गया था।

गुजरात में विद्युत परियोजनाएं

3143. **श्री दिन्शा पटेल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में कितने विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं और नौवीं योजना के दौरान कितने संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उन पर कितनी लागत आएगी और उनमें गैर-सरकारी क्षेत्र की सहभागिता का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्र.सं.	परियोजना	कुल अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.) (प्रस्तावित)	कुल अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	8वीं योजना हेतु क्षमता (मे.वा.)	
				लक्ष्य	उपलब्धियां
8वीं योजना					
राज्य क्षेत्र					
1.	कदाना-2 यूनिट-3 व 4	120	121	60	60
2.	सिक्का विस्तार यू-2	120	179	120	120
3.	उतरान सीसीजीटी	144	268	78	78
केन्द्रीय क्षेत्र					
4.	काकरापाड़ा (एन)	440	एन.ए	440	440
5.	कवास सीसीजीटी	644	1641	538	538
6.	गांधार सीसीजीटी	648	2442.4	648	648
निजी क्षेत्र					
7.	हजीरा सीसीजीटी	515	1745	330	330

9वीं योजना में पहले ही स्थापित/स्थापना हेतु प्रस्तावित परियोजनाएं निम्नवत हैं:

क्र.सं.	परियोजना	कुल अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.) प्रस्तावित	कुल अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	9वीं योजना के दौरान संभावित लाभ
1	2	3	4	5
1.	कदाना-2	120	121	60
2.	कच्छ लिग्नाइट-यू-3	75	474	75

1	2	3	4	5
3.	सरदार सरोवर (16%)	232	3249	104
4.	गांधीनगर यू-5	210	569	210
5.	वानकबोरी यू-7	210	698	210
निजी क्षेत्र				
6.	हजीरा सीसी-एसटी	185	1745	185
7.	मंगरोल एलआईजी	250	1530	250
8.	साबरमती टीपीएस	120	560	120
9.	पगुथन सीसीजीटी	655	2298	655
10.	बड़ौदा सीसीजीटी	167	368.22	167
केन्द्रीय क्षेत्र				
11.	इनोर-गांधार-2	650	1745.66	650
12.	कवास चरण-2 सीसीजीटी	650	1813	650

ताजमहल हेतु संयुक्त प्राधिकरण

3144. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ताजमहल की सुरक्षा और उसके आस-पास के पर्यावरण की रक्षा हेतु संयुक्त प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) प्राधिकरण के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क), (ख) और (घ) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का.आ. 350 (ई), दिनांक 17.5.99 के तहत दो वर्ष की अवधि के लिए ताज समलम्ब क्षेत्र प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। आगरा मण्डल के आयुक्त इस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं।

(ग) इस प्राधिकरण को योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई बजट आबंटित नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 50.50 प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर ताज सुरक्षा मिशन नामक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में योजना आयोग ने नौवीं योजना की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार को 200 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है।

सरकार द्वारा की गई अपीलों की सफलता दर

3145. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी सिविल दावा अपीलों में सरकार की अपीलों की संख्या अधिक होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बावजूद सरकार की अपीलों की सफलता दर बहुत ही कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार अपीलों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और अपनी अपीलों की सफलता दर में वृद्धि करने हेतु सुधारों पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) न्यायालयों में अपीलें फाइल करने की बाबत विनिश्चय करने की विद्यमान प्रक्रिया में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

1984 के दंगे

3146. श्री सिमरनजीत सिंह मान: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्तूबर 1984 के अंतिम सप्ताह और उसके बाद हुए दंगों में मारे गए सिखों की संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान लूटे गये, गिरफ्तार किये गये और बंदी बनाये गये सिखों की संख्या कितनी थी;

(ग) उपरोक्त जघन्य अपराध के संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए और कितने आत्याचारियों को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया तथा कितनों को दोषी करार दिया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार दोषियों के शीघ्र विचारण हेतु विशेष अदालतें गठित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार दंगों के लिए सार्वजनिक क्षमा मांगने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) दिल्ली में 1984 के दंगों के दौरान मारे गए व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए तत्कालीन दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त अहूजा समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इस प्रकार मारे गए व्यक्तियों की संख्या 2733 थी।

(ख) दिल्ली पुलिस के पास दर्ज किए गए मामलों के अनुसार दिल्ली में 1984 के दंगों के दौरान लूटे गए सिखों की संख्या 984 थी। दंगों की अवधि के दौरान दिल्ली में गिरफ्तार किए गए सिखों की संख्या 70 थी।

(ग) 1984 के दंगों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामलों की संख्या 646 थी और अब तक दोषी करार दिए गए व्यक्तियों की संख्या 386 है।

(घ) और (ङ) 1984 के दंगों के मामलों को निपटाने के लिए 1990 में दिल्ली में तीन विशेष न्यायालयों का गठन किया गया था। तथापि, उसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में, केवल दो विशेष न्यायालयों, केवल इसी प्रकार के मामलों को देखने के लिए 1991 से 1995 तक के दौरान कार्य किया। बाद में, 1996 से लेकर आज तक, कड़कड़डुम्मा न्यायालय और पटियाला हाऊस न्यायालय प्रत्येक में एक-एक न्यायालय, अन्य मामलों के साथ-साथ 1984 के दंगों के मामलों को निपटाने का कार्य कर रहे हैं।

(च) और (छ) 1984 के दंगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद का एक दुखद अध्याय है और सरकार इसे इसी नजरिए से देखती है।

[हिन्दी]

मछुआरों के लाइसेंसों का नवीनीकरण

3147. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुंबई के मछुआरों की यूनियनों से लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा मछुआरों को अपना व्यवसाय सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या सुविधाएं और सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या लाइसेंस से संबंधित कोई सुविधा इन सुविधाओं में सम्मिलित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क), (ख), (घ) और (ङ) जी हां। महाराष्ट्र सागरी मत्स्य व्यावसायिक संघ ने मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा नए ट्रालरों के पंजीकरण किए जाने के संबंध में एक ज्ञापन तैयार किया था। सुविधाओं की अपर्याप्तता और मौजूदा नौकाओं से मत्स्य बंदरगाह में भीड़-भाड़ होने के कारण पत्तन न्यास किसी नए ट्रालर का पंजीकरण नहीं कर रहा है। तथापि, पत्तन, लाइसेंसों का नवीकरण कर रहा है।

(ग) सरकार डीजल की आपूर्ति, विश्राम गृह, औषधालय, जलपान गृह, मत्स्य नीलामी कक्ष इत्यादि के लिए सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करा रही है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज

3148. श्रीमती रानी नरह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक आर्थिक पैकेज तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए उपायों को सुझाने के वास्ते किसी उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) अक्तूबर 1996 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर की यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई पहलों की घोषणा की गयी थी। प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज में अनेक स्कीमें शामिल थी। स्कीमों की एक सूची विवरण में दी गयी है।

इन स्कीमों को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं। इस पैकेज के कार्यान्वयन का प्रबोधन, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में किया जाता है।

विवरण

असम

1. जोगीघोपा में रेल एवम् सड़क पुल का निर्माण।
2. गुवाहाटी हवाई-अड्डे का उन्नयन।
3. बोगीभील में रेल एवम् सड़क पुल का निर्माण।
4. असम में तीन औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना।
5. ब्रह्मपुत्र पर बाढ़ नियंत्रण कार्य।
6. बोंगईगांव में एल.पी.जी. बोटलिंग प्लांट की स्थापना।
7. नुमालीगढ़ रिफायनरी की स्थापना।
8. असम और मेघालय में डामरा-बाधमारा सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना।

नागालैंड

1. हाईड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की स्थापना।
2. दीमापुर हवाई-अड्डे पर नए टर्मिनल परिसर की स्थापना।
3. रिफरल सुविधाओं के लिए नागा अस्पताल का उन्नयन।
4. दीमापुर में औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना।
5. नागालैंड विश्वविद्यालय के लिए बुनियादी सुविधाएं।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 को चार लेन वाला बनाना।

मेघालय

1. पूर्वोत्तर इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग का उन्नयन।
2. शिलांग उप-मार्ग • सड़क का निर्माण।
3. बुर्नीहाट में रेल हैड।
4. उमरोई हवाई-अड्डे का विकास।
5. शिलांग के नजदीक सेटेलाइट टाऊनशिप की स्थापना।
6. रीजनल बॉयालोजीकल प्रोडक्ट यूनिट की स्थापना।
7. मेण्डीपाथेर में औद्योगिक विकास केन्द्र।
8. होटल प्रबंध संस्थान की स्थापना।
9. डौकी पुल का निर्माण।

मिजोरम

1. तुईरियाल पन बिजली परियोजना (60 मेगावाट) की स्थापना।
2. स्टेट रिफरल अस्पताल का उन्नयन।
3. एजवल शहरी पेयजल की आपूर्ति (चरण-II) की स्थापना।
4. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (म्यांमार) के लिए स्कीम।
5. औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग 54 को चौड़ा करना।

त्रिपुरा

1. कुमारघाट अगरतला रेलवे लाईन का कार्य करना।
2. अगरतल्ला हवाई-अड्डे का उन्नयन।
3. एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट की स्थापना।
4. औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना।
5. अगरतल्ला सब्रूम राजमार्ग का उन्नयन।

मणिपुर

1. राष्ट्रीय राजमार्ग-53 को चौड़ा करना।
2. औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना।
3. एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट की स्थापना।
4. रीजनल इन्स्टीट्यूट आफ मैडीकल साईंस (फेस-द्वद्व) का उन्नयन।
5. लोकतक डाऊन स्ट्रीम एच इं पी (90 मेगावाट) की स्थापना।
6. एजवल-तिपाईमुख-चुरचांदपुर-इम्फाल-उखरूल-जेसामी को मणिपुर से जोड़ने वाले और नागालैंड में समाप्त होने वाले तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा।

अरूणाचल प्रदेश

1. ईटानगर-नहरलागुन जल आपूर्ति स्कीम की स्थापना।
2. बायो-डायबर्सिटी स्टडी इन्सटिट्यूट की स्थापना।
3. ईटानगर में नए हवाई अड्डे की स्थापना।
4. लीलाबारी एयरपोर्ट का उन्नयन।
5. ईटानगर गोहपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 52 का विस्तारण।
6. ईटानगर में नए असेम्बली हाल का निर्माण।
7. विकास केन्द्र की स्थापना।

महाराष्ट्र में प्रमुख परियोजनाएं

3149. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र में चल रहीं प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन की, उनके कार्य-निष्पादन के संदर्भ में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो मानक नियमों और निर्धारित लक्ष्यों के सन्दर्भ में परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं योजना के दौरान ऐसी परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र के लिए प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय आठवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र में कार्यान्वित सभी प्रमुख स्कीमों की समीक्षा की थी। सभी स्कीमों की प्रगति संतोषजनक पाई गई थी।

(ग) राज्यों को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उनसे प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर वार्षिक आवंटन किया जाता है। अभी तक नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न स्कीमों के लिए महाराष्ट्र सरकार को 1361.31 लाख रु. की राशि जारी की जा चुकी है।

"कॉलर लाइन आइडेंटीफिकेशन" सुविधाएं

3150. श्री अन्ना साहेब एम.के. पाटील: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम टी एन एल टेलीफोन पर उपलब्ध कॉलर लाइन आइडेंटीफिकेशन" सुविधाएं टी.ई.सी. से अनुमोदित हैं;

(ख) यदि हां, तो टी.ई.सी. द्वारा अनुमोदित कंपनियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) टेलीफोन प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग में लाई जा रही अनधिकृत "कॉलर लाइन आइडेंटीफिकेशन" सुविधाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान एम टी एन एल ने विज्ञापन और अन्य प्रचार मदों पर कितनी राशि व्यय की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। कॉलिंग लाइन आइडेंटीफिकेशन प्रेजेन्टेशन (सीएलआईपी) सुविधा की मांग करने वाले उपभोक्ताओं को टीईसी अनुमोदित उपकरण का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) आम तौर पर उपभोक्ताओं से अपने उपकरण की कंपनी का नाम तथा मोडल नंबर लिखकर देने के लिए अनुरोध किया जाता है। बाद में स्टाफ द्वारा अनुमोदित सूची के साथ इसकी जांच की जाती है।

उपर्युक्त सूचना के अभाव में उपभोक्ता से एक वचन (अंडरटेकिंग) देने के लिए कहा जाता है कि वह केवल टीईसी अनुमोदित कंपनियों के उपकरण का ही उपयोग करेगा।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान एम टी एन एल ने विज्ञापन तथा अन्य प्रचार मदों पर 28.71 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

विवरण I

कॉलिंग लाईन आइंडेंटीफिकेशन्स-यूनिटों के लिए इन्टर फेस अनुमोदित विक्रेताओं की सूची

	अनुमोदित विक्रेता/ निर्माता	उत्पाद का नाम तथा माडल	प्रमाण-पत्र नं. तारीख तथा निम्नलिखित तारीखों तक विद्यमान
	1	2	3
1.	मै. एजीटी इलैक्ट्रानिक्स लि. कोयम्बटूर-641014	एसएसयू फार कालिंग लाइन आईडेंटीफिकेशन्स सीएलआईपी-400	टीईसी/एसआर/आई/एसआईयू-02/ 001/02 जनवरी-99
2.	मै. श्री कम्युनिकेशन्स एंड कांसटेंट्स हैदराबाद-500062	एसएसयू फार कालिंग लाइन आईडेंटीफिकेशन्स सीएलआईपी- एस एक्स	टीईसी/सीआर/आई/एसआईयू-02 02/002 जनवरी-1999 29/1/99 से 31/02/02 तक

	1	2	3
3.	मै. एरीज टेलीकॉम सेन्टर बंगलौर-600029	एसएसयू फार कालिंग लाईन आईडेंटीफिकेशन्स एरीज-39110	टीईसी/एस/आई/एसआईयू-02/02/004 फरवरी-1999 1.2.99 से 28/01/02 तक
4.	मै. मिसकोट इलेक्ट्रॉनिक्स लि., चेन्नई-600042	एसएसयू फॉर कालिंग लाइन आईडेंटीफिकेशन्स, आईटी-9308 डीएफ	टीईसी/एस/आई/एसआईयू-02/02/005 फरवरी-1999
5.	मै. एमएल टेलीकॉम चेन्नई-600002	एसएसयू फार कालिंग लाइन आइडेंटीफिकेशन डी-800	टीईसी/एस/आई/एसआईयू-02/02/007 फरवरी-99 01.02.99 से. 28.02.02
6.	मै. नामेक सिस्टम्स बंगलोर-561229	एसएसयू फॉर कालिंग-लाइन आइडेंटीफिकेशन पीएक्स-2000	टीईसी/एसआर/1/एसआईयू-02/02 005/फरवरी, 99 02/02/99 से 28/01/02
7.	मै. प्रियाराज इलेक्ट्रॉनिक लि., बंगलौर-560 008	एसएसयू फॉर कालिंग लाइन आईडेंटीफिकेशंस काल एससीएएन-198	टीईसी/एसआर/आई/एसआईयू-02/82/008 फरवरी-99 02/02/99 से 28/01/02
8.	मै. डीकेन पॉवर प्रोडक्ट्स सिकंदराबाद-500003 मै. ग्रीआई कालिनिक टेलीकॉम कारपो. ताइवान	एसएसयू फॉर कालिंग लाइन आईडेंटीफिकेशंस बीपी-664 डी	टीईसी/सीआर/आई/एसआईयू-02/02/009/फरवरी, 99 04/02/99 से 28/01/00
9.	मै. एसएन टेलीकम्यूनिकेशंस पुणे-411029	एसएसयू फार कालिंग लाइन आईडेंटीफिकेशंस सीआईडी एसएन 2001	टीईसी/डब्ल्यूआर/आई/एसआईयू-02/02/003, फरवरी, 99 10/02/99 से 28/02/02

	1	2	3
10.	मै. लिंकवैल टेलीसिस्टम्स लि., सिकन्दराबाद-500014	एसएसयू फार कॉलिंग लाइन आईडेंटीफिकेशन्स, सीएलआईपी-400	टीईसी/एस/आई/एसआईयू-02 02/001. जन. 99 29/01/99 से 31/01/02 तक
11.	मै. प्रोमोशनल कम्प्यूटर टेक प्रा.लि., नई दिल्ली-110052	एसएसयू फारकालिंग लाइन आईडेंटीफिकेशन्स, पीटीसीएल-वीओ 198	टीईसी/एनआर/आई/एसआईयू 02/02/013. फरवरी-99 26/02/99 से 28/02/02 तक
12.	मै. रुचि टेलीकॉम प्रा.लि. नई दिल्ली-110062	एसएसयू फार कॉलिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, आरटी-सी 501	टीईसी/एनआर/आई/एसटीयू 02/02/11. फर. 99 26/02/99 से 28/02/02 तक
13.	मै. एकॉर्ड टेलीकम्युनिकेशन्स लि. मेरठ (उ.प्र.)	एसएसयू फार कॉलिंग लाईन आईडेंटीफिकेशन्स, सीएलआईडी-100	टीईसी/एनआर/आई/एसटीयू- 02/02/012. फर.-99 26/02/99 से 28/02/02 तक
14.	मै. इंडो हांग-कांग इंड प्रा.लि. नई दिल्ली-17 मै. आईउरु टेक ग्रुप लि.	एसएसयू फार कॉलिंग लाइन आईडेंटीफिकेशन्स, आई-9308 डीएफ	टीईसी/एनआरआई/एसआईयू- 02/02/014. मार्च, 1999 04/03/99 31/03/02 तक
15.	मै. फाइव स्टार टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड मोहाली (पंजाब)	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, टेलीग्रार्ड	टीईसी/एनआर/आई/एसआईयू 02/02/016. मार्च, 99 04/03/99 31/03/02 तक
16.	मै. मेडी टेक इंक, नई दिल्ली-110049	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, एमटीआई-5401	टीईसी/एनआरआई/एसआईयू 02/02/015. मार्च-99 04/03/99 31/03/02 तक
17.	मै. डिजीकंट्रोल्स नार्दर्न प्रा.लि. नई दिल्ली-110020	एसएसयू फॉर कालिंग लाइ. आईडेंटीफिकेशन्स, कॉल्ड	टीईसी/एन/आर/आई/एसआइयू 02/02/017. मार्च 99 04/03/99 31/03/02 तक
18.	मै. यूनिवर्सल सोल्डर सिस्टम्स प्रा.लि. हैदराबाद-68, मै. हांग-कांग टेक्सास कंपनी लि. हांग-कांग	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, टेक्सस टीएक्स-910	टीईसी/सीआर/आई/एसआईयू 02/02/018. मार्च, 99 05/03/99 25/01/02 तक

1		2	3
19.	मै. एक्सपर्ट इम्पेक्स प्रा.लि. मुम्बई-400102, मै. गिंडा एन्टरप्राइजेस कं.लि. ताइवान	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, आरएच-3000	टीइसी/डब्ल्यूआर/आई/एसआईयू 02/02/019. मार्च 99 09/03/99 31/12/01 तक
20.	मै. ग्लोबल टेलीसिस्टम्स लि. मुम्बई-400038, मै. एक्शियामैन सीएंडडी इंक चाईना	एसएसयू फॉर कालिंग लाईन आईडेंटीफिकेशन्स, कोलाबल बक्स-1	टीइसी/डब्ल्यूआर/आई/एसआईयू 02/02/019. मार्च 99 15/03/99 25/01/02 तक
21.	मै. पीईपी इन्फोटेक लि. मेरठ-250002	एसएसयू फार कालिंग लाइ. आईडेंटीफिकेशन्स, कॉल ग्राड सीडी-01	टीइसी/एनआर/आई/एसआइयू 02/02/024. मार्च 99 31/03/99 31/03/02 तक
22.	मै. पुल्सेटन इंडस्ट्रीज, बंगलौर-560010	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, सीआईडी-ट्रॉप	टीइसी/एनआर/आई/एसआईयू 02/02/024. मार्च 99 31/03/00 31/03/02 तक
23.	मै. वीनस इलेक्ट्रानिक्स बंगलौर-560010	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, एसएसयू-200 ए	टीइसी/एसआर/आई/एसआईयू 02/02/023. मार्च 99 31.02/00 31/03/02 तक
24.	मै. रावी एक्सिम (प्रा.) लि., चेन्नई-600105 मै. शेनजहेन बेन चंघी चाइना	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, सीएच-6811	टीइसी/एसआर/आई/एसआईयू- 02/02/023. मार्च 99 31/03/99 31/03/02 तक
25.	मै. कॉपर कनेक्शन्स नई दिल्ली	एसएसयू फार कॉलिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स सीसी-सीआईडी-1	टीइसी/एनआरआई/एसआईयू- 02/02/026. मार्च 99 31/03/99 31/03/02 तक
26.	मै. बीपीएल टेलीकॉम लि., पालक्कड़-678007	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, सीएलआई 9000	टीइसी/एसआर/आई/एसआईयू- 02/02/025. मार्च 99 31/03/99 31/03/02 तक
27.	मै. एल्टेक एन्टरप्राइजेस नई दिल्ली-110020	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, सोनीटेल एसटी-8097 एफडी	टीइसी/एसआर/आई/एसआईयू- 02/02/027 अप्रैल-99 01/04/99 30/04/02 तक

1	2	3
28. मै. इन्नोवेशन कम्यूसिस्टम्स प्रा.लि., हैदराबाद-500034	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, आईसीएस-सीएलआईपी-01	टीइसी/सीआर/आई/एसआईयू-02/02/029. अप्रैल-99 01/04/99 30/04/02 तक
29. मै. इलैक्ट्रानिक्स होम, नई दिल्ली-110020	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, सोनीजी एचटी-9708 एफडी	टीइसी/एनआर/आई/एसआईयू-02/02/028. अप्रैल-99 01/04/99 30/04/02 तक
30. मै. मिरेजस मार्केटिंग बंगलौर-560032	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, एमएच-108	टीइसी/एनआर/आई/एसआईयू-02/02/030. अप्रैल-99 05/04/99 30/04/02 तक
31. मै. आर.एस. टेक्नॉलजिंस हैदराबाद-500062	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, कॉल	टीइसी/सीआर/आई/एसआईयू/-02/02/03 अप्रैल-99
32. मै. इंडिया रोबोटिक्स पुणे-411029	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, सीआईडी-990	टीइसी/डब्ल्यूआर/आई/एसआईयू-02/02/033. अप्रैल-99 23/04/99 14/01/02 तक
33. मै ओनेक्स टेकीनालॉजीस मुम्बई-400076, मै. आइडियाटेंच ग्रुप लि. हांग कांग	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, वीआईएसआईओ आईटी-9308 डीएफ	टीईसी/डब्ल्यूआर/आई/एसआईयू-02/02/033. अप्रैल-99 23/04/99 14/01/02 तक
34. मै. बेनसन पावर एण्ड कन्ट्रोल्स प्रा.लि. बंगलौर-560042	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, बीईएन टीईएल-2000	टीईसी/एस/आई/एसआईयू-02/02/034. अप्रैल-99 28/04/99 30/04/02 तक
35. मै. कम्प्यूटर पेरीफेरल डिवाइसेज, बंगलौर-560001,	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, केआईडी-01	टीईसी/एसआर/आई/एसआईयू-02/02/35. मई-1999
36. मै. अनन्त एक्सपोर्ट जयपुर-302001, मैं. आशिया-इंटरनेशनल, हांगकांग	एसएसयू फॉर कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, ओएस-एसएलओ 21	टीईसी/एसआर/आई/एसआईयू-02/0/036. मई 99, 12.05.99 अपटू 31.05.02
37. मै. भारतो टेलीकॉम लि. गुड़गांव	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स चेकमेट	टीईसी/एसआर/आई/एसआईयू-02/02/037. मई 99, 14/05/99 अपटू 31.05.02

1	2	3
38. मै. मल्टीलाईन कम्यूनिकेशन सिस्टम, तिरुअनंतपुरम् 695018	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स लाईन, एमसी-2000	टीईसी/एसआर/आई/एसआईयू-02/02/037. मई 99, 17.05.99 अपटू 31/05/02
39. मै. औरोकॉम, पांडिचेरी-605009	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, केआईडी-02	टीईसी/एसआर/आई/एसआईयू-02/02/038. मई 99 17.05.99 अपटू 31.05.02
40. मैं विजय इलैक्ट्रो ऑटोमेशन लि. पालक्कड़-678007	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन्स, वीईएएल कालर आईडी 1.0	टीईसी/एसआर/1/एसआईयू-02/02/040. मई 99 24/05/99 अपटू 31/05/02
41. मै. केनलब इलेक्ट्रोआटोमेशन लि. फरीदाबाद	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन, डी-3804बी	टीईसी/एसआर/1/एसआईयू-02/02/043. जून 99 15/06/99 अपटू 30/06/02
42. मै. राजस्थान टेलीमेटिक्स प्रा.लि. कोटा-324005	एसएसयू फार कालिंग ला आईडेंटीफिकेशन, डिटेक्ट	टीईसी/एनआर/आई/एसआईयू-02/02/042. जून 99, 15/06/99 अपटू 30.06.02
43. मै. नाकामिची टैक्नो प्रा.लि. दिल्ली-110054 मैं एवरपीस इलैक्ट्रानिक्स कं. हांगकांग	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन फूजिकॉन सीआईडी-209	टीइसी/एनआर/1/एसआईयू-02/02/041/जून. 99 15/06/99 अपटू 30/06/02
44. मै. टाटा टेलीकॉम लि. धालक्कड़-678623 मै. इंटिग्रेटेड सिनर्जी इंटरनेशनल प्रा.लि. सिंगापुर	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन, टाटाफोन-आर 60, नई दिल्ली	टीईसी/एसआर/1/एसआईयू-02/02/044. जुलाई 99 13/07/99 अपटू 31/07/02
45. मै. गोदरेज टेलीकॉम लि. लि. हैदराबाद-500015 मै. ओशन रिजेन्टी इंटरनेशनल लि. हांगकांग	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन, कालर-आईडीजीएल-100	टीईसी/सीआर/आई/एसआईयू-02/02/045/जुलाई 99 13/07/99 अपटू 31/07/02
46. मै. पुरी इलैक्ट्रानिक्स प्रा.लि., नई दिल्ली-110017	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन टेलीसाउंड	टीईसी/एनआर/1/एसआईयू-02/02/046, अगस्त 99 09/08/99 अपटू 31/08/02

1		2	3
47.	मै. रोहिणी माईक्रोसिस्टम्स, मोहाली-160059	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन डब्ल्यूएसओज़ थाट	टीईसी/एनआर/1/एसआईयू-02/ टीईसी/एनआर/1/एसआईयू--02/ 02/047. सितम्बर 99 01/09/99 अपटू 30/09/02
48.	मै. बीपीएल टेलीकॉम लि. पालक्कड़-678007	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन सीएलआई 9100	टीईसी/एसआर/1/एसआईयू-02/02/ 048. सितम्बर, 99, अपटू 30/09/02
49.	मै. लिंक टेली इमेज लि. मुम्बई-400059	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन एलटी 9902	टीईसी/डब्ल्यूआर/1/एसआईयू-2/ 02/050. अक्तूबर 99 07/10/99 अपटू 31/10/02
50.	मै. नित्य दीप एंटरप्राइजेज मुंबई-400049 मै. आटोमैटिक मैन्यूफेक्चरिंग लि. चाइना	एसएसयू फार कालिंग ला. आईडेंटीफिकेशन एनडी 096 ऑटोमन	टीईसी/डब्ल्यूआर/1/एसआईयू-02/ 02/049. अक्तूबर 99 07/10/99 अपटू 31/10/02

विवरण-II

सीएलआई सुविधायुक्त टीपीएस-टेलीफोनों के इंटरफेस-अनुमोदित विक्रेताओं की सूची

क्र.सं.	अनुमोदित/विक्रेता उत्पादक	उत्पाद का नाम तथा मॉडल	प्रमाण-पत्र नं., तारीख तथा निम्नलिखित तारीखों तक विधिमान्य
1.	मैसर्स युनीवर्ड टेलीकॉम लि. नोएडा-201301	क्लीप हेतु अंतर-निहित एसएसयू-युक्त टीपीएस टेलीफोन रेवरी-सीएलआई	टीइसी/एनआर/1/टेल-01/ 103. अगस्त 99, 17/08/99 से लेकर 31.08.02 तक
2.	मैसर्स एम.एल टेलीकॉम चेन्नई-600002 मै. टेलीवेल इलेक्ट्रीक कं. लि. ताइवान	क्लीप हेतु अंतर-निहित एसएसयू-युक्त टीपीएस टेलीफोन-'ई-300'	टीइसी/एसआर/1/टेल-01/ 02/104-अगस्त-99 17.08.99 से लेकर 31.08.02 तक
3.	मैसर्स श्री लक्ष्मी ऐजेन्सीस, चेन्नई-600102	क्लीप हेतु अंतर-निहित एसएसयू-युक्त टीपीएस टेलीफोन-सीएच-1998	टीइसी/एसआर/1/टेल-01/ 02/103/अक्तूबर 99 08.10.99 से 31.10.02 तक

पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात शुल्क

3151. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के आयात शुल्क में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कीमतों की समानता के संबंध में आयात नीति का पूरी तरह से अनुसरण नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) और (ख) वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) मोटर स्पिरिट, हाईस्पीड डीजल, मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), घरेलू एलपीजी तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल के मूल्य प्रशासित मूल्य हैं तथा डीजल का मूल्य भंडार बिंदुगत स्तर तक आयात समता मूल्य निर्धारण के सिद्धांतों पर नियत किया जाता है। नाफ्था, ईंधन तेल, लो सल्फर हैवी स्टाफ, विट्मेन, पैराफिन मोम इत्यादि जैसे अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य 1 अप्रैल, 1998 से नियंत्रण मुक्त कर दिए गए हैं तथा तेल कंपनियां इन मूल्यों को बाजार मान्यताओं पर नियत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

3152. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन से संबंधित विषय, सरकार के विचाराधीन है। तथापि, इसके लिए राज्य सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किया जाने वाला एक संकल्प और उसके पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन संसद् द्वारा समुचित अधिनियमन अपेक्षित होगा।

तकनीकी कर्मचारियों की कमी

3153. श्री प्रकाश परांजपे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कल्याण दूरसंचार सर्कल में तकनीकी और लिपिकीय कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में ग्रामीण दूरसंचार तंत्र के सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और 1999-2000 के दौरान क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। कल्याण दूरसंचार जिले में 253 तकनीकी कर्मचारियों की कमी है जिनका विवरण इस प्रकार है।

दूरसंचार तकनीकी सहायक	45
दूरसंचार मैकेनिक	62
कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी	146

तथापि, वहां लिपिकी कर्मचारियों की कोई कमी नहीं हैं।

(ख) दूरसंचार तकनीकी सहायक:- इनके भर्ती नियम बनाए जा चुके हैं। इनकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है तथा इन पदों को शीघ्र ही भर दिया जाएगा।

दूरसंचार मैकेनिक:- प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है तथा इस प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद रिक्तियों को भर दिया जाएगा।

कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी:- कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी के पद को समूह "ख" राजपत्रित पद के रूप में वर्गीकरण से

संबंधित भर्ती नियमों की अधिसूचना 1/9/99 को जारी की जा चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जिसके एक वर्ष के अंदर पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) औरंगाबाद एवं सांगली जिलों में टाइम डिवीजन मल्टी प्लेक्सिंग प्वाइंट-टू मल्टी प्वाइंट'' (टीडीएम-पीएमपी) प्रणाली वाले नई प्रौद्योगिकी स्विचों की संस्थापना की गई है। जिससे ग्रामीण नेटवर्क की संचार व्यवस्था में सुधार आएगा। धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी इस प्रणाली की शुरूआत की जाएगी।

* शेष जिलों में, ग्रामीण नेटवर्क की संचार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ''वायरलेस इन लोकल लूप'' (डब्ल्यू.आई.एल.एल.) प्रणाली की योजना बनाई गई है। अनुरक्षण हेतु अपेक्षित प्रणालियों का सावधानीपूर्वक उपर्युक्त अनुरक्षण किया जाता है।

* ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों को संबंधित तहसील मुख्यालय/कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एस.डी.सी.ए.) के टेलीफोन एक्सचेंजों से जोड़ने के लिए आप्टिकल फाइबर केबल या रेडियो प्रणालियों की योजना बनाई गई है ताकि एसटीडी एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान की जा सकें।

* ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज भवनों एवं क्वार्टरों के निर्माण के लिए काफी जमीन का अधिग्रहण किया गया है।

तेल बहने के कारण

3154. श्री चन्द्र नाथ सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेल बहाव को रोकने वाले उपस्करों से सुसज्जित नहीं है और तेल बहने के कारण और स्रोत का पता लगाने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल के इन बहावों के कारण अनेक डोलफिनें और कछुए मर गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कच्छ की खाड़ी में तेल बहावों से निपटने वाली एजेंसियां बड़ी आकस्मिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उपस्करों से सुसज्जित नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तेल बहाव की किसी बड़ी घटना से निपटने हेतु तेल बहावों के कारण और स्रोत जानने के लिए कब तक प्रौद्योगिकी का विकास किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (घ) भारतीय तट रक्षक ने राष्ट्रीय तेल छलकाव दुर्घटना आकस्मिकता योजना (एन.ओ.एस.-डी.सी.पी.), जो जुलाई, 1996 में प्रवर्तित की गई थी, प्रकाशित कर दी है। राष्ट्रीय तेल छलकाव दुर्घटना आकस्मिकता योजना के अनुसार भारत सरकार द्वारा महानिदेशक, भारतीय तट रक्षक को तेल छलकाव के प्रति समुद्रीय क्षेत्रों की निगरानी समेत तेल छलकाव अनुक्रिया के लिए केन्द्रीय समन्वयकारी प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है।

नराराबेट में तेल चिक्कण दिखाई देने से संबंधित प्रथम रिपोर्ट इंडियन आयल कार्पोरेशन के वादीनार प्रतिष्ठापन को 20 नवंबर, 1999 को वन रक्षक, राष्ट्रीय समुद्रीय पार्क द्वारा भेजी गई थी। इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. की कच्चा तेल उतराई प्रणाली पूरी तरह जांच-पड़ताल अनुभवी प्रचालन कर्ता एवं रखरखाव कार्य कर्मचारियों द्वारा की गई थी तथा यह प्रणाली ठीक पाई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार दो कंकाल पाए गए थे जो डालफिन मछली के भी हो सकते हैं। इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. ने अपने वादीनार प्रतिष्ठापन पर अपने प्रचालन क्षेत्र में 100 एम.टी. छलकाव परिणाम तक निपटने के लिए अपनी ओर से टिअर-1 स्तरीय तेल छलकाव अनुक्रिया सुविधाएं स्थापित की हैं।

भारतीय पत्तनों की कार्योत्पादन क्षमता

3155. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पत्तनों की वर्तमान क्षमता अंतर्राष्ट्रीय मानकों से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय पत्तनों की कार्योत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) प्रमाणित अधिसूचित आंकड़े न होने और पत्तनों के बीच विभिन्न प्रकार के कार्गो, प्रौद्योगिकी तथा

उपस्करों में अंतर होने के कारण भारतीय पत्तनों की विश्व के अन्य पत्तनों की उत्पादकता के साथ तुलना करना संभव नहीं हो सकता।

(ग) भारतीय पत्तनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन स्कीमों और उत्पादकता से जुड़े प्रतिफल के भुगतान सहित कई कदम उठाए गए हैं।

नैनीताल झील क्षेत्र का संरक्षण

3156. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री उत्तरांचल में परिस्थितिकीय और पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में 29 नवम्बर, 1999 को तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अति-महत्वपूर्ण राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.) जिसमें नैनीताल झील क्षेत्र के संरक्षण के लिए प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं; को अनुमोदित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या दसवें वित्त आयोग ने नैनीताल झील क्षेत्र में संरक्षण और सुरक्षा के लिए कोई धनराशि संस्वीकृत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) 637 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 10 शहरी झीलों, जिनमें नैनीताल झील भी शामिल है, के संरक्षण के लिए एक प्रस्ताव दिसम्बर, 1997 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल समिति ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया था और विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त किए जाने के संदर्भ में स्कीम का पुनः मूल्यांकन करने के पश्चात् मामले पर विचार करने के लिए भेजने का निर्देश दिया था। अनेक द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय निधियन एजेंसियों से सम्पर्क किया गया था लेकिन किसी ने प्रस्ताव में रुचि नहीं दिखाई।

(ख) और (ग) दसवें वित्त आयोग ने निम्नलिखित कार्यों के लिए नैनीताल झील क्षेत्र की पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी:

1. भीमताल झील का सौंदर्यकरण एवं पुनरूद्धार
2. नौकुचियाताल झील का सौंदर्यकरण एवं पुनरूद्धार
3. सातताल झील का सौंदर्यकरण एवं पुनरूद्धार
4. शामलाताल झील का सौंदर्यकरण एवं पुनरूद्धार
5. खुरपाताल झील का सौंदर्यकरण एवं पुनरूद्धार
6. भीमताल मलजल स्कीम
7. झील क्षेत्र के चारों ओर कैचमैंट वनीकरण
8. भीमताल एवं नौकुचियाताल के चासें और रेलिंग लगाना

10वें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को जुलाई, 1997 में 90 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी। अब तक राज्य सरकार ने उपर्युक्त कार्यों पर 401.18 लाख रुपए की राशि खर्च की है।

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

3157. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राममोहन गाड्डे :
श्री ए. ब्रह्मनैया :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में जिले-वार विशेष रूप से हैदराबाद के 'हाईटैक सिटी' विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और कृष्णा जिले में कितने लोग टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिले-वार और उक्त शहरों में कितने टेलीफोन-कनेक्शन आबंटित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर उक्त शहरों/जिलों में टेलीफोन-कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 30.11.99 की स्थिति के अनुसार जिलेवार/शहर-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जिले-वार/शहर-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

(ग) हैदराबाद में 'हाइटिक सिटी' की मौजूदा प्रतीक्षा-सूची को मार्च, 2000 तक निपटा दिए जाने की योजना है तथा अन्य स्थानों पर प्रतीक्षा सूची को एक वर्ष के भीतर उत्तरोत्तर रूप से निपटा दिया जाएगा।

विवरण-I

30.11.99 को स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में टेलीफोन-कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिले-वार और शहर-वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा-सूची
1	2	3
1.	आदिलाबाद	14715
2.	अनंतपुर	26517
3.	चित्तूर	44246
4.	कुड्डापाह	27631
5.	पूर्वी गोदावरी	52000
6.	गुंटूर	34270
7.	हैदराबाद	114655
8.	करीमनगर	44459
9.	खम्माम	28827
10.	कृष्णा	32137
11.	कुरनूल	18156
12	महबूबनगर	18726
13.	मेडक	20056
14.	नलगोंडा	29032
15.	नेल्लोर	27777
16.	निजामाबाद	23717
17.	प्रकासम	29586
18.	रंगारेड्डी	18958
19.	श्रीकाकुलम	10170
20.	विशाखापट्टनम	44994
21.	विजयनगरम्	9116
22.	वारंगल	42217
23.	पश्चिम गोदावरी	35801
	जोड़	747763

क्र.सं.	शहर	प्रतीक्षा-सूची
1.	हैदराबाद में हाइटिक सिटी	18
2.	विजयवाड़ा	3575
3.	विशाखापट्टनम	34645

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान, आबंटित किए गए टेलीफोन-कनेक्शनों की जिले-वार तथा शहर-वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आदिलाबाद	4100	7679	8008
2.	अनंतपुर	3396	7282	15508
3.	चित्तूर	6115	8608	21048
4.	कुड्डापाह	3073	4563	11517
5.	पूर्वी गोदावरी	10632	13027	20440
6.	गुंटूर	7194	11365	23072
7.	हैदराबाद	66798	47020	95077
8.	करीमनगर	1837	11007	16900
9.	खम्माम	2826	4048	15032
10.	कृष्णा	11891	16068	24809
11.	कुरनूल	4431	8155	12270
12.	महबूबनगर	3132	3941	7405

1	2	3	4	5
13.	मेडक	4619	4500	8100
14.	नलगोंडा	2267	7497	13560
15.	नेल्लोर	1255	9098	13505
16.	निज़ामाबाद	1038	7742	11500
17.	प्रकासम	1471	9002	11533
18.	रंगारेड्डी	1490	2428	6978
19.	श्रीकाकुलम	2060	2069	5756
20.	विशाखापट्टनम	5694	12022	23754
21.	विजयनगरम्	2037	3490	4772
22.	वारंगल	1917	2900	7514
23.	पश्चिम गोदावरी	4333	12976	26922
	जोड़	153606	216487	404980

क्र.सं.	शहर	1996-97	1997-98	1998-99
1.	हैदराबाद	66798	47020	95077
2.	विजयवाड़ा	7780	3593	11454
3.	विशाखापट्टनम	5271	9217	18917

सबरीमाला तीर्थ

*3158. **श्री के. फ्रांसिस जार्जः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या केरल राज्य द्वारा सबरीमाला तीर्थ के विकास के संबंध में एक व्यापक मास्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सबरीमाला के विकास के लिए 100 हेक्टेयर वन्य भूमि देने संबंधी मास्टर प्लान में उल्लिखित प्रस्ताव पर सहमत हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) केरल राज्य सरकार ने सबरीमाला मंदिर के तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 115.60 हेक्टेयर वन भूमि के इतर प्रयोग के लिए वर्ष 1993 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जबकि इस मामले पर कार्रवाई चल रही थी तब राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1995 में इसी उद्देश्य के लिए 20 हेक्टेयर वन भूमि का एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई थी और राज्य सरकार के अधिकरियों के साथ चर्चा के बाद राज्य सरकार से क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलापों के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए अध्ययन करने और एक दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करने का अनुरोध किया गया क्योंकि वन क्षेत्र का अधिकतर भाग पेरियार बाघ रिजर्व का हिस्सा है। राज्य सरकार को बार-बार अनुस्मारक भेजने के बाद भी उनसे अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि इसी बीच मंत्रालय ने नैरियानवोत्तम में सीवेज शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए 0.4225 हेक्टेयर क्षेत्र के वनेतर प्रयोग का अनुमोदन कर दिया है क्योंकि यह स्थल-विशिष्ट और पारि-मैत्री प्रयोग के लिए था। राज्य सरकार से उस क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता और क्षेत्र का विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने सहित वन्यजीवों और पर्यावरण पर उसके प्रभाव के बारे में किसी ख्याति प्राप्त संस्थान से विस्तृत अध्ययन करवाने का पुनः अनुरोध किया गया है। अपेक्षित सूचना के अभाव में शेष क्षेत्र के लिए प्रस्ताव पर निर्णय लेना संभव नहीं है।

समेकित पेट्रोलियम नीति

3159. **श्री दाउद अहमदः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समेकित पेट्रोलियम नीति तैयार करने और भारत के हाईड्रोकार्बन विजन 2020 के लिए प्रारूप बनाने हेतु एक समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पेट्रोलियम नीति तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए समयसीमा तय की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हाईड्रोकार्बन उद्योग में निवेश के प्रोत्साहन के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (ङ) निकट भविष्य में देश को विश्व की प्रमुख हाईड्रोकार्बन शक्ति बनाने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय हाईड्रोकार्बन परिदृश्य 2025 पर एक दल का गठन किया है। इसके विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ अन्वेषण, उत्पादन, परिशोधन, परिवहन, उद्योग के शीघ्र विकास के लिए हाईड्रोकार्बनों का विपणन आदि शामिल हैं। इसके अलावा हाईड्रोकार्बन उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य के साथ अपस्ट्रीम और डाऊनस्ट्रीम दोनों तेल क्षेत्रों में निजी और विदेशी पूंजी की भागीदारी, परिशोधन को नियंत्रणमुक्त करना, नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी), प्रशासित मूल्य पद्धति को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना आदि शामिल हैं।

सड़कों के विकास के लिए निधि

3160. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिकः** क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने यह कहा है कि उनके मंत्रालय ने सड़कों के विकास के लिए दी गई राशि का उपयोग नहीं किया है, जबकि धनराशि की मांग बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार को आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सड़कों के विकास में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भूमि अधिग्रहण, उपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण में विलम्ब, वित्तीय अभाव, स्थल से संबंधित विशिष्ट समस्याएं और ठेका संबंधी समस्याएं कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधक हैं।

(घ) सड़कों के विकास हेतु गैर-सरकारी निवेश आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग, अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया है ताकि भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु गैर-सरकारी उद्यमियों के साथ करार कर सके।

(2) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यों में हिस्सा लेने वाले गैर सरकारी उद्यमियों को वित्तीय तथा कर संबंधी लाभ।

(4) कुछेक भारी मशीनों/उपस्करों के कर मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

(5) ओ जी एल के तहत डामर आयात की अनुमति।

1500 करोड़ रु. की कुल इक्विटी तक 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।

जम्मू और कश्मीर में सीमा पर बाड़ लगाना

3161. श्री वैद्य विष्णुदत्त शर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में पहले खरीदी गई सामग्री का उपयोग नहीं किया गया और करोड़ों रुपये बर्बाद हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) बाड़ को कब तक लगाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ बाड़ लगाने का कार्य 71.76 करोड़ रुपये की अनुमातिन लागत पर 1995 में शुरू किया गया था लेकिन पाकिस्तान की तरफ से निरन्तर गोलीबारी के कारण इसे निलम्बित करना पड़ा। इस प्रयोजनार्थ खरीदा गया सामान और उपकरण पंजाब और राजस्थान सेक्टरों में बाड़ लगाने के कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया और इसमें से कुछ सीमा सुरक्षा बल को उनके इस्तेमाल के लिए भेज दिया गया।

अब सरकार ने जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए इंट्रूडर अलार्म सिस्टम के साथ एक अवरोधक प्रणाली खड़ी करने की योजना बनाई और इस कार्य को शुरू करने का निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम से अग्रिम ऋण

3162. श्री राममोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा उपयोग की जाने वाली सड़क में सुधार करने के प्रयोजनार्थ निगम से 30 करोड़ रु. के ब्याजमुक्त ऋण की अग्रिम राशि लेने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अग्रिम ऋण को जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी): (क) से (घ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन को, आंध्र प्रदेश सरकार से, कार्पोरेशन द्वारा प्रयोग की जाने वाली सड़कों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए

30 करोड़ रुपए के ब्याजमुक्त ऋण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 5 से 6 करोड़ रुपए की वार्षिक रायल्टी के बदले ऋण चुकौती के समायोजन का प्रस्ताव किया गया था। रायल्टी के भुगतान/समायोजन का निर्णय, केवल समय-समय पर यथा सशोधित तेल क्षेत्र विनियमन व विकास अधिनियम 1948 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के उपबंधों तथा राज्य सरकार और ओ एन जी सी के बीच हस्ताक्षरित खनन पट्टे के उपबंधों के अनुसार ही किया जा सकता है।

पूर्व तटीय सड़क परियोजना को मंजूरी

3163. श्री पी. कुमारासामी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्व तटीय सड़क परियोजना के शेष हिस्सों को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काली सूची में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में समीक्षा

3164. श्री बलबीर सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में और देश के बाहर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों की काली सूची की समीक्षा का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समीक्षा का आधार क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) जिन विदेशी राष्ट्रिकों का भारत में प्रवेश अवांछित समझा जाता है, उनके नामों की सूचियों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। इस बारे में और जानकारी प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

शंकरपल्ली स्थित विद्युत संयंत्र

3165. श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली स्थित विद्युत संयंत्र को विशेष रूप से हैदराबाद शहर की विद्युत आपूर्ति करने की मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे काफी समय पहले मंजूरी दिये जाने के बावजूद इस परियोजना पर अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना को शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) से (ङ) एनटीपीसी द्वारा अगस्त, 1995 में शंकरपल्ली में 650 मे.वा. क्षमता के एक ताप विद्युत संयंत्र के लिए प्रस्ताव रखा गया था। परंतु परियोजना हेतु भूमि और जल उपलब्ध न होने के कारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इसे तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई और अक्तूबर, 1996 में यह प्रस्ताव एनटीपीसी को वापस कर दिया गया।

रायलसीमा ताप विद्युत परियोजना

3166. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 210 मे.वा. की प्रति दो यूनिटों के निर्माण की परिकल्पना करने वाली रायलसीमा ताप विद्युत परियोजना (चरण-II) के कार्यान्वयन चीन की फर्म को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना की कुल लागत कितनी है और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश जेनरेशन कम्पनी ने भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य सांविधिक निकायों से अपेक्षित स्वीकृतियों के अध्यधीन चीन सरकार, कम्पनी से 100% क्रेडिट पैकेज के आधार पर परियोजना की लागत को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता के जरिए रायलसीमा ताप विद्युत परियोजना चरण-2 विस्तार (2×210 मे.वा.) के क्रियान्वयन के लिए मैसर्स झियांग मशीनरी एंड इक्वुपमेंट कार्पोरेशन को एक आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया है।

(ग) के.वि.प्रा. ने जून, 1993 में 1045 करोड़ रुपये (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) और 1275 करोड़ रुपये (निर्माण के दौरान ब्याज सहित) की अनुमानित लागत पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की थी। परियोजना का क्रियान्वयन चीन सरकार की कम्पनी द्वारा एलओआई (आशय-पत्र) की स्वीकृति के पश्चात् आरम्भ होगा।

पेंच बाघ-अभयारण्य

3167. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र में 1998-99 के दौरान पेंच बाघ-अभयारण्य की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अभयारण्य में बाघों की वर्धनक्षम संख्या को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सरकार को इस बाघ-अभयारण्य के रख-रखाव के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) पेंच बाघ रिजर्व सहित देश में बाघों की व्यवहार्य संख्या को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र सरकार को पेंच बाघ रिजर्व के रखरखाव के लिए मंजूर 43.8 लाख रुपए की तुलना में केन्द्रीय सहायता की 25.00 लाक रुपए की पहली किस्त रिलीज की है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

राष्ट्रीय स्तर:

1. सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तटरक्षक, राज्य पुलिस, उप निदेशक, वन्यजीव परिरक्ष तथा वैज्ञानिक संगठन जैसे कि भारतीय प्राणि एवं वनस्पति सर्वेक्षण जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार तथा अवैध व्यापार के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना।

2. वन्यजीव उत्पादों के व्यापार एवं तस्करी को रोकने में उपर्युक्त विभागों को सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

3. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के प्रयासों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सचिव (पर्यावरण एवं वन), विशेष सचिव (गृह), निदेशक, सी.बी.आई. तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के प्रतिनिधि के साथ एक विशेष समन्वय समिति बनाई गई है।

4. सशस्त्र दस्तों, वाहनों, संचार नेटवर्क तथा उद्यान प्रबंधों के बीच समन्वय सहित सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने लगभग 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

5. चोरी-छिपे शिकार का पता लगाने तथा उसकी सूचना देने के लिए उत्कृष्ट कार्य एवं बहादुरी के कार्य के लिए पुरस्कार देने की स्कीमें शुरू की गई हैं।

6. राज्य सरकारों को सतर्कता बढ़ाने तथा गश्त तेज करने की सलाह दी गई है।

7. वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में सरकार की सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य को शामिल करने के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

8. बाघ के अंगों तथा उत्पादों के व्यापार मार्गों का पता लगाने में संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों की सहायता करना तथा बाघ के अंगों तथा उत्पादों के लिए एक न्यायिक अभिनिर्धारण संदर्भ मैनुअल तैयार करना।

9. राज्य सरकारों को क्षेत्रों पर जैविक दबाव कम करने हेतु उनके परि-विकास के लिए निधियां प्रदान की जा रही है।

10. बाघ परियोजना क्षेत्रों में स्थान विशिष्ट विशेष बल।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर:

1. बाघों के संरक्षण से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के समाधान के लिए बाघ रेंज देशों का एक मंच अर्थात विश्व बाघ मंच के सृजन के लिए कार्रवाई।

2. ट्रान्स बाउन्डरी व्यापार को नियंत्रित करना तथा बाघ संरक्षण में परस्पर सहयोग करना:

(1) चीन के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(2) महामहिम की नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(3) बंगलादेश के साथ बातचीत शुरू की गई है।

3. बाघ के अंगों और उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए साइटस के कई संकल्पों को भारत की पहल पर अपनाया गया है।

4. सहस्राब्दि बाघ घोषणा।

बिहार में दूरभाष केन्द्र

3168. श्री राजो सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक बिहार में जिले-वार कितने ग्रामीण दूरभाष केन्द्र स्थापित किए गए;

(ख) राज्य में विशेषकर शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय और जमुई जिलों में 1999-2000 के दौरान स्थान-वार कितने ग्रामीण दूरभाष केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्रों की स्थापना हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त दूरभाष केन्द्रों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या राजस्व में दूरभाष केन्द्रों के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) पूरे बिहार में पिछले तीन वर्षों में (31.3.99 तक) 99 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये थे (संलग्न विवरण में जिलावार सूचना दी गई है। वर्ष 1999-2000 के दौरान और 56 एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय तथा जमुई जिलों में निम्नलिखित जगहों पर एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है:

जिला	प्रस्तावित एक्सचेंज की सं.	जगह
शेखपुरा	1	शेखोपुरसराय
लखीसराय	3	तेतराहाट, हल्सी ओमिजई
बेगूसराय	2	शांभो डियारा और गर्हा
जमुई	1	महादेव सिमारिया

(ग) और (घ) जी, हां, नए एक्सचेंज खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और चालू वर्ष के लिए 56 नए एक्सचेंजों को खोलने की योजना बनाई गई है। इनके मार्च, 2000 तक स्थापित किये जाने की संभावना है।

(ङ) और (च) जी, हां, चालू वित्तीय वर्ष के लिए 2,13,000 लाइनों का नेट स्वीचिंग कैपसिटी एडीशन करने की योजना बनाई गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (31.3.1999 तक) के दौरान बिहार में खोले गए ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों के जिला-वार ब्यौरे

क्र.सं.	जिला	ग्रामीण एक्सचेंजों की सं.
1	2	3
1.	खगड़िया	3
2.	औरंगाबाद	1
3.	गुमला	4
4.	मधुबनी	4
5.	बेगुसराय	4
6.	पटना	4
7.	मुजफ्फरपुर	5
8.	वैशाली	5
9.	सीतामढ़ी	5
10.	गोपालगंज	2
11.	छपरा	4
12.	रांची	3
13.	लोहारदगा	2
14.	जहानाबाद	2
15.	पूर्वी चम्पारन	5
16.	पश्चिमी चंपारन	3
17.	भाबुआ	1
18.	साहिब गंज	1
19.	अररिया	3
20.	पूर्णियां	3
21.	कटिहार	3
22.	पलामू	2
23.	देवघर	1
24.	पूर्वी जमशेदपुर	1
25.	मुंगेर	3
26.	नवादा	2
27.	गया	2
28.	बांका	2

1	2	3
29.	भागलपुर	2
30.	धनबाद	1
31.	रोहतास	1
32.	दरभंगा	3
33.	पश्चिम सिंहभूम	1
34.	डुमका	1
35.	शेखपुरा	1
36.	सिवान	1
37.	भोजपुर	2
38.	पाकुर	1
39.	हजारीबाग	1
40.	किशनगंज	1
41.	लखीसराय	1
42.	जमुई	1
43.	माधेपुरा	1
	जोड़	99

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में कोंकण का विकास

3169. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कोंकण के तटीय क्षेत्रों के विकास के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह प्रस्ताव किस तारीख से केन्द्र सरकार के अनुमोदन/संस्वीकृति के लिए लंबित है;

(घ) क्या रायगढ़ जिले से संबंधित कोई योजना प्रस्तावों में शामिल की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो लंबित प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

''साईबर कैफे'' और ''साइबर ढ़ाबे'' खोलना

3170. श्री मोहन रावले: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्टरनेट के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि. का दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली में ''साइबर कैफे'' और ''साइबर ढ़ाबे'' खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) साइबर संचार केन्द्र खोलने के लिए पीसीओ प्रचालकों को प्रोत्साहित करने हेतु एमटीएनएल, दिल्ली फिनांशियल कार्पोरेशन के साथ सहयोग कर रहा है। एमटीएनएल

इस संबंध में दिल्ली सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। दिल्ली सरकार मौजूद पीसीओ प्रचालकों में से "साइबर ढाबा" प्रचालक चुनेगी। एमटीएनएल का एक नोडल अधिकारी इसमें समन्वय कर रहा है।

उद्योगों द्वारा रक्षित विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित किया जाना

3171. डा. चरणदास महंत: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योगों को अपनी विद्युत आपूर्ति में सुधार करने हेतु देश में रक्षित विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान इन संयंत्रों से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने कितनी विद्युत की खरीद की और इन्हें पृथकत: कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जी, हां। राज्य सरकारों से कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा एक ऐसे संस्थागत तंत्र का सृजन करने का अनुरोध किया गया है जिससे कैप्टिव विद्युत अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन) को शीघ्रता से स्वीकृति प्रदान करके, ग्रिड की अधिशेष विद्युत की खरीद हेतु विकासकर्त्ता को एक युक्तिसंगत टैरिफ प्रदान करके तथा अन्य औद्योगिक यूनिटों को विद्युत की प्रत्यक्ष बिक्री करने हेतु तीसरी पार्टी की पहुंच आदि के माध्यम से कैप्टिव विद्युत यूनिटों को विद्युत क्षेत्र में आसान प्रवेश की अनुमति मिल सके। विभिन्न रा.वि. बोर्डों द्वारा अनुमति प्राप्त कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की संख्या, उनसे खरीदी गई विद्युत की मात्रा तथा उनको भुगतान की गई धनराशि के संबंध में अलग-अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा-44 के अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्ड संयंत्रों की क्षमता का संबंध रखे बगैर विभिन्न उद्योगों द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना किए जाने हेतु सहमति प्रदान करते हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का परामर्श केवल उन मामलों में आवश्यक है जहां कैप्टिव विद्युत परियोजना की क्षमता 25 मे.वा. से अधिक है।

[अनुवाद]

सड़क का विस्तार

3172. श्री नेपाल चन्द्र दास: क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लोवरपोआ-रंगामाटी पी.डब्ल्यू.डी. सड़क, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 से शुरू होती है, को अपने हाथ में लेने और उसका बार्डर रोड टास्क फोर्स द्वारा मिजोरम के कनमन तक विस्तार करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रिहैबिलीटेशन प्लान्टेशन लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलीटेशन प्लान्टेशन लिमिटेड, पुनालूर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 918/99]

(2) (एक) रिपेट्रियेट्स कोआपरेटिव्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपेट्रियेट्स कोआपरेटिव्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 919/99]

(3) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिनांक 22 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 392 के अंतर्गत प्रकाशित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (युद्धक अर्द्ध चिकित्सीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1999 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 920/99]

[अनुवाद]

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 1999 जो 22 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 46(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 17 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 116(अ) में प्रकाशित हुए थे, उनका शुद्धि-पत्र।

(दो) भारतीय डाकघर (चौथा संशोधन) नियम, 1999 जो 13 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 345(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 921/99]

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1189(अ) जो 29 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान और हरियाणा राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 922/99]

(2) (एक) जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन एनवायरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन एनवायरनमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 923/99]

(3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 924/99]

(5) (एक) सलीम अली सेन्टर फार ओरनिथोलाजी एण्ड नेचरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेन्टर फार ओरनिथोलाजी एण्ड नेचरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 925/99]

(7) (एक) इंडियन काउंसिल आफ फोरेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजूकेशन, देहरादून के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ फोरेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजूकेशन, देहरादून के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 926/99]

(9) (एक) इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ फोरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेस्ट मेनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 927/99]

(11) (एक) सेन्टर फार एन्वायरनमेंट एजूकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार एन्वायरनमेंट एजूकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 928/99]

(12) (एक) सी.पी.आर. एन्वायरनमेंट एजूकेशन सेन्टर, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी.पी.आर. एन्वायरनमेंट एजूकेशन सेन्टर, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 929/99]

(13) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 350(अ) जो 18 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 18 मई, 1999 से दो वर्ष की अवधि के लिए ताज ट्रैपिजियम क्षेत्र प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 930/99]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): मैं श्रीमती जयवंती मेहता की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) नेशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 931/99]

(ख) (एक) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, न्यू शिमला के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, न्यू शिमला का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 932/99]

(ग) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 933/99]

(2) (एक) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 934/99]

(3) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट, फरीदाबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 935/99]

(4) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 936/99]

(5) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 56 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग सामान्य नियम, 1999 जो 15 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 813(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 937/99]

(6) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 35 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 938/99]

(7) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 939/99]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 24 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 135 (अ) जो 23 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश) विनियम, 1999 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 297(अ) जो 29 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 325(अ) जो 10 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर. पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 364(अ) जो 19 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्मुगाओ पत्तन कर्मचारी (अवकाश) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 623(अ) जो 6 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (एल.टी.सी.) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(छः) टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स (ट्रांजक्शन आफ विजनेस) विनियम, 1998 जो 13 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी-19011/1/98-टी.ए.एम.पी. में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अधिसूचना संख्या सी-19011/1/98-टी.ए.एम.पी. जो 4 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा टैरिफ अथारिटी फार मेजर पोर्ट्स (ट्रांजक्शन आफ बिजनेस) विनियम, 1998 की विनियम संख्या 3(एक) में संशोधन किया गया है।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (छह) और (सात) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 940/99]

(3) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1999 जो 18 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 214(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) मोटर यान (संशोधन) नियम, 1999 जो 1 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 399(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1999 जो 8 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 627(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1999 जो 5 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 684(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) उपर्युक्त मद संख्या (3) के (एक, दो और तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 941/99]

(5) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 33(अ) जो 14 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 जनवरी, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 29(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 520(अ) जो 14 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1998 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 688(अ) जो 8 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय मटोर यान (संशोधन) नियम, 1998 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) उपर्युक्त मद संख्या (5) के (एक और दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 942/99]

(7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 491(अ) जो 5 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 के एक भाग को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

(दो) का.आ. 581(अ) जो 10 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अहमदाबाद-मुम्बई में 261/2 किलोमीटर से 261/4 किलोमीटर के बीच समपार के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग के एक हिस्से अर्थात् चार लेन वाले सड़क ऊपरिपुल का प्रयोग करने के लिए मकैनिकल वाहनों पर उद्ग्रहणीय और प्रदत्त शुल्क की दरों को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 697(अ) जो 14 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर मुसी, पलेरू, गुन्डलकामा, मन्नेरू, मुडीगोंडा स्थित छः पुलों के इस्तेमाल के लिए मकैनिकल वाहनों पर उद्ग्रहणीय शुल्क को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 716(अ) और का.आ. 717(अ) जो 21 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोयम्बटूर बाईपास का इस्तेमाल करने वालों से वसूल की जानी वाली दरों को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 797(अ) दो 9 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव का कार्य सौंपे जाने के बारे में है।

(छः) का.आ. 847(अ) जो 22 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव का कार्य सौंपे जाने के बारे में हैं।

(सात) का.आ. 912(अ) जो 20 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय राजमार्गं के विकास और रखरखाव का कार्य सौंपे जाने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 978(अ) जो 19 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 जुलाई, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 581(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ. 979(अ) जो 19 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 जून, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 432(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ. 983(अ) जो 20 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हुबली-धारवाड़ बाईपास के लिए भूमि अर्जन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 990(अ) जो 24 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हुबली नदी पर द्वितीय विवेकानन्द पुल के लिए धारा 3घ के अंतर्गत भूमि अर्जन किए जाने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 7(अ) जो 6 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई है।

(तेरह) का.आ. 127(अ) जो 21 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हुब्ली-धारवाड़ बाईपास के लिए भूमि अर्जित किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 139(अ) जो 3 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जनवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 21(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पन्द्रह) का.आ. 282(अ) जो 23 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बिहार में हाल ही में घोषित नये राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपे जाने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 291(अ) जो 29 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा में हाल ही में घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपे जाने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 394(अ) जो 28 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो कि नये राष्ट्रीय राजमार्गों की सुपुर्दगी के बारे में है।

(अट्ठारह) का.आ. 489(अ) जो 24 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो कि हुबली-धारवाड़ बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 561(अ) जो 7 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के बारे में है।

(बीस) का.आ. 771(अ) जो 17 सितम्बर, 1999 के भात के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो राजमार्ग को घोषणा के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 767(अ) जो 15 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो हुब्ली-धारवाड़ बाईपास के लिए अधिग्रहीत भूमि की घोषणा के बारे में है।

(8) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एस.टी. 943/99]

(9) **कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):**

(क) (एक) **हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।**

(दो) **हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।**

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 944/99]

(ख) (एक) **शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।**

(दो) **शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।**

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 944.क/99]

(10) **दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1962 की धारा 23 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):**

(एक) अधिसूचना संख्या एफ.एओ/एकाउंट/93-94/271-292 जो 14 जुलाई, 1997 के दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक और परिवहन वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर की दर को बढ़ाया गया है और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ.ए.ओ./एकाउंट्स/93-94/391-413 जो 13 अगस्त, 1997 के दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के खंड (1) में वर्णित सभी मोटर वाहनों के संबंध में कर की दरों को 15 अगस्त, 1997 को बढ़ाया गया है जिससे मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए संसाधनों को जुटाया जा सके और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना संख्या एफ.एओ/एकाउंट्स/93-94/480-501 जो 12 सितम्बर, 1997 के दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के खंड (1) में वर्णित सभी मोटर वाहनों के संबंध में कर की दरों को 15 सितम्बर, 1997 को बढ़ाया गया है, जिससे योजना परिव्यय/व्यय के वित्त पोषण हेतु अतिरिक्त संसाधनों को जुटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 945/99]

(11) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 946/99]

(ख) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 947/99]

(12) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 948/99]

(13) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 949/99]

(14) (एक) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 950/99]

(15) (एक) मद्रास डॉक लेबर बोर्ड, के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास डॉक लेबर बोर्ड, के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 951/99]

(16) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 952/99]

(18) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखापरीक्षित लेखे)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 953/99]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. पुन्नुस्वामी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 954/99]

(ख) (एक) बोंगाइगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमीकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमीकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 955/99]

(ग) (एक) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 956/99]

(घ) (एक) गैस आथर्टी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गैस आथर्टी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 957/99]

(ङ) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 958/99]

(च) (एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, इरनाकुलम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, इरनाकुलम का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 959/99]

(छ) (एक) बीको लारी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीको लॉरी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 960/99]

(ज) (एक) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 961/99]

(झ) (एक) आयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 962/99]

(ञ) (एक) आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 963/99]

(2) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 964/99]

(3) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी 965/99]

(4) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत एचपीसीएल विशाख रिफाइनरी में हुए अग्निकांड की जांच के लिए न्यायमूर्ति एस.सी. जैन की अध्यक्षता में गठित आयोग की जांच के प्रतिवेदन (केवल हिन्दी संस्करण) की एक प्रति* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 966/99]

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

---

*जांच आयोग का प्रतिवेदन केवल (अंग्रेजी संस्करण) और प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 29.10.1999 को सभा पटल पर रखे गये।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 967/99]

(ख) (एक) टेलीकम्यूनिकेशन कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्यूनीकेशन कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 968/99]

(ग) (एक) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 969/99]

(घ) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय मे रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 970/99]

(ङ) (एक) एचटीएल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचटीएल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 971/99]

(2) एचटीएल लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 972/99]

(3) आईटीआई लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 973/99]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित व्यापार चिह्न विधेयक, 1999 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्री और संरक्षण) विधेयक, 1999 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे

राज्य सभा द्वारा 17 दिसम्बर 1999 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 1999 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1999 को पारित व्यापार चिह्न विधेयक, 1999 और माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्री और संरक्षण) विधेयक, 1999 की सभा पटल पर रखता हूं। महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 1999 को पारित प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 1999 को भी सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

महिला आरक्षण विधेयक

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के सरकार के इरादे का उल्लेख किया था। जब इस सभा में यह मुद्दा पिछले सप्ताह उठा था तो सरकार ने अपने इरादे को पुनः दोहराया था। इस सभा के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने से पहले हमारे पास केवल तीन दिन बचे हैं। इस विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। इस विधेयक पर चर्चा करके इसे पारित किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि वास्तव में सरकार का इरादा क्या है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगी कि क्या यह सभा सहस्राब्दी में प्रवेश से पहले इस विधेयक को पारित करना चाहती है। यह हमारी मांग है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, किसी भी कीमत पर महिला आरक्षण बिल इस रूप में सदन में लाने की जरूरत नहीं है। यह पूरा का पूरा डैमोक्रेसी पर हमला है। जिस तरह से यह बिल बनाया गया है उस रूप में इसको यहां पेश करने की जरूरत नहीं है। *...(व्यवधान)* समाजवादी पार्टी हमेशा इसका विरोध करती रही है। हम चाहेंगे कि इसको पेश नहीं करें। इसमें ओ.बी.सी. और मुसलमानों के आरक्षण का भी प्रावधान होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने हमेशा कहा है कि जब तक मुसलमानों, बैकवर्ड लोगों को इसमें आरक्षण नहीं दिया जायेगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : सबसे पहले रिकार्ड पर होना चाहिए, उसके बाद लाइये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस सभा में सरकार दो बार कह चुकी है कि वे सभा में इस विधेयक को पुर:स्थापित करने वाले हैं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सत्र में ही महिला आरक्षण विधेयक पुर:स्थापित करने की सरकार की अवधारणा को पुनः दोहराना चाहता हूं।

जहां तक विधेयक के पारित किये जाने का सम्बन्ध है यह लोक सभा के हाथों में है और यह सरकार के हाथ में नहीं है *...(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि विपक्ष के नेता को समझना चाहिए कि जहां तक विधेयक को पारित किये जाने का सम्बन्ध है तो यह इस माननीय सदन के हाथ में है न कि सरकार के हाथ में। हम तो इस विधेयक को पुर:स्थापित कर सकते हैं। इसे पारित करना सभा के ऊपर छोड़ दिया जाता है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. और कांग्रेस मिल गये हैं *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. और कांग्रेस एक हो रहे हैं ...*(व्यवधान)* ये दोनों एक हो गये हैं ...*(व्यवधान)* यह एक गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप भी बोल सकते हैं। पहले आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, उन्हें विधेयक तो पुरःस्थापित करने दीजिए। इस विधेयक को पारित करने के बारे में इस सदन को कोई निर्णय लेने दीजिए। उन्हें विधेयक के पारित होने के बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री इन्द्रजीत गुप्त बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आप कार्यवाही वृत्तांत के रिकार्ड को देखिए। पिछले शुक्रवार को माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इसके बारे में कहा था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने बोलने के लिए श्री इन्द्रजीत गुप्त को बुलाया है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): अध्यक्ष महोदय, जब तक पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं दिया जायेगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

अपराह्न 12.08 बजे

(इस समय श्री धर्म राज सिंह पटेल आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पटेल, कृपया अपने स्थान पर जाइए। बहुत हो गया।

अपराह्न 12.08$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय श्री धर्म राज सिंह पटेल अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि मैं गलत नहीं हूं तो पिछले शुक्रवार जब कई सदस्यों ने यही मुद्दा उठाया था तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि आने वाले सप्ताह में इसे पुरःस्थापित किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस, बी.जे.पी. और सी.पी.आई. सब लोग आपस में मिल गये हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.09 बजे

(इस समय श्री धर्म राज सिंह पटेल आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पटेल, कृपया आप अपने स्थान पर वापस जाइए। अब बहुत हो गया। यह क्या है?

अपराह्न 12.09$^1/_2$ **बजे**

(इस समय श्री धर्म राज सिंह पटेल अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, ये दोनों आपस में मिल गए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब पिछले सप्ताह कई माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया था तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने पिछले शुक्रवार यह बताया था कि इस विधेयक को अगामी सप्ताह में पुरःस्थापित किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल : आप हमारी सदस्यता ले लीजिए, हम अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार हैं ...*(व्यवधान)* आप हमारी सदस्यता खत्म कर दीजिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पटेल, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए अन्यथा मुझे आपके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया था कि सरकार इस विधेयक को लाने का पूरा इरादा रखती है। मैं समझता हूं कि कई सदस्यों को इस विधेयक के कई प्रावधानों पर कुछ आपत्ति है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, प्लीज आप अपने मैम्बर को कहें कि वे बैठ जाएं। यह ठीक नहीं है।

..*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब बहस होगी, तब इन तमाम सवालों को आप उठा सकते हैं और बोल सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप बोलिए दादा, आपको कौन रोक रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कैसे बोलूं? जब आप इतना चिल्ला रहे हैं, तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? ...*(व्यवधान)*

श्री धर्म राज सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, सदन में देश के 85 प्रतिशत लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने बताया था कि माननीय सदस्य देखेंगे कि इस सप्ताह की कार्यसूची में विधेयक को शामिल किया गया है। उन्होंने यह आश्वासन दिया था। मैं समझता हूं मुझे उसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैंने तो यही समझा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त के कथन के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, उन्होंने कहा था कि सदस्य इस सप्ताह की कार्यसूची में इस विधेयक को देखेंगे। लेकिन अब वे इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह सत्र समाप्त होने वाला है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास अभी तीन दिन और हैं। सभा की बैठक स्थगित होने से पहले हम इसे पुरःस्थापित करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, यह क्या है। आप अपनी पार्टी के मैम्बर को रोकिए। यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, फिर आपने मुझे नहीं बोलने दिया और लोगों को समय दे दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया समझिए। यह इस 'सभा के पिता तुल्य' हैं। यह अत्यन्त वरिष्ठ सदस्य हैं। इसीलिए मैंने उन्हें अवसर प्रदान किया है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि वे फादर आफ दि हाउस हैं, इसलिए उन्हें बोलने का समय दिया जाए, लेकिन हमें भी तो बोलने का समय दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण विरोधी नहीं है और न ही राष्ट्रीय जनता दल महिला आरक्षण विरोधी है। सवाल इतना ही है कि वर्तमान विधेयक जिस स्वरूप का है, उसके चलते हिन्दुस्तान के जनप्रतिनिधि और जनता का संबंध खत्म हो जाएगा। यदि यह आरक्षण रोटेशन के अनुसार लागू होता है, तो जनप्रतिनिधि और जनता का जो गहरा रिश्ता है, वह खत्म हो जाएगा.

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, यह कोई डिस्कशन नहीं है। जब इसके ऊपर बहस हो, तब इस प्रकार की दलीलें दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : सिंधिया जी, मैं आपसे कुछ कम नहीं हूं। आप जैसे बहुत लोगों को मैंने सुना है। मुझे आपसे सीखना नहीं है। आप कृपया मुझे बोलने दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बी.जे.पी. और कांग्रेस का सवाल है, हमने पहले ही कहा है, ये दोनों एक हैं और इसी कारण ये महिला आरक्षण लागू करके जो पिछड़े परिवारों, गरीब परिवारों, दलित परिवारों, मुस्लिम परिवारों के जो लोग हैं और जो इस देश के 90 प्रतिशत लोगों की आवाज है, जो आवाज यहां बुलन्द होती है, उन लोगों को इस महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से वंचित किए जाने का षड्यंत्र कांग्रेस और बी.जे.पी. का है। इन दोनों ने मिलकर देश को बर्बाद किया है और जो संसदीय जनतंत्र, लोकतंत्र बचा है, उसको भी ये समाप्त करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया था कि आम सहमति से यह विधेयक प्रस्तुत और पास होगा, लेकिन महोदय, आम सहमति नहीं बनाई गई है और इसको पेश करने का कार्यक्रम चल रहा है। मेरा विचार है कि इस पर आम सहमति ही नहीं, सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि जैसा प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया था कि आम सहमति से इसे पेश किया जाएगा, वह आम सहमति अभी तक नहीं बनी है, इसलिए जब आम सहमति हो जाए, तब इस बिल को लाया जाए। जो विधेयक यहां पेश किया जाए, वह संशोधन करके पेश किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, आप सभा के सम्मुख बिना किसी विधेयक के आप उसके गुणों पर चर्चा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अभी किसी विधेयक के गुणों की चर्चा किस प्रकार कर सकते हैं? जब सभा के सम्मुख विधेयक आता है तभी आप उस पर चर्चा कर सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, अगर सदस्यता लेंगे, तो हम सदस्यता भी दे देंगे, लेकिन इतनी बड़ी उपेक्षा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर बहुमत के बल पर इस तरीके से विधेयक पास किया जाएगा, तो वह लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। आपका बहुमत है इसलिए आप इसे यहां पास तो कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी आवाज उठा रहे हैं जिनका देश में बहुमत है। क्योंकि हम गरीबों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आवाज सुनी जाये। ...*(व्यवधान)* सरकार की तरफ से जो वायदा किया गया है, उसके मुताबिक आम सहमति जब हो जाये, उसके बाद ही यह बिल पेश किया जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पूरे विधेयक पर किस प्रकार चर्चा कर सकते हैं? यह विधेयक सभा के सम्मुख आया भी नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष की नेता ने कुछ मामला उठाया है इसीलिए मैंने मंत्री महोदय को बुलाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा के सम्मुख कोई विधेयक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया इसे समझिए।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से पूछ रहा हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भी वही बात पूछ रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : कल विधेयक पुर:स्थापित करने में क्या समस्या है? सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि *...(व्यवधान)* विधेयक पुर:स्थापित किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)* हम बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं *...(व्यवधान)* एन.डी.ए. ने इस देश को आश्वासन दिया है। टी.डी.पी. ने भी इस देश को आश्वासन दिया है। इसलिए कल या परसों इसे पुर:स्थापित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को कुछ कहना है?

श्री प्रमोद महाजन : नहीं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि विपक्ष के नेता ने इस मामले को उठाया था, मैंने मंत्री महोदय से उत्तर देने के लिए कहा था और उन्होंने उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर, क्या सरकार को कुछ कहना है?

श्री प्रमोद महाजन : मैं सैकड़ों बार कह चुका हूं कि हम इसे इसी सत्र में पुर:स्थापित करेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे पहले ही कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं; वे इसी सत्र में विधेयक पुर:स्थापित करने वाले हैं। अब श्री टी. गोविंदन बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री टी. गोविंदन जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया इस बात को समझिए कि क्योंकि विपक्ष के नेता ने इस मुद्दे को उठाया था, मैंने सरकार से उत्तर देने के लिए कहा था। वे पहले ही कह चुके हैं कि वे इसी सत्र में विधेयक को पुर:स्थापित करने के प्रति गम्भीर हैं। कृपया इस बात को समझिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया, मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता।

अब श्री टी. गोविंदन।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ 'आज' या 'कल' के बारे में निर्णय कैसे कर सकते हैं? सरकार इसके बारे में पहले ही कह चुकी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, ये सदन का ध्यान डायवर्ट कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए हमारे पक्ष को नहीं रखने दे रहे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी. गोविंदन (कासरगौड़): महोदय, मैं सरकार और माननीय भूतल परिवहन मंत्री जी का ध्यान केरल सरकार के उस अनुरोध पर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने पर्यटन संबंधी कार्य-योजना के अंतर्गत सघन विकास के लिए विर्निदिष्ट सर्किटों की सूची में तीसरे यात्रा सर्किट को सम्मिलित करने का आग्रह किया है।

यह सर्किट केरल के उत्तरी भाग अर्थात् मेंगलोर-बेकल-कप्पड और कोझीकोड वयथीरी-सुलतान बैटरी-मैसूर में स्थित है जिसकी सघन पर्यटन विकास के लिए महती संभावना है।

समाचार-पत्रों से पता चलता है कि नवम्बर 1996 में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री ने घोषणा की थी कि यह सर्किट केरल के लिए स्वीकृत किया गया है। इस क्षेत्र के समग्र विकास, जिससे कि पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगी, को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से केरल के लिए तीसरे यात्रा सर्किट को मान्यता प्रदान करने संबंधी औपचारिक आदेशों को शीघ्र जारी करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, ये सदन का ध्यान डायवर्ट कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए हमारे पक्ष को नहीं रखने दे रहे। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हम 50 फीसदी आरक्षण के पक्ष में हैं। लेकिन 50 फीसदी आरक्षण में बैकवर्ड महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं, माइनौरिटीज महिलाओं का भी हिस्सा होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* सरकार के बार-बार ऐलान किया है कि कन्सैन्सस के आधार पर काम करेंगे। ...*(व्यवधान)* यह वचन भंग नहीं होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात समझिए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू): अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर में प्रति वर्ष पचास-साठ लाख के करीब लोग वैष्णो देवी और अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। ...*(व्यवधान)* इसके अलावा वहां पचास लाख के लगभग जम्मू कश्मीर के निवासी और सुरक्षा बल, जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंधिया, उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : लोग त्योहारों में हरिद्वार जाने की ख्वाइश रखते हैं। ...*(व्यवधान)* चाहे पूर्णमासी हो, अमावस्या हो या कोई और त्यौहार हो, सब लोग हरिद्वार जाना चाहते हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन तमाम लोगों को सहूलियत मुहैया कराने के लिए जम्मू से सीधे एक रेलगाड़ी हरिद्वार तक चलानी चाहिए, ...*(व्यवधान)* जालंधर से जम्मू तक सिंगल रेल लाइन है, यह डबल ट्रेक होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, माननीय मंत्री महोदय को 'हां' या 'ना' कहने दीजिए। कांग्रेस आप सहमति का समर्थन करेगी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : जम्मू से ऊधमपुर तक की रेल लाइन 18 साल से पड़ी हुई है। ...*(व्यवधान)* लेकिन 18 साल

से आज तक चालीस किलोमीटर लाइन भी तैयार नहीं हो पाई है। ...*(व्यवधान)* सरकार इस काम को जल्दी करे और ऊधमपुर रेलवे लाइन को बनाने की कोशिश करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को कुछ कहना है।

श्री प्रमोद महाजन : जी नहीं, महोदय।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पी.डी.एस. की ओर खींचना चाहते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को पी.डी.एस. प्रणाली में लाल कार्ड के तहत 10 किलो अनाज आधी कीमत पर देने की बहुत महत्वपूर्ण योजना सरकार ने चलाई है, जो गरीबों के हित की योजना है। परन्तु एक परिवार के लिए 10 किलो अनाज का कोई मतलब नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.22 बजे

(इस समय श्रीमती सोनिया गांधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री नवल किशोर राय : मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि 10 किलो अनाज के टारगेट को बढ़ाकर 30 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मुहैया कराने की व्यवस्था की जाये। बिहार सर्वाधिक गरीब राज्य है। वहां 56 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। लेकिन बिहार सरकार लाल कार्ड बनाने में भेदभाव कर रही है और जिनके पास लाल कार्ड है, उनको भी अनाज नहीं मिला। जिनका लाल कार्ड बनना चाहिए, उनका नहीं बनाया गया है। ...*(व्यवधान)* बिहार, बंगाल और उड़ीसा को टारगैटेड पी.डी.एस. में स्पेशल कैटेगिरी में लेकर बिहार के संबंध में भारत सरकार सीधे सभी गरीबों को लाल कार्ड उपलब्ध कराये और 10 किलो अनाज को बढ़ाकर 30 किलो अनाज कराए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, हम सरकार के दृष्टिकोण की भर्त्सना करते हैं। सरकार देश की जनता से किए गए वायदे को पूरा करने में असफल रही है। इसलिए हम विरोध में बहिर्गमन करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.23 बजे

(इस समय श्री पी.एच. पांडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने महिला आरक्षण विधेयक पर कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए हम भी विरोध में बहिर्गमन करते हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.24 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र मोहनलालगंज के विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एक रसूलपुर बगिया गांव है। वहां के गांववासी कुछ लोगों के आतंक से पीड़ित हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात समझिए। आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। मैं आप सभी को एक साथ अवसर कैसे प्रदान कर सकता हूं। आपने सूचना नहीं दी है और सभा की कार्यवाही में व्यवधान कर रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): महोदय, मुझे खेद है कि मैं कुछ विलम्ब से पहुंचा हूं, मैं विपक्ष के नेता के द्वारा किए गए वक्तव्य को नहीं सुन पाया था। इस मुद्दे को सभा में कई बार उठाया गया है और यह मुद्दा पूर्ववर्ती सभाओं में भी उठता रहा है। कुछ मित्रों ने आपत्तियां की हैं और वे आपत्तियां काफी हद तक वैध भी हैं।

मुझे याद है कुछ समय पहले तक, श्री शरद यादव, जोकि इस समय मंत्री हैं, इस विधेयक के विरुद्ध बोलने वाले सबसे ज्यादा मुखर वक्ता थे। इसे श्री लालू प्रसाद यादव और श्री मुलायम सिंह यादव ने भी उठाया था। उन्होंने क्या कहा और मेरे मित्र, सभा में हंगामा खड़ा करने वाले व्यक्ति ने कहा, 'इसमें आशंका है' और वास्तविक आशंका यह है कि यदि इस

विधेयक को पारित करते हैं तो लोक सभा का स्वरूप ही बदल जाएगा। इसी कारण सरकार ने कई बार कहा है कि वह आम-सहमति बनाने का प्रयास करेगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तो मैं नहीं जानता कि इस मुद्दे पर सभा में और ज्यादा विभाजन पैदा करने की आवश्यकता क्या है?

अन्य दूसरे मामले भी हैं। मेरे मित्र विधि मंत्री महोदय के समक्ष कई समस्याएं होंगी जिनका कि समाधान निकाला जाना है। हमें पहले आम सहमति बनाने का प्रयास करना होगा और इसके बाद विधेयक लाया जाना चाहिए। अन्यथा, और अधिक विभाजन होगा, सभा में और अधिक अव्यवस्था फैलेगी ...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, हमें विधेयक को इसके मूल स्वरूप में ही पारित कर देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, महोदय।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग इरादों की बात करते हैं। परन्तु राजनीति में इरादे मायने नहीं रखते हैं, परिणामों का महत्व होता है। यदि इस विधेयक को पारित किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा? हममें कुछ दूरदर्शिता होनी चाहिए। हमें तत्काल इसमें से चुनावों में कुछ प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यह विचार हमारा प्रेरक नहीं होना चाहिए। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि हमें ऐसे समय, जब भविष्य में देश के समक्ष कई कठिनाइयां हैं, सभा को न केवल संख्या की दृष्टि से अपितु मानसिक और बौद्धिक रूप से विभाजित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

मुझे खेद है--मेरे मित्र संसदीय कार्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं—मैं नहीं जानता, हममें से किसी को भी सूचना दिए बगैर जब विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री सी.टी.बी.टी. के बारे में बात करते हैं तो उनके इरादे क्या होते हैं। हमारा महत्व नहीं है, मैं जानता हूं, परन्तु देश का भविष्य महत्वपूर्ण है और यह आरक्षण के मुद्दे से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस विषय पर चर्चा हो चुकी है।

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज): धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत एक विधान सभा क्षेत्र हसनगंज है। उसके अन्दर एक गांव रसूलपुर बगिया है, उसके पास ही एक दूसरा गांव बारादेव है। वहां के कुछ लोग, जिन्होंने अपने जीवन के काफी लम्बे वर्ष मर्डर केस में जेल में गुजारे हैं, अब आने के बाद गांव के लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं। वसूली के नाम पर लोगों को उनके लिए पीटना आम बात है। शिकायत करने पर जब पुलिस वहां गई तो पुलिस वालों को भी गांव वालों के सामने मुर्गा बनाकर उन्होंने माफी मंगवायी। इतना जुल्म और अत्याचार वे गांव वालों के ऊपर कर रहे हैं कि लोगों का वहां रहना दूभर हो गया है।

मैं सदन से मांग करती हूं कि उस गांव के लोगों को संरक्षण दिया जाये और उन लोगों को जुल्म और अत्याचार से मुक्ति दिलाई जाये।

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, मैं भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा गठित कार्य बल समिति के बारे में एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं।

महोदय, भारतीय उद्योग परिसंघ ने सरकार से तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया को बंद करने की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट ने आम जनता, बैंकों से ऋण लेने वालों और विशेष रूप से जमाकर्ताओं में भय और अनिश्चितता का वातावरण पैदा किया है। इस वातावरण में इस रिपोर्ट का प्रभाव सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों पर पड़ेगा।

महोदय, बेनकाब होने और बैंक ऋणों के चूककर्ताओं की सूची को सार्वजनिक किए जाने के भय से अब भारतीय उद्योग परिसंघ इस रिपोर्ट से मुकर गया है और उसने प्रेस में कहा है कि वह सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को वापस ले रहा है।

महोदय, अब तीर तरकश से निकल गया है। बैंक कर्मचारी संघों द्वारा बेनकाब किए जाने के भय से अब भारतीय उद्योग परिसंघ ने रिपोर्ट को वापस लिया है। इस सारे प्रकरण में कुछ

[श्री टी.एम. सेल्वागनपति]

छिपा है। कार्य बल में कुछ निगमित क्षेत्र के उद्योगपति हैं इसके दो प्रमुख सदस्यों श्री राहुल बजाज और श्री भरत राम ने इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्रमश: 500 करोड़ रुपये और 350 करोड़ रुपये देने हैं। बेनकाब होने के भय से उन्होंने इन तीनों राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिसमापन की सिफारिश की है।

महोदय, यह एक गंभीर मुद्दा है। इन बैंकों को बंद करने की सिफारिश करने वाले ये कौन होते है? उन्होंने न केवल इन तीन बैंकों को बंद करने अपितु उनका परिसमापन करने की भी सिफारिश की है।

महोदय, मैं इस बात पर बल देता हूं कि सरकार चूककर्ताओं के चंगुल में फंसी हुई है। मैं चाहता हूं कि सरकार चूककर्ताओं की सूची प्रकाशित करे। सत्य यह है कि निगमित क्षेत्र के इन सभी लोगों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को 45000 करोड़ रुपये देने हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है।

हम उदारीकरण, वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं राष्ट्र के बढ़ते हुए राजस्व ...*(व्यवधान)* ये लोग इसकी आड़ ले रहे हैं। महोदय यह गंभीर मुद्दा है। सरकार उनका बचाव कर रही है। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। सरकार इन उद्योगपतियों के साथ बांसुरी बजा रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को कुछ कहना है?

...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदय, वे छोटी-छोटी राशि के लिए गरीब किसानों को तंग कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब डा. धनी राम शाडिल्य बोलेंगे।

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य (शिमला): महोदय, इस सभा में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ डा. धनीराम शांडिल्य कह रहे हैं उसके सिवाए कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने सरकार से भी कहा है। सरकार उत्तर नहीं दे रही है। मैं सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सेल्वागनपति, कृपया बैठ जाइए। आपने पांच मिनट से अधिक समय ले लिया है। अन्य सदस्य भी महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहते हैं। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह तो हद हो गई है। अन्य सदस्य भी अपने मामले उठाना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम वर्मा : महोदय, मैं एक बात उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* कृपया बैठ जाइए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सरकार को उत्तर देने के लिए कहा है। मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस बारे में कुछ कहना चाहती है?

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, एक सशक्त मुद्दा उठाया गया है। हमें कुछ आश्वासन मिलना चाहिए। उन्होंने यह बात उठाई है कि उन्होंने इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के 800 करोड़ रुपए देने है और वे चाहते हैं कि इन बैंकों को बंद किया जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण मामला नहीं है। उदारीकरण के नाम पर आप आर्थिक अपराध नहीं कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्य ने जो कहा वह सही है—

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुझे विश्वास है कि उन्होंने सही कहा है—तो सरकार चुप नहीं बैठ सकती है। सरकार को वक्तव्य देना चाहिए कि ये तथ्य सही हैं या नहीं। अन्यथा हम सभी यह समझेंगे कि सरकार न केवल कर्तव्य पालन में लापरवाही की दोषी है अपितु वह आर्थिक अपराधों को भी छिपा रही है *...(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): आप भरत राम का बचाव क्यों कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): यह भरत राम कौन है? *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया बैठ जाइए। अब मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। आपने एक बात उठाई है और जब सरकार उत्तर दे रही है तो आप सरकार को उत्तर देने नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं श्री भरत राम को नहीं जानता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सेल्वागनपति ने जो कुछ कहा आप सभी अपने को उससे सहबद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): श्री सेल्वागनपति द्वारा उठाए गए मामले के साथ स्वयं को सहबद्ध करते हुए मैं सरकार से चूककर्ताओं विशेषरूप से इंडियन बैंक के चूककर्ताओं की सूची को सभा पटल पर रखने की मांग करता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक गम्भीर मामला उठाया है। संसदीय कार्य मंत्री के नाते शून्य-काल में उठाए गए मुद्दों पर तुरन्त प्रतिक्रिया देने में मेरी भी अपनी कठिनाइयां हैं। *...(व्यवधान)* अगर आप और बोलना चाहते हैं, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। शून्य-काल में मुझे कोई पूर्व सूचना नहीं होती है और मैं हर विषय का ज्ञाता नहीं हूं। आप किस भरत राम की बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन : हर दिन मंत्री अखबार पढ़ रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : शुक्र है भगवान का कि आप सभा की अध्यक्ष नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मैं श्री चन्द्रशेखर जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार कोई बात छिपाना नहीं चाहती है और न किसी प्रकार का अपहार करने का इरादा है। जो भी मुद्दा उठा है, मैं उसको वित्त मंत्री जी की नजर में आज ही तुरन्त लाऊंगा और अगर वे चाहें, तो आकर वक्तव्य दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : इस बात को सभा नोट करे। संबंधित मंत्री सूचना लेकर वापस आएं।

अध्यक्ष महोदय : इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : करोड़ों रुपये निकाले गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सेल्वागनपति कृपया बैठ जाइए।

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य : महोदय, मैं इस सभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह मुद्दा भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर

[कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य]

प्रदेश के पर्वतीय भाग और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र सुविधाओं का उन्नयन करने के बारे में है। हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं न्याय नहीं कर रही हैं। मैं शिमला का उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। ये भू-सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हमारे सिर पर परमाणु खतरे की तलवार लटक रही है। यदि हमारे सिर पर ऐसा खतरा लटक रहा हो तो हमारे पास इन पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कुशल प्रणाली होनी चाहिए और मेरे विचार से वर्तमान में वास्तव में ऐसी कुशल प्रणाली नहीं है क्योंकि शिमला में शहर से पांच-छह कि.मी. की दूरी पर कुछ नहीं दिखाई देता है। यही बात हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लागू होती है। सूचना और प्रसारण मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि ये सभी भू-सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की गम्भीर बिजली की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों से राजस्थान में बिजली की समस्या व्याप्त है। गांव-गांव में किसान धरने पर बैठे हैं। तहसील स्तर पर किसानों ने धरना दिया है। खासतौर से जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र में, जहां से मैं चुनकर आया हूं, वहां पर सरकार जानबूझकर किसानों को बिजली की सप्लाई नहीं कर रही है। इसलिए किसानों ने हर तहसील के हैडक्वार्टर पर धरना देना शुरू कर दिया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या पर शीघ्र ध्यान दे।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन : मैंने निजीकरण और विराष्ट्रीयकरण के बारे में सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): मेरी सूचना एक क्षेत्रीय मामले के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने जो सवाल उठा रहा हूं, वह इस देश के गरीब किसान, मजदूर, जो भूखे-नंगे हैं, उनसे संबंधित है। आज सरकार और सरकार के मंत्रियों की जो चापलूसी करे और उनकी मेहरबानी हो जाए, तो कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम नहीं और कोई धन लगाने की जरूरत नहीं है, वह खरबपति बन सकता है। यह इससे सिद्ध हो रहा है, एस.आर. कम्पनी जिस पर वित्तीय संस्थाओं का दस हजार करोड़ रुपए का कर्जा है, उसने ब्याज तो दूर मूलधन भी नहीं दिया है, उसके विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। एस.आर. स्टील कम्पनी पर वित्तीय संस्थानों का 2006 करोड़ रुपये का कर्ज 30 सितम्बर तक है। अभी तक न ब्याज दिया और न ही मूलधन दिया। अब सरकार 455 करोड़ रुपए और दे रही है, जब कि 325 करोड़ रुपया केवल ब्याज का है। कम्पनी के मालिक शशि रूईया और रवि रूईया हैं। ये अप्रवासी भारतीय बन गए हैं, इसकी व्यक्तिगत गारंटी पर इन्हें कर्ज दिया जा रहा है। जब वे अप्रवासी भारतीय बन गए हैं तो उनकी व्यक्तिगत गारंटी का कोई मूल्य नहीं है। सरकार की ऐसा क्या मजबूरी है जो इन्हें कर्ज दे रही है। हमारे जो गरीब या मध्यम वर्ग के उद्योग हैं उनको कोई मदद नहीं की जा रही है। गरीब किसानों के लिए दूसरा कानून है और एस.आर. कम्पनी के लिए दूसरा कानून है। अगर रुग्ण इकाइयां उन्हें दे दी जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन केवल एस.आर. कम्पनी को मदद दी जा रही है, जब कि उन्होंने न पिछला मूलधन दिया है, न ब्याज दिया है और न ही किश्त दी है। हम चाहते हैं कि सरकार और वित्त मंत्री जी सदन को स्पष्ट करें और बताएं कि जो हमारे करोड़ों गरीब हैं उनके पेट पर लात मार कर इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। अगर यह प्रवृत्ति बन गई कि देश के अंदर सरकारी पैसे, वित्तीय संस्थाओं के पैसे को लेकर खरबपति बनेंगे और सरकार उन्हें और कर्जा देगी तो गरीब किसान तहसील में 300 रुपए पर बंद किया जाता है और एस.आर. कंपनी 10,000 करोड़ रुपए की कर्जदार है, सरकार इस पर कार्यवाही करने की बजाए 455 करोड़ रुपए और दे रही है। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या मजबूरी है? ...*(व्यवधान)* महोदय, यह गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अन्य लोगों ने भी नोटिस दिए हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारी मांग है कि वित्त मंत्री जी बयान दें और सदन में स्पष्ट करें, क्योंकि गरीब की गाढ़ी कमाई पर लात मार कर पूरी लूट का मौका दिया जा रहा है। अगर इस तरह की प्रवृत्ति देश में बनी तो इस देश का

गरीब बर्बाद होगा और सरकारी पैसे से ही कुछ मुट्ठीभर लोग खरबपति बनेंगे। इसलिए हम वित्त मंत्री जी और सदन से कहेंगे कि ऐसे सवालों पर मौन नहीं रहना चाहिए। यहां कई नेता बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हम जो बोले हैं उस पर आप अपनी राय जाहिर करें और इसका विरोध करें।

हम चाहते हैं कि सरकार सदन में स्पष्ट करे कि उसके सामने कौन सी मजबूरी है, उन्हें कौन मजबूर कर रहा है? उस कम्पनी पर इतनी मेहरबानी क्यों है? 10,000 करोड़ रुपए की जो कर्जदार है, उसे कर्जा चुकाने के लिए सरकार और कर्ज दे रही है। हमारा यह कहना है कि सरकार सदन में स्पष्ट करे और अगर नहीं करेगी तो जो कुछ मोहन गुरुस्वामी जी ने कहा था, वह सच साबित हो रहा है। इसलिए इस पर सदन को मौन नहीं रहना चाहिए, वह सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के हों, क्योंकि यह देश के गरीबों की गाढ़ी कमाई के खून-पसीने का पैसा है और इससे कुछ लोगों को खरबपति बनाया जा रहा है, जिनकी गारन्टी का कोई मतलब नहीं है उनकी गारंटी पर दिया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी या संसदीय कार्य मंत्री जी सदन को स्थिति से अवगत कराएं।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, मैंने पूर्वाह्न 8.30 बजे नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितला।

...*(व्यवधान)*

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैंने नौ बजे के लगभग भी एक अत्यावश्यक मामला उठाने के लिए नोटिस दिया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है? मैं सभी के नाम पुकार रहा हूं। कृपया समझने की कोशिश करिए।

...*(व्यवधान)*

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैंने लगभग नौ बजे नोटिस दिया था। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित एक अत्यावश्यक मामला उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह अति हो गई है। यह अध्यक्षपीठ की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसका नाम पुकारें।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): अध्यक्ष महोदय, 2.9 मिलियन भारतीय खाड़ी देशों में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। खाड़ी देशों में काम कर रहे लोगों की सामान्य दशा बहुत खराब है और इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वह अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे (1) रोजगार करार का स्थानापन्न; (2) वेतन की अदायगी न होना; (3) समय से पहले सेवा समाप्त करना; (4) रहन-सहन की सही स्थितियां न होना; और (5) बुरा व्यवहार विशेषकर कि घरेलू नौकरानियों के साथ। केरल के सदस्य बार-बार विदेश मंत्रालय के समक्ष यह मुद्दा उठा चुके हैं कि वे खाड़ी देशों में कार्य कर रहे लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक विशेष एकक स्थापित करें लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं किया गया। यह कहा गया था कि खाड़ी देशों में दूतावासों को हम इन कर्मचारियों की समस्याओं को निपटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं लेकिन दुर्भाग्यवश, व्यावहारिक अनुभव से यह देखा गया है कि दूतावास कठिनाईयों में पड़े लोगों की समस्याओं को सुलझाने में अधिक रुचि नहीं ले रहे हैं। कुवैत युद्ध में काफी लोगों को दुखों का सामना करना पड़ा और युद्ध के बाद भारत सरकार ने एक कुवैत प्रकोष्ठों बनाया था। इस प्रकोष्ठों को प्रतिपूर्ति और अन्य चीजों के लिए अनेक आवेदन-पत्र भेजे गए थे। वह सभी प्रकोष्ठ में लंबित पड़े हुए हैं। अतः मैं माननीय विदेश मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे खाड़ी देशों में कार्य कर रहे भारतीयों की समस्याओं को सुलझाने के लिए विदेश मंत्रालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनायें। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को खाड़ी देशों से वापस आ रहे लोगों के पुनर्वास के लिए तत्काल कुछ उपाय करने चाहिए। महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि खाड़ी देशों में कार्य करने वाले लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ उपाय तत्काल किए जायें।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैंने नोटिस भी दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया सबसे पहले इस बात को समझिए कि सभा में किस तरह का व्यवहार करना

[अध्यक्ष महोदय]

चाहिए। केवल तभी आप यह मामला उठा सकते हैं। यह क्या है? क्या आप अध्यक्षपीठ को अनुमति देने के लिए मजबूर कर रहे हैं?

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैंने नौ बजे के लगभग नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा के कार्य-संचालन को समझिए।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, मैं जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या जानते हैं? कृपया पहले कार्य प्रक्रिया को समझिए।

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय, क्या मैं बोलना आरम्भ करूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री का ध्यान रेलवे वैगनों की कमी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र नासिक प्याज के लिए मशहूर है और वहां प्याज की बड़ी मार्किट है। मैं महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूं। हमारे किसान ट्रकों द्वारा जो प्याज कलकत्ता भेजते थे वे डीजल के दाम बढ़ने से अब नहीं भेज पा रहे हैं और रेल के वैगन से भेजना उनकी लाचारी है। लेकिन उनको वैगन न मिलने से भारी कठिनाई हो रही है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा रेलवे वैगन नासिक रोड रेलवे स्टेशन में उपलब्ध कराये।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। भारत सरकार ने अभी तक पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत केरल में केवल पर्यटन के लिए निर्धारित दो यात्रा मार्गों को मान्यता प्रदान की है। केरल के मौंगलोर-बाकेल-कापड़-कोझिकोड-व्याथीरि-सुल्तान बैटरी-मैसूर के तीसरे यात्रा मार्ग को अभी मान्यता दी जानी है जिससे केरल निश्चय ही पड़ोसी राज्य कर्नाटक से जुड़ जाएगा और इससे पर्यटन के विकास के साथ-साथ केरल के उत्तरी हिस्से में सामान्य विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

वर्ष 1996 में तत्कालीन माननीय पर्यटन मंत्री ने लंदन में विश्व पर्यटक बाजार के दौरान विशेष रूप से इस यात्रा मार्ग की घोषणा की थी कि यह मार्ग राष्ट्रीय योजना में तीसरा यात्रा मार्ग होगा। लेकिन, अब तक इस संबंध में हमें कोई औपचारिक संदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस कार्य योजना में इस यात्रा मार्ग को शीघ्र से शीघ्र तीसरे मार्ग के रूप में मंजूरी दे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकार रहा हूं। कृपया समझिए। अब श्री प्रकाश अम्बेडकर बोलेंगे।

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर (अकोला): महोदय, दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में माननीय प्रधानमंत्री तथा सामाजिक कल्याण मंत्री ने सरकार द्वारा जारी पांच सरकारी ज्ञापनों जो कि मूल आरक्षण नीति के विरुद्ध जाते हैं, से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा करने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी। माननीय प्रधानमंत्री ने उस बैठक में यह आश्वासन दिया था कि इस सत्र के दौरान संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा अथवा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी आरक्षण नीति को सुरक्षित रखने के लिए एक विधान बनाया जाएगा।

अपराह्न 12.52 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

महोदय, सत्र के समाप्त होने में केवल चार दिन रह गए हैं और अभी तक सरकार उन पांच सरकारी ज्ञापनों को वापस लेने के लिए आगे नहीं आ रही है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के संघ ने इस महीने की 13 तारीख को एक मोर्चा निकाला था। उस मोर्चे में न केवल लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया बल्कि बिना किसी कारण के गोलियां भी छोड़ी गईं।

क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि उन्होंने दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में हुई बैठक में वचन दिया था? क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से

जान सकता हूं कि क्या इस महीने की 23 तारीख से पहले विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जिन लोगों ने नोटिस दिए हैं, उन सभी को बोलने का अवसर दिया जाएगा। मैं सूची के अनुसार चल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बारी का इन्तजार करें।

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, मैंने पूर्वाह्न 8.30 बजे नोटिस दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, मैंने डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को बोलने का अवसर दिया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, मुसलमानों में ऐसी 43 जातियां हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर दलित हैं। इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना चाहिए। बंजारा, बक्खो, भाट, भांड, भटियारा, भिश्ती, चिक, चूड़ीहारा, डफाली, धुनिया, दर्जी, फकीर, गूजर, जुलाहा, कलाल और कलन्दर आदि जातियों की हालत दलितों से भी खराब है लकिन इनके नाम आरक्षण सूची में नहीं हैं। मैं मांग करता हूं कि संविधान की धारा 341 के अन्तर्गत दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों का भी नाम आरक्षण सूची में शामिल करना चाहिए। उन्हें आरक्षण का लाभ राजनीतिक और सरकारी सेवाओं में मिलना चाहिए तभी सोशल जस्टिस सही साबित होगा।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू ने जो कहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : राजो सिंह जी, आपने एसोसिएट किया, आपका पाइंट हो गया।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, मैंने पूर्वाह्न 8.30 बजे नोटिस दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, मैं आपका नाम पुकारूंगा लेकिन कृपया धैर्य रखिए। श्री राधाकृष्णन अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने उन्हें बुलाया है और बाद में मैं आपको बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल में केन्द्रीय सरकार का ध्यान ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, मुझे एक बात कहनी है। 'शून्य काल' महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए है लेकिन इसे '377 के अधीन मामलों' को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो सिस्टम है, जो 10 बजे से पहले नोटिस देंगे, उनको मौका दिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : यदि उन्होंने नोटिस दिया है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं? आप सभा की राय जान सकते हैं। 'शून्य काल' महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए होता है। कृपया इस संबंध में सभा की राय जान लें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पायलट, आप कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ इस मामले पर चर्चा करें।

श्री राजेश पायलट : महोदय, सभा कार्य-मंत्रणा समिति से श्रेष्ठ है।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, ये सारा समय खा जाते हैं। शून्य काल के लिये नोटिस दिया जाता है, उसके माध्यम से आपके समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : कृपया आप सभी की राय को जानिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): उपाध्यक्ष महोदय, हम इसके लिये सुबह 8 बजे नोटिस देने आते हैं।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : कृपया आप सभा की राय को जानिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पायलट, यह इस सभा की कार्य पद्धति रही है।

श्री राजेश पायलट : लेकिन हम इसे बदलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पूरा करने दीजिए। शून्य काल के दौरान उठाए गए मामले अधिकतर निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दे होते हैं। अत: हमें इसे कारगर बनाना होगा।

श्री राजेश पायलट : यह सभा कार्यमंत्रणा समिति से ऊपर है। इसलिए कृपया आप सभा की राय को जानिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप, मुझे माननीय अध्यक्ष द्वारा अन्तिम रूप दी गई सूची के अनुसार चलना होगा। सभी दलों के नेताओं को शून्य काल के दौरान कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए बैठक करनी होगी।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजेश जी कह रहे हैं, उस पर डिस्कशन भी हो सकती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोयल, कृपया कार्य सूची के अनुसार चलने दीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उत्तर प्रदेश के जलेसर जिला से चुनकर आया हूं जहां बहने वाली तीन नदियां—ईसन, सिरसा और आरिद द्वारा बाढ़ के कारण हजारों हैक्टेयर जमीन की खरीफ की फसल बरबाद हो गई है। किसान रबी की फसल बो नहीं पा रहे हैं। पूरे सम्पर्क मार्ग समाप्त हो गये हैं। एटा और फिरोजाबाद जिलों में बहने वाली इन नदियों से एटा जिले के निधौली, महरारा, जलेसर, अबागढ़ ब्लाक और फिरोजाबाद जिले के टुंडला, व नारखी ब्लाक के किसान पूरी तरह से बरबाद हो गये हैं। ये नदियां इतनी उथली हो गई हैं कि आम दिनों में जब पानी नहीं हो और अगर वहां से गुजरे तो समझ ही नहीं सकते कि यह नदी है जबकि बरसात के दिनों में यह कहर ढाती है। हालांकि देश के मानचित्र में ये बड़ी नदियां नहीं हैं लेकिन मेरे क्षेत्र के हजारों गांवों के किसानों को बुरी तरह से बरबाद कर दिया है। पिछले तीन साल में खरीफ और रबी की एक फसल भी नहीं हुई है। एक साल भी ऐसा नहीं गया जब बाढ़ न आयी हो। इससे किसान बुरी तरह से बरबाद हो रहे हैं। मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि राष्ट्रीय जल आयोग या केन्द्रीय नदी आयोग द्वारा या जो भी संबंधित आयोग हो, इन उथली नदियों की खुदाई करवाई जाये। नदियों की खुदाई करने से जल भराव नहीं होगा। इससे किसान बरबाद होने से बच जायेंगे। जिला योजना के तहत सरकार के पास पैसा नहीं जो इन नदियों की खुदाई करवा सके। मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि इन उथली नदियों की खुदाई के लिये धन का आबंटन किया जाये ताकि मेरे क्षेत्र के किसान बरबाद होने से बच सकें।

[अनुवाद]

श्री पी. कुमारासामी (पलानी): महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पलानी से सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं जो नगर पालिका शहर है और दक्षिण का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह लार्ड मुरगम मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है। तीर्थयात्रियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण वहां शहर में हर जगह कूड़ा के बड़े ढेर लग जाते हैं और प्राधिकारी इस कूड़े को साफ करने में असमर्थ हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

महोदय, यह पता चला है कि चैन्नई में बायो गैस से विद्युत पैदा करने का परीक्षण सफल हुआ है। मुझे समाचार

रिपोर्ट से भी पता चला है कि अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश में विद्युत संयंत्र लगाने की योजना बना रहा है, जिससे 1500 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। पलानी ऐसे विद्युत संयंत्र को लगाने के लिए उपयुक्त स्थान होगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह पलानी में ऐसा विद्युत संयंत्र स्थापित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतिश सेनगुप्ता।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय मैंने भी सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपको उन लोगों से पहले बोलने का मौका नहीं मिलेगा जिनके नाम यहां सूची में दिये हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, आप हमेशा व्यवधान डालते हैं।

[हिन्दी]

श्री नागमणि (चतरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : पॉइंट ऑफ ऑर्डर जीरो ऑवर में नहीं होता है।

श्री नागमणि : आप सुनिये तो सही। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए सूचना दी है। आप उस पर विचार नहीं कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* आप उन लोगों के नाम पुकार रहे हैं ...*(व्यवधान)* आप किस प्रक्रिया का अनुपालन कर रहे है ...*(व्यवधान)* मैं सरकार से किस प्रकार पूछ सकता हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पायलट, यह यहां की कार्यपद्धति है जिसे सभी दलों के नेताओं की सहमति से अपनाया जा रहा है। यदि आप इसे दुरुस्त करना चाहते हैं तो इसे कीजिए। अब यह सूची पहले से ही तैयार की जा चुकी है और मुझे उसके अनुसार चलना है।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : मैं इस व्यवस्था को किस प्रकार दुरुस्त कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह कार्य मंत्रणा समिति में कीजिए।

श्री राजेश पायलट : किस प्रकार? ...*(व्यवधान)* महोदय, यह सभा कार्य मंत्रणा समिति से श्रेष्ठ है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : हम भी महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूची पहले ही तैयार की जा चुकी है। मैं इसका उल्लंघन नहीं कर सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, कार्यमंत्रणा समिति इस सभा से श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नागमणि : हुजूर, हमारी बात तो सुनिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पायलट, बार-बार आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नागमणि, हर चीज की हद होती है? क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

[हिन्दी]

श्री नागमणि : हमारी बात कब सुनेंगे आप?

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या नये मेम्बर हैं?

श्री नागमणि : हम नये मेम्बर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको नियम का पालन करना होगा। रघुवंश जी, आप चीफ व्हिप हैं, आप उनको समझाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिहार असेम्बली नहीं है, भारत की लोक सभा है।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये राज्य सभा के पुराने सदस्य हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री नागमणि : हम बिहार का अपमान नहीं सह सकते हैं। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात तभी सुनेंगे, जब आप बैठेंगे। आप क्या चेयर को थ्रेटेन कर रहे हैं?

मैंने श्री नितिश सेनगुप्ता को बोलने का अवसर दिया है।

श्री नागमणि : हमारी बात तो सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : जिनको मैंने बुलाया है वही बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यहां का कोई नियम है। आदमी को फ्लोर दिया है तो उनको सुनाने के बाद ही दूसरे आदमी को बोलने का मौका दिया जाता है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंगारप्पा, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

श्री नागमणि : मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं मैं जानता हूं और इसलिए आप सदन के अंदर हैं। आपको नियम का पालन करना होगा। मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट का यह काम नहीं हैं कि आप जब चाहे उठकर बात करेंगे।

कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आप चेयर के साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री नागमणि : क्यों? हमारे साथ अन्याय होगा तो हम करेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री नागमणि : उपाध्यक्ष महोदय, हम आठ दिन से लगातार जीरो ऑवर में नोटिस दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मालूम है कि इसके लिए नियम पालन करना होगा।

श्री नागमणि : सर, फिर हमारी बात भी माननी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई नियम नहीं पढ़ा है, क्या आप नियम पालन नहीं करेंगे?

श्री नागमणि : सर, हम आपका सम्मान करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सम्मान करते हैं; इसलिए आप बैठिये।

श्री नागमणि : लेकिन वहां नये मेम्बर के साथ अन्याय हो रहा है ...*(व्यवधान)* हर बात में सीनियर लोग बोलते हैं। यह नये सदस्यों के साथ अन्याय हो रहा है और हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)* हर बात में सीनियर लोग बोलते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे नोटिस मिला है, सीरियल लिस्ट में आपका नाम उसी प्रकार लिस्ट किया हुआ है। जब आपका नाम आयेगा तो मैं बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य असुधार्य बाधक लगते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बरार (फरीदकोट): उपाध्यक्ष महोदय, सही मायनों में हमारे मैम्बर्स की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया है, हम नहीं चाहते हैं कि जो कुछ आपने चेयर से ऑबजर्वेशन दी है, जो लोग नोटिस देते हैं, उन्हें मौका मिले, बस हम इतना ही चाहते हैं। हम आपका समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्य महोदय से कहा हूं कि वे बैठ जाएं। यह नए सदस्य हैं। इन्हें नियमों की जाकारी होनी चाहिए। नियम कहते हैं कि सूचनाएं समयानुसार प्राप्त होती हैं सचिवालय क्रमांक नम्बर देता है। मैं सूची के अनुसार चल रहा हूं। डा. नीतिश सेनगुप्ता खड़े हैं। जब माननीय सदस्य का नम्बर आएगा उन्हें अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बरार : सभी सदस्य चाहते हैं कि जिस किसी सदस्य ने सूचना दी है उसे अवसर दिया जाना चाहिए। जिसने नोटिस दिया है, उसे चान्स मिला है, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सारे नोटिसेज ऑर्डर में नहीं होते हैं। यह स्टेट सब्जैक्ट है, हम नहीं बुला सकते ...*(व्यवधान)*

श्री नागमणि : उपाध्यक्ष महोदय, हम आठ दिन से लगातार नोटिस दे रहे हैं। यह केन्द्र का मामला है, चतरा में 17 तरह के खनिज पदार्थों का कारखाना खोलने की बात हो रही है, क्या यह स्टेट का मामला है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके बिहेवियर को बहुत सीरियसली नोट करूंगा।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सर, 15 दिन से नोटिस देने के बावजूद भी हमारा नाम नहीं आया है।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान राजनीतिक दल जो पश्चिम बंगाल में सत्ता पक्ष में है के कई कार्यालयों में अचानक बम्ब धमाकों द्वारा उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है और पुलिस पिछले 15 दिनों में एफ.आई.आर. में दर्ज किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में असमर्थ रही। ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, यह राज्य से सम्बन्धित मामला है। इस मामले को इस सभा में नहीं उठाया जा सकता है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : हमने बिहार में नक्सल समस्या पर चर्चा की है। हम इस पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते? ऐसे मुद्दों को हम यह कहते हुए अनसुना क्यों कर देते हैं कि यह राज्य के मुद्दे हैं?

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, कृपया आप निदेश दीजिए कि राज्य के मामले इस सभा में नहीं उठाए जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, वास्तव में पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में यह अलिखित नियम है कि कोई थाना एफ.आई.आर. तब तक दर्ज नहीं करेगा जब तक यह साम्यवादी दल की स्थानीय इकाई के सचिव द्वारा अनुमोदित न हों।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : सर, आठ दिन से हम नोटिस दे रहे हैं, लेकिन हमारा नम्बर नहीं आया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इतनी इंटरप्शंस हो गई हैं, टाइम बरबाद हो गया है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए ताज ट्रैपीजियम जोन बनी। फिरोजाबाद और आगरा में कोयले से जो भट्ठियां चलती थी, उन्हें बंद कर दिया गया। उनके विकल्प के तौर पर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया कि कोयले के स्थान पर इन भट्टियों को गैस से चलाया जायेगा। वहां सैकड़ों की संख्या में भट्टियां थी। सिर्फ 30-32 भट्टियों को ही गैस की आपूर्ति वहां हो सकी है, शेष भट्टियों को गैस की आपूर्ति नहीं हुई है और उसका परिणाम यह हुआ है कि फिरोजाबाद, जो कांच के उद्योग के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उसकी तमाम इकाईयां बंद पड़ी हैं।

[श्री रामजीलाल सुमन]

उपाध्यक्ष महोदय, हजारों मजदूर बेकार हैं और वहां स्थिति अत्यधिक भयावह हो रही है जहां एक ओर मजदूर बेकार बैठे हैं वहां दूसरी ओर 15-20 लाख रुपए प्रति माह की राजस्व की हानि सरकार को हो रही है। जो टैक्नीकल एक्सपर्ट्स हैं, वे इस काम को विभिन्न प्रकार से उलझाने का काम कर रहे हैं उनमें से एक कारण वे यह बताते हैं कि रेलवे लाइन के नीचे से गैस की लाइन नहीं जा सकती, जबकि वास्तविकता यह है कि बाम्बे हाई से फिरोजाबाद तक 15-20 स्थानों पर गैस लाइन रेलवे लाइन के नीचे से ही निकाली गई है, लेकिन फिरोजाबाद में ऐसा करने में अडंगा लगाया जा रहा है। महोदय, यह अत्यधिक गम्भीर मामला है। यदि गैस की सप्लाई नहीं दी गई, तो फिरोजाबाद चौपट हो जाएगा। वहां के लोगों की रोजी-रोटी कमाने का एकमात्र साधन कांच का उद्योग है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रामजी लाल सुमन जी, आप सरकार से क्या चाहते हैं, वह बताईए?

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों ने गैस अथोरिटी आफ इंडिया और सरकार से मिलकर गुहार की है कि उनके साथ इंसाफ हो। मैं चाहता हूं कि फिरोजाबाद में गैस पाइप लाइन से गैस सप्लाई की जाए ताकि वहां का उद्योग नष्ट होने से बच सके और गैस आपूर्ति का काम सरकार प्राथमिकता पर करे ताकि उद्योगों को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

श्री जे.एस. बरार : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपकी बात से बिलकुल मुत्तफिक हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, तो लिस्ट में आपका नाम होने पर भी मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री जे.एस. बरार : मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके जरिए सरकार का ध्यान एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं और वह बात माइक्रोस्कोपिक सिख मायनारिटी से ताल्लुक रखती है। हमारी लीडर आफ दि अपोजीशन की तरफ से आज से एक वर्ष पहले 300 वर्ष पूरे होने और खालसा पंथ का 300 साला शताब्दी दिवस समारोह के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा था और उस पर अमल करते हुए 300 साला खालसा दिवस मनाया गया। महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि खालसा पंथ साहब का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में जोशीमठ से 10 किलोमीटर आगे जाकर हेमकुंड साहब नामक स्थान है। इस समय श्री भुवन चंद्र खंडूडी जी, सदन में नहीं हैं, वे उस स्थान को अच्छी तरह से जानते हैं। वहां जाने के लिए 13 किलोमीटर का जो रास्ता है वह बहुत खराब है और इतना कठिन है कि जो भी लोग वहां दर्शनों के लिए जाते हैं वे अक्सर बीमार होकर लौटते हैं। हेमकुंड साहब तीर्थ इतना पवित्र स्थान है कि वहां पर सारे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन वहां जाने का रास्ता अत्यन्त दुर्गम होने के कारण तीर्थयात्रियों को भारी कष्ट झेलने पड़ते हैं और कई बार तो ऐसे सीवियर एक्सीडेंट हुए हैं जिनसे तीर्थ यात्रियों की मृत्यु तक हो गई है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर बराड़, आप सरकार से क्या चाहते हैं, वह बताइए?

श्री जे.एस. बरार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए विनती करना चाहता हूं कि गोविन्द सागर घाट से लेकर हेमकुंड साहब तक जो 23 किलोमीटर का रास्ता है, उसे 300 साला खालसा पन्थ के इस शुभ अवसर पर पक्का कर दिया जाए, तो मोयक्रोस्कोपिक सिख मायनारिटी कम्युनिटी का बहुत बड़ा मसला हल होगा और एक बहुत बड़ा विश्वास बनेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एम. चिन्नासामी बोलेंगे।

मैं समझता हूं वह उपस्थित नहीं हैं। इसके पश्चात् श्री वरकला राधाकृष्णन बोलेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): धन्यवाद, महोदय, आखिरकार आपने मुझे मौका तो दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब आप कुछ नहीं कहना चाहते?

श्री वरकला राधाकृष्णन : जी हां महोदय, मैं कहना चाहता हूं। पहले मैंने वह टिप्पणी की क्योंकि न्याय न मिलने के कारण वह बहुत आवश्यक थी।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन संक्षेप में बोलिएगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : जी हां, महोदय, मैं संक्षेप में बोलूंगा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं।

श्री एम. चिन्नासामी (करूर): महोदय, मैं भी उपस्थित हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम दो बार पुकारा। किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। माननीय सदस्यों, सभा में व्यवस्था बनाए रखें। मैंने उनका नाम पुकारा किंतु वे नहीं सुन सके। किंतु अब वे खड़े हो गए हैं।

श्री एम. चिन्नासामी आप अपना मामला उठाएं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : तो मैं फिलहाल बैठ जाऊं?

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आप बैठिए। श्री एम. चिन्नासामी के बाद आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं। माननीय सदस्यों, कृपया ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनें।

श्री एम. चिन्नासामी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर उन गन्ना उत्पादकों की दयनीय दशा के बारे में उल्लेख करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो तमिलनाडु में निजी चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति करते हैं। तमिलनाडु की 33 चीनी मिलों में से 15 निजी क्षेत्र में हैं।

केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1999-2000 के लिए प्रति टन गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 561 रुपये घोषित किया है तथा इसे 8.5 प्रतिशत वसूली से संबद्ध किया है। महोदय, तमिलनाडु सरकार ने अभी एस.ए.पी. की घोषणा नहीं की है।

हरियाणा सरकार चालू वर्ष के लिए 1100 रुपये प्रति टन के एस.ए.पी. की घोषणा पहले ही कर चुकी है।

तमिलनाडु में निजी चीनी मिलें राज्य सरकार की एस.ए.पी. नियत करने की शक्ति को चुनौती दे रही है। गन्ना नियंत्रण अधिनियम, 1966 में प्रावधान है कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने की आपूर्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। किंतु इस अधिनियम के इस प्रावधान के उल्लंघन के कारण लगभग तीन लाख गन्ना उत्पादक प्रभावित होते हैं।

तमिलनाडु के गन्ना उत्पादकों को बचाने के लिए मैं केन्द्र से निम्नलिखित निवेदन करता हूं:

(1) सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि कर 1000 रुपए किया जाए क्योंकि यह हरियाणा द्वारा दिए जा रहे एस.ए.पी. के आधे के बराबर है;

(2) केन्द्र सरकार को तमिलनाडु के चीनी मिल मालिकों को सांविधिक न्यूनतम मूल्य और एस.ए.पी. दोनों स्वीकार करने और गन्ना उत्पादकों को तुरंत भुगतान करने के बारे में चेतावनी देनी चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन मैं भारत सरकार का ध्यान खाड़ी देशों में कार्यरत केरल के कामगारों से संबंधित मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन भारत में अपनी किस्म का चौथा विमानपत्तन है। इस विमानपत्तन से केरल के हजारों लोग खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाते हैं। हाल में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस विमानपत्तन की उपेक्षा की है और उसने यात्रा कर रहे यात्रियों को कोई सुविधा नहीं दी है। हालांकि इस विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया है किंतु इस विमानपत्तन का स्तर स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से काफी नीचे है। इसके अलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस विमानपत्तन का स्तर गिराने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। कल खाड़ी देशों से लौटे कुछ यात्रियों ने मुझसे शिकायत की कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उन्हें अनेक परेशानियों में डाला और इस विमानपत्तन की इरादतन उपेक्षा करने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विमानपत्तन के उन्नयन के लिए तत्काल कदम उठाए और त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए क्योंकि यह राजस्व अर्जित करने वाला विमानपत्तन है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): उपाध्यक्ष महोदय, एन.डी.ए. की सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि हम प्रति वर्ष एक करोड़ नवयुवकों को रोजगार दिलायेंगे लेकिन भारत सरकार लाटरी के ऊपर बैन लगा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि लाटरी ट्रेड के बिजनेस में एक करोड़ से अधिक लोग लगे हुए हैं। वे लाटरी का बिजनेस करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : वह तो जुआ है और आप जुए को सपोर्ट कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव : आप हमें अपनी बात को कहने दीजिए। *...(व्यवधान)* पांच करोड़ लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है। *...(व्यवधान)* यह जो लाटरी का ट्रेड है, इसकी अनुमति हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची सूची-1, प्रविष्टि 40 में पहले ही दी गई है। मेरी एक ही विनती है कि पांच करोड़ लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है। *...(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : स्मगलिंग में भी काफी लोग लगे हुए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव : मैं कहना चाहता हूं कि लाटरी के ट्रेड को बंद नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से सरकार को यही विनती करना चाहता हूं कि यह कोई जुआ नहीं है। ...*(व्यवधान)* यह बिजनेस है और इसको बंद नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक गंभीर विषय काशी हिन्दु विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं की ओर सरकार का व सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इस समय कानून का कोई राज्य नहीं रह गया है। मैं दूसरा बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं कि वहां इस वर्ष अभी तक एक भी शोध छात्र का एडमिशन नहीं हुआ है जबकि देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 'जय विज्ञान' का नारा दिया है। दूसरी ओर हमारे कुलपति के द्वारा विश्वविद्यालय के अंदर शोध का कार्य बंद कर दिया गया है।

जहां ये सारी अनियमितताएं हैं, वहां विश्वविद्यालय के धन को केवल मात्र मुकदमेबाजी में खर्च किया जा रहा है। जब विश्वविद्यालय किसी विषय पर हाई कोर्ट से हार जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट तक भेजना और सुप्रीम कोर्ट से हार जाने के पश्चात् भी उस आदेश का पालन न करना विश्वविद्यालय के लिए आम बात हो गई है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बताइए कि क्या करना है। बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी में इररैगुलैरिटीज हैं। भारत सरकार द्वारा उसे कैसे निपटाया जाए, आप यह पूछिए।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : भवन के रखरखाव के लिए आठ करोड़ रुपया दिया गया है, उसमें भी घोटाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि संसद के तीन या पांच सदस्यों की संसदीय समिति का गठन कर विश्वविद्यालय के अंदर हो रही अनियमितताओं की जांच कराने और जांच के बाद कार्यवाही करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, युवक कार्यक्रम और खेल विभाग ने 11 दिसम्बर 1999 से 'वंदे मातरम' कार्यक्रम शुरू किया है जिसका स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिन 12 जनवरी, 2000 को समापन होगा।

'वंदे मातरम' के रचियता बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय हैं। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस अवसर पर कविगुरु रबीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती शांति निकेतन में एक 'लाइट एंड साउंड रिकार्ड सिस्टम' शुरू किया जाए ताकि नई सहस्त्राब्दि में कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय की रिकार्ड की गई आवाजें सुनी जा सकें।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि युवक कार्यक्रम और खेल विभाग की पहल पर कलकत्ता शहर के भव्य विक्टोरिया हाल में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और स्वामी विवेकानन्द, जिनके जन्मदिन 12 जनवरी को इस कार्यक्रम का समापन होगा। जिसे प्रसिद्ध अन्य व्यक्तियों की आवाजें 'लाइट एंड साउंड प्रोग्राम' के रूप में सुनी जा सकती है।

मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह इन कार्यक्रमों और स्वीकृत प्रस्तावों के बारे में सभा को अवगत कराए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अगर पहले आराम से बैठे जाते तो आपका नम्बर आ जाता।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आपका भी इसी तरह नम्बर है तो आएगा।

श्री नागमणि: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र चतरा की एक अति महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। हाल में भारत सरकार ने चतरा में फील्ड फायरिंग रेंज बनाने का प्रस्ताव किया है जिसमें चतरा, हंटरगंज और बाराचटी प्रखंड के 518 गांव आते हैं। बिहार में 17 तरह के खनिज पदार्थ हैं। वहां आज तक एक भी खनिज पदार्थ का कारखाना नहीं खोला गया है और भारत सरकार फील्ड फायरिंग रेंज बना रही है। यदि वहां खनिज पदार्थ का कारखाना बनाया जाए तो लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां फील्ड फायरिंग रेंज बनाने का कोई औचित्य नहीं है। हमने चतरा में पचास हजार लोगों के बीच कहा है। अगर इसके बावजूद चतरा में फील्ड फायरिंग रेंज बनाने की कोशिश की गई तो हम संसद में आत्मदाह करेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पूरे देश के पैमाने पर नक्सल आंदोलन चल रहा है। लेकिन जिन कारणों से लोग नक्सलाइट बन रहे हैं, इन कारणों को अनदेखा किया जा रहा है। शिक्षित नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया जाता। यदि वहां खनिज पदार्थ का कारखाना नहीं खोलेंगे तो लोग नक्सलाइट नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मि. नागमणि, इस तरह से आप उनको न सुनें।

श्री नागमणिः वे बीच में क्यों टोकते हैं, ये बोलने वाले कौन हैं?

उपाध्यक्ष महोदयः आप सीनियर मैम्बर हैं। इस तरह से उनको इण्टरप्ट किया जा सकता है?

श्री नागमणिः क्या सीनियर मैम्बर के नाम पर इस तरह से चलेगा? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हम 8-10 दिन से लगातार जीरो ऑवर में नोटिस दे रहे हैं, लेकिन हर बात में सीनियर लोग खड़े हो जाते हैं। हम नये लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, कुछ लिमिटेड लोग हैं, जो खड़े हो जाएंगे, लगता है कि पूरे देश के ठेकेदार ये लोग बन गये हैं। अगर आप हम लोगों की बात नहीं मानेंगे तो हम लोग यहां यूनियन बना लेंगे और यूनियन के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि मैं इस सभा में बोलने के लिए अति आतुर हूं किंतु यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है अतः मैं पिछले पांच दिनों से बोलने का प्रयास कर रही हूँ जिससे मैं इस मामले को इस सम्माननीय सभा के ध्यान में ला सकूं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद में पिछले चार दिनों से लगातार गोलीबारी हो रही है और नक्सलवादियों की कार्यवाही में कई लोग मारे गए हैं आपने इस बारे में अखबारों में अवश्य पढ़ा होगा। औरंगाबाद में पीडब्ल्यूजी की गतिविधियां पूरे जोरों से चल रही हैं। रेलवे स्टेशन को जलाया गया और कानून और व्यवस्था की स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मैं इस बात को सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूँ ताकि वह औरंगाबाद, जहानाबाद और चतरा की स्थिति पर ध्यान दे। इस बारे में मेरे सहयोगी ने भी अभी कहा है मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह वहां पर आवश्यक पुलिस कार्यवाही करे।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी, कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यहां बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

[हिन्दी]

मैं एक गंभीर मुद्दे के बारे में भारत सरकार की दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूं। वह मुद्दा है कि हिन्दुस्तान के ज्यादातर लोग कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन आज भगवान कृष्ण के ससुर, सास, साले, सालियों की भाषा, जो बोडो भाषा है, उस बोडो भाषा की दुरावस्था की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज तक हिन्दुस्तान की टोटल 18 लैंग्वेजेज को, संविधान की अष्टम अनुसूची में अंतर्विष्ट किया गया है। लेकिन हमारी इतनी समृद्धशाली बोडो भाषा को आज तक भी, स्वराज मिलने के 52 साल बीत जाने के बाद भी भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में अंतर्विष्ट नहीं किया गया है। इससे हमारे बोडो लोगों को बहुत तकलीफ है। भारत सरकार को तुरन्त इस भाषा को भी भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में अंतर्विष्ट करना चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान की जितनी भाषाओं को एड्थ शैड्यूल में अंतर्विष्ट किया गया है, उनमें एक भी ट्राइबल भाषा को आज तक अन्तर्विष्ट नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारीः मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार बोडो भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अविलम्ब कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मालेगांव तहसील जिला नासिक महाराष्ट्र में 25 वर्ष पहले भारत सरकार ने एक पेयजल योजना बनाई थी। वाजपेयी साहब ने उसका उद्घाटन किया था। पहले वहां की आबादी 50 हजार थी, लेकिन अब वहां की आबादी एक लाख हो गई है। वहां पानी की बहुत कठिनाई है, इसलिए भारत सरकार से आपके माध्यम से विनती है कि इसकी क्षमता को दुगना कर दिया जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, 25 तारीख को क्रिसमस आ रहा है। मुझे इन्फोर्मेशन मिली है कि गुजरात के डांग जिले में हिन्दू जागरण मंच नाम का एक संगठन है, इस संगठन के द्वारा वहां को क्रिश्चियन कम्युनिटी को धमकी देने का प्रयत्न हो रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्रिसमस क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्रमुख त्यौहार है। हमारे देश में सैकुलरिज्म है। अगर हिन्दू धर्म का कोई त्यौहार आता है तो दूसरे धर्म के लोगों को उनको कोआपरेट करना चाहिए और अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी का यह त्यौहार आ गया है तो क्रिसमस में सभी हिन्दू लोगों को भी सम्मिलित होने की आवश्यकता है। अगर कोई उनको धमकी देने का प्रयत्न करता है, कोई लॉ एण्ड आर्डर की समस्या निर्माण करने का प्रयत्न करता है तो केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि हमारे क्रिश्चियन समाज के लोगों को सुरक्षा देने के बारे में क्या राय है? यहां लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्रिसमस पर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को सुरक्षा देने वाले हैं या नहीं? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यहां सरकार बैठी है तो इनको मुझे जवाब देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तिरुनावकरसू (पुडुक्कोट्टई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री और केन्द्र सरकार का ध्यान स्टेशन मास्टरों की प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दी है मैं उनकी कुछ मांगों का उल्लेख करना चाहता हूँ जैसे न्यूनतम वेतनमान में संशोधन, चाकलोंव संरक्षकों के समान "रनिंग भत्ता", 11.8.97 को श्रमिक संघ कार्यकलापों के लिए लगाए गए दंड को समाप्त करना। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे लम्बित हैं। उन्होंने हड़ताल पर जाने की सूचना दी है। यदि वे हड़ताल पर गए तो इससे आम जनता को बहुत परेशानियां होंगी।

अत: मेरा केन्द्र सरकार और विशेष रूप में माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे संघ को बैठक के लिए बुलाए और इस मुद्दे का समाधान करें।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): उपाध्यक्ष महोदय, विदेशी कानूनी फर्में भारत में आ रही हैं और वे इन्टरनेट पर विज्ञापन भी दे रही हैं। दिल्ली बार एसोसिएशन ने भारत की सभी कानूनी फर्मों को सूचना जारी की है कि वे इन्टरनेट पर अपने नाम का उल्लेख न करें। उन्होंने आंदोलन चलाने की घोषणा की है। कल से दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के वकील एक नीति बनाने कि क्या विदेशी कानूनी फर्मों को भी भारत में भारतीय फर्मों के समान कार्य करने दिया जाएगा और इन्टरनेट और अन्य पुस्तिकाओं में कानूनी फर्मों के सूचीबद्ध होने के बारे में सरकार को नीति बनाने के लिए बाध्य करने के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: उपाध्यक्ष जी, बोफोर्स तोप दलाली कांड में जिन लोगों ने दलाली ली, उस संबंध में तीसरी इंस्टालमेंट कल रात को अपने देश आ गई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल, चूंकि यह मामला न्यायालय के समक्ष लम्बित है अत: मैंने श्री किरीट सोमैया को भी इस विषय को उठाने की अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: मैं दूसरा इश्यू रख रहा हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इसके अलावा और भी कागजात बाहर से आने हैं?

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह मामला कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, 'दि इकॉनोमिक टाइम्स, दि हिन्दू', 'दि बिजीनेस टाइम्स' और अन्य प्रमुख अखबारों में खबर छपी है कि आईसीआईसीआई व इसके चेयरमैन ने वित्त मंत्रालय को कुछ बैंकों के अधिग्रहण व परिसमापन के बारे में ज्ञापन दिया है।

---

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह उन ऋणी व चूककर्ताओं के नामों की सूची जारी करें जिन पर इंडियन बैंक के करोड़ों रुपये देय हैं। इन्होंने इंडियन बैंक के 1500 करोड़ रुपये देने हैं। इसमें मोटी रकम के रूप में ऋण लेने वाले भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के एक सदस्य ने पहले ही इस मामले को उठा दिया है।

श्री पी.एच. पांडियन: मैंने इंडियन बैंक के संबंध में नोटिस दिया था जबकि सदस्य अन्य बैंक के बारे में बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी हो, वे बातें बैंक के संबंध में ही कर रहे हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: हम अपने टिप्पणी को एकत्र करते हैं। इंडियन बैंक में कई ऐसे धन लूटने वाले और उधार लेने वाले हैं जिन्होंने उधार लिया और उसे वापस नहीं दिया। एक सज्जन का उधार तो 200 करोड़ से भी अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं केन्द्र सरकार क्या करे?

श्री पी.एच. पांडियन: मैं चिल्ला-चिल्ला कर थक गया हूं। मैं सुबह से ही प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा आज उपवास है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब आपके साथ न्याय कर पाऊंगा। कृपया पूछिए आप सरकार से क्या चाहते हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: सरकार में कोई भी उपस्थित नहीं है। कहाँ है सरकार? प्रधान मंत्री का स्थान खाली है। गृह मंत्री का स्थान खाली है। लगभग सभी स्थान खाली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: इस मामले में, आप क्यों कुछ पूछना चाहते हैं?

श्री पी.एच. पांडियन: हमें सरकार के अस्तित्व का आभास नहीं होता। सरकार तत्काल यह कहेगी कि हम जल्दी ही सूची जारी करेंगे। संसद को यह अधिकार है कि वे उधार लेने वालों के बारे में जाने। संसद का यह विशेषाधिकार है कि, वे यह जाने कि कौन उधार लेने वाले हैं। गरीब लोग जो पंक्तियों में खड़े होकर मुफ्त में चावल और धोती पाते हैं उनका भंडाफोड़ होता है। मैं चाहता हूँ उन सभी खून चूसने वाले परजीवियों का सार्वजनिक रूप से भंडाफोड़ किया जाए जिन्हें जनता देखे। इसके बदले वे बेंज कारों में घूमते हैं। इन व्यक्तियों का भंडाफोड़ होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे?

श्री पी.एच. पांडियन: कहाँ है सरकार? मैं तो शून्य में बातें कर रहा हूँ। कानून मंत्री यहाँ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या वे सरकार का अंग नहीं हैं?

श्री पी.एच. पांडियन: वे वकील हैं। मैं उनसे मंत्री के तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं सरकार क्या करे?

श्री पी.एच. पांडियन: उच्चतम न्यायालय में, न्यायाधीश वर्मा को उधार लेने वालों की काली सूची दी गई थी। उसे भी जारी नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, आप तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष थे। यह 'शून्य काल' है। आपने तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले को जोरदार ढंग से उठाया है लेकिन आप भाषण दे रहे हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यह सभी समाचार-पत्रों में आया था। सरकार निजीकरण और अन्य मामले में खामोश है।

उपाध्यक्ष महोदय: अगर आपको कुछ नहीं पूछना तो, मैं सभा स्थापित करता हूँ।

श्री पी.एच. पांडियन: अगर सरकार उत्तर देना चाहे, वह दे सकती है। इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, चाहे वे सर्वोच्च न्यायालय के मामले में उठाए गए हों अथवा सदन में चर्चा के बाद उठाए गए हों? संसद को यह जानने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.40 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.45 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.45 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री **बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्रीमती वसुंधरा राजे केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करेंगी।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): महोदय, इस विधेयक पर एक संवैधानिक मुद्दा है।

सभापति महोदय: पहले मंत्री जी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिए।

श्री पी.एच. पांडियन: इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है। उसने इस पर तीन निर्णय दिए हैं।

सभापति महोदय: श्री पांडियन, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

श्री पी.एच. पांडियन: मैंने माननीय अध्यक्ष को सुबह ही बताया था।

सभापति महोदय: लेकिन नियम है कि, अगर आपको विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध करना है तो, आपको 10 बजे से पहले नोटिस देना होगा। आपने ऐसा नहीं किया है।

श्री पी.एच. पांडियन: यह संसद की सर्वोच्चता के लिए है; किसी अन्य के लिए नहीं।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पी.एच. पांडियन: सर्वोच्च न्यायालय ने हवाला मामले में यह कहा था कि इसे शीघ्र किया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, अगर आपने उन्हें अनुमति नहीं दी तो, यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह अजीब है।

श्री पी.एच. पांडियन: मैंने विधेयक का विरोध नहीं किया है। मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। मैं संसद की सर्वोच्चता को कायम रखना चाहता हूँ।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, श्री पांडियन। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): जबकि मैं विधेयक की पुरःस्थापना का समर्थन करता हूँ। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री को यह सूचना देना चाहता हूं कि विधेयक के प्रचार-प्रसार के नाम पर, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के चेयरमैन को संसद सदस्यों को माननीय मंत्री द्वारा इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व पत्र भेजने का अधिकार नहीं है। यह अनुचित है। मुझे आशा है कि मंत्री इसे नोट करेंगे।

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): मैं प्रस्ताव करती हूँ, कि केन्द्रीय सरकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से भारित अपराधों की जांच कराने या जांच करने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय सरकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खण्ड-2, दिनांक 20.12.1999 में प्रकाशित।

स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोग सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती वसुंधरा राजे: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करती हूं।

अपराह्न 2.48 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) "कांगड़ा क्वीन" में द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बे जोड़ने और उसे जोगेन्द्र नगर, हिमाचल प्रदेश तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): महोदय, रेल मंत्री महोदय की अपार कृपा से पठानकोट-जोगेन्द्रनगर रेलवे लाईन पर इसी वर्ष "हिमालयन क्वीन" की तर्ज पर "कांगड़ा क्वीन" चलाई गई है जो कि अभी केवल पालमपुर तक जाती है। जब यह रेल आरंभ की गई थी तो हमें यह आश्वासन दिया गया था कि यह ट्रेन अभी प्रायोगिक आधार पर पालमपुर तक चलाई जा रही है और जब इसका प्रयोग सफल होगा तो इसे जोगेन्द्र नगर जिला मंडी तक बढ़ा दिया जाएगा।

महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक यह रेल आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं हो रही है। इसका कारण यह है कि इसमें सब की सब बोगियां प्रथम श्रेणी की हैं और अभी फर्स्ट क्लास के लिए इतने यात्री इस क्षेत्र में मिलना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है; जब धीरे-धीरे पर्यटन की कांगड़ा घाटी एवं मंडी जिले के पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने लगेंगी तो निश्चित रूप से ये प्रथम श्रेणी की बोगियां भी कम पड़ जाएंगी और अधिक बोगियां लगाने की मांग भी आ जाएगी। लेकिन मेरा सुझाव है कि हिमालयन क्वीन की भांति इस ट्रेन में भी अधिक से अधिक सैकिंड क्लास की बोगियां जोड़ी जाएं और केवल एक फर्स्ट क्लास की बोगी लगाई जाए। यदि ऐसा किया जाएगा तो जहां यह ट्रेन रेलवे को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रहेगी वहां सच्चे अर्थों में स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ-साथ मेरा यह अनुरोध भी है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुसार इस रेलगाड़ी को जोगेन्द्र नगर तक बढ़ाया जाए ताकि कांगड़ा जिले के साथ-साथ मेरे चुनाव क्षेत्र से संबधित मंडी जिले के लोग भी लाभान्वित हो सकें।

(दो) आंध्र प्रदेश की मछुआरा जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): आंध्र प्रदेश में लगभग 60 लाख परम्परागत मछुआरे हैं तथा उन मछुआरों की जातियों के विभिन्न नाम हैं, जैसे तालंगाना क्षेत्र में गुंडला, गंदापुत्र और बेस्था, तटीय क्षेत्र में अग्निकुल, क्षत्रिय, बड़ा बाल्गा, कान्द्रा, जाबारी नेयालु, वसीयाकुल और पट्टापु और पाली। उनकी मांग है कि मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए।

आंध्र प्रदेश के मछुआरा समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल मार्च, 1999 में माननीय प्रधानमंत्री से मिला था तथा उन्होंने मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जातियां भी सूची में शामिल करने के संबंध में एक विधेयक पुर:स्थापित करने का अनुरोध किया था। परन्तु इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

आंध्र प्रदेश के मछुआरे प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित गरीब लोग हैं। उन्हें वर्ष भर अपनी रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें अपने जीवन को समुद्री तूफान इत्यादि के खतरों से बचाने के लिए मशीनीकृत ट्राली नाव तथा मछली पकड़ने वाले आधुनिक बेहतर उपकरण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता की आवश्यकता है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने परम्परागत मछुआरों के लिए 25,000 मकान बनवाकर तथा अदर्ना योजनाओं के अंतर्गत उनकी पहचान करके उन्हें औजार देकर अपनी ओर से उनकी भरपूर सहायता की है। लेकिन यदि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की उनकी मांग को मान लिया जाता है तो उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संघटक योजना जैसे डीआरआई योजना इत्यादि के अंतर्गत सहायता मिलने से काफी लाभ होगा।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्री के. येरननायडू]

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आंध्र प्रदेश में मछुआरा समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।

(तीन) उत्तर प्रदेश में वाराणसी से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी विश्व के पर्यटकों का मुख्य केन्द्र है और प्रतिवर्ष विश्व के कोने-कोने से हजारों की संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। वाराणसी विश्व के तीन प्रमुख धर्मों का केन्द्र है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म एवं जैन मतावलम्बियों के लिए वाराणसी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय है जिसमें विदेशी छात्र एवं विद्वान बराबर आते-जाते हैं। साथ ही अन्य चार विश्वविद्यालय भी इस नगर में हैं।

वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही कालीन उत्पादन एवं व्यवसाय के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इससे जुड़े अधिकांश लोगों का विदेशों में आना-जाना लगा रहता है। साथ ही रेशम वस्त्र उद्योग, बनारसी साड़ी, बनारस के खिलौनों और कृत्रिम मोती के निर्यात से जुड़े हजारों व्यवसायी विदेश आते-जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से विश्व में प्रसिद्ध वाराणसी के घाट अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों को वाराणसी की ओर आकर्षित करते हैं। वाराणसी धार्मिक राजधानी होने के साथ-साथ सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में भी विख्यात है तथा यह विश्व व्यवसाय से भी जुड़ा है। इस प्रकार इसका संबंध संसार के प्रमुख नगरों से है। इस हेतु वाराणसी से विश्व के सभी महत्वपूर्ण नगरों, व्यावसायिक केन्द्रों एवं सांस्कृतिक स्थलों के लिए सीधी उड़ान होना आवश्यक है। यह भी महत्व की बात है कि वाराणसी दिल्ली एवं कलकत्ता जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टियों के मध्य में स्थित है। यहां से भारत से बाहर को जाने वाली उड़ानें आसानी से वाराणसी होकर आ जा सकती हैं।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वाराणसी से अन्तर्राष्ट्रीय वायुयान सेवा शुरू की जाये।

(चार) गुरुदासपुर-मुकेरियां रोड और गुरुदासपुर-कठुआ रोड पर क्रमशः रावी और व्यास नदियों पर ऊंचे पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विनोद खन्ना (गुरदासपुर): मेरे निर्वाचन क्षेत्र गुरदासपुर में, गुरदासपुर-मुकेरियां रोड और गुरदासपुर-कठुवा रोड पर रावी और व्यास नदियों पर ऊंचे पुल बनाए जाने की आवश्यकता है जिनसके अभाव में रावी और व्यास के दोनों तरफ रहने वाले लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है। यह बात अविश्वसनीय है कि देश में बहने वाली नदियों का पानी सीमा पर नियंत्रण रेखा की तरह है। सच यह है कि पंजाब के गरीब किसानों को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को भारी चुंगी देनी पड़ती है तथा उन्हें पंजाब से पंजाब में जाने के लिए ही दोहरा यातायात खर्च वहन करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए 80 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। इसलिए, इन पुलों का निर्माण किया जाना बहुत महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य है क्योंकि इसके अभाव में इस क्षेत्र के छोटे किसानों की फसल खेतों में ही बर्बाद हो जाती है। रावी और व्यास नदियों के दोनों तरफ रहने वाले लोग आपस में विवाह नहीं करते। मेरी मांग है कि सरकार के वित्त पोषण के माध्यम से इन पुलों का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में लाया जाए अथवा इनके निर्माण को आर्थिक महत्व का मानते हुए अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के आधार पर अनुमति दी जाए।

(पांच) राजस्थान के अकालग्रस्त लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि देश में अकाल की स्थिति भयंकर है और खासकर राजस्थान में देश के अन्य भागों से अधिक है। प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि समय रहते राजस्थान में अकाल राहत कार्य आरम्भ कराने के लिए पर्याप्त धनराशि शीघ्र आवंटित की जाए जिससे गरीब बेरोजगार जनता को भुखमरी से बचाया जा सके। अकाल राहत कार्य न खुलने के कारण लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। इस वर्ष बरसात भी नहीं हुई है जिससे दोनों फसलें नहीं के बराबर हुई हैं। आम जनता और पशुओं के

लिए पीने के पानी की भारी कमी है। पेय जल, मजदूरी, पशुओं के लिए चारा, अनाज की आपूर्ति इत्यादि की व्यवस्था कर समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है। खाद्यान्न के लिए गेहूं का कोटा बढ़ाया जाए तथा 10-15 किलोग्राम प्रति व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान से अनाज उपलब्ध कराया जाए। पेय जल की समस्या के समाधान हेतु हैंड पंप लगाए जाएं। जहां कुएं हैं उन्हें और गहरा कराया जाए तथा जहां नए कुएं खोदे जा सकते हैं, वहां नए कुएं खुदवाने का काम शीघ्र करवाया जाए। उक्त सभी कार्यों के बीच क्रियान्वयन हेतु राजस्थान सरकार को 25 हजार करोड़ रुपए की राहत राशि आवंटित की जाए ताकि प्रभावित जनता को राहत प्रदान की जा सके।

(छह) बिहार के किसानों को केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से रियायती दरों पर अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश के किसानों की, विशेषकर बिहार में मेरे निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद के किसानों की दयनीय हालत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

इस समय बिहार के किसान अच्छी किस्म के गेहूँ के बीजों की कमी का सामना कर रहे हैं और जिन्होंने अपना घाटा पूरा करने का सोचा था उनकी आशाओं को इस वर्ष प्रारम्भ में बिहार में काफी बड़े क्षेत्र में आई बाढ़ से नष्ट हुए क्षेत्रों के कारण कुठाराघात पहुंचा है। चूंकि अब गेहूं बोने का मौसम समाप्त हो रहा है, अत: राज्य सरकार रियायती और प्रमाणित गेहूँ का जो बीज दिया करती थी उसकी कोई आशा नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, किसान अधिक मूल्य देकर घटिया किस्म के बीजों को खरीदने या गेहूं न बोने के लिए मजबूर हो गए हैं। काफी बड़ी संख्या में गरीब, छोटे और सीमान्त किसान घटिया बीजों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं जिससे गेहूँ की पैदावार में कमी हो सकती है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल बाढ़ग्रस्त जिलों में किसानों को मुफ्त बीज दिए जाने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के बावजूद कोई बीज नहीं दिया गया।

बिहार में और विशेषकर औरंगाबाद जिले में किसानों की दयनीय हालत को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह किसानों को सीधे केन्द्रीय एजेन्सियों अथवा सरकारी उपक्रमों के माध्यम से अच्छी किस्म के और रियायती बीज उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

(सात) मध्य रेलवे के कार्यालय को मुम्बई से नागपुर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि नागपुर एक प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र है। इसे केन्द्र में स्थित होने का लाभ प्राप्त है। समय के साथ-साथ, नागपुर के अंदर और आसपास विशेषकर कोयला, अनाज, संतरे और सीमेंट इत्यादि का आना-जाना बढ़ गया है। केन्द्र और महाराष्ट्र सरकारें हवाई, भूतल और रेल यातायात के लिए नागपुर को मल्टीमॉडल केन्द्र के रूप में बढ़ावा दे रही है।

चूंकि मुम्बई काफी भीड़-भाड़ वाला केन्द्र है, अत: मध्य रेलवे का कार्यालय स्थानान्तरित करने से भीड़-भाड़ कम करने और मध्य रेलवे के कार्यालय के कार्यकरण में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

इसलिए, मध्य रेलवे कार्यालय को नागपुर अविलम्ब स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है। यह भी बताया गया है कि इस कार्यालय को स्थानांतरित करने से रेलवे को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसने इस काम के लिए 5000 एकड़ भूमि भी अधिग्रहीत कर ली है। इस समय मुम्बई में पश्चिमी रेलवे और केन्द्रीय रेलवे दोनों ही के कार्यालय हैं।

नागपुर के लोगों की भी यह मांग रही है कि मध्य रेलवे के इस कार्यालय को नागपुर में स्थापित किया जाए। इससे इस समय मुम्बई के कार्यालय में होने वाली भीड़भाड़ दूर हो सकेगी। इस कार्यालय को नागपुर में स्थानांतरित करने से इस क्षेत्र का विकास होगा और इससे धन अर्जन और कार्यकरण सुधार में सहायता मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार भी इस कार्यालय को मुम्बई से नागपुर स्थानांतरित करने में उत्सुक है।

अत: महोदय, रेल मंत्रालय को मध्य रेलवे के कार्यालय को मुम्बई से नागपुर स्थानांतरित करने की मांग पर विचार करना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

(आठ) पश्चिम बंगाल में बर्नपुर स्थित इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने और उसका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री विकास चौधरी (आसनसोल): महोदय, मैं सभा का ध्यान आसनसोल के निकट स्थित भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र, भारतीय आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर के समग्र आधुनिकीकरण की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। इस संयंत्र का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से वर्ष 1979 में इस्पात संयंत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब से इस्को के आधुनिकीकरण के कई प्रस्ताव लाए गए थे परन्तु केन्द्र सरकार पिछले बीस वर्षों से ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर कोई निर्णय नहीं ले सकी है।

इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस्को काफी संपत्ति का स्वामी है जिसमें मनोहरपुर, गुवा और चिरिया की बहुत बड़ी लोह अयस्क की खानें, कई कोकिंग कोल खानें, कुल्टी कारखाने, स्पैन पाइनों इत्यादि का निर्माण तथा आदर्श इस्पात संयंत्र के लिए अपेक्षित कच्चा माल शामिल है।

बाद के चरण में एक रूसी कम्पनी टी पी आई के साथ संयुक्त उपक्रम का एक प्रस्ताव आया जिसमें भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का हिस्सा 51 प्रतिशत होना था और 1997 में इसके आधुनिकीकरण की लागत 2107 करोड़ रुपये अनुमानित की गई थी। लगभग सभी श्रमिक संघ, उन्नायक और अन्य लोग इस पैकेज के लिए सहमत थे लेकिन केन्द्र सरकार इस पैकेज के कार्यान्वयन के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। इसके विपरीत श्रमिकों की संख्या कम कर दी गई है और मौजूदा श्रमिकों को इस इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए अपनी कई सुविधाओं का परित्याग करना पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए मेरा इस्पात मंत्रालय से आग्रह है कि वह बिना किसी विलम्ब के इस्को के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के संबंध में विचार करे।

(नौ) प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों के राहत और पुनर्वास कार्य को संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री होलखोमांग हौकिप (बाह्य मणिपुर): महोदय, भारत सरकार ने 23 दिसम्बर, 1993 को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की थी। उसके बाद संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की योजना की परिकल्पना, कार्यान्वयन और मानिटरिंग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इन दिशा-निर्देशों को देखते हुए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग समय समय पर प्रचालनात्मक ब्यौरों से संबंधित मामलों पर परिपत्र जारी करता रहा है।

मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि सरकार को संसद सदस्यों को संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना का इस्तेमाल केवल अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ही नहीं अपितु देश के दूसरे भागों में भी चक्रवात, बाढ़, सूखा, जातीय दंगों आदि से पीड़ित लोगों को राहत देने, उनके पुनर्वास के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। ऐसे अच्छे और परोपकारी कार्य के लिए माननीय सदस्यों को संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए निर्धारित निधि (दो करोड़ रुपये) में से कितनी भी राशि स्वीकृत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह लोगों के राहत और पुनर्वास कार्य को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सूची में शामिल करने की कृपा करें।

(दस) बिहार के रोहतास जिले में पाइरेट फॉस्फैट कैमिकल्स लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): सभापति महोदय, बिहार राज्य के रोहतास जिले के अमझोर के कैयूर शृंखला में बहुमूल्य गंधक अयस्क प्राइराइट्स का अपार खनिज भंडार है। इसी प्राइराइटस पर आधारित वहां सन् 1986 में भारत सरकार ने सिंगल सुपर फास्फेट खाद के कारखाने की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की। यह स्वीकृति एक पायलट प्लांट के रूप में थी ताकि इसकी सफलता का परीक्षण हो सके और यहां एक बड़ा कारखाना लगाया जा सके। यहां श्रमिक और सभी तकनीकी विशेषज्ञों के अथक परिश्रम से इस क्षेत्र में कामयाबी मिल चुकी है। किन्तु औद्योगिक नीति में उदारीकरण तथा सब्सीडी में कमी तथा बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा के कारण हम बाजार से पर्याप्त धन नहीं जुटा सके। भारत सरकार के द्वारा पर्याप्त धनराशि भी नहीं मिल सकी।

भारत में गंधक तात्विक रूप में उपलब्ध नहीं है। सभी उर्वरक कंपनियां जो फास्फेटिक उत्पादन कार्य में लगी हुई है उन्हें रासायन उद्योग सल्फूरिक एसिड उत्पादन के लिए विदेशों

से सल्फर के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। बिहार राज्य के रोहतास जिले के अमझोर में 275 मिलियन टन सल्फर पाइराइट्स के समतुल्य भंडारण है जो विश्व में सबसे बड़ा भंडार है। स्टेशन प्राइस योजना की स्कीम के तहत भारत सरकार ने सिंगल सुपर फास्फेट (एस.एस.पी.) खाद के उत्पादन हेतु आयरन पाइराइट्स के सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन के लिए भारत सरकार ने एक पायलट प्लांट की भी स्थापना की है जो 10 वर्षों से चल रहा है परंतु वित्तीय अभाव के कारण यह प्लांट बंद होने के कगार पर है।, इसमें लगे 1500 श्रमिक और पदाधिकारी के समक्ष भुखमरी की समस्या है।

अत: भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस संस्थान को विशेष स्कीम के तहत आर्थिक सहायता देकर बचाया जाये ताकि इसमें कार्यरत सभी श्रमिकों की रक्षा हो सके।

(ग्यारह) मलेरकोटला और पंजाब के अन्य भागों में अपने संबंधियों से मिलने के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को सीधे वीसा जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): महोदय, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र मलेरकोटला और पंजाब के अन्य भागों में रह रहे मुसलमानों को पाकिस्तान से आने वाले अपने संबंधियों की अगुवाई करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पंजाब में अपने संबंधियों को मिलने आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को मलेरकोटला, पंजाब के लिए सीधे वीजा प्राप्त नहीं होता है। उन्हें पहले दिल्ली भेजा जाता है। पुलिस अधिकारियों द्वारा मलेरकोटला और पंजाब के अन्य भागों में जाने की अनुमति देने के बाद ही उन्हें पंजाब जाने की अनुमति दी जाती है।

पंजाब में इस समय शान्ति है। मेरे मुसलमान निर्वाचक बहुत गरीब हैं कि वे अपने संबंधियों को लेने दिल्ली नहीं जा सकते और न ही उन्हें मलेरकोटला पंजाब जाने की अनुमति मिलने तक वहां रह सकते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस समस्या को कम करने के लिए निम्न कदम उठाएं: (क) चूँकि पंजाब एक शांत राज्य है, इसलिए पाकिस्तानी मुसलमानों को सीधे मलेरकोटला और पंजाब के अन्य भागों में जाने के लिए वीजा प्रदान करने की सुविधा दें; और

(ख) पंजाब में सीधे प्रवेश की अनुमति दिये जाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 12 पर चर्चा करेगी।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, मेरा नाम सूची में है। मुझे टेबल ऑफिस द्वारा सूचित किया गया था।

सभापति महोदय: आपका नाम सूची में नहीं है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मद है।

सभापति महोदय: आप इस मुद्दे को कल उठा सकते हैं।

अपराह्न 3.09 बजे

उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री लाल कृष्ण आडवाणी प्रस्ताव करेंगे कि उप-राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूँ:

> "कि उप-राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, यह छोटा विधेयक है, कुल दो क्लॉजेज हैं और एक प्रकार से पहले-पहले जब 1997 में पेंशन की व्यवस्था की गई थी तो सदन की चर्चा में से ही कुछ सुझाव उभरे थे, जिन्हें इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है। उप-राष्ट्रपति जी को 1997 तक पेंशन नहीं मिलती थी और उप-राष्ट्रपति जी क्योंकि संविधान के अनुसार पदेन राज्य सभा के सभापति है, इसलिए उन्हें जो सैलरी प्राप्त होती थी, वह पार्लियामेंट के ऑफिसर के नाते प्राप्त होती थी।

सभापति महोदय, 1997 में ऐसे अनुभव हुए कि सरकार को इसमें परिवर्तन करना चाहिए और एक पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। 1997 में वाइस प्रेसीडेंट पेंशन एक्ट बना। चर्चा के समय यह कहा गया कि जो इसमें सुविधाएं दी गई

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

हैं वे उपराष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं और उसमें कहीं पर यह भी उल्लेख था कि उनको जो मकान रिटायरमेंट के बाद दिया जाए, वह डिप्टी मिनिस्टर के बराबर दिया जाए, इत्यादि-इत्यादि।

महोदय, आज जो विधेयक में सरकार की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें इन बातों की व्यवस्था की जा रही है। साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है चूंकि 1998 में राष्ट्रपति की सैलरी 40 हजार रुपए प्रति मास कर दी गई इसलिए रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन 20 हजार रुपए प्रतिमाह होगी। ये व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। इसके साथ-साथ कुछ और छोटी-छोटी व्यवस्थाएं की गई हैं जैसे प्रति वर्ष ऑफिस खर्च के लिए रु. 6000 की जगह रु. 12000 होगा। रिटायरमेंट के बाद उनकी धर्मपत्नी या कोई अन्य व्यक्ति जिस प्रकार की व्यवस्था सांसदों के लिए की गई है कि पति/पत्नी या कोई अन्य व्यक्ति वैसी कुछ व्यवस्थाएं इसमें की गई है और उसके कारण जो क्लॉज 2 हैं, उसमें मूल अधिनियम का खंड 3 संशोधित किया गया है। कुल मिलाकर सार इतना ही है और अगर सदन इसको सर्वसम्मति से पास करे, तो आगे बढ़ेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को सम्बोधित करना चाहेंगे—सभा इस बात से सहमत होगी—कि संविधान की इस संपूर्ण रूपरेखा में उपराष्ट्रपति के पद को इतने गरिमापूर्ण ढंग से सम्मान दिया गया है कि विशेष रूप से इस विधेयक पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। इसे सीधे ही स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उप-राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किराया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.14 बजे

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 13 पर चर्चा करेंगे।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत निपटान की गई कतिपय पुनरीक्षण याचिकाओं को विभिमान्य ठहराने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये।"

महोदय, 1968 में सी आई एस एफ की स्थापना की गई थी और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 को स्वीकृति प्रदान कर इसे एक वैधानिक दर्जा दिया गया था। इस स्थापना के पीछे यह उद्देश्य था कि देश में अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं और इन औद्योगिक उपक्रमों की विशेष सुरक्षा व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, केन्द्रीय सुरक्षा बल इस उद्देश्य को पूरा करता है। लेकिन यह देखा गया है कि भारत सरकार के अनेक अन्य क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिभाषा में नहीं हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी है। उदाहरणार्थ परमाणु ऊर्जा अथवा अंतरिक्ष से संबंधित संस्थान। अब, हमें उनकी सुरक्षा चाहिए। लेकिन कानून यह कहता है कि इस सी.आई.एस.एफ को विशेषत: सार्वजनिक उपक्रमों के लिए उपयोग किया जाएगा, वह सरकारी निकाय उस परिसीमा में नहीं आते हैं। आज के संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सी.आई.एस.एफ. का उपयोग सरकार के अन्य एककों के लिए भी किया जा सकता है जो कि सीधे सार्वजनिक उपक्रम की परिसीमा में नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक व्यवस्था में आ रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए और सी आई एस एफ ने सुरक्षा के क्षेत्र में जो विशेषज्ञता हासिल कर ली है उसे देखते हुए सी.आई.एस.एफ. को इस बात की अनुमति दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है ताकि जो गैर सरकारी उपक्रमों और निजी उपक्रम चाहें उनके लिए परामर्श सेवा ली जा सके।

यही दो उद्देश्य हैं जिनके लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक पेश किया गया है। राज्य सभा द्वारा इसे पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और इसलिए मैं इस सभा में राज्य-सभा द्वारा दी गई स्वीकृति के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने आया हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत निपटान की गई कतिपय पुनरीक्षण याचिकाओं को विधिमान्य ठहराने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

विधेयक पर विचार किए जाने वाले प्रस्ताव में एक संशोधन है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी, क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं निश्चय ही कुछ मुद्दे उठाऊंगा।

महोदय, माननीय गृह-मंत्री ने अभी इस केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1999 के उद्देश्यों के बारे में बताया है, जो कि सभा के समक्ष प्रस्तुत है।

सी आई एस एफ के कैडर तथा इसके उच्च अधिकारियों में अपने भविष्य की अनिश्चितता के संबंध में चिन्ता व्याप्त है।

मैं माननीय गृह मंत्री जी की इस बात से सहमत हूँ कि बदलती हुई आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में कर्मचारियों विशेषकर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती एक आम बात है। लेकिन सी आई एफ एफ के मामले में, यह संशोधन एक बात कहता है जो कि यह विनिर्दिष्ट और स्पष्ट नहीं करता है कि इसका अर्थ क्या है। यह कहता है:

> "केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य"

इससे आगे, मुख्य अधिनियम की धारा 7 कहती है:

> "(ज) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।"

मैं इस बात को भी समझता हूँ कि इस विधयेक के कार्य-क्षेत्र में निजी औद्योगिक संस्थाओं को परामर्श सेवा प्रदान करना आता है। हो सकता है भविष्य में 'उद्योग' का अर्थ, जैसा कि यहाँ दिया गया है 'निजी औद्योगिक संस्थाएँ, किसी भी रूप में या ढंग से भारतीय साझेदारी कमपनी है, किया जाए और सी आई एस एफ को वहाँ जाने के लिए कह दिया जाए और यहाँ तक कि उन स्थानों पर भी जाने के लिए कह दिया जाए जहाँ सी आर पी एफ, बी एस एफ अथवा अन्य आई पी एस संवर्ग किसी भी तरह अथवा किसी भी प्रकृति का कार्य कर रहे हैं।

इस संशोधन के संबंध में मेरी प्रथम आपत्ति यह है कि गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की चौवनवीं रिपोर्ट में इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया था जिसमें सभी स्रोतों से सूचना एकत्रित के बाद इस मामले पर काफी विस्तार से चर्चा की गई थी।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

अन्त में, इस स्थायी समिति की राय यह थी कि भविष्य में सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा से आने वाले इन अधिकारियों को समानता दिए जाने तथा अन्य बातों की जाँच की जानी चाहिए। तत्पश्चात्, गृह मंत्रालय ने स्थायी समिति की टिप्पणी के उत्तर में तत्कालीन विशेष सचिव, श्री निखिल कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। मैं मानता हूँ कि दूसरी समिति का भी गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता श्री कक्कड़ ने की थी; और उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की थी. निखिल कुमार की सिफारिशें स्पष्ट नहीं थी। इसलिए दूसरी समिति का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता श्री कक्कड़ ने की थी। इसकी सिफारिशों की हमें जानकारी नहीं है। परन्तु इन सिफारिशों के आधार पर सरकार इस विधेयक को किस प्रकार लायी है इसे गृह मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए।

इसलिए, गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति, जिसने इस विषय पर गम्भीरता से चर्चा की थी और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों को आई.पी.एस. या अन्य किसी अन्य समूह 'क' सिविल सेवा में पुनर्वियोजित करने की सिफारिश की थी, के 54वें प्रतिवेदन के अनुसरण में, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक में परिकल्पित कर्त्तव्यों की प्रकृति में परिवर्तन इनकी सीधी भर्ती के मुद्दे को भी जोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में संशोधन में कुछ भी नहीं कहा गया है।

भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती के लिए आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को ही केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के समूह 'क' अधिकारियों ने भी पास किया। भारतीय पुलिस सेवा और अन्य समूह 'क' की केन्द्रीय सिविल सेवाओं के लिए चलाए जाने वाले मूल पाठ्यक्रम का अध्ययन इन अधिकारियों ने भी किया। और यहाँ तक कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के समान उन्होंने भी 'इन्डोर' और 'आउटडोर' प्रशिक्षण को भी प्राप्त किया है। नियम 14 और 17 में भारतीय पुलिस सेवा पर आरोपित सभी प्रतिबंध केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सीधी भर्ती से नियुक्त समूह 'क' के अधिकारियों पर भी लागू होते हैं परन्तु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों पर लागू नहीं होते हैं। इस संदर्भ में इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य या प्रान्तीय पुलिस सेवाओं के समूह 'ख' अधिकारियों को भी सेवा के कुछ वर्षों के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है।

पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुलग्नक 224(1) के अनुसार पांचवें वेतन आयोग ने भी है इक्का-दुक्का पदों को उसी मंत्रालय या बाहर के संगठित काडर (संवर्ग) के साथ विलय बनाने की सिफारिश की थी। इन अधिकारियों के भविष्य के संबंध में गृह मंत्री को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। गृह मंत्री महोदय को एक वक्तव्य में यह कहना चाहिए कि यह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों की ही एक समस्या नहीं है अपितु अन्य अर्धसैनिक बलों की भी ऐसी ही समस्याएं हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि देश के तमाम अर्धसैनिक बलों में से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ही एक ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसके अधिकारी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से चुने जाते हैं। इसीलिए, उन्हें दूसरों के साथ मिलाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मेरा गृह मंत्री महोदय से यह निवेदन है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कुछ अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा, लेखा परीक्षा और लेखा, रेलवे जैसी अन्य समूह 'क' सेवा आबंटित की गयी थीं। परन्तु पूर्व में प्रभावी नियमों के चलते उन्हें वहां कार्य भार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई।

इसीलिए, मेरा माननीय गृह मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि पूरी नौकरशाही. में और गृह मंत्रालय दोनों जगह भारतीय पुलिस सेवा की अत्यंत सशक्त 'लॉबी' है। ...*(व्यवधान)* कृपया इसे अन्यथा न लें। मैं कुछ अधिकारियों से मिला हूँ और मैं माननीय मंत्री महोदय से बता सकता हूँ कि ऐसे कुछ प्रतिभाशाली अधिकारियों, यहाँ तक कि महिलाएं भी अपने स्तर और रैंक के लिए परेशान हो रही है। इसी समय, जब एक भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी जोकि इस समय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महानिदेशक या डी.आई.जी. है, से जाने और प्राप्त करने के लिए कहा जाता है जबकि वे कामोडोर भी नहीं बन सकते हैं। इस तरह की असमानताएं अभी भी वहां पर व्याप्त हैं।

भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय समूह 'क' से ओं के लिए चयनित अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए एक वर्ष का समय बढ़वा सकते हैं, भारतीय पुलिस सेवा का

अधिकारी भारतीय सिविल सेवा, भारतीय विदेश सेवा और केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है। केन्द्रीय समूह 'क' अधिकारी भी भारतीय सिविल सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है।

सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती के आरम्भ होने के बाद से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भर्ती नियमों को तदनुसार बदला गया है और सिविल सेवा परीक्षा सूची में सम्मिलित अन्य केन्द्रीय सेवाओं के साथ समानता लाने के लिए भर्ती नियमों में तदनुसार परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा भी किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है।

विभाग ने यथाउल्लेखित समानता का कभी भी सम्मान नहीं किया है यद्यपि कुछ मामलों में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की दिल्ली खण्डपीठ द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया था।

मैं, अब माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि जबकि ऐसे प्रतिबंध नियम—4 और 17—उच्च सिविल पदों पर कार्यरत सेवकों के मध्य समानता पर आधारित है, तो गृह मंत्रालय ने इन अधिकारियों को उनकी सेवा शर्तों में ऐसी समानता प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की है।

मैं कई उदाहरण या कई अधिकारियों के मामलों को उद्धृत कर सकता हूं। मेरे पास कम से कम 15 प्रतिभाशाली अधिकारियों के मामले हैं जिन्हें शिकार बनाया गया है। मैं सभा का समय लेकर उनके नाम गिनाना नहीं चाहता हूं। इन अधिकारियों में तीन महिला अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कई ऐसे अधिकारी हैं जो भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेल प्रशासनिक सेवा, भारतीय रेल तकनीकी सेवा और भारतीय रेल पुलिस सेवा के लिए चुने गए थे और उन्हें, इस आधार पर कि केन्द्रीय समूह 'क' की सभी सिविल सेवाएं समस्तरीय होती है, उपरोक्त सेवाओं में शामिल होने नहीं दिया गया।

अपराह्न 3.26 बजे

[**श्रीमती मार्गेट अल्वा** *पीठासीन हुई*]

इसलिए, यह बेहतर होगा यदि माननीय गृह मंत्री महोदय इसे उपयुक्त समझे तो, इसे आज पारित कराएँ बिना—मैंने अपना संशोधन वापस ले लिया है क्योंकि मैं माननीय मंत्री महोदय को दुविधा में नहीं डालना चाहता—इसे गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को यदि भेज रहे हों तो इस पर दोबारा विचार करें और तब विधेयक वापस लायें। ऐसा इसीलिए क्योंकि नियुक्त की गई समिति की एक टिप्पणी हमारे लिए यहाँ तक कि सभा के लिए भी अस्पष्ट है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है और स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर आपने एक अन्य समिति-कक्कड़ समिति को नियुक्त किया है, मेरे विचार से यह बात विधेयक में परिलक्षित नहीं होती है। न्याय को सुनिश्चित करना ज्यादा समुचित होता या क्या माननीय गृह मंत्री सभा में यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि ऐसी चूकें होती हैं जहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल संवर्ग के हितों, समानता और अन्य बातों की रक्षा के लिए मेरी टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो क्या वे भविष्य में यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके भविष्य, आकांक्षा और उनकी सेवा की लम्बी अवधि—उनके पास बेहतर बौद्धिक सामर्थ्य है-के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वे इस संशोधन के साथ कुछ संबंधित नियमों को भी लाएंगे? आखिरकार सेवा में इतनी लम्बी अवधि व्यतीत करने के पश्चात् एक ही प्रकार के 'बैचमेट्स' विभिन्न प्रकार के बर्ताव का सामना कर रहे हैं। यह तंत्र की समरूपता, जिसके लिए विधेयक में उल्लिखित है कि आपको उन्हें अन्य गतिविधियों और अन्य कर्त्तव्यों के लिए उन्हें तैनात करना होगा, के लिए भी सही नहीं है।

इसीलिए मैं इस मामले पर विचार करने के लिए माननीय मंत्री महोदय से गंभीरतापूर्वक आग्रह करता हूं। मैं समूह 'क' सिविल सेवाओं की कुछ विशेषताओं को स्पष्ट करूँगा।

''संवर्ग का उच्चतम पद संयुक्त सचिव के पद से छोटा नहीं होगा।

इसमें सभी मानक समयबद्ध वेतनमान होंगे।

कनिष्ठ समयबद्ध वेतनमानों में कम से कम 50 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाएगी।

कनिष्ठ समयबद्ध वेतनमान से ऊपर की और वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एस.ए.जी.) तक की सभी रिक्तियाँ निचली श्रेणी से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी।

इन अधिकारियों को समयबद्ध वेतनमान के अनुसार 5वें वर्ष वरिष्ठ वेतनमान, 9वें वर्ष कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, 14वें वर्ष में वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी प्रदान की जाएगी। विभागीय प्रोन्नति

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

समिति के अध्यधीन वे संयुक्त सचिव/महानिरीक्षक के पद के लिए पात्र होंगे। किसी एक विशेष वर्ष के सभी सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों को इकट्ठा समूह बनाकर किसी विशेष वर्ष के विद्यमान रिक्तियों के सबसे ऊपर रखा जाएगा और सबसे बाद में प्रोन्नत अधिकारियों को रखा जाएगा।

समूह 'क' सेवाओं के लिए 'फीडर' संवर्ग कम से कम छह वर्ष की सेवा के साथ समूह 'ख' सेवा होगी।

यह आवश्यक होगा कि कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के स्तर तक प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। वे सभी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति 'पूल' के लिए पात्र होंगे।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कई समितियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका क्योंकि उनके संगठित परिसंघ नहीं हैं और कई अवसरों पर उनके तीन अभ्यावेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय के कुछ अनुभागों के उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं कि उन्हें कैसे एक साथ मिलाया जा सकता था। ऐसे उदाहरण है कि पहले ऐसी घटनाएं किस प्रकार हुई हैं। मैं माननीय मंत्री की जानकारी के लिए मात्र एक उदाहरण दूँगा-मैं आशा करता हूं उनके पास यह सूचना उपलब्ध होगी कि पहले, स्तर और प्रोत्साहन विकल्पों के संबंध में राष्ट्रीय पुलिस आयोग में श्री निखिल कुमार द्वारा कतिपय मामलों में निम्नलिखित कतिपय सिफारिशें की गई-

> "समिति की सिफारिशों (जोकि सरकार द्वारा स्वीकार की गई) के अनुसार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में वरिष्ठता के निर्धारण की त्रुटिपूर्ण प्रणाली (रोटा कोटा प्रणाली), को समाप्त कर दिया गया है और भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति के कोटे को कम कर दिया गया। क्योंकि सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता को पूर्वतिथि से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है इसलिए उनकी स्थिति पर इससे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

इसीलिए, दूसरी समिति जोकि कक्कड़ समिति है, द्वारा की गई सिफारिश पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और क्योंकि हमें उस सिफारिश के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए इस समय संशोधन के आधार पर कोई योगदान देना मुश्किल होगा क्योंकि हम नहीं जानते क्या कक्कड़ समिति की सिफारिशें भी इन में परिलक्षित होती हैं या नहीं।

इसीलिए, मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया उन्हें सिविल सेवा परीक्षा के नियम 4 और 17 के अंतर्गत मत लाइए। यदि आप उन्हें अन्य प्रकार के कार्यों में लगाने के प्रति गम्भीर हैं, उनके स्तर को बनाए रखते हुए, उनके प्रोन्नत अवसरों को बनाए रखते हुए पूरे मामले पर पुनरावलोकन कीजिए और यदि खामियां होती हैं तो नियम या विनियम बनाइए या माननीय मंत्री महोदय विधेयक को आज ही पारित कराने पर जोर न दें। वे स्वयं ही सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली दो सिफारिशों जो कि (एक) निखिल कुमार समिति की सिफारिश जोकि आपके पास हैं, और (दो) कक्कड़ समिति की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में इसे और अधिक जांच के लिए संयुक्त समिति को सौंप दें।

मैं विनम्रतापूर्वक गृह मंत्री से यह अपील करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की जल्दबाजी किए बिना, इसे सिर्फ नौकरशाही पर यह विचार-विमर्श के लिए न छोड़ कर उन्हें अपने स्तर पर सीधे तौर पर सी.आई.एस.एफ. अधिकारियों से विचार-विमर्श करना चाहिए। क्योंकि, यह डर और आशंका है कि गृह मंत्रालय के आई.पी.एस. के विद्यमान संवर्ग के अधिकारियों द्वारा इन अधिकारियों को न्याय नहीं मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि गृह मंत्रालय की अनुकूल प्रतिक्रिया सी.आई.एस.एफ., संवर्ग की चिन्ता आशंका और मनोव्यथा को दूर करेगी।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): धन्यवाद, सभापति महोदया। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और साथ ही कुछ निश्चित सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा सुझाव दो हिस्सों में है। प्रथम भाग में मैं इस विधेयक में सम्मिलित विभिन्न खंडों पर कुछ टिप्पणियां, करना चाहता हूं और दूसरे भाग में श्री दासमुंशी द्वारा अभी दिए गए वक्तव्य पर विस्तार से बोलना चाहता हूँ।

विधेयक के खण्ड 2 में, विद्यमान विधेयक में सिर्फ एक ही बदलाव है कि "और निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठान में तकनीकी परामर्शी सेवा प्रदान की जाए" जोड़ा गया है। इसके शीर्षक में सिर्फ इतना ही जोड़ा गया है मैं यह नहीं जानता कि, इस विधेयक में सम्मिलित विभिन्न बड़े बदलाव कानूनी रूप से ग्राह्य हैं या नहीं। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हम शीर्षक में बदलाव किए बिना हम महत्वपूर्ण मुद्दों को बदल रहे हैं। अगर उन मुद्दों को भी शामिल किया जाता तो, शायद शीर्षक को भी उपयुक्त रूप से संशोधन करना पड़े।

खंड 3 के बारे में, इस विधेयक से इसका कोई संबंध नहीं है, मैं केवल गृह मंत्रालय के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि हम 1932 के भारतीय साझेदारी अधिनियम का उल्लेख कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि कोई इस ओर ध्यान दे और इसे अद्यतन बताये। मेरा सुझाव है कि अगर इस 1932 अधिनियम को दुबारा लाना पड़े और इसमें कुछ बदलाव करने पड़ें, इसे अद्यतन बनाया जाए और 1932 में बने इस अधिनियम का ही पूर्ण पालन नहीं करना चाहिए।

विद्यमान विधेयक के खंड 4 में बहुउद्देशीय प्रावधान विद्यमान है और, इसलिए, मुझे नहीं पता कि अतिरिक्त बातों को उसमें क्यों समाविष्ट किया जा रहा है। इस बहुउद्देशीय खंड में कहा गया है "और ऐसे अन्य कार्य जो इसे केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए हैं।" क्या यह खंड कई प्रकार के कार्य को पूर्ण करने में स्वयं पर्याप्त नहीं था या क्या यह आवश्यक था कि इसमें कुछ और कार्यों को निर्दिष्ट किया जाए और बाद में उन कर्त्तव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य कर्त्तव्यों के लिए गुंजाइश ही न रहे? इसलिए, जब आप खंड 3 में यह कहते हो इस इन-इन बातों को समाविष्ट करना है तो, इसका अर्थ है कि हमारे पास दोनों प्रकार के खंड हैं-एक बहुउद्देशीय खंड और साथ ही एक विशिष्ट खंड ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): खंडूरी साहब, आप तो देशी की बात करते थे, अब विदेशी भाषा में बोल रहे हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: ठीक है, मैं हिन्दी में बोलता हूं। मंत्री जी, पैरा 5 में आपने कुछ पैनल्टीज डाली है। जैसा पहले बताया गया था कि आपने सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस बदली हैं। क्या ऐसा बिना लोगों की सहमति के करना, कानूनी रूप से सही है या नहीं? कोई पैनल्टी जो शामिल की गई है या अनेक प्रकार के दंड जो दिये जा सकते हैं, क्या वे सही है, क्या यह लीगली सही होगा या नहीं?

पैरा 6 की सब क्लाज-2 में क्या है, वह नहीं देखा गया है। सैक्शन-9 की सब क्लाज-2 में लिखा है-

[अनुवाद]

"अपील के निपटान में निर्धारित अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।"

[हिन्दी]

इसमें पूरी तरह छूट दी गई है, जो भी प्रोसीजर आप अपनाना चाहें, वह है, फिर सब क्लाज-2(अ) और (ब) क्यों दी जा रही हैं, यह स्पष्ट नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।

पैरा 7 में एक शब्द आया है—स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा वित्तपोषित—मैं यह जानना चाहूंगा कि ये सारी संस्थायें पूर्ण रूप से गवर्नमेंट फन्डेड हैं या पार्शियल गवर्मेंट फन्डेड हैं? यह समस्या बाद में आ सकती है। जो कुछ पैसा हमारे द्वारा दिया जाता है, कुछ दूसरी संस्थायें भी दे रही हैं, कुछ वर्ल्ड-बैंक भी दे रहा होगा—इस बारे में उसके अन्दर लिखा है या नहीं, यह कृपया देख लीजिए।

दूसरी बात, जो प्रियरंजन दासमुंशी जी ने भी उठायी है, उसके बारे में मैं भी कहना चाहता हूं। 54वीं रिपोर्ट में विस्तार से इस विषय के बारे में लिखा है। सी.आई.एस.एफ. के अधिकारी, जिनको यू.पी.एस.सी. के द्वारा छूट दी गई है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन्स, सेवा शर्तों को बदला जा रहा है-यह उचित नहीं है। 54वीं रिपोर्ट में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और रिपोर्ट में 117 से 130 पेराग्राफ्स इससे संबंधित हैं, इनमें से मैं सिर्फ दो ही पैराग्राफ्स 129 और 130 को पढ़ना चाहता हूं। पैरा 129 में लिखा है-

[अनुवाद]

"129. समिति यह महसूस करती है कि सी.आई.एस.एफ. द्वारा दोषपूर्ण और विषम धार्मिक नीतियों के अनुसरण के कारण (जैसे रोटा कोटा प्रणाली इत्यादि) इन दोषों को पिछले 10-12 वर्षों में के.आ.सु.बल/गृह मंत्रालय द्वारा इन्हें सुधार करने के लिए प्रयास न करने के कारण इन अधिकारियों की अपूरणीय क्षति पहले ही हो चुकी है जिसे जैसा कि समिति के विशिष्ट सचिव ने बताया संवर्ग पुनरीक्षा के द्वारा उल्टा नहीं किया जा सकता। उनकी पदोन्नति रिक्त स्थानों पर ही आधारित रहेगी क्योंकि सी.आई.एस.एफ. में सेना को आवश्यकता के आधार पर तैनात किया जाता है।"

[हिन्दी]

उनको काफी नुकसान पहले ही पहुंच गया है। सेवा शर्तों को बदलकर यू.पी.एस.सी. से पैरामिलीटरी कैडर में लेंगे, तो उनके साथ अन्याय होगा। इसी प्रकार पैरा 130 में लिखा है-

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खण्डूड़ी]

[अनुवाद]

समिति इस मामले पर अपनी गहन चिंता व्यक्त करती है और पुरजोर सिफारिश करती है कि के.आ.सु.बल के समूह 'क' के उन अधिकारियों, जो सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) में या समूह ''क'' की अन्य सेवाओं में भर्ती हुए थे की शिकायतों को दूर करने के लिए उनके सेवा क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाये।''

[हिन्दी]

इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह उनकी उचित मांग है। करीब 150 अधिकारी हैं, जिनमें पुरुष भी हैं और महिलायें भी हैं, इनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। यह कोई नया सुझाव नहीं है। इससे पहले इंडियन फ्रन्टियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप-बी की सर्विस थी। ग्रुप-ए में थे और फ्रन्टियर सर्विस में लाया गया है। यह उनकी उचित मांग है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको मान लेना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि इसको अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दें। इससे उनका जो मनोबल कम हो रहा है, वह नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभापति महोदया, मैं विधेयक का विरोध करता हूँ क्योंकि विनिवेश की विनाशकारी नीति के सीधे परिणामस्वरूप सी.आई.एस.एफ. को क्षति पहुंची है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। अब इस संशोधन के माध्यम से, दो मूलभूत प्रस्ताव किए जा रहे हैं। एक है, निःसंदेह, यह बल निजी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए शायद बाद में, थोड़े या नाममात्र के शुल्क पर अपनी सेवा देगा। दूसरा, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लगभग 40 अधिकारी हैं जो संयुक्त अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुए थे। केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में, सी.आई.एस.एफ. ही वह अर्द्धसैनिक बल है जिसके अधिकारी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किये गये हैं। लेकिन अब, उनके कार्य करने की विधि में बदलाव किये जा रहे हैं। उन्हें आतंकवाद के दमन के कार्य में लगाया जाएगा; ये लोग, जिन्हें हमारी महत्वपूर्ण और आवश्यक औद्योगिक ईकाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, को संसद सदस्यों, यहाँ तक कि महत्वपूर्ण और अति महत्व के व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। यह अपमान है जिसे कोई भी सही सोच वाला व्यक्ति सहन नहीं करेगा। ये लोग जो संयुक्त सेवाओं की परिक्षाओं में बैठे, जिनमें से कुछ को आई.ए.एस. और आई.पी.एस. जैसी नौकरी का प्रस्ताव आया, लेकिन उन्हें यह नौकरी ग्रहण नहीं करने दी गयी। उनकी सेवा का स्वरूप ही बदला जा रहा है।

कुछ समितियों ने शायद इन मामलों पर विचार किया होगा। मेरी सहयोगी जो दूसरी ओर बैठे हैं, ने श्री नीखिल कुमार समिति का उल्लेख किया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट और की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें मेरे विचार से इन अधिकारियों के कार्य को स्पष्ट नहीं किया गया है, कैसे वरिष्ठता के मामले में समानता कैसे बनायी जाये पदोन्नति, रोटा कोटा प्रणाली को समाप्त करने और वेतन के संबंध में समानता आदि के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है, सरकार इस विशेष मामले में अस्पष्ट है।

मुझे लगता है, एक अन्य समिति गठित की गई थी, जिसका उल्लेख पहले भी आ चुका है, वह है केलकर समिति। मैं माननीय मंत्री से इसके द्वारा की गई सिफारिशों, यदि कोई हों, के संबंध में जानना चाहता हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि, राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने हाल ही में, कुछ विशिष्ट सिफारिशें की थी कि इन लोगों के लिए समानता सुनिश्चित की जाये। लेकिन मुझे लगता है, सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस समिति की सिफारिशों के संबंध में अभी तक कुछ नहीं कहा है।

स्थाई समिति के 54वें प्रतिवेदन के संबंध में एक उल्लेख किया गया जहां समिति ने मामले पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है और के.औ.सु. बल के ग्रुप ''क'' के इन अधिकारियों जिन्हें अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किया गया है, को भारतीय पुलिस सेवा या अन्य किसी ग्रुप ''क'' की सेवा में पुनः तैनात करने की सिफारिश की है जिससे उनकी शिकायतों का निवारण हो सके। स्थाई समिति के

54वें प्रतिवेदन में की गई सर्वसम्मत सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार अब इसमें बदलाव का प्रस्ताव कर रही है जिसका सेना पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इससे तितर बितर कर इसका दुरूपयोग किया जायेगा।

महोदया, मैं यहां विधेयक का उल्लेख कर रहा हूं औचित्य का पूरा ध्यान रख रहा हूं; यहां लिखा है:

"केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने औद्योगिक सुरक्षा क्षेत्र में महारथ प्राप्त की है।"

महोदया, अब सभी लोग जिन्होंने महारथ हासिल की है को संसद सदस्यों की सेवा में लगाया जाएगा जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह उनकी योग्यता और प्रशिक्षण जो जनता के धन पर दी गई थी, का घोर दुरूपयोग है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय मंत्री संसद सदस्यों को भी औद्योगिक इकाई ही समझते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या सरकार इस सेवा के विलय के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। उस ओर के मेरे साथी द्वारा उल्लेख किया गया है कि कुछ 'ख' समूह के अधिकारियों के मामले में, उनकी सेवा का विलय अखिल भारतीय सेवाओं के साथ कर दिया गया है इस सेवा का भी अखिल भारतीय सेवा के साथ विलय क्यों नहीं कर दिया जाता? वें सक्षम और प्रतिभाशाली अधिकारी हैं, जिन्हें आई.पी.एस. और ऐसी अन्य सेवाओं में भर्ती होने का प्रस्ताव दिया गया था परन्तु उन्होंने उन सेवाओं से स्वयं को वंचित रखकर सी.आई.एस.एफ. में भर्ती ली थी। अब, राष्ट्र को इतनी लम्बी अवधि तक उनकी सक्षम और प्रतिभाशाली सेवा के पश्चात् उन्हें निजी क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने के लिए कह कर अपमानित किया जा रहा है।

सभापति महोदया, निजी क्षेत्र उनकी सेवाओं का उपयोग किस प्रकार करेगा? वे उनकी इच्छा पर निर्भर रहेंगे। हम अपने व्यक्तियों को जिन्हें जनता के पैसों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, पूरी तरह निजी क्षेत्र के हाथों में नहीं सौंप सकते हैं जो तुच्छ वेतन पर उनकी सेवाओं को प्राप्त करेंगे।

मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि संशोधनों के माध्यम से सी.आई.एस.एफ. के इन अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित करने या उनमें भर्ती करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। उन्हें पदोन्नति के मामले में, वरिष्ठता के मामले में और वेतनमानों के बारे में समानता प्रदान की जानी चाहिए। केवल तभी हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे। अन्यथा, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कभी भी निजी क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं प्रदान की जानी चाहिए। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कई ऐसे क्षेत्र हैं और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां पर उग्रवाद बढ़ रहा है और जहां सरकार अलगाववाद और उग्रवाद को खत्म करने पर पुनर्विचार कर रही है, इस बल की सेवाओं को लिया जा सकता है। ऐसी वारदातें दिन प्रतिदिन हो रही है - कभी बिहार में कभी मध्य प्रदेश में और कभी-कभी आंध्र प्रदेश में घट रही हैं।

सभापति महोदया, आज ही उस ओर के कुछ माननीय सदस्य संचार प्रतिष्ठानों को, जैसे टेलीफोन और ऐसी अन्य वस्तुओं को आंध्र प्रदेश और ऐसे ही अन्य राज्यों में सुरक्षा प्रदान करने के बारे में कह रहे थे। ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर सुरक्षा की आवश्यकता है। मेरे विचार से सी.आई.एस.एफ. की सेवाओं को सरकारी प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के कार्य में लगाया जाना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं अन्ततः यह दोहराना चाहूंगा कि सी.आई.एस.एफ. के अधिकारियों को समानता प्रदान करनी चाहिए, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चयन हेतु उन पर विचार किया जाना चाहिए, जिसके लिए वे पूर्ण रूप से उपयुक्त है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के बारे में अपनी बात के आरम्भ में माननीय गृह मंत्री महोदय ने जो कहा और इस विधेयक को पढ़कर मुझे जो जानकारी मिली, उसके आधार पर मैं माननीय सदस्य श्री रूपचन्द पाल द्वारा व्यक्त इस विचार से कि निजी संगठनों की इच्छानुसार सी.आई.एस.एफ. को प्रयोग में लाया जाएगा, से सहमत नहीं हूं। ऐसा इसीलिए क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही कहा है कि परमाणु प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष केन्द्रों इत्यादि जोकि निजी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, की रक्षा के लिए उनकी सेवाओं को उपयोग में लाया जाएगा।

सभापति महोदया, श्री रूपचन्द पाल ने उल्लेख किया है कि पूरी दुनिया में अपनी तरह का सी.आई.एस.एफ. ही एक

[श्री खारबेल स्वाइं]

संगठन है और उसे विशेषज्ञता भी प्राप्त है। 1968 से यह संगठन भारत की औद्योगिक संस्थाओं में सुरक्षा कार्यों से जुड़ा हुआ है और वे जानते है कि इस कार्य में कठिनाई कहां आती है। अब यदि वे निजी प्रतिष्ठानों के बारे में निजी क्षेत्र के संगठनों को सुरक्षा के बारे में कुछ विशेष सुझाव देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

परामर्शदात्री सेवा प्रदान करने के संबंध में, खतरे की अवधारणा, जोखिम का विश्लेषण और संकट से निपटने के संबंध में निजी प्रतिष्ठानों को सी.आई.एस.एफ. परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान कर सकता है। पैकेज के रूप में, वे निजी क्षेत्र को एकीकृत सुरक्षा योजना बनाने, बचाव और राहत कार्य के लिए आपात योजना, औद्योगिक टाउनशिपों की सुरक्षा, चयन, यंत्रों का स्थापन और उपयोग उच्च सुरक्षा, सुरक्षा वरिष्ठता उत्तरदायिता क्रम के सारिणियों का निर्माण, और अन्तिम परन्तु महत्वपूर्ण तोड़फोड़ के विरूद्ध सुरक्षोपायों के संबंध में परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। जब यह संगठन निजी एजेंसियों को इस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकता है और इसके द्वारा कुछ धनार्जन कर सकता है तो उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसी सेवाएं निशुल्क नहीं दी जानी चाहिए। सी.आई.एस.एफ. को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ निजी प्रतिष्ठानों को सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाने वाले इस विधेयक को लाने का सरकार ने सही निर्णय लिया है।

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। श्री दासमुंशी ने सी.आई.एस.एफ. के समूह 'क' अधिकारियों के बारे में जो कहा मैं उससे सहमत हूं। मैं इस संबंध में मेजर जनरल खण्डूड़ी और श्री रूपचन्द पाल से सहमत हूं। मैं उन सब बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं जिनका उल्लेख वे पहले ही कर चुके हैं। परन्तु मैं दो-एक बातें सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं भी कभी सिविल सेवा में था। इसलिए मैं उनकी समस्याएं समझता हूं। सी.आई.एस.एफ. की 1987 में स्थापना हुई थी। मैं माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 1996 से सी.आई.एस.एफ. में समूह 'क' के पदों में कोई भर्ती नहीं की गई है सी.आई.एस.एफ. के समूह 'क' पदो में सिविल सेवा के समूह 'क' अधिकारी ही भर्ती नहीं हुए है अपितु सेना और आई.पी.एस. के अधिकारी भी इन पदों पर नियुक्त हुए थे। सी.आई.एस.एफ. के अधिकारी भी उस संगठन में समूह 'क' पदों पर पदोन्नत हुए थे। इसीलिए यह किसी अन्य समूह 'क' सेवा के समान नहीं है। जब 1987 में अधिकारो इस सेवा में नियुक्त हुए थे वे इसे किसी अन्य समूह 'क' सेवा के समान ही जानते थे और उन्हें भी किसी अन्य समूह 'क' सेवा के समान छह से सात वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् पदोन्नति मिल जाती थी।

महोदया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस संस्थान में कमाण्डेंट के रैंक, जोकि आई.पी.एस. में पुलिस अधीक्षक (सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस) के समतुल्य है, तक पहुंचने में 20 से 23 वर्ष लग जाते हैं। आई.पी.एस. में और अन्य सेवाओं में, इस श्रेणी तक पहुंचने में केवल चार से पांच वर्ष लगते हैं। अन्य बातों को भी दासमुंशी, मेजर जनरल खण्डूड़ी द्वारा विस्तार से बताया गया था और मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से इस बात को समझने की अपील करूंगा कि एक शक्तिशाली आई.पी.एस. लॉबी है। वे कहते हैं कि अन्य सेवाओं के व्यक्तियों को उनकी सेवा में नहीं आना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से इस बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और सी.आई.एस.एफ. के समूह 'क' अधिकारियों के साथ न्याय, सुनिश्चित करने की अपील करता हूं।

अन्ततः मैं एक तथ्य का उल्लेख करना चाहता हूं जोकि विचाराधीन विधेयक से सीधे संबंधित नहीं है परन्तु यह संबंधित विषय है। यह एक अन्य रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) के बारे में है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जी.आर.पी. को दिए जाने वाले धन का पचास प्रतिशत रेल विभाग द्वारा दिया जाता है परन्तु यह रेलवे के अधीन नहीं है। यदि डकैती होती है या हत्या होती है या ट्रेन में चोरी होती है तो लोग आर.पी.एफ. से संपर्क नही कर सकते हैं। उन्हें जी.आर.पी. के पास जाना पड़ता है जोकि रेलवे के अधीन नहीं है अपितु संबंधित राज्य सरकारों के अधीन है। जब कभी भी राज्य सरकार महसूस करती है कि कोई व्यक्ति अक्षम हो गया है तो उसे जी.आर.पी. में नियुक्त कर दिया जाता है।

इसीलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि उन्हें राज्यों के गृह सचिवों को बुलाकर आर.पी.एफ. को अधिकाधिक शक्तियां प्रदान करने के बारे में विचार करना चाहिए क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना यह बात संभव नहीं है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी अपील करता हूं कि वे आर.पी.एफ. को और अधिक शक्तियों को प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की एक बैठक आयोजित करें जिससे कि वे भारत के रेलवे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रभावी ढंग से कर सकें।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): माननीय सभापति महोदया, यह वास्तव में व्यापक दृष्टिकोण का परिचायक है कि यहां पर एक संशोधन लाया गया है। परन्तु निजी उद्यम को दी जाने वाली सेवाएं भी प्रशंसनीय है क्योंकि आजकल कई निजी परामर्शदात्री सेवाएं भी सामने आई हैं। उनमें आकस्मिक वृद्धि हुई है। उन्हें जमा धनराशि के रूप में काफी धन मिल रहा है परन्तु वे निजी उद्योगों को भेजे जाने वाले सुरक्षा कर्मियों को अत्यलप धनराशि वेतन के रूप में प्रदान करते हैं। इसीलिए, यदि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करती है तो आम लोगों को भी नौकरियां मिल सकती है और उन्हें भी अच्छा वेतन मिल सकता है।

महोदया, मैं केवल पुलिस के सिपाहियों कांस्टेबलों की बात कर रहा हूं। मैं आई.पी.एस. रैंकों या केन्द्रीय सेवाओं के व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं जोकि प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्त होते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अधिकारियों और उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों का अनुपात बहुत कम है। इस अनुपात को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे और अधिक कांस्टेबलों को भर्ती की जा सके।

इसके अलावा, कांस्टेबल के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति सुदूर क्षेत्रों से आते हैं। विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र और अन्य ऐसे क्षेत्रों से कई लोग आते हैं। जब ऐसे व्यक्तियों को असम या ऐसे ही किसी राज्य में भेजा जाता है तो उन्हें घर की याद सताती है। इसके परिणामस्वरूप, पांच वर्ष या दस वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् वे अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं और अपने मूल निवास स्थान पर वापस आ जाते है। परन्तु उन्हें अपने मूल राज्यों में तैनात करके इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहां अधिकांशत संयुक्त परिवार हैं और हमें उनकी माताओं, पिताओं, भाइयों, बहनों और बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। इसलिए हमें उन्हें उनके अपने राज्यों में तैनात करने के लिए रास्ता खोजना होगा।

महोदया, एक अन्य बात जिस पर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्हें आतंकवाद का मुकाबला करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के उद्योगों विशेष रूप से पेट्रोल उद्योग में आतंकवादी गतिविधियां चल रही है। यह असम जितनी गम्भीर नहीं है परन्तु यह प्रत्येक राज्य में है। यहां तक कि चेन्नई में भी, पाइपलाइनों से तेल की और अन्य चीजों की भारी मात्रा में चोरी हो रही हैं। इसलिए उन्हें पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उनके पास अपराधियों का पता लगाने के तरीके होने चाहिए। वे इस स्थिति में होने चाहिए कि राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा सही तरीके से कर सके।

अंत में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि सेवा मामलों से संबंधित प्रावधान समुचित रूप से तैयार किए जाएं। क्योंकि यह क्षेत्र केवल सरकार के नियंत्रण में नहीं है। यह केवल निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा ही नियंत्रित होता है। इसलिए उनकी सेवाओं की रक्षा की जानी चाहिए। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को चाहिए वहां पर नियुक्त किए जाने वाले एक अनुशासित बल का इस तरह से शोषण नहीं करना चाहिए। निजी क्षेत्र में भेजे जाने वाले लोगों को सुरक्षा दी जानी चाहिए।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): सभापति महोदया, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम केवल सरकारी क्षेत्र के उद्यमों अर्थात् सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। चूंकि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है इसलिए के.औ.सु.ब. की गतिविधियां भी काफी हद तक निजी क्षेत्र द्वारा भी की जाएंगी। के.औ.सु.ब. अधिनियम को दश भर में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। परन्तु इसके बावजूद, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अपना सुरक्षा बल होता है।

इस प्रमुख अधिनियम को बनाते समय भी कुछ माननीय सदस्यों ने इसी सभा में इसका विरोध किया था।

अपराह्न 4.00 बजे

उस समय सरकार ने यह आश्वासन भी दिया था कि के.औ.सु.ब. का उपयोग श्रम संघ के आंदोलनों को दबाने के लिए किया जाएगा। परन्तु सभी जानते हैं कि मजदूर संघ के आंदोलनों के खिलाफ के.औ.सु.ब. की तैनाती के संबंध में कई अज्ञात रिपोर्टें प्राप्त हुई थी।

विभिन्न स्थानों पर कई लोग के.औ.सु.ब. की गोली का शिकार होते रहे हैं, यहां तक कि वे भी जो भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करते हैं।

इसके विपरीत, यह बल इनके सुपुर्द की गई संपत्ति की सुरक्षा करने में पूर्णतः विफल रहा है। अभी भी सामान की चोरी होती है। वे केवल मजदूर संघ आंदोलन को दबा सकने की विशेषज्ञता प्राप्त कर सके हैं।

[श्री सुनील खां]

निजी क्षेत्र मूल अधिनियम की धारा 10 खण्ड (ङ) में दी गई ऐसी विशेषज्ञता प्राप्त करने में काफी रुचि लेता है जो संभवतः नि-शुल्क या सामान्य दरों पर दी जाती है।

चोरी के मामले में अथवा अन्यथा, विशेष रूप से निजी क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे कर्मी को पदच्युत करने के स्थान पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति प्रतिस्थापित किया गया है जो धारा 8 खंड (एक) और (दो) उपखंड (ङ) के तहत है, जिसमें सजा के अनेक खंड शामिल किए गए हैं। यदि के.औ.सु.ब. का प्रयोग कामगारों के आंदोलन को दबाने के लिए किया जाता है तब सरकार की स्थिति क्या होगी?

मूल अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उप धारा (1), खंड 2(ग) को अंतःस्थापित किया जाना है जिसके द्वारा अगर पीड़ित कार्मिक प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट न हो तो पीड़ित कार्मिक बल को अपना मामला किसी विधायी न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी जा सकती है।

उदाहरण के लिए, अगर सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र में किसी तरह के भ्रष्टाचार की कोई घटना होती है, जिसके विरुद्ध मजदूर प्रदर्शन करते हैं तो हम सामान्यतया देखते हैं कि के.औ.सु.ब. के कर्मियों का प्रयोग प्रदर्शनकरियों को तितर-बितर करने या प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने का आदेश देने के लिए होता है।

के औ. सु. ब. का प्रयोग इस तरह के प्रदर्शन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): सभापति महोदया, मैं इस विधेयक के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं। इस विधेयक पर बोलने से मैं पहले नियुक्त किए गए सहायक कमांडेंट की दयनीय स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने सुझाव दिया था कि उन्हें भारतीय पुलिस सेवा में लिया जाना चाहिए। परन्तु मेरा यह सुझाव है कि अब जबकि वे 15 अथवा 16 वर्ष तक सेवा कर चुके हैं, तब उन्हें भारतीय पुलिस सेवा में शामिल करना उचित नही होगा। मैं माननीय गृह मंत्री से अपील करता हूं कि उनके लिए उपमहानिरीक्षक और महानिरीक्षक के कुछ पद आरक्षित करने पर विचार करें ताकि जो कमी आ गई है। वह दूर की जा सके और कुछ वर्षों के बाद, जिन अधिकारियों को आरम्भिक स्तर पर वर्ग एक सेवाओं में भर्ती किया गया था वे वहां न भी हों तथा इन बातों को अलग तरीके से सुलझाया जा सके।

जहां तक इस अधिनियम का संबंध है, इस संशोधन को लाने की दोहरी मंशा है। पहला, इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र और दायरे को बढ़ाना है, दूसरा, कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के बाद के.औ.सु.ब. के कर्मियों के कर्त्तव्यों में कुछ और वृद्धि करना है। जब कर्त्तव्यों में वृद्धि कर दी जायेगी तो सजा का सवाल आयेगा। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि सनातन साहू और के.औ.सु.ब. के मामले में सेवा से बर्खास्तगी से संबंधित उच्चतम न्यायालय के फैसले पर विचार किया जाए तथा पूर्वप्रभावी आदेश दिया जा सके। यह इस संशोधित अधिनियम के खण्ड 10 में दिया गया है।

मैं संशोधित अधिनियम के खण्ड 10 से ही बात शुरू करना चाहूंगा। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन व्यक्तियों के बारे में भी सोचें जो किसी प्रत्यायोजित प्राधिकारी के कारण अपना मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष ले जाने में असमर्थ थे।

इस प्रत्यायोजित प्राधिकार को खण्ड 10 के माध्यम से पुनर्क्षम बनाने का प्रस्ताव किया गया है। जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं उन्हें अपनी नौकरी पर वापस आने का मौका भी नहीं मिलता। सनातान साहू एक मात्र ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे अपनी नौकरी वापिस मिल गयी। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे स्मारकों पर विचार करने की कृपा करें। विधेयक के पारित होने के बाद यह अधिनियम बन जाएगा तथा उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। मैं यह अनुरोध करता हूं कि सरकार जब भी सरकार के पास आवेदन भेजे जाते हैं उन पर विचार करने की कृपा करें तथा उन्हें सेवा में पुनः लेने की कोशिश करें। मैं माननीय गृह मंत्री से यही अनुरोध करना चाहूंगा अन्यथा कई व्यक्ति नौकरी में वापस आने से वंचित रह जायेंगे।

जहां तक दायरे और कार्यक्षेत्र का संबंध है, निजी क्षेत्र के उपक्रम के.औ.सु.ब. की सेवाएं ले सकने में समर्थ होंगे। चूंकि के.औ.सु.ब. के पास विशेषज्ञता है अतः यह निजी क्षेत्र की औद्योगिक स्थापनाओं को चलाने में मार्गनिदेश दे सकता है। इसका एक अच्छा प्रावधान यह है कि यह औद्योगिक तकनीकी सेवा प्रदान करेगा और व्यक्तियों की सुरक्षा करेगा। मैंने यह देखा है कि जब के.औ.सु.ब. का गठन 1968 में किया गया

था तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी वहां जाने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को एक साथ मिलाया गया था तथा जो लोग सुरक्षा शाखा में थी तथा उन उपक्रमों में काम कर रहे थे जिनके पास समुचित प्रशिक्षण या प्रवृत्ति नहीं थी उन्हें के.औ.सु.ब. के भाग के रूप में लिया गया था। बाद में 1983 में यह एक बल बन गया। इस प्रकार एक प्रकार का प्राधिकरण मिला धीरे धीरे काफी संख्या में लोगों की भर्ती की गई।

ऐसे भी दृष्टान्त मिले थे जब के.औ.सु.ब. के कार्मिक किसी व्यक्ति को सुरक्षा नहीं प्रदान करना चाहते थे। इस अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया है ताकि स्थापना और व्यक्तियों दोनों ही को समान संरक्षण और समान सुरक्षा मिल सके। के.औ.सु.ब. अधिनियम के खण्ड 3 को संशोधित करके के.औ.सु.ब. की ड्यूटी में वृद्धि कर दी गई है। यहां केन्द्र सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य कोई ड्यूटी में भी जोड़ा गया है। मुझे आशा है कि इसमें दंगों को दबाना, आपात राहत और आतंकवाद विरोधी गतिविधियां आदि शामिल हैं। के.औ.सु.ब. ने पाराद्वीप में आए भयंकर चक्रवात के समय काफी अच्छा काम किया था। यह नियम बन सकता है क्योंकि नियम बनाने के संबंध में प्रावधान हैं। धारा 3 के अनुसार की जाने वाली ड्यूटी को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

न्यायालयों के सामने एक अन्य मामला आया है जो दी जाने वाली सजा के बारे में है। खंड 5 (ङ) में "पदोन्नति रोकना" प्रावधान है। यह बहुत स्पष्ट नहीं है। जहां तक किसी पुलिस सेवा में पदोन्नति का संबंध है अगर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ठीक नहीं है, अगर कोई सजा दी गई है तो उस व्यक्ति को पदोन्नत नहीं किया जाता। परन्तु अगर सजा छोड़ दी जाती है और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर गौर न किया जाए तो उसका मामला उस बोर्ड के समक्ष आएगा जो पदोन्नतियों संबधी कार्य करता है। सजा के तौर पर पदोन्नतियों को रोकना इस दृष्टि से अच्छा नहीं होगा कि जिस अवधि के लिए पदोन्नति रोकी जाती है, वार्षिक वेतन वृद्धि भी रोकी जा सकती है, जिससे विशेष रूप से धन हानि भी होती है। परन्तु पदोन्नति रोकना बहुत अस्पष्ट है और इससे भ्रम पैदा होता है। जैसाकि पहले हुआ जिसके लिए खण्ड 10 को पुन: वैध बनाया गया है।

अपराह्न 4.09 बजे

[**श्री पी.एच. पाण्डियन** *पीठासीन* हुए]

इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पक्ष पर विचार करें तथा पदोन्नति को रोकने से संबंधित सजा के मामले में होने वाली किसी भी अस्पष्टता को दूर करें। इन मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है।

अंतत: निजी क्षेत्र की कई सुरक्षा एजेन्सियां सामने आ रही हैं। इससे यूनीफार्मधारी अधिकारी, सेवानिवृत्ति होने पर औद्योगिक संगठनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे संस्थान की स्थापना करते हैं। इनमें से कुछ सुरक्षा संगठनों ने बेतुके हथकंडे अपनाए हैं। वर्ष 1987 में निजी क्षेत्र की सुरक्षा एजेन्सियों के पंजीकरण और नियंत्रण के लिए अधिनियम बनाने संबंधी बात हुई थी परन्तु इस पर अमल नहीं हुआ था।

अब भी, धारा 3, 10 और 14(क) के प्रावधानों के अंतर्गत कोई विनियामक तंत्र प्रदान करने के लिए इस अधिनियम में गुंजाइश है। उनका काम समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत कुछ प्रावधानों द्वारा निजी संगठनों का कार्य विनियंत्रित करना है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि इन नियमों को इस तरह से बनाया जाए कि निजी क्षेत्र की सुरक्षा एजेन्सियों का काम विनियंत्रित किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया।

वाद-विवाद केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सेवाओं की दशा पर केन्द्रित रहा। जहां तक इस विधेयक का संबंध है मैं केवल यह कह सकता हूँ अभी-अभी श्री अनादि साहू द्वारा उल्लेख किए गए जैसे छोटे मामलों के सिवाय इसका उससे प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और यह विधेयक मूलत: बल की सेवाओं को परिभाषित करने के लिए है न कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सरकारी उपक्रमों तक सीमित करने के लिए है और उनके सेवा के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए है, जिससे उनका संबंध हो सकता है।

वर्तमान में सरकार यह प्रस्ताव नहीं करती है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कमियों को निजी उपक्रमों को सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, इस संबंध में अपील की गई है कि वे हमें परामर्शी सेवाएं या सलाह क्यों नहीं दे सकते हैं चूँकि उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है। अत: यह महसूस किया गया है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि नए आर्थिक वातावरण में ऐसी स्थिति विकसित हो रही

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

है। श्री रूपचन्द पाल या किसी अन्य नेता का निजी क्षेत्र के प्रति पक्षपातपूर्ण रुख हो सकता है किंतु इस सरकार का निजी क्षेत्र के प्रति पक्षपातपूर्ण रुख नहीं है। हम मानते हैं कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की भारतीय अर्थव्यवस्था में अति महत्वपूर्ण भूमिका है और इस संदर्भ में सरकार आर्थिक वृद्धि व अर्थव्यवस्था की मुख्य विनियामक भी होगी। अत: यदि बल को कुछ विशेषज्ञता प्राप्त है और वह इस विशेषज्ञ सेवा को निजी क्षेत्र को प्रदान कर सकता है तो यह निश्चित रूप से ऐसा करना चाहेगा।

जैसा आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमने उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि:

> "वर्षों से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है जिसका प्राइवेट सेक्टर को अपनी सुरक्षा को विकसित करने और मजबूत करने के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करके लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परामर्शी सेवाएं पूर्ण लागत की वसूली पर आधारित होंगी।"

मैं इस बात पर बल देता हूँ और यह भुगता या उस तरह की कोई बात नहीं है। मुझे ध्यान है कि मार्च, 1999 में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई थी उसमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के इस मुद्दे पर सविस्तार से चर्चा की गई थी। इस चर्चा के फलस्वरूप एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी। यह सूचना सही नहीं है कि इस संबंध में निखिल कुमार समिति और फिर बाद में कक्कड़ समिति का गठन किया था। केवल एक समिति निखिल कुमार समिति गठित की गई थी और उस समिति ने कई सिफारिशें की। इन सिफारिशों, जिन्हें सरकार ने स्वीकार किया था, के परिणामस्वरूप केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कॉडर के अधिकारी आज महानिरीक्षक रैंक तक जा सकते हैं। सरकार द्वारा समिति की सिफारिशें स्वीकार करने के बाद भारतीय पुलिस सेवा का कोटा काफी कम किया गया है।

अत: स्थायी समिति में संसद सदस्यों के साथ चर्चा और सरकार के निर्णय के बाद केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल काडर के अधिकारियों की सेवा शर्तों में काफी सुधार हुआ है।

जहां तक श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा किए गए इस अनुरोध का संबंध है कि यह विधेयक केन्द्रीय औद्योगिक बल की सेवा शर्तों, सीधी भर्ती से आए अधिकारियों और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ उनकी सापेक्ष स्थिति से प्रत्यक्षत: संबंधित नहीं है मैं सभा को यही आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं इस मामले पर विस्तार से और स्वतंत्रतापूर्वक विचार करूंगा और यह प्रयास करूंगा कि कोई अन्याय न हो।

एक माननीय सदस्य ने टिप्पणी की कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है। यह सच नहीं है। उसका कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा व अत्युत्तम है। जिस प्रकार बल देश के 222 सरकारी उपक्रमों के देखभाल कर रहा है उसके लिए मैं उसे बधाई देता हूँ। जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा सेवा शर्तों विशेष रूप से सीधी भर्ती से आए कर्मियों की शिकायतों का संबध है मैं उन पर अलग से विचार करूंगा। जहां तक इस विधेयक का संबंध है इसमें प्राइवेट सेक्टर को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने का उपबंध है और उनका दायित्व का क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से परे तक होगा। ये सरकारी एकक या सरकार द्वारा वित्तपोषित एकक होंगे।

यह सुझाव भी दिया गया था कि इसे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा पर भी लागू किया जा सकता है। किंतु मेरा विचार है कि अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात अर्द्धसैनिक बलों को हटा दिया जाना चाहिए। मैंने हाल ही में इस मामले पर कुछ विस्तार से चर्चा की थी। अत: अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इस तरह की सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की सभा की सर्वसम्मत स्वीकृति की अनुशंसा करता हूँ।

श्री रूपचन्द पाल: मैंने कहा है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कई ऐसे अधिकारी हैं जो भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा आदि के लिए चुने गए थे किंतु नियम 4 और 7 के कारण उन्हें इस आधार पर उन सेवाओं में कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई कि केन्द्र सरकार के सभी सिविल सेवकों को समान नहीं माना जा सकता है। अब इस संशोधन के बाद क्या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? यदि उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो उनके हितों की रक्षा कैसे की जाएगी?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय गृहमंत्री ने अभी अपने उत्तर में कहा है कि इस विधेयक की व्यप्ति प्राइवेट सेक्टर को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने तक सीमित है। मेरे विचार से यह उन्नति आवश्यक है। किंतु जब आप कहते है "कोई अन्य कर्त्तव्य", तो कर्त्तव्य दायित्व बन जाते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक

सुरक्षा बल की आशंका है कि समानता नहीं बनाए रखी जाएगी; चूँकि माननीय मंत्री ने कहा है कि वे इस पर विचार करेंगे क्योंकि यह इस विधेयक से संबंधित नहीं है। अतः सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ परामर्श कर बल के अधिकारियों के साथ, जिसे भी वे सक्षम समझें, एक बैठक करें और उनकी चिंता दूर करें और जिन बातों को वे उठाएं उन पर गौर करें।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: महोदय 1996 से कोई भर्ती न होने के कारण बल के अधिकारियों में यह भावना है कि उनकी सेवाएं व्यर्थ जा रही हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि यदि बल के अधिकारियों के साथ बातचीत की जाए तो ऐसी गलतफहमी दूर की जा सकती है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ स्पष्ट बातचीत करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि यदि इस संबंध में विशेषरूप से समानता के प्रश्न के बारे में कोई शिकायत है तो उसे दूर किया जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत निपटान की गई कतिपय पुनरीक्षण याचिकाओं को विधिमान्य ठहराने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 10 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 10 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.19 बजे

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 14 लेंगी। श्री प्रभुनाथ सिंह अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 1999, जो मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। पहले भी इस पर काफी बातें हो चुकी हैं। इस बिल में मैंने पूर्व में जहां न्यायालयों में जजों की रिक्तियों के मामले के निपटारे के लिए मध्यस्थता और हलफनामे की चर्चा की थी, अब मैं ओथ कमिश्नर के सामने साक्ष्य प्रक्रिया का जो जिक्र किया गया है, उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। न्यायालयों में ओथ कमिश्नर जो बहाल किये जाते हैं, वे वकील होते हैं। खासकर जो अच्छे वकील होते हैं, जिनके पास लोग जाते हैं, वे ओथ कमिश्नर नहीं बनना चाहते। जिन अधिवक्ताओं की प्रैक्टिश नहीं चलती, वे ओथ कमिश्नर बनते हैं। उन लोगों के सामने साक्षियों

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

का साक्ष्य लिया जाता है। बहुत से ऐसे ओथ कमिश्नर होते हैं, जहां ओथ करने वाले नहीं जाते। उनकी फीस बंधी होती है, वे फीस लेकर दस्तखत कर देते हैं। इस तरह के साक्ष्य में मुझे लगता है न्याय पाने में बड़ी कठिनाई होगी। अगर न्यायालयों में ओथ कमिश्नर के साक्ष्य की ही व्यवस्था करनी है तो हम चाहेंगे कम से कम कार्यपालक के सामने दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ओथ कमिश्नर के पास उचित नहीं है।

अंतरिम राहत के संबंध में मंत्रीजी ने कहा था कि जब कोई व्यक्ति इसके लिए न्यायालय जाएगा तो उसे पैसा जमा करना होगा। यह ठीक है कि अंतरिम राहत में काफी गड़बड़ियां हैं। जहां तक मुझे स्मरण है, बिहार में पानापुर थाने का एक मुकदमा 1995 से लम्बित है। उसमें पुलिस आरोप पत्र समर्पित करने जा रही थी, आदेश हो चुका था, वहां के अभियुक्त द्वारा हाई कोर्ट में जाकर एक पीटिशन फाइल की गई और उसे अंतरिम राहत दे दी गई कि जब तक न्यायालय का फैसला नहीं होगा, तब तक यह कार्यवाही स्थगित रहेगी। आज तक वह फैसला लम्बित है और पुलिस का आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है। यह बात ठीक है कि उसमें कहीं न कहीं कठिनाई होती है, लेकिन अंतरिम राहत के माध्यम से पैसा जमा कर अंतरिम राहत देना उचित नहीं होगा। जिनके पास पैसा है, वे पैसा जमा कराकर यह सुविधा पा सकते हैं। जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको अंतरिम राहत नहीं मिलेगी। इसलिए हम चाहेंगे अंतरिम राहत के मामले में मंत्री जी स्पष्ट कानून बनाएं कि जिन मामलों में अंतरिम राहत दी जाए, उनकी समय सीमा तय कर दी जाए, जिससे वह केस डिसपोज हो जाए, अंतरिम राहत के माध्यम से यह न हो, नहीं तो गरीब लोगों, गांव के लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। सम्मन की समय सीमा, मंत्री जी ने घटाने की बात कही है।

हम मंत्री जी को बधाई देंगे, निश्चित तौर पर समन की समय-सीमा घटानी चाहिए। लेकिन हम मंत्री जी से एक निवेदन यह भी करेंगे कि समन की जो तामील करने की प्रक्रिया है, आप उस पर गौर करें। आप सभी समन पुलिस के माध्यम से भिजवाते हैं और कभी न्यायालय का चपड़ासी देने जाता है। मैं उस प्रक्रिया में सच्चाई और व्यावहारिक बात बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के यहां समन जाना चाहिए वहां नहीं जाता है और बीच में ही कोई व्यक्ति 50-100 रुपए चपड़ासी को देकर उनके घर पर समन का कागज टांग देता है और वह पास आ जाता है। इसलिए कभी-कभी यह देखने को मिलता है कि ऐसे मुकदमों में एकतरफा न्याय हो जाता है। जो न्यायालय में न्यायाधीश बैठता है वह उन्हें गुस्सा होता है कि हमने समन भेजा और इसने तामील नहीं किया। इसलिए गुस्से और आक्रोश में उनका न्याय होता है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के नाम से समन जाता है वह तामील करे। अगर वह जानबूझ कर एवाइड करता हो तो उसके किसी निकट संबंधी को भी तामिल करा देना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को जानकारी हो कि हमारे मामले में सुनवाई की तिथि यह है, हमें न्यायालय ने आदेश दिया है, हमें बुलाया है। अगर समन की तामील की प्रक्रिया में ठीक व्यवस्था नहीं की गई तो हम आपसे कहेंगे कि बराबर एकतरफा न्याय होता रहेगा और न्याय सही ढंग से नहीं हो पाएगा।

महोदय, हम एक-दो मामले और बताना चाहते हैं। कभी-कभी यह देखने को मिलता है कि किसी मुकदमे में जितने दिन की सजा होती है उससे ज्यादा दिन अभियुक्त जेल में रह जाता है। ऐसे ही एक बंगाल का मामला राष्ट्रीय सहारा अखबार में 16 तारीख को निकला था। इसमें लिखा हुआ था-"37 वर्ष से जेल में बंद कैदी के मामले की न्यायिक जांच के आदेश।" आपके यहां धारा 302 के मुकदमे में ज्यादा से ज्यादा फांसी होती है या आजीवन कारावास की सजा करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): यदि आप बुरा न मानें तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि इस विधेयक का संबंध सिविल प्रक्रिया से है। हम इस समय दंड प्रक्रिया पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब क्रिमिनल प्रोसिजर कोड का सवाल आएगा तो आपकी सब बातें ध्यान में रखी जाएंगी।

सभापति महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह आपने पहले दिन भी नौ मिनट का समय लिया। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें। आपने सबसे अधिक समय लिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, मैं आपको सेठी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं। जो सेठी कमीशन की रिपोर्ट आई है, प्रधानमंत्री जी और लॉ मंत्री जी को दी गई है, उसमें सेठी कमीशन ने बहुत सी अनुशंसाएं की हैं। उन अनुशंसाओं में जहां न्यायिक पदाधिकारियों की कमी के बारे में कहा गया है, वहीं उनकी सुविधा से संबंधित बातों पर चर्चा की गई है

और उनकी उम्र भी 58 साल से 62 साल करने की बात की गई है। यह माना जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब का कारण न्यायपालिका में न्यायाधीशों आदि की कमी है, खास कर बिहार में 1990 के बाद न्यायपालिका नियुक्ति नहीं हो पाई है। न्यायपालिका में नियुक्ति न होने के कारण वहां सही ढंग से केसों का निपटारा नहीं हो पाता है। नवम्बर और दिसम्बर के महीने में ज्यादा से ज्यादा लोग रिटायर होते हैं। हमें लगता है कि बिहार में रिटायर होने वालों की जो संख्या है, उनके रिटायर होने के बाद बहुत से मामले इसी तरह पैंडिंग रह जाएंगे। अगर सेठी कमीशन की रिपोर्ट को आप लागू करना चाहते हो, मैं नहीं जानता कि सरकार इस पर क्या करना चाहती है। हम चाहेंगे कि जो लोग दिसम्बर की लिस्ट में रिटायर होने वाले हों उन पर रोक लगा देनी चाहिए, अन्यथा जजों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करानी चाहिए ताकि मामले का निपटारा जल्दी और सही ढंग से हो सके।

महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैंने जो सुझाव दिए हैं, मुझे विश्वास है कि मंत्री जी हमारे सुझावों पर गौर करेंगे और जो बात मानने लायक होगी उसे निश्चित रूप से मानेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपने जवाब के समय हमें और सदन को संतुष्ट कराने की कृपा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): सभापति महोदय, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1999 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

इस विधेयक का समर्थन करने से पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि उन संशोधनों के बारे में सदस्यों की अलग-अलग राय है जो सरकार इस सम्माननीय सभा में लाना चाहती है। नि:संदेह इस संदर्भ में अलग-अलग राय नहीं हो सकती है कि कानूनी प्रक्रिया में विलम्ब होता है। न्याय मिलने में विलम्ब न्याय से वंचित रखना है। इस सूक्ति से कानून विशेषज्ञ जैसे श्री राम जेठमलानी और माननीय सभापति महोदय, जो मद्रास उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, भलीभांति परिचित है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जल्दबाजी में किया गया न्याय, न्याय को दफन करना है।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : न्याय न केवल किया जाना चाहिए अपितु ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय किया गया है। यदि मैं अपने ही एक मामले को उद्धृत करता हूं कि 1971 में मेरे पिताजी के विरुद्ध एक सिविल मुकदमा किया गया था जो अभी भी लम्बित है और शायद मेरा पोता इस प्रक्रिया को पूरा करे। अत: वर्तमान में यह स्थिति व्याप्त है।

महोदय, एक रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न न्यायालयों में 200 लाख मामले लम्बित पड़े हैं, फिर यह विधेयक क्यों लाया गया है? निश्चित तौर पर इस संबंध में व्यापक विचार-विमर्श हुआ होगा। एक समिति ने मुद्दे पर विचार किया और इन सभी संशोधनों के बारे में निर्णय किया था। माननीय मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि यह एकमात्र समाधान नहीं है। कानून में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिए इस विधान के बारे में एक सम्मेलन होना चाहिए। यदि यह एकमात्र समाधान नहीं है तो फिर अन्य किस बात की आवश्यकता है। यदि श्री रामजेठमलानी जैसे माननीय मंत्री यह नहीं कर सकते है तो फिर इसे कोई नहीं कर सकता है।

इस देश में हमारे माननीय सभापति, जो संवैधानिक विशेषज्ञ है, सहित कई संवैधानिक विशेषज्ञ है। न्यायिक आयोग के लिए निरन्तर मांग की जाती रही है जैसाकि विद्वान सदस्य श्री राधाकृष्णन ने हाल ही में बताया था कि कई पद रिक्त पड़े हुए है। और सभी इन रिक्तियों को भरा जाना है लेकिन कई राज्यों में ऐसे मामले है जहां वे इन रिक्तियों को भरने में जल्दबाजी कर रहे है। वे जल्दबाजी इसलिए कर रहे है ताकि वे अपनी पसन्द के व्यक्तियों को लाभान्वित कर सके, अपनी सनक में, अपनी मनमर्जी से वे ऐसा किए जा रहे है इसलिए इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए।

मेरा प्रश्न है कि विधान को टुकड़ों में थोड़ा-थोड़ा बनाने के बजाय हमें न्यायालयों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें न्यायालय में विद्यमान रिक्त पदों को भरने का प्रयास करना चाहिए। यदि न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाती है, यदि अधिक न्यायालय स्थापित किए जाते है तो मामलों के निपटान के विलम्ब को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इसलिए इस सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। इस विधेयक पर बोलने का मुझे अवसर दिये जाने पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दक्षिण राज्यों में उच्चतम न्यायालय की अलग खण्डपीठ की स्थापना की जानी चाहिए और इसका मुख्यालय चैन्नई में हो सकता है इससे लगभग 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। यह मांग पिछले कई

[श्री टी.एम. सेल्वागनपति]

वर्षों से की जा रही है। दशक दर दशक हम इस मांग को उठा रहे है। कन्याकुमारी अथवा सिक्किम में अपने मुकदमें के लिए कोई व्यक्ति नई दिल्ली क्यों आए जो कि बहुत महंगा पड़ता है। जहां निर्णायक न्यायालय दिल्ली है, जहां मुकदमें में विधि का सवाल संलिप्त रहता है ऐसी स्थिति में वादी अपना मुकदमा दायर करने का अवसर खो देता है। उच्चतम न्यायालय इन मामलों में से कई मामलों के संबंध में विचार-विमर्श करता है निधियों के अभाव के कारण और राष्ट्र की बहुसंख्यक स्थिति के कारण विगत वर्षों यही सब हुआ है ...*(व्यवधान)* चाहे वह हैदराबाद में अथवा किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए हमें इस पर सर्वसम्मत निर्णय लेना चाहिए। सर्वप्रथम हमें भारत के दक्षिण भाग में उच्चतम न्यायालय खण्डपीठ-चाहे यह हैदराबाद अथवा किसी अन्य स्थान पर हो - स्थापित करना चाहिए। हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी पृथक खण्डपीठ की स्थापना करनी चाहिए।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): यह हैदराबाद में स्थापित की जा सकती है जो कि सुविधाजनक स्थान है। लगभग सभी ओर से हैदराबाद पहुंचने में एक घंटे की यात्रा करनी होगी ...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैं असहमति पर सहमत हो सकता हूं।

लेकिन यह अब आवश्यक है क्योंकि इस खण्डपीठ की स्थापना में दक्षिण भारत के 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे चूंकि अभी हमारे देश के दक्षिण भाग में उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ नहीं है, कई लोग न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय में आने के अवसर को खो देते है।

महोदय, एक अतारांकित प्रश्न के संबंध में जिसे परियाकुलम में मेरे विद्वान मित्र श्री टी.टी.वी. दिनाकरन ने तमिलनाडु राज्य में मुदरै में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना जिसके अभाव से न्याय पाने में विलम्ब का सवाल भी जुड़ा है के सम्बन्ध में आप से पूछा था। इस खण्डपीठ की स्थापना के लिए वर्ष 1995 में मंजूरी दे दी गई थी और छह माह की अवधि के दौरान जब हमारे नेता डा. पुराची थालवी सत्ता में थी, तो हमने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चला दी थी लेकिन दुर्भाग्यवश जब दूसरी सरकार सत्ता में आई तो अब लगभग पांच वर्षों से भूमि अधिग्रहण का मामला लंबित पड़ा हुआ है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार को जगाए जो सो रही है उन्हें सरकार को जगाना पड़ेगा। यदि वह सरकार उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने में पांच वर्ष लगाती है तो आप न्यायिक विलम्ब के कारण भटके मामलों पर इस सरकार की चिन्ता की कल्पना कर सकते हैं ...*(व्यवधान)* मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं चाहता हूं कि वह अपनी गलती सुधारे। लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इस विधेयक के सार पर आते हुए मुख्य अधिनियम की धारा 102 दूसरी अपील से संबंधित है। मुझे उक्त धारा को उद्धृत करने की अनुमति दी जाए। यह कहती है:

> "जब मूल वाद की राशि या विषय वस्तु का मूल्य पच्चीस हजार रुपए से अधिक न हो तो किसी डिक्री से दूसरी अपील नहीं होगी।"

यह धारा के अन्तर्गत मुकदमे का निपटान होता है। हमें प्रसन्नता होगी और हम इसे बिल्कुल अन्यत्र नहीं लेंगे यदि इसके अन्तर्गत केवल दीवानी मुकदमें अथवा गिरवी संबंधी मुकदमों को निपटाया जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार हमारी न्यायिक व्यवस्था में सुनिश्चित है लेकिन यह धारा किसी व्यक्ति अपील के अधिकार में कटौती करती है मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह असंवैधानिक है। इसे सिद्ध करने के लिए प्रावधान है लेकिन हम किसी को इस अधिकार से वंचित क्यों कर दें? हमारे लिए एक रुपया महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, यह तुच्छ राशि हो सकती है लेकिन गरीब व्यक्ति के लिए गांव के आदमी के लिए 25,000 रु. की राशि काफी बड़ी है। अत: उसे न्यायिक विलम्ब के नाम पर अपील करने के लिए प्रावधान से क्यों वंचित रखा जाए? हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, किसानों का आधिपत्य है, और अधिकतर किसान गरीब है। यदि वे मुकदमेबाजी में फंस जाते है और मूल मुकदमें में 25,000 रु. से कम की राशि अन्तर्ग्रस्त है तो वह उच्च न्यायिक मंच पर अपील नहीं कर सकता। अत: हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए इस उपबन्ध को हटाया जाना चाहिए। दूसरा यह धारा टाइटल सूट पर भी लागू होता है। कोर्ट फीस भुगतान के अन्तर्गत किसी कृषि भूमि का मूल्य उसके लिए किश्त के रूप में अदा की गई राशि पर आंका जाता है अर्थात् कृषि भूमि का बाजार मूल्य सरकार को अदा की गई किश्त की राशि से 30 गुना अधिक आंका जाता है मेरी भूमि लाखों रुपये की हो सकती है लेकिन कोर्ट फीस भुगतान के अन्तर्गत उसका मूल्य अदा किये गए "किश्त" से 30 गुना अधिक निर्धारित

किया जाएगा। यदि ऐसा है तो मैं न्यायालय की फीस न्यायालय फीस अधिनियम के अनुसार देना चाहूंगा क्योंकि सम्पत्ति का मूल्य न्यायालय फीस अधिनियम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह निदेश दें कि जायदाद का मूल्य सही आंका जाना चाहिए उस मामले में इसका आकलन मौलिक मूल्य चाहे यह निर्देशित मूल्य हो अथवा बाजार मूल्य हो के आधार पर होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम उन्हें न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी को मेरे सुझाव पर आपत्ति नहीं होगी। यदि संहिताबद्ध धारा है यह संहिताबद्ध है - कि कृषि भूमि का मूल्यांकन अदा की गई किश्त के अनुसार होना चाहिए तो मैं समझता हूं कि इससे विसंगति ही होगी, यह एक समस्याग्रस्त संशोधन विशेष ही होगा।

सभापति महोदय : आपने दस मिनट ले लिए है। आपकी पार्टी को केवल आठ मिनट दिये गए थे। मैंने आपको दो मिनट अधिक दे दिये है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदय कृपया मुझे कुछ अधिक समय देने की कृपा करें। यह मुद्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : अभी बोलने वाले नौ और सदस्य हैं।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा।

यदि किसी जायदाद का मूल्य अधिक होता है तो कोर्ट फीस के अन्तर्गत इस तरह का सुझाव होता है कि इसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे समाप्त किया जाए। धारा 18 के अनुसार विधेयक में अत्यन्त महत्वपूर्ण उपबन्ध में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस मामले में परिनिर्धारण की अनुमति दी गई है। ऐसे कई मामलों में इसे अनिवार्य कर देना चाहिए। लेकिन यहां मैं देखता हूं कि परिनिर्धारण के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी है। यदि हम कहते है कि परिनिर्धारण स्वीकार किया जाए तो पीठासीन अधिकारी को माध्यमस्थम के लिए इसे लोक अदालत में भेजना पड़ता है। इसके लिए समय सीमा निर्धारित करनी होगी अन्यथा मुकदमे बाज, जो मुकदमा को लम्बी खींचने में इच्छुक है, वह इस उपबंध का फायदा उठाएगा। समझौतों की स्थिति में परिनिर्धारण से बचने का प्रयास करेगा और मामले को लम्बा खींचने का प्रयास करेगा। अत: मैं कहता हूं कि समय सीमा का निर्धारण अत्यन्त आवश्यक है।

धारा 100(क) में भी दूसरी अपील की अनुमति नहीं है, सभापति महोदय बहुत अच्छी तरह जानते है कि यदि वसीयत विवादास्पद है यदि मेरे पिता अथवा दादा कोई वसीयत करते है और वह विवादास्पद है और उसकी पहली अपील उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ में लंबित पड़ी है तो वहां दूसरी अपील नहीं की जा सकती, इसकी इजाजत नहीं है। उस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा। यह विसंगति क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में भिन्न-भिन्न नियम प्रक्रियाएं है दिल्ली के उच्च न्यायालय में दूसरी अपील की अनुमति नहीं है। खण्डपीठ इससे नहीं लेती है। उस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ता है। मद्रास उच्च न्यायालय में इसकी अनुमति है। पुन: एक सदस्यीय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के मामले में अमुक व्यक्ति खण्ड पीठ में अपील कर सकता है। इस संबंध में पूरे राष्ट्र में एकरूपता होनी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि खण्ड पीठ होनी चाहिए। दूसरी अपील की इजाजत होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी जानते है कि जब हम विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाते है तो वे इसे एक मिनट में निपटा देते है, वह हमारी बात तक नहीं सुनते। वह हमारी बात नहीं सुनते। शायद वह हमारे माननीय मंत्री या माननीय सभापति जैसे व्यक्ति की बात को सुनते हों ऐसे कई अधिवक्ता जो सिर्फ याचिका दायर करने के लिए ही याचिका दायर करते है यह धन की बर्बादी है। वे दायर करने के दूसरे ही क्षण इसका निपटान कर देते है और इस का पुलिन्दा बांध कर इसे अलग कर देते है। आज की स्थिति यही है।

हमारे अधिकतर मुकद्मेबाज गरीब हैं। वे दिल्ली आने का खर्च नहीं कर सकते क्योंकि यह महंगा पड़ता है। मुकद्मेबाज इसका खर्च वहन नहीं कर सकते अत: द्वितीय अपील करने की उच्च न्यायालय की खंडपीठ में ही अनुमति दी जानी चाहिए।

दूसरा प्रश्न साक्ष्य की जांच पड़ताल है। यह पूर्णत: साक्ष्य अधिनियम पर आधारित है। यदि हम इसे नोटरी या कनिष्ठ अधिवक्ताओं के हाथों में जाने देंगे तो मुझे नहीं लगता इस प्रवीणता का लाभ मजिस्ट्रेट या जिला मुंसिफ या अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी को मिल पाएगा। वे साक्ष्य अधिनियम के मामले में निपुण हैं। क्या प्रदेश को चिन्हित करने के बारे में कोई विवाद है या नहीं इसे वही पर हल नहीं किया जा सकता है। इस बारे में विवाद पैदा होगा अंतत: जिसके परिणामस्वरूप अत्याधिक विलम्ब की स्थिति ही पैदा होगी।

[श्री टी.एम. सेल्वागनपति]

यह अच्छा है कि यह अधिनियम में लिखित बयान के लिए समय सीमा की बात कही गई है वादी के लिए अतिरिक्त लिखित बयान का उपबन्ध है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

नये तात्विक साक्ष्य को खोजने के पश्चात् पार्टी को अतिरिक्त लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति होनी चाहिए जिसके लिए संशोधन की मांग की एक समय सीमा का निर्धारण करना होगा। परिसीमा अधिनियम की धारा 105 है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को सिर्फ 10 मिनट का समय दिया था। अब आपने 14 मिनट ले लिए हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): यही कारण है न्यायालयों में मुकद्दमों का अंबार लग रहा है. ...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैं अभी एक मिनट में समाप्त करता हूं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह न्यायिक अधिकारी को विपुल अधिकार देता है मैं जानता हूं कि ऐसे कई मामले हुए है जिनमें पार्टी को एक पक्षीय आदेश मिल गया है और वह दो साल तक खामोश रहा। दो साल पश्चात् वह उस एक पक्षीय निर्णय को निरस्त करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर करता है और वह एक पक्षीय आदेश भी दो साल पश्चात् निरस्त हो जाता है और इस प्रकार मुकद्मेबाजी चलती रहती है।

पुन: जब निर्णय एक पक्षीय हो जाता है इस कारण से और अन्य काल्पनिक कारणों के आधार पर यह याचिका तैयार करता है और परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत इसकी अनुमति मिल जाती है। माननीय मंत्री को इस सब बातों पर गौर करना चाहिए और व्यादेश मुकद्में पर की गई दण्डात्मक कार्यवाही पर मुआवजा देने का उपबन्ध भी किया गया है।

ऐसे कई मामले हैं जिसमें विधिसम्मत मांग की जाती है। ऐसे कई मामले है जहां जिम्मेदारपूर्ण आरोप लगाए जाते है ऐसे मामलों में आप मुआवजा देने या दण्डात्मक कार्यवाही को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। इसलिए, इसे न्यायालय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।

इन सबके साथ, मेरा अनुरोध है कि विधि मंत्री को इसे खण्डश: विधान बनाने का प्रयत्न करने के स्थान पर इस संबंध में कुछ करना चाहिए। यदि इसे अभी नहीं किया जा सकता तो जहां तक सिविल मुकदमों की स्थिति का संबंध है, इसे कभी नहीं किया जा सकेगा।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मेरा कहना है कि सभा के समक्ष यह खण्डश: विधान लाया गया है। मैं सरकार से यह आशा करता हूं कि वह व्यापक विधान लेकर आएगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रुखाबाद): माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे गांव में एक कहावत है जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा – बाप की करनी बेटा भुगते। वही इस समय न्याय के मामले में हिन्दुस्तान में हो रहा है। इस समय दो करोड़ आठ लाख केसिज विभिन्न कोर्ट्स में पैंडिंग हैं और दुर्भाग्य यह है कि मैं जिस प्रदेश से आता हूं उसका नाम उत्तर प्रदेश है, वहां की हाई कोर्ट में मौजूदा वक्त में 8,65,000 मुकदमे पैंडिंग है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें मात्र 99 केसिंज पैंडिंग हैं। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है जिसमें साढ़े आठ लाख से ज्यादा केसिज पैंडिंग है। जो आपकी कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें हाई कोर्ट के जजेज के ऊपर 1367 केसिज का एवरेज आता है। यह भी दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में बीस हजार केसिज पैंडिंग हैं। अमूमन एक मुकदमें में 10 से 15 वर्ष तक वक्त लगता है और ऐसे में जो सबसे बड़ी कठिनाई होती है वह मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं। इसमें जिस किसी के ऊपर मुकदमा चलता है, उसका समय और पैसा बरबाद होता है। होता यह है कि जिसके पास पैसा होता है उसकी जो जमानत हो जाती है और जिस बेचारे के पास पैसा नहीं होता है, उसका पूरा समय जेल में बीतता है। इसका नतीजा यह होता है कि अपराधी रुपये खर्च करके छूट जाते हैं और बाहर जाकर पुन: अपराध करते है। इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कानून के प्रति लोगों का भय कम होने लगा है, जिसके कारण अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय हिन्दुस्तान में जितने दीवानी मुकदमे हैं, उनमें सरकार एक पक्ष है, जिनमें 65 फीसदी केसिज सरकार द्वारा लड़े जा रहे है। इनमें सरकार अपना पक्ष रखती ही नहीं है और अमूमन यह देखा जाता है कि 90 फीसदी मामलों में सरकार मुकदमे

हारती है। इस प्रकार मैंने यह देखा है कि जो भी विलम्ब होता है उसका मुख्य कारण सरकार और सरकार द्वारा नामित वकील होते हैं। जो अपने केसिज की पैरवी नहीं करते है और मुकदमों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको यह भी बता देना उचित समझता हूं कि विगत दिनों हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक मौखिक बात कही थी कि बलात्कार के मामले में फांसी की सजा दी जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बलात्कार के मात्र 15 से 20 फीसदी केसिज रजिस्टर होते हैं और उनमें से अमूमन सिर्फ तीन फीसदी केसिज में सजा होती है। महोदय, रोजाना अमेंडमैंट करने से कुछ बनने वाला नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन केसिज को जल्दी से एक्पीडाइट करवायें। यदि आदमी को जल्दी न्याय मिलने लगे तो निश्चित मानिये कि जितने कानून आपने बना दिये है, वे हिन्दुस्तान की न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए पर्याप्त है। कभी-कभी आप पर और आपकी सरकार के ऊपर ऐसी भी दिक्कत आती है।* लेकिन वह मामला ठंडे बस्ते में सिर्फ इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि आपके साथ उनकी अलायंस है, आपकी पार्टी के साथ उनकी कोई अलायंस है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय, मैं चार-पांच सुझाव देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से अपील करना चाहता हूं कि वे किसी पूर्व सदस्य के नाम का उल्लेख न करें।

श्री चन्द्रभूषण सिंह : धन्यवाद, महोदय। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं चार-पांच सुझाव देना चाहता हूं। लोक अदालतों की व्यवस्था बहुत अच्छी है और लोक अदालते चल भी रही हैं। इनको और प्रभावी बनाया जाए, तो बहुत सारे मुकदमें आसानी से निपट सकते है। पारिवारिक झगड़ों को निपटाने हेतु यदि विशेष अदालतों का निर्माण कर दे, तो छोटे-मोटे मामलों का निपटारा किया जा सकता है। न्यायिक अधिकारी यदि विलम्ब करता है और यह प्रमाणित हो जाए कि न्यायिक अधिकारी के कारण किसी मुकदमे का फैसला समय पर नहीं हुआ, तो उसकी गोपनीय चरित्रावली में उसका उल्लेख किया जाए।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो भी सरकारी वकील नामित किए जाएं वे कर्त्तव्य-परायण और अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक हो ताकि सरकारी मामलों में अच्छे ढंग से पैरवी करके केसेस को जल्दी निपटा सके। इसके साथ ही महोदय यह भी आवश्यक है कि मुकदमों का वर्गीकरण किया जाए, ताकि जो इम्पौर्टेंट केसेस हों, उनको जल्दी डिसपोज-आफ किया जाए और जल्दी न्याय दिलाया जाए। इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हाईकोर्ट के सामान्य वर्किंग डेज 180 होते है और कोर्ट चार-पांच घंटे काम करते हैं, वह 8 घंटे किए जाएं। जो अन्य सिविल कर्मचारियों की सामान्य व्यवस्था है जिसके अनुसार उन्हें 8 घंटे काम करना होता है, कोर्टों को भी उसी के अनुसार 8 घंटे का काम करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जाए।

महोदय, सुप्रीम कोर्ट गर्मियों में दो महीने और सर्दियों में 15 दिन बन्द रहती है। यह अंग्रेजों के समय में तो ठीक था, क्योंकि वे सर्द मुल्क के थे, उनको गर्मी ज्यादा लगती थी, लेकिन अब क्या काले अंग्रेजों, यानी हिन्दुस्तानियों को भी गर्मी लगती है? यदि ऐसा है, तो उन्हें हिन्दुस्तान छोड़कर विदेश चले जाना चाहिए। मेरी मांग है कि यह छुट्टियों वाली व्यवस्था बन्द होनी चाहिए और जिस प्रकार से सिविल सर्विस के कर्मचारी काम करते हैं, वैसा होना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी भी प्रभु नाथ सिंह जी ने कहा कि यदि आपने ओथ कमिश्नर को साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए नामित कर दिया और यदि वे साक्ष्य लेने लगे, ठीक नहीं रहेगा, यह बात बिलकुल ठीक है। ओथ कमिश्नर तो वही व्यक्ति होते हैं जिनकी वकालत नहीं चलती और जिनको शाम तक चाय के पैसे भी नहीं मिलते। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इस प्रक्रिया को लागू न करे। पूर्व न्यायाधीश श्री सव्यसाची मुखर्जी ने एक बात कही थी कि एक निगरानी समिति बनाई जाए और उसमें सेवा मुक्त प्रख्यात न्यायाधीशों की समिति बने। ताकि लोगों को ईमानदारी से न्याय मिल सके और इसमें होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सके। यदि ऐसी कमेटी बना दी जाएगी, तो न्याय के क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार को काफी हद तक रोका जा सकेगा और लोगों को सामान्य तरीके से न्याय मिल सकेगा।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री चन्द्रभूपण सिंह]

सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इन्हीं चन्द सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति जी, मैं विधि मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1999 का प्रबल समर्थन करता हूं। सिविल प्रक्रिया संहिता में और संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ-साथ महोदय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 परिसीमा अधिनियम, 1963 और न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 में और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने का यहां प्रयास किया गया है।

मैं कहना चाहूंगा कि एक लोकतांत्रिक देश और कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है कि वहां की जनता को सस्ता, सहज, सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारा न्याय महंगा हो गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है और आपने स्वयं स्वीकार किया है कि न्यायिक सुधारों की अत्यंत आवश्यकता है और न्यायिक सुधारों की दृष्टि से, मुकदमों को जल्दी निपटाने की दृष्टि से और जनता को न्याय शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए जब आप सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर इतने संशोधन लेकर आये हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब न्यायिक आयोग का गठन भी शीघ्र किया जाये क्योंकि सारे देश के अंदर इसकी एक प्रकार से मांग उठ रही है।

लोकतंत्र के तीन अंग है-कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जब तीनों अंगों के अंदर सुचारू रूप से और समग्र रूप से कार्य संचालित नहीं होता है, तब समाज के अंदर कोई न कोई विडम्बना पैदा हो जाती है। आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यायपालिका में निचले स्तर पर जैसा हमारे बंधुगण कह रहे थे कि भ्रष्टाचार व्याप्त होने लग गया है और स्वयं वकील ध्यान रखते हैं कि कौन से मजिस्ट्रेट के बैठने से फैसला उनके हक में हो सकता है। हाई कोर्ट में तो मैंने यह स्थिति देखी है कि कौन से जज साहब विराजे, तो अपना मुकदमा उनके सामने, उनकी लिस्ट में आ जाये, अन्यथा वे उस पर तारीखें लेने की कोशिश करते हैं या टालने की कोशिश करते हैं। यह स्थिति बड़ी भयावह है।

आपने सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर संशोधन लाने के लिए ग्यारहवीं लोक सभा में गठित अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की सिफारिशों को माना है, भारत के विधि आयोग की 129वीं रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा है और न्यायाधीश वी.एस. मलिमत की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने की दृष्टि से भी आपने इसमें कुछ परिवर्तन किये है। जब आपने इन सारी बातों को ध्यान में रखा है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है जब हमारे कानूनों की पेचीदगी को दूर करके इन्हें थोड़ा सरलीकृत किया जाये ताकि जनता को न्याय सहज प्राप्त हो सके।

मान्यवर, हमारा इस बात का अनुभव है कि गांव का गरीब दूर से भाड़ा लगाकर तारीख पर जाता है तो वहां पता लगता है कि वकील लोग हड़ताल पर है। वकीलों की हड़ताल 15-20 दिन या एक-एक महीने तक चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि वकीलों के लिए भी कोई आचार संहिता हो। उनकी जो एसोसियेशन होती है, उनकी तरफ से तय होनी चाहिए कि अगर मुवक्किल गांव से इतना किराया भाड़ा लगाकर तारीखों पर बार-बार उपस्थित होता है, मजिस्ट्रेट साहब उसको बार-बार तारीख देते है और वकीलों की हड़ताल लम्बी चलती है तो परिणामस्वरूप वह बेचारा जिसने न्याय प्राप्त करने के लिए न्याय के दरबार में हाजिर होता है, उसे कितनी परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ता है। अभी हमारे मित्र कह हे थे-न्याय में अगर विलंब किया जाता है तो समझ लीजिए कि न्याय से इंकार किया जाता है।

सभापति जी, यह भी कहावत है कि यदि न्याय जल्दबाजी में किया जाता है तो न्याय का गला घोंटा जाता हैं। अगर न्याय जल्दी किया जाता है तो कुछ चिंताजनक स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसलिए दोनों चीजों के अंदर समन्वय होना चाहिए। आपने इसमें जो सुधार लाने का प्रयास किया है, उसमें इन बातों का ध्यान रखा है। मैं चाहूंगा कि धन, समय और शक्ति की बर्बादी न्याय प्राप्ति के अंदर कम से कम हो।

इसी तरह एक विधिक सहायता सैल बनी थी। छोटे न्यायालयों के अंदर लड़ने के लिए यदि गरीबों के पास पैसा नहीं है, उनकी तरफ से वकालत करने के लिए, गरीब सहायता प्राप्त कर सके। इसके लिए एक विधिक सहायता समिति जिला स्तर पर बनी थी। मैं कहना चाहता हूं कि उसको थोड़ा शक्तिशाली बनाया जाये ताकि वे गरीब को आसानी से सहायता प्रदान कर सके। इसके साथ न्यायालयों के जो भवन हैं, उनकी स्थिति भी थोड़ी दयनीय है। उनकी दशा सुधारने की तरफ भी

ध्यान दिया जाये। लिटीगेंट्स के लिए शेड वगैरह जो कोर्ट में बनाना चाहते है, उनको बनाने की न्यायालयों की तरफ से आज्ञा मिले। न्यायाधीशों की संख्या को थोड़ा बढ़ाया जाये क्योंकि उनके अनेक स्थान रिक्त हैं। इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाये।

सभापति महोदय : श्री प्रवीण राष्ट्रपाल–अनुपस्थित।

श्री ए.सी. जोस – अनुपस्थित।

श्री एम.ओ.एच. फारूक – अनुपस्थित।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति महोदय, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (अमेंडमेंट) बिल का मैं और मेरी पार्टी समर्थन करती है। इस अमेंडमेंट बिल पर सदन में विस्तार से चर्चा हुई है। जब प्लैनटिफ कोर्ट में स्यूट दाखिल करता है, डिफैन्डैंट के खिलाफ कोई क्लेम दाखिल करता है, चाहे लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसे जल्दी और इम्पार्शल जस्टिस मिलना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे हिन्दुस्तान में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेस पैंडिंग हैं। इसकी तरफ भी सरकार को गौर करना चाहिए क्योंकि 'यदि न्याय मिलने देर हो गई तो न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता।'

इस बिल के पृष्ठ संख्या 6 में नियम 14(3) के अंतर्गत लिखा है–जहां इस नियम के अधीन वाद पत्र के साथ कोई दस्तावेज या उसकी प्रति फाइल नहीं की जाती है वहां उसे वाद की सुनवाई के समय वादी की ओर से साक्ष्य में ग्रहण किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। जब प्लैनटिफ डिफैन्डैंट के खिलाफ कोर्ट में स्यूट दाखिल करता है, बहुत से दस्तावेज ऐसे होते हैं जिन्हें वह स्यूट दाखिल करते समय हासिल नहीं कर पाता, वे बाद में मिल सकते हैं। मैं कानून मंत्री से विनती करता हूं कि जब वादी हियरिंग के लिए जाए तब प्लैनटिफ को दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मिले, इस पर भी गौर करना चाहिए।

लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार का मुकदमा हो या राज्य सरकार का मुकदमा हो, ज्यादा से ज्यादा सरकारी मुकदमे सरकार के खिलाफ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, यह भी गौर करने की बात है। वादी जब केस हियरिंग के लिए आता है तो उसे कोई भी डोक्यूमेंट दाखिल करने की अनुमति होनी चाहिए। इतना ही सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मशहूर राजनीति के विद्वान प्रो. लास्की ने कहा है कि जो व्यक्ति जिस विषय का विशेषज्ञ होता है, उसको उस विभाग का मंत्री बना दिया जाये तो वह विफल हो जाता है, काम को गड़बड़ा देता है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): यह लास्की ने नहीं कहा है, आपने कहा है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम किसलिए कहेंगे, लास्की ने कहा है, आप इसकी छानबीन कर लें।

मैं वैसा नहीं चाहता हूं। माननीय कानून मंत्री नामी वकील है। कोई मामला जब किसी वकील से नहीं संभलता तो ये संभाल लेते हैं। किसी को वकील नहीं मिलता तो वैसे मामले ये लेते हैं। मंडल आयोग वाले मामले में, आरक्षण वाले मामले में भी ये हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से वकील थे। इनका कीर्तिमान बहुत अच्छा है, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि ये अच्छे-अच्छे कानून लाएंगे, जिससे न्याय जल्दी से मिल सके। गरीब आदमी को कम खर्च वाला न्याय जल्दी से मिलेगा, न्याय बिकेगा नहीं, न्याय बेचा नहीं जायेगा, न्याय खरीदा नहीं जायेगा, न्याय मिलेगा, इनसे ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। चूंकि ये काबिल आदमी हैं, इससे तो अच्छा था कि पहले ये घर वाले मंत्री थे, अर्बन डवलपमेंट मिनिस्ट्री के अच्छी मंत्री थे, हम लोगों के बारे में लिखा-पढ़ी कर रहे थे कि एम.पी. लोगों को घर मिल जाये, लेकिन अब मिलने वाला नहीं लगता है, अब उस मिनिस्ट्री के मंत्री बदल गये तो हम लोगों का नुकसान हो गया। संसदीय कार्य मंत्री सुन रहे है, एम.पी. लोगों को घर मिलने का मामला आगे बढ़ गया था, जब कानून मंत्री जी उस समय अर्बन डवलपमेंट के मंत्री थे। खैर, अब वे देखेंगे।

सी.पी.सी. का संशोधन आया है, इसमें सदन चिन्तित है कि दो करोड़ आठ लाख मामले विभिन्न अदालतों में देश भर में लम्बित हैं, अभी माननीय सदस्य इसका हिसाब बता रहे थे। हाई कोर्ट में 32 लाख मामले लम्बित हैं, जजों की कमी है।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

न्यायपालिका का दावा है कि हम तो ठीक काम कर रहे हैं, सरकार का कसूर है। जजों की कमी है या उनको सहूलियत सुविधाओं की कमी है, इस वजह से न्याय मिलने में देरी होती है। सरकार का कहना है कि नहीं, प्रक्रिया कुछ गड़बड़ है। इसके चलते क्या पेंच है, लेकिन मिला-जुलाकर जो पीड़ित लोग है, आम लोग हैं, उनको न्याय मिलने में देरी होती है, पता नहीं किसने कहा, लेकिन बहुत प्रचलित कहावत है 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड' वाली ठीक बात है। देखा गया है कि 15-15, 20-20 वर्ष तक मामले चलते रहते हैं, लोग दौड़ते रहते हैं, फीस देते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए 1997 में विधि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई। यह अच्छा प्रयास हुआ कि यह संशोधन लाये, इससे बहुत तो दावा नहीं किया जा सकता कि मामला जल्दी निपट जायेगा और लम्बित मामले जल्दी समाप्त हो जायेंगे, फिर भी उस तरफ यह अच्छा प्रयास है, स्वागतयोग्य प्रयास है, प्रशंसनीय प्रयास है, जिससे मामले में समय कम लगे और लोगों को सहज में न्याय मिले।

असली न्याय वह है जो सहज में मिले। उस पर जो सारे क्लाज इन्होंने दिया हैं, उसमें इसकी कोशिश की गई है। हम लोगों को जो व्यवहार में जानकारी है, जब कोई मामला होता है या नोटिस होता है तो जिस खिलाफ पार्टी को नोटिस सर्व करना होता है, वह पोस्ट आफिस में जाता है, वह पत्र कोई प्राप्त नहीं करता है, वह वापस आ जाता है। जो नोटिस लेकर कोर्ट से चपरासी नोटिस देने जाता है तो वह उसको लोगों को नहीं दे पाता, क्योंकि कभी-कभी घरवाले भी नहीं रहते तो वह टांगकर चला आता है। पिटीशनर कभी-कभी नोटिस भी मरवा देता है। इस नोटिस देने में ही बहुत विलम्ब हो जाता है। लेकिन इस क्लाज में हमने देखा है कि कोशिश हुई है कि नोटिस पार्टी को जल्दी सर्व हो जाये और जल्दी से उनका अर्जी दावा और उजरदारी दाखिल हो सके, इसलिए यह सारा अच्छा प्रयास है। हमने इसमें देखा कि न्याय की प्रक्रिया में समय कम लगेगा। लेकिन जजों की बहाली वाला काम तो सरकार का है। लॉ कमीशन कहता है कि जजों की संख्या इससे पांच गुना बढ़नी चाहिए, कहीं देखा कि जजों की संख्या 5,000 बढ़नी चाहिए, उनकी इतनी बहाली होनी चाहिए। ये जगह खाली क्यों हैं, यह तो सरकार की जिम्मेदारी है? कानून बनाने से क्या होगा? अगर जजें कम रहेंगे तो सही में जल्दी जल्दी फैसला कैसे होगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या निचली अदालतों में मजिस्ट्रेट लोग हों ...*(व्यवधान)*

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): जज तो सुना था, यह 'जजें' क्या होता है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जज का बहुवचन है। इस कानून में जो संशोधन होने जा रहा है, केस लड़ने वाले लोग उसको देखेंगे, लेकिन जजों की नियुक्ति शीघ्र हो। उसमें जो अभी तक गड़बड़ी हो रही है, पैरवी पर बहाली वाला जो मामला है, अब जज भी पैरवी पर बहाल हो रहे हैं, वकील तो होते ही हैं। पहले नामी-गिरामी वकील बहाल किए जाते थे, लेकिन अब पैरवी पर आर.एस.एस. के ज्यादा लोग बहाल किए जा रहे हैं। सरकार भी कभी-कभी ज्यादा समय ले लेती है, जब वह किसी मामले में पार्टी होती है। हमारा कहना है कि ज्यूडिशियल कमीशन से बहाली होनी चाहिए। जजों के जो लड़के-लड़कियां है, उनकी पैरवी पर बहाली हो जाती है। इससे कैसे हम अपेक्षा करें कि न्याय ठीक मिलेगा। इसलिए जजों की नियुक्ति सही हो, कमीशन से हो और उसमें आरक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): जब मुख्य मंत्री की पत्नी मुख्य मंत्री हो सकती है तो जजों के बेटा-बेटी जज क्यों नहीं बन सकते।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये लोग आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ी जाति वालों के खिलाफ हैं। महिलाओं को आरक्षण देने के भी खिलाफ है। असली तो हम लोग हैं। हमारे नेता लोहिया जी डटकर कहा करते थे कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग उसके पक्षधर है। हम अपेक्षा करते हैं कि मामले जल्दी-जल्दी निपटे, न्याय सस्ता और सहज मिले तो लोगों की परेशानियां घटेंगी। न्याय सस्ता, सुलभ और सहज हो जाएगा, तब लोगों की कठिनाई दूर होगी।

मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि सी.पी.सी. में आप संशोधन लाए हैं, सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. में भी संशोधन लाएं, जिसमें दीवानी मुकदमे जो सिविल के हैं तथा फौजदारी मुकदमें हैं, उनमें जो त्रुटियां है, वे दूर हो सके। इसलिए हम चाहेंगे कि चाहे दीवानी मामले हो या फौजदारी मुकदमे हों, दोनों में सहज न्याय लोगों को मिले।

अपराह्न 5.13 बजे

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी भाषणों को ध्यान से सुना। कुछ माननीय सदस्यों ने, उचित रूप से, सिविल प्रक्रिया के विषय को पीछे छोड़कर जो अन्य सुझाव दिए है वह बहुत बहुमूल्य है। महोदय, केवल समय बचाने के लिए-क्योंकि मैं सर्वाधिक उत्सुक हूं कि यह विधेयक आज 5.30 बजे से पहले पारित हो जाए उन्हें मैं केवल यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी ओर से आने वाले प्रत्येक सुझाव पर सही समय पर विचार किया जाएगा जब हम दण्ड प्रक्रिया संहिता का अन्य विषयों पर विधान बनाने पर विचार करेंगे। अपराध कानून से संबंधित कुछ सुझावों पर ध्यान देंगे और हम लगभग दण्ड प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन करने को तैयार है और कुछ अन्य बदलाव भी लाएंगे।

मैंने कभी भी यह दावा नहीं किया कि—जब मैंने इस विधेयक को पारित किया—हमारे सामने आने वाली समस्याओं पर यह अंतिम उपाय है। यह बीमारी सौ साल पुरानी है और इसका कोई तुरंत उपचार नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता कि जिस क्षण आप इसे पारित करेंगे यह कानून बन जाएगा, हमारी समस्याएं सुलझ जाएंगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिलने लगेगा। नहीं। जो भी मैं दावा करूंगा पूर्ण नम्र दावा करूंगा कि यह स्वागत योग्य कदम है, यह अतिआवश्यक कदम है परंतु यह उस दिशा की ओर जहां हम जाना चाहते हैं कि ओर एक छोटा कदम है।

अगर आप इसे पारित करते हैं, अन्य कई कदम है जिन्हें उठाया जाना है और मुझे इन कदमों का अहसास है और मुझे विश्वास है कि एक महत्वपूर्ण कदम जो लिया जाएगा वह है अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति।

यह सर्वज्ञात है कि यदि कोई कार्य दो व्यक्तियों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता तब आपको अधिक व्यक्तियों को कार्य पर लगाना पड़ेगा। यह होगा। हमारे सामने वित्तीय संसाधन की समस्या है, जो वेतन देने के लिए, न्यायालयों के निर्माण के लिए, अन्य आधारभूत सुविधाओं, बेलिफ, प्रोसेस सर्वर इत्यादि के लिए आवश्यक हैं। निचली अदालतें राज्य सरकारों और स्थानीय उच्च न्यायालयों का विषय है। हम राज्य सरकारों पर दबाव डाल रहे है कि उन्हें विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा रखे गए प्रस्तावों को कार्यान्वित करना पड़ेगा।

महोदय, एक दो आपत्तियां उठाई गई हैं और जिन्हें मैं दो मिनटों में निपटाना चाहूंगा। मेरे मित्रों में से एक मित्र ने आपत्ति की है कि हम अपील के 'अधिकार को समाप्त कर रहे है। हम अपील के अधिकार को समाप्त नहीं कर रहे हैं। हम तो छोटे-छोटे मामलों में दूसरी अपील के अधिकार को समाप्त कर रहे हैं। हम तो बीच की निचली अदालतों में अपील के अधिकार को समाप्त कर रहे हैं। महोदय, दूसरी अपील कानून में ही विद्यमान है और यह तथ्यों के मुद्दों पर आधारित नहीं होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता में काफी समय से यह प्रावधान है कि यदि सम्पत्ति का मूल्य 3,000 रुपये से कम है तो उसमें दूसरी अपील नहीं की जाएगी। अब आज इस धनराशि के मूल्य को ध्यान में रखते हुए हम इस राशि को 3,000 रु. से बढ़ाकर 25,000 रु. कर रहे हैं। महोदय, इस प्रकार के मामलों में हमेशा कुछ न कुछ कहा जाता है, अनर्गल बाते व अटकलें लगाई जाती हैं। यदि आप इसे 25,000 रु. करते है कोई कहेगा "यह 24,000 अथवा 26,000 क्यों नहीं है" आप इन चीजों को तर्कपूर्वक न्यायोचित नहीं ठहरा सकते हैं। आपको इन मामलों को विशेषज्ञों पर छोड़ना पड़ेगा। इस संशोधन विधेयक के प्रत्येक उपबन्ध, प्रत्येक खण्ड-एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई बार तीन चार विशेषज्ञ समितियों का किया गया कार्य होता है। कृपया इस मामले को विशेषज्ञों पर छोड़ दीजिए और कुछ हद तक मैं भी विशेषज्ञ समझा जाता हूं और मैं तहेदिल से इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश करता हूं। यदि आप इसे पारित करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम समस्या को सुलझाने की दिशा में काफी आगे तक निकल आए हैं।

आश्वस्त रहिए कि हम दिल से गरीब लोगों के हित की रक्षा करना चाहते हैं। किसी ने कहा, "आप सुरक्षा की बात किस प्रकार कर सकते हैं? न्यायालय ने शक्ति दी है क्योंकि न्यायालय कई बार जान लेता है कि यह व्यक्ति समय नष्ट करने वाला मामला ला रहा है। मैं अन्तरिम आदेश लेता हूं क्योंकि उसका दूसरा पक्ष मेरे सामने नहीं है। मैं कम से कम उससे जमानत ले लूंगा। यदि वह न्यायालय में झूठा मामला लेकर आता है तो मैं उसे पहले जमानत के लिए कहूंगा।" लेकिन महोदय, जमानत अनिवार्य नहीं है। जब न्यायाधीश किसी गरीब व्यक्ति को देखता है तो वह जमानत के लिए नहीं कह सकता। वहां किसी जमानत का प्रश्न नहीं है क्योंकि इसमें "जमानत अथवा अन्यथालें" शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः यहां न्यायिक तौर पर इच्छा व्यक्त की गई है लेकिन हमें जमानत के लिए कहने का अधिकार है।

[श्री राम जेठमलानी]

मैं अपने मित्र श्री बंसल का उनके भाषण के लिए आभारी हूं जो उन्होंने उस दिन दी थी और उसमें उन्होंने विस्तत सुझाव दिये थे। उन्होंने खण्ड 31 पर आपत्ति की थी। अब वह खण्ड 31 राज्य सभा में हटा दिया गया था। दुर्भाग्यवश आपके पास गलत पाठ है वह उसमें विद्यमान नहीं हैं। अत: आप निश्चित रहिए कि वह उपबन्ध हटा दिया गया है पुन क्रमांक करने के कारण आपको अभी भी खण्ड 31 दिखाई दिया है। लेकिन राज्य सभा ने उसे पहले ही हटा दिया है। अत: आपकी बुद्धिमत्ता राज्य सभा द्वारा इस्तेमाल कर ली गई है और हमने इसे पहले ही हटा दिया है।

श्री पवन कुमार बंसल : क्या यह नियम 17 और 18 के अन्तर्गत था।

श्री राम जेठमलानी : हमने कहा "सात दिनों के भीतर वाद दाखिल किया जाना चाहिए।" आपने इसके लिए बिल्कुल ठीक आपत्ति की है। राज्य सभा ने इसे देखा था और हमने उस खण्ड को हटा दिया लेकिन पुन: क्रमांक के कारण अब नए पाठ में खण्ड 31 विद्यमान है। पुराना क्रमांक 32 अब नए पाठ में क्रमांक 31 बन गया है। अत: आपकी आपत्ति समाप्त हो गई है इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए।

महोदय, मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं इस बारे में काफी कुछ कह चुके हैं। एक अन्य दिन उच्चतम न्यायालय के विद्वान अधिवक्ताओं और जाने-माने न्यायाधीशों की बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने वही बात वहां कही जो यहां एक सदस्य द्वारा कही गई थी। मुझे पता है कि कई बार सरकार द्वारा स्वयं विलम्ब किया जाता है।

सरकारी विभागों में और मामले को प्रस्तुत करने वाले वकीलों में जो मुकद्दमेबाजी में सरकार का समय और धन बरबाद करते हैं इस आदत पर रोक लगाने की अत्यन्त आवश्यकता है। अत: हमें मालूम है कि न्यायालयों में विलम्ब के लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। 50 से 60 प्रतिशत मुकदमें नौकरशाही के अनुचित रवैये के कारण होते हैं हम इसे रोकना चाहते हैं। हम देखेंगे कि विलंब के उस कारण को दूर किया जाए।

महोदय, समय की बचत करने के लिए कृपया मुझे लम्बा भाषण से बचाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक वर्ष के भीतर आप कानूनी व्यवस्था को आज से बेहतर दशा में पाएंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 परिसीमा अधिनियम, 1963 और न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 15 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड 16

सभापति महोदय : श्री पवन कुमार बंसल, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 26,-

पंक्ति 24 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए-

"(iii) नियम 18 के स्थान पर निम्ननलखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,:-

'यदि कोई पक्षकार जिसने संशोधन करने की इजाजत के लिए आदेश प्राप्त कर लिया है उस आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर तदनुसार संशोधन नहीं करता है तो वह ऐसी सात दिन की अवधि की समाप्ति के बाद संशोधन करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा'।"

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): महोदय, मैं अपने विद्वान मित्र से अपील करूंगा कि वह अपने संशोधन के लिए बल न दे क्योंकि वह उस खण्ड के लिए संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं जो विद्यमान नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल : नहीं। यह अलग चीज है। विद्यमान संशोधन नियम 17 और 18 के आदेश VI से संबंधित है। वह दलील में संशोधन से संबंधित है।

श्री राम जेठमलानी : नियम 18, नियम 17 का आनुषंगिक है। जब स्वयं नियम 17 को रद्द किया जा रहा है तो ...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि आप नियम 17 को रद्द करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : नहीं। कृपया मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए। हो सकता है, मैं अन्त में आपसे सहमत हो जाऊं। शायद, मेरे संशोधन को ठीक तरीके से समझा नहीं गया है।

महोदय, सर्वप्रथम, माननीय मंत्री महोदय आदेश 6 के नियम 17 और 18 दोनों का लोप करना चाहते हैं जो कि अभिवचन के संबंध में है। मेरा संशोधन इस संबंध में है कि नियम 17 बना रहना चाहिए और वर्तमान नियम 18 में थोड़ा संशोधन होना चाहिए। अत:, तकनीकी दृष्टि से मेरे संशोधन में ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यदि माननीय मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन देना चाहते हैं कि उस पहलू का ध्यान रखा जा रहा है, तो मुझे कोई कष्ट नहीं है।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं सभा को तथा माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सभी विशेषज्ञ समितियों ने यह रिपोर्ट दी है कि यह नियम 17 और 18 आवश्यक है। सिविल प्रक्रिया संहिता के खण्ड 153 और खंड 148 में एक सामान्य प्रावधान है जो कि हमें एक बार समय बढ़ाने का अवसर देता है।

सभापति महोदय : श्री बंसल, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय मंत्री महोदय को अपना मुद्दा स्पष्ट करने दीजिए।

महोदय, अब जबकि उन्होंने हमें इस संबंध में आश्वासन दिया है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता हूं।

सभापति महोदय : यह सभा के लिए प्रसन्नता की बात है कि श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस ले लिया गया है?

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अब, प्रश्न यह है:

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : अब मंत्री-महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.23 बजे

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा विवाह विधि (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेगी।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये।"

महोदय, यह एक अन्य गैर-विवादास्पद विधेयक है। एक बार फिर इस विधेयक में निहित विचारधारा मेरी नहीं है। यह मुझे भूतपूर्व सरकार से प्राप्त हुई है ...*(व्यवधान)* यह बहुत साधारण है।

महोदय, विवाह को रद्द करने अथवा तलाक के लिए एक आधार मिरगी की बीमारी भी है। अब, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि मिरगी की बीमारी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है जैसा कि एक समय माना जाता था। एक समय ऐसा था जबकि यह बीमारी लगभग पागलपन के समान मानी जाती थी। कुछ लोग जो मिरगी के शिकार होते थे, उन पर भूत-प्रेत का प्रभाव माना जाता था। लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है कि इसका इलाज हो सकता है और इससे प्रभावित लोग सामान्य कार्य कर सकते हैं।

महोदय, हमारी परम्पराओं से यह पता चलता है कि इस बीमारी से ग्रस्त इस देश की महिलाओं के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। जैसे ही किसी गरीब महिला को मिरगी का दौरा पड़ता है, उसका पति उसका ध्यान रखने की बजाय उससे इस आधार पर तलाक ले लेता है। महिला संगठनों ने इस विधेयक का समर्थन किया है और माननीय सदस्य हम विश्वास करेंगे कि हमें भी महिलाओं की उतनी चिन्ता है जितनी किसी अन्य को होगी। मैं सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया जा सकता है। विधान में दो स्थानों से 'मिरगी' शब्द का लोप किया जा रहा है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये।"

श्रीमती रेणुका चौधरी - अनुपस्थित।

श्री पी.आर. दासमुंशी - अनुपस्थित।

श्री प्रकाश जायसवाल - अनुपस्थित।

श्री ए.सी. जोस - अनुपस्थित।

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): माननीय सभापति महोदय, मुझे, एक सिक्ख होने के नाते सिक्खों पर हिन्दू विवाह अधिनियम को थोपे जाने पर काफी आपत्ति है। यह सिक्ख विचार धारा के विरुद्ध है कि हमें हिन्दू धर्म के सम्माननीय सदस्यों के समान ही समझा जा रहा है। हमारा एक पृथक इतिहास है, एक पृथक संस्कृति, एक पृथक भाषा, पृथक रिवाज़ और पृथक संस्कार हैं। इसी तरह से 1909 में ब्रिटिशों ने आनन्द विवाह अधिनियम पारित किया था और इस पर वायसराय और गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षर किए थे।

मैं माननीय विधि मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह हमें पृथक करना चाहेंगे और वह विधान बनाना चाहेंगे जो कि 1909 में पारित हुआ था और सिक्खों पर लागू होता है।

श्री राम जेठमलानी : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विद्वान मित्र को केवल इतना बता सकता हूं कि मुझे अन्य सिक्ख संगठनों से भी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह मामला विचाराधीन है और भविष्य में विधान बनाते हुए सिक्ख समुदाय की इच्छाओं को निश्चय ही ध्यान में रखा जाएगा। इस समय इन दोनों को वास्तव में पृथक करने का कोई प्रश्न नहीं है।

***श्रीमती मिनाती सेन** (जलपाईगुड़ी): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 के संबंध में बोलने का अवसर दिया जिससे हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम,

---

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

1954 में संशोधन किया जाएगा। मैं और मेरा दल यह महसूस करता है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में से 'मिरगी' शब्द का लोप किया जाना चाहिए। महोदय, उपग्रहों तथा उच्च तकनीक की आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा हमें पूरे विश्व की जानकारी अपने कमरे में ही प्राप्त हो जाती है। चिकित्स विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। अनेक जटिल तथा गंभीर बीमारियां हमारे नियंत्रण में हैं। निश्चय ही, यह सच है कि चिकित्सा सुविधायें दलितों और निर्धनों की पहुंच के बाहर है। अब मिरगी का इलाज संभव है। अत: तलाक लेने के लिए अथवा विवाह तोड़ने के लिए मिरगी की बीमारी को पागलपन के समान मानना अमानवीय है। यह सच है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को कुछ अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की गारंटी दी है और हमारे विधि-निर्माताओं ने भी संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं को दिए गए समान अधिकारों को ध्यान में रखते हुए और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक कानून बनाए हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां वर्गों में विभाजित समाज और सामाजिक-आर्थिक भेदभाव अभी भी विद्यमान है, निर्धन तथा दलित संविधान तथा कानून द्वारा प्राप्त सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसलिए वास्तव में वैधानिक उपबन्ध कभी भी कार्यान्वित नहीं होते हैं। निरन्तर वैधानिक उपबन्धों द्वारा महिलाओं की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्वतंत्रता में कोई अन्तर नहीं आया है। टैगोर के शब्दों में, "न्याय चुप्पी तथा एकान्त में अपनी दुर्दशा पर रोता है।"

प्राचीन सामाजिक ढांचे में समाज के निर्धन वर्ग का एक हिस्सा होने के नाते महिलाओं का काफी शोषण हुआ है। लिंग भेद के कारण वह बहुत ही दर्दनाक और असहनीय स्थिति की शिकार रही है। लिंग भेद निरन्तर पूरे जोर पर रहा है। हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष महिला दशक, महिला कल्याण के मंच पर, हाल ही में महिलाओं के विरुद्ध अहिंसा के संबंध में दो सप्ताह तक चले अन्तर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन में, मैक्सिको से बीजिंग तक के सम्मेलन में महिलाओं की समस्याओं, सुझावों तथा उन समस्याओं को सुलझाने की मांग पर ही प्रकाश डाला गया। फिर भी महिलाओं की दयनीय दशा को सुधारने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की गई है। अभी भी बालिका भ्रूण हत्या जारी है। बाल विवाह पर यद्यपि कानूनी रूप से प्रतिबंध है फिर भी राजस्थान में प्रशासन के नाक तले निरन्तर बाल विवाह हो रहे हैं और सती प्रथा पर प्रतिबंध के बावजूद उत्तर प्रदेश में सती की महिमा का गुणगान किया जाता है। राजस्थान में सती के नाम पर रूपकुंवर को जलाया गया और उनके नाम पर चुनरी उत्सव होता है हालांकि हमारे यहां सती निरोध अधिनियम है और दहेज प्रतिषेध अधिनियम होने के बावजूद वधुओं को जलाया जाना आम बात हो गई है। संगठित व असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की छंटनी जारी है। महिलाओं को समान मजदूरी नहीं दी जाती, रोजगार आश्वासन व रोजगार सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाती व उन्हें श्रम संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद महिलाओं का कार्य स्थल में नियोजकों या एजेंटों द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है। मैं 'दि स्टेट्समैन' से एक समाचार मद को उद्धृत करती हूं, "प्रत्येक 26 मिनट में एक महिला को उत्पीड़ित किया जाता है और प्रत्येक 34 मिनट में बलात्कार की एक घटना होती है।" हमारे देश में 29 करोड़ अशिक्षित लोग हैं जिनमें से 18 करोड़ महिलाएं है। पांच से 10 प्रतिशत महिलाएं ही अपने हस्ताक्षर कर सकती है। यह खेद की बात है कि महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए जाने के बावजूद वे हर क्षेत्र में पीछे है, आज हमारा देश केवल सौन्दर्य प्रतियोगिता के बारे में स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर सकता है। आज हमारा देश सौंदर्य के क्षेत्र में महाशक्ति है। फैशन-शो और फैशन परेड आज आम बात हो गई है। इन प्रतियोगिताओं की आयोजक बहुराष्ट्रीय कंपनियां है क्योंकि वे तीसरी दुनिया के देशों में बाजार पर कब्जा करना चाहती है। हम उनके प्रदर्शन से अभिभूत हो जाते हैं और उनके विरुद्ध कोई विरोध दर्ज नहीं करते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती मिनाती सेन : महोदय, मैं कुछ और समय लूंगी। हम निर्णय लेने की प्रक्रिया में पुरुषों व महिलाओं की समान भागीदारी की बात करते है। फिर इस सभा में महिला आरक्षण विधेयक पुर:स्थापित क्यों नहीं किया गया है। केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में स्थिति में आमूल-चूल बदलाव किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और बालिकाओं को अनिवार्य रूप से नि:शुल्क शिक्षा दी

[श्रीमती मिनाती सेन]

जानी चाहिए। इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देती हूं:

(1) जब कभी विवाह-विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण, बातिलकरण आदि के लिए कोई याचिका दाखिल की जाती है तो न्यायालय को पक्षकारों द्वारा बच्चों व पत्नी के गुजारे के बारे में किए गए प्रावधानों के बारे में स्वत: जांच करनी चाहिए और न्यायालय प्रथमदृष्टया पक्षकारों को उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश दे।

(2) हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 27 में संशोधन किया जाए। नकद व वस्तुओं के रूप में उपहार (स्त्री धन) के नाम पर लड़की के पिता से लिया गया दहेज लड़की को वापस किया जाना चाहिए। विवाह के बाद अर्जित संपत्ति पर दो पक्षों का समान अधिकार होगा और उसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

(3) अभिरक्षा और मुलाकात के बारे में न्यायालय को याचिका दाखिल करने के तीन माह के भीतर करना चाहिए।

सभापति महोदय : आप सीधे मंत्री जी से मिल सकते हैं और उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती मिनाती सेन : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रही हूं। इन सुझावों को देते हुए मैं इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए पुन: आपको धन्यवाद देती हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं माननीय महिला सदस्या द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं और इस संबंध में कदम उठाए जाएंगे। समस्या का एक समाधान महिलाओं को उच्च राजनीतिक अधिकार संपन्न बनाना है और हम उस प्रकार का विधान लाने के प्रति कृतसंकल्प है और उसे शीघ्र ही पुर:स्थापित किया जाएगा।

महोदय, माननीय सदस्या मेरे साथ विचार-विमर्श कर सकती है और उन्होंने जिन समस्याओं का उल्लेख किया है हम उनको हल करेंगे। इस समय मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री राम जेठमलानी : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि भारतीय विवाद-विच्छेद अधिनियम में संशोधन करने के लिए अलग से एक विधेयक लगभग तैयार है और इसे उचित समय पर पुर:स्थापित किया जाएगा।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

अपराह्न 5.35 बजे

आधे घंटे की चर्चा

दुग्ध पाउडर का शुल्क मुक्त आयात

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा आधे घंटे की चर्चा लेगी।

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर): महोदय, मैं इस आधे घंटे की चर्चा को माननीय मंत्री द्वारा 1 दिसम्बर, 1999 को तारांकित प्रश्न संख्या 50 के दिए गए उत्तर के परिणामस्वरूप उठा रहा हूं।

प्रश्न यह है-क्या सरकार ने 19000 टन स्किम्मड दुग्ध पाउडर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का निर्णय किया है। उत्तर है - ''वर्तमान में स्किम्मड दुग्ध पाउडर पर शुल्क की टैरिफ दर शून्य है। अत: आयांत की मात्रा पर विचार किए बिना स्किम्मड दुग्ध पाउडर के आयात पर सीमाशुल्क नहीं लगता है।'' दूसरा प्रश्न है-''यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य देशों में दुग्ध उत्पादन पर दी जा रही है राजसहायता के कारण आयातित दुग्ध पाउडर सस्ती दरों पर उपलब्ध है और इससे घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।''

माननीय मंत्री इस बात से सहमत हैं कि यह हमारे घरेलू उत्पादन को प्रभावित कर रहा है।

माननीय मंत्री जानते हैं कि हमारे देश में लाखों लोग डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं और वे अपनी आजीविका दो या तीन गायों या भैसों से दुग्ध उत्पादन कर प्राप्त कर रहे हैं। आपरेशन फ्लड शुरू करने के बाद हमारे देश में दूध का आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है।

सभी जानते हैं कि छोटे और सीमान्त किसान और खेतिहर श्रमिकों ने सहकारी और व्यावसायिक बैंकों से 12.5 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक ब्याज दर पर ऋण लिया है और वे अब दुग्ध उत्पादन का व्यवसाय कर रहे हैं।

दूसरा, मेरे जैसे बड़े किसानों ने भी वाणिज्यिक बैंकों से भारी राशि ऋण के रूप में ली हुई है और हमने भी डेयरी व्यवसाय शुरू किया है। आज हमारे देश में दूध का आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है। हमारे यहां दूध का अधिक उत्पादन हो रहा है और यदि सरकार अनुमति और राजसहायता दे जैसा यूरोपीय संघ व संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा किया जा रहा है तो हम भी इस दुग्ध पाउडर को अन्य देशों को निर्यात कर सकते हैं।

आज, दुग्ध उत्पादकों ने सहकारी सोसाइटियां बनाई हैं। वे गांव स्तर पर इन सहकारी सोसाइटियों को दुग्ध पहुंचाते हैं और इन सोसाइटियों की जिला स्तर पर एक यूनियन है और वे सोसाइटियां दुग्ध सहकारी संघों को पहुंचाती है जहां पर इसे पाश्चुरीकृत कर शहरों में बांटा जाता है और उन्हें इस आपूर्ति के लिए 15 दिन में एक बार पैसा मिलता है।

इन सहकारी दुग्ध संघों की थोड़ी-बहुत आय होती है और वे न केवल दुग्ध उत्पादको की छोटी सहकारी संस्थाओं की सहायता कर रहे हैं अपितु उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध की आपूर्ति कर उनके हितों का भी ध्यान रख रहे हैं।

दुग्ध उत्पादन में विभिन्न मौसमों में काफी उतार चढ़ाव है कुछ महीनों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है इन्हें प्रचुरता का मौसम कहा जाता है और अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में दूध का उत्पादन कम होता है। उदाहरणार्थ जब प्रचुरता के मौसम में दूध का अधिक उत्पादन होता है तो अकेले कर्नाटक में प्रतिदिन 6.11 लाख लीटर अधिक उत्पादन होता है। हम इस दूध को फेंक नहीं सकते हैं। हमें इस दूध को दुग्ध पाउडर में परिवर्तित करना पड़ता है किन्तु अब दुग्ध पाउडर नहीं बेचा जा रहा है। उस बारे में मैं बाद में बात करूंगा, इस दूध को पाउडर में परिवर्तित किया जाता है और 30 नवम्बर की स्थिति के अनुसार हमारे राज्य में 21 करोड़ रुपये मूल्य के दुग्ध पाउडर का भंडार था।

माननीय मंत्री की सूचना के लिए मेरे पास प्रत्येक राज्य में दुग्ध पाउडर भंडार के आंकड़े उपलब्ध हैं। गुजरात में 5000 मीट्रिक टन, हरियाणा में 100 मीट्रिक टन, पंजाब में 2000 मीट्रिक टन, राजस्थान में 300 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश में 900 मीट्रिक टन, आंध्र प्रदेश में 100 मीट्रिक टन, आपके राज्य तमिलनाडु में 3500 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश में 300 मीट्रिक टन, महाराष्ट्र में 6000 मीट्रिक टन और कर्नाटक में 2800 मीट्रिक टन दुग्ध पाउडर का भंडार है। 30 नवम्बर तक यही स्थिति थी और अगले तीन या चार महीने में इसके बढ़ने की संभावना है। मार्च के अंत तक प्रचुरता का मौसम रहेगा।

दुग्ध पाउडर के आयात का क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं नहीं जानता कि हमें बेबस क्यों किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहां आने की अनुमति दी जा रही है। आप रेशम के आयात की अनुमति दे रहे हैं; आप तेल के आयात की अनुमति दे रहे हैं; आप चीनी के आयात की अनुमति दे रहे हैं; आप गेहूं के आयात की अनुमति दे रहे हैं; और अब आप दुग्ध

[श्री आर.एल. जालप्पा]

पाउडर, मक्खन और अन्य सभी वस्तुओं के आयात की अनुमति दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कैसे जीवित रहेंगे यदि आप विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के अंतर्गत इन सब वस्तुओं के आयात की अनुमति देंगे?

एक दिन, माननीय मंत्री ने बड़ा अच्छा कहा कि गेहूं पर 50 प्रतिशत टैरिफ शुल्क लगाया है। उन्होंने दूसरे दिन वक्तव्य दिया। अब, हमारे देश में पहले ही 22,000 मीट्रिक टन दुग्ध पाउडर है और मार्च के अंत तक यह 45,000 मैट्रिक टन हो जाएगा। हम इसे कहां बेचेंगे? हम पिछले दो महीनों से दुग्ध पाउडर नहीं बेच रहे हैं। कोई एक किलो दुग्ध पाउडर भी नहीं खरीद रहा है क्योंकि हमारी लागत दुग्ध को दुग्ध पाउडर में बदलने की 70 रु. से लेकर 75 रु. प्रति किलोग्राम है और बाजार में, आयातित दुग्ध पाउडर 50 रु. में बिक रहा है। हमारा दुग्ध पाउडर कौन खरीदेगा? यही सब अब हो रहा है। पशु का बिक्री मूल्य भी बढ़ गया है। एक गाय की कीमत लगभग 15,000 से 20,000 है जो 6 लीटर दुध देती है।

सभापति महोदय : आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री आर.एल. जालप्पा : मुझे और पांच मिनट की अनुमति दीजिए।

चारे की कीमत बढ़ गई है। मुझे बताया गया है कि माननीय मंत्री भी अच्छे कृषक हैं। मुझे नहीं पता कि वे डेरी उद्योग में भी शामिल हैं या नहीं। गेहूं के भूसी की कीमत भी 30 प्रतिशत तक बढ़ गई है। पहले यह 50 किलो प्रति थैला 150 रुपये बिकता था। अब, यह 190 रु. से 200 रु. तक बिक रहा है। मूंगफली की खली जो पिछले साल 6000 रुपये प्रति टन बिकती थी अब 9000 रुपये प्रति टन हो गई है। आप इस बात पर विचार कीजिए कि यह किस प्रकार हमारे लिए संभव है कि इतनी लागत पर हम डेरी उद्योग को लाभप्रद बनाएं।

मैंने पहले भी कहा है कि हमारा दुग्ध से दुध पाउडर बनाने का खर्चा बहुत अधिक है जबकि आयातित दुध को राजसहायता (सबसिडी) मिली हुई है। उन्हें 1,000 डालर प्रति टन पर यूरोपियन संघ और अमेरिका से सबसिडी मिली हुई है। इसका अर्थ यह है कि इन देशों से निर्यात होने वाले दुग्ध पाउडर पर प्रति किलोग्राम 44 रुपये की सबसिडी मिली है। हम कैसे इन लोगों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? यह कदापि संभव नहीं है। इसके क्या परिणाम होंगे? हमारे छोटे किसान डेयरी व्यवसाय को छोड़ देंगे। मैं स्वयं भी कुछ सोसायटियों को दूध की आपूर्ति करता हूं। मुझे इन पशुओं का केवल मूत्र व गोबर मिल रहा है। मुझे कोई भी लाभ नहीं हो रहा है।

महोदय, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। मेरे राज्य में, एक आंदोलन हुआ, और यहां तक कि कुछ लोगों ने दूध संघ के प्रतिनिधि को पीटना शुरू कर दिया। यही स्थिति है। कोई अन्य मार्ग नहीं है। उन्होंने पैसे उधार लिए हैं; न तो वे अपने पैसे चुका सकते है और न ही उन्हें अपनी आजीविका के लिए रुपये मिल रहे हैं।

मुझे माननीय मंत्री, से यह निवेदन करना है कि यह तथ्य है कि हमारी 'श्वेत क्रांति' इन लाखों लोगों की मेहनत और पसीने का ही फल है। इन्होंने इसे यह आकार दिया अब हमारे देश में दुध उत्पाद की अधिकता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यही वह लोग हैं जिनकी मेहनत के बल पर ही हमारा देश एक महत्वपूर्ण दुग्ध उत्पादक देश बन गया है।

मुझे माननीय मंत्री को कुछ सुझाव देना है। पहला, ओ.जी.एल. से स्कीम्ड दुग्ध पाउडर साथ ही घी की प्राप्ति पर रोक लगा दी जाए; भगवान के लिए, ऐसा अवश्य किया जाए। दूसरा, चूंकि स्थानीय डेरी उत्पादकों को सबसिडी प्राप्त नहीं है, आयातित स्कीम्ड दुग्ध पाउडर पर शुल्क लगाए जाने चाहिए ताकि स्थानीय उत्पादों को आयातित मूल्य के समकक्ष या स्थानीय उत्पादन मूल्य के स्पर्धात्मक स्तर तक लाया जा सके। तीसरा, सरकार को हमारे देश के दुग्ध उत्पादन पर राजसहायता देनी चाहिए जिससे डेयरी सहकारी सोसायटियां और लाखों किसान अपना निर्वाह कर सकें। अगला सुझाव यह है कि कम से कम, दूध के प्रचुर मात्रा में उत्पादन के महीनों में, स्कूल के बच्चों को दुध का बिना मूल्य वितरण करना चाहिए।

किसानों को अपनी लगाई हुई राशि की कीमत नहीं मिल रही है। वे दुध अवकाश घोषित कर रहे हैं, इसका अर्थ है, सप्ताह में एक बार वे दुध नहीं लेंगे। उन्होंने दुध की कीमत कम कर दी है। कुछ संघों ने 30 पैसे प्रति लीटर कम किया है और कुछ अन्य ने, 65 पैसे प्रति लीटर मूल्य कम किया है।

अंत: मेरा सुझाव यह होगा। सेना विभाग अपने जवानों के लिए जो सीमा क्षेत्र में लड़ रहे हैं के लिए दुग्ध पाउडर खरीदता है; जब भी वे इसे खरीदें, उन्हें सहकारी संघों से खरीदना चाहिए जिससे किसानों को पैसा मिले और वे अपनी जीविका चला सकें।

मैं पहले भी इन बातों को ध्यान में ला चुका हूं कि हम सब छोटे उत्पादक हैं और हमें राजसहायता प्राप्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूर न करें। कृपया करके इसे ध्यान में रखिए और हमें संकटपूर्ण स्थिति से बचाइए।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): धन्यवाद, सभापति महोदय। वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री जालप्पा ने संपूर्ण बात का खुलासा किया है। मैं माननीय मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने पहले सूचना नहीं दी है

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको सुबह ही सूचना देनी चाहिए थी। जबकि आपने नहीं दी आपका नाम सूची में नहीं है

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): सभापति महोदय, मेरा नाम पिछली बार जो सदन में आधे घंटे की चर्चा हुई, उसमें भी था, लेकिन मंत्री महोदय ने न बोलने का अनुरोध किया इसलिए मैं नहीं बोला। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता मैं आपके लिए नियम पढ़ता हूं जो इस प्रकार है:

> ''सभा के सामने न तो कोई औपचारिकता प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो, वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा। जिन सदस्यों ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो, वे प्रश्न पूछ सकेंगे।''

अगर यदि आप नियम पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि यह आपको आज्ञा नहीं देता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : सभापति महोदय, आपको अधिकार है। आप चाहें, तो दो मिनट का समय दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुत्था सुकेन्दर रेड्डी (नालगोंडा): हमने पहले ही सूचित कर दिया था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं गलत उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना चाहता। क्या आपने अध्यक्ष महोदय को पहले सूचना दी थी? नहीं। इसलिए आपका नाम सूची में नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियम के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं दी गई है। मैं केवल नियम का अनुपालन कर रहा हूं। आपको माननीय अध्यक्ष महोदय को पहले से लिखित में नोटिस देना चाहिए था। आपने ऐसा नहीं किया है। मैं केवल नियम के अनुसार ही काम कर सकता हूं। अगर मैं अभी किसी को अनुमति देता हूं तो यह अब से परम्परा बन जाएगी। इसीलिए मैं किसी को इसकी अनुमति नहीं देना चाहता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : माननीय सभापति जी, ये कांग्रेस के माननीय सदस्य क्या बोलेंगे, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 1995-96 में इसके ऊपर से इनकी सरकार ने ही प्रतिबन्ध हटाया था और इसको री-ओपन कर दिया। पता नहीं किनके दबाव में आकर ऐसा किया गया। मैं समझता हूं कि विश्व के व्यापारियों के दबाव में आकर ऐसा कांग्रेस के समय में किया गया है। इसके कारण हिन्दुस्तान के दुग्ध व्यवसायी आज मार्केट में टिक नहीं पा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आप जब सभापति की कुर्सी पर बैठते हैं तो आप उससे भिन्न व्यक्ति होते हैं जब आप हमारे साथ बैठे होते हैं।

सभापति महोदय : मुझे भी इसी प्रकार मना किया गया था।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालना नहीं चाहता। मैंने केवल उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी।

...*(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय सदस्य श्री जालप्पा ने ब्यौरे और आंकड़े दिए हैं। मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हमारे कृषि आधारित उद्योगों को बचाने का एकमात्र रास्ता उन्हें बाजार प्रदान करना है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको पहले से सूचना देनी चाहिए थी।

...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): एक पूर्व अध्यक्ष होने के नाते आप स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं। आपको हमेशा नियमों के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है। आप विषय के महत्व के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं कोई नई परम्परा नहीं डालना चाहता।

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : मैं यह नहीं कह रहा कि यह खराब है। मैं नई परम्परा नहीं डालना चाहता।

...*(व्यवधान)*

श्री आर.एल. जालप्पा : यह प्रश्न लाखों लोगों को प्रभावित करता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि सभी का यह निर्णय है तो हम नई परम्परा बना सकते हैं। आप जैसा चाहते है मैं वैसी परम्परा बना दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा : महोदय, बाजार प्रदान करना ही किसानों को बचाने का एक रास्ता है। हमारे देश के लिए फल और सब्जी परिरक्षण जैसी कृषि आधारित उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं कोलार जिले का रहने वाला हूं जो कर्नाटक में है। वहां, हर घर में एक या दो गाएं हैं जो हर रोज 10 से 25 लीटर तक दूध देती हैं। वहां 4000 से अधिक ग्रामीण लोग रहते हैं। अगर केन्द्र दूध की प्राप्ति नहीं करेगा तो किसान कहां जाएंगे? उनके जीवन-यापन का वही सहारा है। रेशम उद्योग का भी यही हाल है। उदारीकरण से रेशम उद्योग भी प्रभावित हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों को हमारे देश में इकट्ठा कर रही हैं। उदारीकरण के कारण ही हम रेशम उद्योग का नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है। दुग्ध उद्योग की हालत भी ऐसी ही है। किसान कहा जाएंगे? कोई समाधान ढूंढ़ना होगा। अन्यथा किसानों की हालत बिगड़ जाएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि दूध को किसी नोडल एजेंसी के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए और उस प्राप्त दूध को सही तरीके से वितरित किया जाना चाहिए। अगर अधिक उत्पादन होता है तो उसका भंडारण किया जाना चाहिए और उसे दुग्ध पाउडर में बदलना चाहिए। दुग्ध पाउडर को देश के अंदर और बाहर बेचा जाना चाहिए। भारत सरकार को यह कदम उठाने के लिए आगे आना चाहिए। जब घरेलू उत्पादन आवश्यकता से अधिक है तो हमें आयात क्यों करना चाहिए? हमें दुग्ध पाउडर और रेशम उत्पादों का आयात क्यों करना चाहिए? ये बहुत गंभीर मामले हैं। माननीय मंत्री जी

इन मुद्दों पर काफी चिंतित है। उद्योग भी प्रभावित हुए हैं। इस देश में कई टन लोहा जमा पड़ा है। वे हमारे उत्पादों का भी ढेर लगा रहे हैं। लाखों मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम उद्योगीकरण को रोकते हैं तो हमारे ही लोग प्रभावित होंगे। हमें इस डम्पिंग का विरोध करना होगा। अन्यथा हमारे उद्योग पांच वर्षों में ही बर्बाद हो जाएंगे। हम इस देश में कोई उद्योग नहीं देख पाएंगे। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि किसानों और उद्योगपतियों का ध्यान रखें। अन्यथा हमारी हालत बिगड़ जाएगी। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुगुनी दरें वसूल करेंगी। यह एक सर्वविदित तथ्य है। हम सभी यह जानते हैं। हमें समाधान ढूंढ़ना होगा। हमें इसे रोकना होगा। इस डम्पिंग को रोकने के लिए हमें कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाना होगा। मैं उदारीकरण की नीति से सहमत हूं परन्तु इसकी सीमा होनी चाहिए। अगर आप इन वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगाते तो आप किसानों और उद्योगपतियों को कैसे बचा सकते हैं? आज उदारीकरण पर समुचित नियंत्रण न होने की वजह से सरकारी उपक्रम रुग्ण बनते जा रहे हैं।

डम्पिंग पर कोई समुचित नियंत्रण नहीं है। मैं सरकार को सलाह देता हूं कि इस पर शुल्क लगाए। अगर सरकार 30-40 प्रतिशत शुल्क लगाती है तो इससे बचाव हो सकता है। इस तरह हम अपने स्थानीय, घरेलू उद्योग बचा सकते हैं। हम अपने उद्योग बचा सकते हैं। सरकार गुणवत्ता पर जोर दे सकती है। स्थानीय उद्योगों से गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कहा जा सकता है।

सभापति महोदय, आप कृषक समुदाय से संबंधित हैं। आप ये सभी बातें जानते हैं। हमें 6000 टन रेशम की आवश्यकता है, जिसमें से 4000 टन हमारे ही देश में पैदा होता है। हम केवल 2000 टन रेशम चाहते है परंतु सरकार 6000 टन रेशम का आयात करके हमारे किसानों के लिए समस्या पैदा कर रही है। इसको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में हम प्रगति कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा उत्पादन लागत अधिक है और किसान इसका बोझ नहीं उठा सकते क्योंकि सरकार अपने उत्पादों को कम दाम पर बेच रही है। इसके कारण किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। दूध का भी यही हाल है।

सभापति महोदय : नियम के अंतर्गत आपको केवल प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है।

श्री के.एच. मुनियप्पा : मेरा सुझाव है कि दुग्ध पाउडर का आयात रोका जाना चाहिए। हमारे देश में पहले ही बहुत अधिक उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार रेशम का आयात भी नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात करना चाहिए जिनकी हमारे देश में आवश्यकता है।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): सभापति महोदय, जो प्रश्न स्टार्ड क्वैश्चन नम्बर 50 में पूछा गया था और जिसका जवाब 1 दिसम्बर को दिया गया था, उसके आधार पर माननीय सदस्यों ने यह चर्चा चाही थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा : मुझे हिंदी समझ में नहीं आती। अगर मंत्री जी अंग्रेजी में बोलेंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा।

श्री नीतीश कुमार : इसका भाषांतरण चल रहा है। आप को कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे दुभाषिए काफी विद्वान व्यक्ति हैं।

[हिन्दी]

दोनों माननीय सदस्यों ने जो बात सदन के सामने रखी है, उसमें कई बिन्दुओं पर असहमत होने का सवाल ही नहीं है। जहां तक इस देश के मिल्क प्रोड्यूसर्स का इंटरस्ट है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। मिल्क यूनियन के सामने जो कठिनाई आई है, उसे दूर किया जाना चाहिए। यह बात सही है कि बाहर का स्किम्ड मिल्क पाउडर हिन्दुस्तान के बाजार में सस्ता मिल रहा है, हमारे प्रोड्यूस का दाम उसकी तुलना में ज्यादा था। यह आईटम ओ.जी.एल. में आ गया है, यह 1995-96 में फ्री लिस्ट में हो गया है। जहां तक इम्पोर्ट ड्यूटी का सवाल है, इम्पोर्ट ड्यूटी ऐतिहासिक तौर पर इसमें नहीं थो। जीरो पर इम्पोर्ट ड्यूटी बाउंड है। जिनेवा प्रोटोकॉल के हिसाब से 1947 से जीरो परसैंट बाउंट रेट है। जो उरुगवे राउंड हुआ, जिनेवा प्रोटोकॉल में जो कुछ भी था, उस शैडयूल को उसने कैरी

[श्री नीतीश कुमार]

फारवर्ड किया। उस हिसाब से आज की तारीख में इस पर जीरो परसैंट पर इम्पोर्ट ड्यूटी बाउंड है। 1995-96 में जो लिबरलाईजेशन का दौर चला, जालप्पा साहब इधर से उधर चले गए, जब से ये लोग वहां गए हैं, उसी समय से लिबरलाइजेशन का दौर चला है। फिर डब्ल्यू.टी.ओ. ऐग्रीमैंट हुआ, उसके बाद आप धीरे-धीरे सब चीजों को ओ.जी.एल. में डालते जा रहे हैं। 1995-96 में स्किम्ड मिल्क पाउडर को ओ.जी.एल. में डाला गया, इससे पहले यह रिस्ट्रिक्टेड था, डी.जी.एफ.टी. द्वारा इसका लाईसेंस दिया जाता था, जिसके आधार पर कोई इम्पोर्ट कर सकता था, लेकिन 1995-96 से इसे फ्री लिस्ट में डाल दिया गया।

सायं अपराह्न 6.00 बजे

दूसरी तरफ इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो पर बाउंड है-उस हालत में कोई भी उसको मंगा सकता है और आज की तारीख में वही हो रहा है। इसमें 1998-99 तक कोई समस्या नहीं आई। आयात शुल्क शून्य प्रतिशत पर है क्योंकि स्किम्ड मिल्क पाउडर को निःशुल्क आयात मदों की सूची में रखा गया था। इसके बाद भी 1998-99 तक कोई प्राब्लम नहीं आई और बहुत मामूली क्वाण्टिटी इम्पोर्ट हो रही थी। लेकिन यह सही है कि 1999-2000 ईस्वी में बड़े पैमाने पर अचानक इम्पोर्ट हो रहा है। आपने भी कुछ जानकारी दी है और जो हम लोगों ने जानकारी ली है, उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्ट इस बार हो रहा है। अभी तक अप्रैल से सितम्बर तक की फीगर्स मेरे पास हैं, मैं सितम्बर तक इकट्ठे किए गए कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जिनमें सुधार हो सकता है। मदर डेयरी, दिल्ली ने 5000 मीट्रिक टन इम्पोर्ट किया, नेस्ले इंडिया ने 2000 मीट्रिक टन इम्पोर्ट किया, मदर डेयरी कलकत्ता ने 6000 मीट्रिक टन इम्पोर्ट किया, मदर डेयरी, कलकत्ता ने 2000 मीट्रिक टन इम्पोर्ट किया, गवर्नमैंट डेयरी, कलकत्ता ने 1000 मीट्रिक टन इम्पोर्ट किया, वारना डेयरीज ने 717 मीट्रिक टन इम्पोर्ट किया और इस हिसाब से 16,717 मट्रिक टन की फीगर तो हमें आज मिली है। हो सकता है कि कुछ और लोगों ने इम्पोर्ट किया हो। कुल मिलाकर यह अचानक बहुत इम्पोर्ट ज्यादा बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जबकि इसके पहले के वर्षों में इम्पोर्ट ज्यादा नहीं हो रहा था। यह समस्या अचानक इस साल आई है। पहले के फीगर्स को अगर आप देखेंगे तो 1994-95 में 215 मीट्रिक टन, 1995-96 में 1103 मीट्रिक टन, 1996-97 में 283 मीट्रिक टन, 1997-98 में 670 मीट्रिक टन और 1998-99 में 1424 मीट्रिक टन-हालांकि 1998-99 की प्रोवीजनल फीगर्स है। यहां इसमें इम्पोर्ट बहुत बढ़ा है-इसके दो ही कारण हैं। उसका एक कारण है कि पहले तो यह चीपली एवेलेबल है, दूसरे इसको इम्पोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है।

दूसरी तरफ हमारी जो बड़ी-बड़ी डेयरीज है, मदर डेयरी और इस तरह की डेयरीज हैं, इन लोगों ने कोशिश की है। ये फरवरी-मार्च में अपना सब कुछ प्लान करते हैं। उस समय इन्होंने पता लगाया तो इनकी अपनी स्किम्ड मिल्क पाउडर की जो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि सब जगह दूध की रिक्वायरमेंट बढ़ी हैं और उस हिसाब से उनका प्रिक्योरमेंट नहीं है तो ये स्किम्ड मिल्क पाउडर का सहारा लेते हैं। इन्होंने जब स्किम्ड मिल्क पाउडर की एवेलेबिलिटी के बारे में सबसे पूछा तो इनको यह लगा कि जो उनकी पूरी जरूरत है, इतना स्किम्ड मिल्क पाउडर उनको यहां विभिन्न डेयरी फैडरेशंस के जरिये एवेलेबल नहीं हो पायेगा तो इन्होंने इम्पोर्ट करने का फैसला किया। जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार इन्होंने इम्पोर्ट किया।

दूसरी बात है कि स्किम्ड मिल्क पाउडर विदेशों में चीपली एवेलेबल है और इन दोनों कारणों से मुसीबत आई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसका उपाय क्या है, इसका निदान क्या है। भारत के जो फार्मर्स है, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी मदद करनी होगी, यह हमारी सरकार की नीति है। लेकिन जो चीज बाउंड रेट जीरो परसेंट पर है उसके लिए डब्ल्यू.टी.ओ. एग्रीमेंट के हिसाब से एक प्रोसेस हमें इसमें एडाप्ट करना पड़ेगा। फामर्स मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने वह प्रोसेस एडाप्ट किया। हम इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना चाहते हैं, जो बाउंड रेट है, उसको इन्क्रीज करना चाहते हैं और उसके लिए जो प्रक्रिया है, वह हमने शुरू कर दी है। जितने भी लोग आपके ट्रेड पार्टनर्स है, पहले होल्डर्स ऑफ आई.एन.आर. हैं, इनीशियल निगोशिएटिंग राइट्स जिनके पास हैं या प्रिंसीपल सप्लाइंग इण्टरेस्ट जितने हैं, उसमें पहले तो डब्ल्यू.टी.ओ. मेम्बर्स को नोटीफाई कर दिया गया। कनाडा को छोड़कर इस मामले में हमारे पार्टनर्स आस्ट्रेलिया, यू.एस.ए. और यूरोपियन कम्युनिटी हैं। कनाडा ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आस्ट्रेलिया, यूरोपियन कम्युनिटी और यू.एस.ए. के साथ हमारा निगोसिएशन हो रहा है। सिर्फ इस मामले में ही नहीं और दूसरी एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बारे मे भी, जिन पर बाउंड रेट बहुत कम है या जीरो है, ऐसी तमाम ऐसी कमेडिटीज पर निगोसिएशन चल रहा है। जो निगोशिएशन चल रहा है, वह अपने प्रोड्यूसर्स के इंटरैस्ट को प्रोटैक्ट करने के लिए चल रहा है। यह सरकार का इरादा है।

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी (नलगोंडा): उनको सपोर्ट प्राइस भी देना है।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : यह एक अलग बात है। यह इस विषय से संबंधित नहीं है। यह बिल्कुल अलग बात है। अब मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

जहां तक सवाल है, ये निगोशिएशंस चालू है और उसका नतीजा निकल आयेगा। इसका नतीजा निकलने में कुछ वक्त लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल के शुरूआती समय में ही, शुरू के महीनों में ही इसका कोई नतीजा निकल आयेगा और हम यहां के मिल्क प्रोड्यूसर्स के इन्टरैस्ट की रक्षा करने के लिए तब हम बाउंड रेट बढ़ा देंगे, जब वह निगोसिएशन हमारी कम्पलीट हो जायेगी।

उस हालत में हम इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं। आज की तारीख में हम चाहें तो भी इम्पोर्ट ड्यूटी यूनीलेटरली इम्पोज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इस प्रोसेस से गुजरना ही है और हम गुजर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस मामले में सचेत है, कदम बढ़ चुका है, उसके नतीजे बहुत जल्दी आएंगे और हम इनके हितों को प्रोटेक्ट करेंगे। जहां तक सवाल है कि इसको रिस्ट्रिक्टिड आइटम्स में फिर से डालने का, तो कामर्स मिनिस्टरी का ख्याल है कि उदारीकरण का जो दौर है, उसमें यह रिट्रोग्रेड स्टैप होगा। इसलिए हम इसको रिस्ट्रिक्टिड लिस्ट में नहीं डाल रहे, बल्कि इम्पोर्ट ड्यूटी के जरिए उसके बाउंड रेट को बढ़ाकर, इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज करके हम इसे रिस्ट्रिक्ट करे, उतने से ही हमारे मिल्क प्रोड्यूसर्स का इंटरैस्ट प्रोटैक्ट हो जाएगा।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): डब्ल्यू.टी.ओ. के बारे में क्या कहना है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। माननीय मंत्री जी इसका उत्तर नहीं देंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह कामर्स मिनिस्टरी का मामला है। लेकिन आप हमसे पूछ रहे हैं तो बता देते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्यों को पहले नोटिफाई करना पड़ता है। वह नोटिफाई किया गया, एक पार्टनर ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, तीन के साथ बातचीत अंतिम स्टेज में है। नैगोशिएशन की डिटेल के बारे में बताना आज की तारीख में सम्भव नहीं है, क्योंकि इसमें नैगोशिएशन पर असर पड़ सकता है। लेकिन इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहां के प्रोड्यूसर्स के इंटरैस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की स्थिति में एक समय के बाद आ जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा : महोदय, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब और स्पष्टीकरण नहीं होंगे। नियम इसकी अनुमति नहीं देता।

...*(व्यवधान)*

श्री आर.एल. जालप्पा : मैंने नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : श्री जालप्पा आप और कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, प्रक्रिया के नियमों के अंतर्गत आप के पास शेष अधिकार हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शेष अधिकारों के अंतर्गत अध्यक्षपीठ किसी बात के लिए मना भी कर सकते हैं।

श्री आर.एल. जालप्पा : विश्व व्यापार संगठन इस बात पर जोर दे रहा है कि कृषि उत्पादों को कोई सब्सिडी नहीं

[श्री आर.एल. जालप्पा]

दी जा सकती। अगर ऐसी बात है तो यूरोपीय संघ और अमेरिका इसके लिए प्रति टन 1000 डालर तक सब्सिडी कैसे दे रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आपका प्रश्न इस विषय से संबंधित नहीं है। यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है। कुछ देश अपने निर्यातों के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। भारत ने भी इस पर गौर किया है। भारत ने इस बात का विरोध किया है। हमने विश्व व्यापार संगठन की बातचीत के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। आपको हमारे पक्ष का पता होना चाहिए। यह आपकी उपज है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जालप्पा, आप कोई अन्य बात नहीं कह सकते। नियमों में इसकी अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मिल्क होलिडेज का सवाल है, २.२ कर्नाटक को छोड़कर कहीं समस्या नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं नियमों से बंधा हुआ हूं। नियम इसकी अनुमति नहीं देते।

...*(व्यवधान)*

श्री आर.एल. जालप्पा : महोदय, कृपया नियमों का कड़ाई से पालन न करें। कभी-कभी सब कुछ स्वीकार कर लिया जाता है।

सभापति महोदय : मंत्री जी इसका उत्तर दे चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह सभा कल दिनांक 21 दिसम्बर, 1999 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21 दिसम्बर, 1999/ 30 अग्रहायण, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/3/16/99 (एन०)
280

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।